जिला आपदा प्रबन्धन योजना

(वर्ष 2019)

31.05.2019

श्रीगंगानगर

सहयोग– यूनिसेफ, राजस्थान

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

2.3 जिले का मानचित्र :

24
गंगानगर जिला
पैमाना 0 10 किमी.
पंजाब
पाकिस्तान
भारत
हनुमानगढ़
गंगानगर
बीकानेर
चूरू
मलकोट
रेणूका
दौलतपुरा
फतू
मिरजेवाला
अंधुवाला
गंगानगर
केसरीसिंहपुर
रामनगर
बनवाला
सादूलशहर
दलपतसिंहपुर
अराईन
करनपुर
चुनावढ़
लालगढ़ जाटां
महियावाली
निजामपुरा
तातारसर
पाबूसर
जोरावरपुरा
रातेवाला
ममड खेड़ा
देलवाड़
पदमपुर
गणेशगढ़
पाका सेरनोका
लालगढ़
गजसिंहपुर
घापूखाली
बींजवायला
जालूकी
जोरकिन
रामूवाली
किकरवाली
लाखासर
डबली राठान
खाटन
रायसिंहनगर
रिड़मलसर
मुकलावा
भोगसर डावला
डाबी
रामजीवाला
ठाकरी
सोहननगर
पीलीबंगा
लालपुरा बड़ा
निरवाना
सतजंडा
रामपुरा
मुखचैनपुरा
बुसिया
सरदारगढ़
रंगमहल
जाखड़ावाली
जैतसर
सरूपसर
बड़ोपाल
जाऊकियां
कल्यानकोट
सूरतगढ़
बलोचिया
बिजनोर
विजयनगर
रघुनाथपुरा
संगोता
कानोड
अनूपगढ़
रायसिंहपुरा
बिरमानो
बिरधवाल
एटा
शेरपुरा
मोटासर
हिसामकी
नाईवाला
खाल
गोविंदसर
धांदूसर
पतरासर
बारोड़
कुसली
राजासर
सुरजनसर
गोपालसर
करडू
आदमुवाला केरा
राजियासर
बचकाली
घरसाना
डाबा
मोकलेसर
लाडेर
साखी
खियासर
जोधासर
हाबूसर
अर्जुनसर
सिंगरासर
उसर
फूलेवाली
खारबारा
कुम्भासर
मिरगढ़
देसनी
थांधू
टूटेरिया
डानुवाली
फूलसर
जसवंतसर
रामबाग
ताखीवाली
कुंडा
रावला
रोझड़ी
गेगड़ा
आनन्दगढ़
महाजन
छतरगढ़
कुम्भाना
शेरपुरा
सतासर

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग– अ	
अध्याय–1	**प्रस्तावना**	**6–10**
	विकास और आपदा	
1.1	जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
1.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
1.3	आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)	
1.4	स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी	
1.5	कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें	
1.6	कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र–जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरण	
1.7	प्लान रिव्यू तथा अपडेशन	
अध्याय–2	आपदा, भेद्यता, क्षमता तथा जोखिम आकलन	11–16
2.1	जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य	
2.2	जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण	
2.3	विपदा एवं जोखिम की संवेदनषीलता का आंकलन	
2.4	आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी	
2.5	सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)	
2.6	क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लैषण	
अध्याय–3	आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था	**17–19**
3.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005	
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	
3.3	जिला प्रशासन	
3.4	पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं	
3.5	नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स	
3.6	EOC setup and facilities available in the district	

अध्याय– 4	रोकथाम और शमन उपाय	**19–67**
4.1	स्ट्रक्चरल शमन उपाय	
4.2	गैर संरचनात्मक शमन उपाय	
4.3	तैयारी क्रियाविधि	
4.4	जागरुकता कार्यक्रम	
4.5	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	
अध्याय– 5	तैयारियों के उपाय	**67–75**
5.1	आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरण	
5.2	प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना	
5.3	द्वितीय चरण–आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना	
5.4	तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना	
5.5	संवेदनशीलता	
अध्याय–6	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	**75–77**
अध्याय–7	प्रतिक्रिया और राहत उपाय	**77–78**
अध्याय–8	पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय	**78–80**
अध्याय–9	DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	**80**
अध्याय–10	DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली	**80–82**
अध्याय–11	DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र	**82–90**
अध्याय–12	SOP– मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन	**91–104**
परिशिष्ट नं. 1	जिला प्रोफाईल–आपदाओं का इतिहास	**104–109**
परिशिष्ट नं. 2	आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीतियां	**–**
परिशिष्ट नं. 3	आश्रय प्रबंधन व्यवस्था	**109**
परिशिष्ट नं. 4	मीडिया भागीदारी	**110**
परिशिष्ट नं. 5	चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना	**110–114**
परिशिष्ट नं. 6	आपदा की रोकथाम के लिये परियोजनाएं	**–**

परिशिष्ट नं. 7	आपदा बाद की क्षति के लिये प्रारुप, हानि, आवश्यकताएं और क्षमता प्रसार	**–**
परिशिष्ट नं. 8	चपेट में आने वाले गांवों तथा कस्बों की सूची	**114–115**
परिशिष्ट नं. 9	जिले में निजी और सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनों की सूची	**115–149**
परिशिष्ट नं. 10	सार्वजनिक तथा निजी आधारिक संरचना की सूची जैसे–पुलिस स्टेशन, आश्रय आदि	**150**
परिशिष्ट नं. 11	विभिन्न संस्थाओं,एन.जी.ओ., स्वयं सेवकों की सूची	**151**
परिशिष्ट नं. 12	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची– मशीनरी तथा उपकरण की उपलब्धता	**152–154**
परिशिष्ट नं. 13	आपातकालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची–फोन न0 सहित	**155–156**
परिशिष्ट नं. 14	रेडियो तथा टेलिविजन स्टेशनों की सूची	**156–157**
परिशिष्ट नं. 15	20 एजेंसियों/व्यक्तियों को प्लान के वितरण की सूची	**–**
परिशिष्ट नं. 16	परिवर्णी शब्दों की सूची	**157–158**
परिशिष्ट नं. 17	फोन डायरेक्ट्री	**158–181**
परिशिष्ट नं. 18	विधानसभा वार मानचित्र	**182–187**
परिशिष्ट नं. 19	जिला स्तर पर ईसीएफ गठन मानचित्र	**188**

अध्याय– 1

प्रस्तावना

विकास और आपदा–

आदिकाल से मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष करता रहा है। आज भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। तथापि आज भी आपदायें उसके नियन्त्रण से बाहर है। प्राधोगिक एवं औद्योगिक विकास से मनुष्य ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिये है। जो दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। जिससे जान व माल की काफी हानि होती है।

भारत में आपदा जोखिम

भारत में अलग–अलग तीव्रता वाली अनेक प्राकृतिक और मापव–जन्य आपदाएं आती रहती है। लगभग 58.6 प्रतिशत भू–भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकम्प संभावित क्षैत्र है, 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षैत्र (12 प्रतिशत भूमि) बाढ और नदी अपरदन संभावित है, 7,516 कि.मी. तटीय क्षैत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. क्षैत्र चक्रवात और सुनामी संभावित है, 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षैत्र सूखा संभावित है और पहाडी. क्षैत्रों में भू–स्खलन और हिम–स्खलन की बनी रहती है। आपदाओं/रासायनिक, जैविक विकीरण और नाभिकीय (सी बी आर एन) आपात स्थितियों/आपदाओं की संभावना भी रहती है। आपदा जोखिमों की अत्यधिक सुभेद्यताओं को जनसंख्या वृद्वि, शहरीकरण और औद्योगीकरण, उच्च–जोखिम क्षैत्रों में विकास, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन से जोडा. जा सकता है।

1.1 जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

बहु–आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 60 वर्षों 1950–2010 में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 54 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में
असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की

रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य–

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

क. प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
ख. भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
ग. कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।
घ. उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
ड. स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
च. सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
छ. राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

नीतिगत कथन

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाषकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

1.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

23 दिसम्बर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित करके एक उचित कदम उठाया। इस अधिनियम में, आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एन डी एम ए), मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें और कलैक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणें (डी डी एम ए) के गठन की परिकल्पना की गई थी। विकास संबंधि लाभों को बनाऐ रखने तथा जीवन, आजीविका और सम्पति के नुकसान को कम करने के लिये राहत–केन्द्रित कार्रवाई के पहले के दृष्टिकोण के स्थानपर अब सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

1.3 आपदा कार्ययोजना का मूल्यांकन (संक्षिप्त नोट)–

आपदा प्रबन्धन कार्य–योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औघोगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटना, रेल व वायुयान दुर्घटना इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची है पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे है। 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकालग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दषकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असंतुलन के कारण भी होता है इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकंप ऐसी आपदाये हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन व पर्यावरण को प्रभावित करते है। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विषाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला श्रीगंगानगर का अधिकांष क्षेत्र नहरी है। इसी प्रकार मार्च माह में गेहूँ कटाई के समय आग का लगना। कुऑ खुदाई के समय भू–स्खलन एवं गलियों में शौचालय की कुईंयों का धसना आदि मुख्य आपदायें है।

1.4 स्टेक हॉल्डर्स तथा उनका उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी–

जिले में समुदाय से लेकर जिला स्तर तक मुख्य हितधारकों की बडी. संख्या है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां एवं लाइन डिपार्टमेंट के जाने पहचाने हितधारक समूहों के अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी ऐसे हितधारक भी हैं जो आपदा और शांति दोनों स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हितधारक समूहों की सूची–

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	मन्तव्य
1.	ग्राम पंचायत स्तर	1. ग्राम पंचायत जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कमिटी	निर्मल भारत अभियान की यह टीम कमिटी बनाएगी
		2. ग्राम पंचायत बाल कमिटी	समेकित बाल विकास परियोजना की टीम यह कमिटी बनाएगी
		3. ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन कमिटी	
		4. ग्राम पंचायत शिक्षा कमिटी	सर्व शिक्षा अभियान की टीम यह कमिटी बनाएगी
		5. ग्राम पंचायत भोजन एवं पौषण कमिटी	मिड डे मील के लोग इस कमिटी में होंगे
		6. ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कमिटी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत बनी टीम इस कमिटी में होगी
		7. ग्राम पंचायत वार्ड मेम्बर	

क्र. सं.	स्तर	हितधारक समूह	
2.	जिला स्तर (लाइन डिपार्टमेंट)	1. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	11. नगर निकाय
		2. श्राम संसाधन विभाग	12. जल संसाधन विीाग
		3. पंचायत राज विभाग	13. कृषि विभाग
		4. स्वास्थ्य विभाग	14. पशुपालन विभाग
		5. पुलिस विभाग	15. मत्स्य विकास विभाग
		6. डाक एवं संचार विभाग	16. बीएसएनएल
		7. ग्रामीण विकास विभाग	17. शिक्षा विभाग
		8. सामाजिक सुरक्षा विभाग	18. ऊर्जा विभाग
		9. सांख्यिकी विभाग	19. अग्निशमन सेवा(दमकल)
		10. परिवहन विभाग	20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
			21. उधोग विभाग
3.	अन्य हितधारक समूह	1. शैक्षणिक संस्थाएं	
		2. वास्तुकार, अभियंता, डिप्लोमा धारक और राज मिस्त्री	
		3. कारीगर शिलपकार समूह	
		4. व्याावसायिक समूह(निजी क्षैत्र के कॉरपोरेट,उद्योग,एसएमई) बाजार एवं बाजार संघ	

		5. भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत पेशेवर संघ
		6. स्वास्थ्य संगठन(मेडिकल संघ,केमिस्ट एवं ड्रग ऐसोशिएशन, आरभीसी एवं नर्स संगठन)
		7. इंटर एजेंसी ग्रुप
		8. स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया
		9. स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं
		10. स्वंय सहायता समूह, महिलाएं एवं किसान संगठन,जीविका समूह
		11. ट्रांसपोर्टर(रेल, सड.क, और नाव)
		12. युवा संगठन

1.5 कार्य योजना को कैसे प्रयोग करें– परिस्थितियों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना के विभिन्न अध्यायों एवं परिशिष्टों में दी गई जानकारी को काम में लेते हुये इस कार्य येजना को प्रयोग में लाएंगे।

1.6 कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तंत्र–जिला स्तर पर योजना को प्रभावी करने हेतु प्राधिकरणः– स्थाई व्यवस्था– जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रगंधन प्राधिकरण (**DDMA**) का गठन किया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य हैं–

क्र.सं.	पदनाम		फोन नम्बर
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	0154–2445001 9829012534
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	0154–220588 9828500401
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य	9414322352
4	अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)	सदस्य सचिव	9414493111
5	अधीक्षण अभियंता सार्व.निर्माण वि. वृत्त श्रीगंगानगर	सदस्य	9413338063
6	अधीक्षण अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग वृत्त श्रीगंगानगर	सदस्य	9414121963
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर	सदस्य	9414087486

1.7 प्लान रिव्यू तथा अपडेशन– जिला आपदा प्रबंधन प्लान को जिले परिस्थितियों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित करते हुये अपडेट किया जाऐगा।

अध्याय–2

(आपदा, भेद्यता, क्षमता तथा जोखिम आकलन)

2.1 जिले का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य–

जिले का आर्थिक परिदृष्य :

जिले मे कार्यषील जनसंख्या का अधिकांष भाग कृषि पर निर्भर है। जिले की अर्थव्यवस्था में उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान भी है, खनन क्षेत्र का
योगदान काफी कम है। जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें है जिनमें गंगनहर का सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक है अन्य नहरे भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहर है। गंगानहर जिला ''राजस्थान का अन्न भण्डार'' माना जाता है। जिला गेंहू, कपास, चना, सरसों व किन्नू उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त यहां पर गन्ना व चावल भी भरपूर मात्रा में पैदा होते है। गंगानगर का किन्नू विदेषों में भी निर्यात होता है, 1956 में रूस की सहायता से केन्द्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई है, जिसकी दो अन्य शाखाएं जैतसर फार्म व सरदारगढ़ कृषि फार्म भी कार्यरत है। गंगानगर शुगर मिल, कमीनपुरा जिले का सबसे बड़ा कारखाना है। यह राज्य का एक मात्र चीनी कारखाना है, जहां पर चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहां देषी मदिरा भी बनाई जाती है। तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, पी.वी.सी. पाईप व टंकी मिल, ब्रेड, बिस्कुट मिल आदि प्रमुख उद्योग है। सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेषन है जहां पर छः इकाईयों से 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। सातवीं एवं आठवीं सुपर क्रिटिकल पावर इकाईयों (660 x 2) का निर्माण कार्य चालू है। राज्य का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युतग्रह – कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट, पदमपुर में स्थापित है, जहां से प्रतिदिन 17500 यूनिट विद्युत कचरे से पैदा की जाती है। जिले में एकमात्र खनिज जिप्सम का उत्खनन सूरतगढ़, रघुनाथपुरा किषनपुरा से किया जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिले में कुल पषुधन 1672598 है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं 15 जिले का एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी जिले में लम्बाई 76 किमी. है। इसके अतिरिक्त तीन राज्य राजमार्ग संख्या 3–179 किमी., 7 बी–84 किमी. व 36–33 किमी. लम्बे है। 1792 किमी. जिला सड़कें है। जिले में कुल 334 पोस्ट ऑफिस व 22 टेलीग्राफ ऑफिस है। जिले में 1192 सहकारी समितियां है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 336548 है। कुल पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 303 व पंजीकृत लघु उद्योग 8067 हैं। 13 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं इसके अतिरिक्त जिले में 4 एलोपैथिक अस्पताल, 93 आयुर्वेदिक औषधालय व यूनानी अस्पताल, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 439 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है।

सामाजिक परिदृष्य :

जिले मे हिन्दू, सिक्ख, मुस्लिम व इसाई धर्मों की विभिन्न जातियों के लोग निवास करते है। सर्वाधिक आबादी हिन्दुओं की है। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्ख आबादी, श्रीगंगानगर जिले में निवास करती है। जिले में पंजाबी संस्कृति का प्रभाव अधिक है। विभिन्न अवसरों पर जिले में अनेक मेले लगते हैं। सिक्खों का सबसे बड़ा मेला बुडढ़ा जोहड मेला गांव डाबला, तहसील रायसिंहनगर में भरता है। यहां बाबा फतेहसिंह का ऐतिहासिक गुरूद्वारा है, जिसमें सरोवर के चारों तरफ 140 कमरे बने है। सिक्ख इतिहास दर्षाने वाला एक म्यूजियम भी है। विजयनगर का डाडा पम्माराम मेला इनकी समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष लगता है। सूरतगढ़ व फौजूवाला में प्रसिद्ध रामदेव मेले लगते है। जिले का सबसे बड़ा मेला चानणा धाम (पदमपुर) में लगने वाला हनुमान जी का मेला है। इसके अतिरिक्त गंगानगर का जम्भेष्वर मेला, गणगौर मेला, विजयदषमी मेला प्रमुख है।

जिले की अनूपगढ़ तहसील में लैला–मजनूं की दरगाह है, जहां पर हर वर्ष मेला लगता है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष अलग–अलग जगह पर एक बार घोड़ों का मेला भी लगता है।

जिले में मनाए जाने वाले अन्य पर्वो में गुरूनानक जंयती, गुरू गोविन्द सिंह जंयती, होली, रक्षाबंधन, दिपावली, दषहरा, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, दुर्गाष्टमी, मकर सक्रांति, बारावफात, शबे बारात, मोहर्रम, इदुल जुहा, इदुलफितर, क्रिसमिस डे, गुड फ्राइडे आदि प्रमुख है।

2.2 जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण–

घटित आपदाएं एवं प्रबन्धन

गुजरात के भूज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जुझना पडा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लूणकरनसर में बाढ़ तथा रावतसर में दिनांक 12.9.07 को बादल का फटना, पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जावें ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

2.3 विपदा एवं जोखिम की संवेदनषीलता का आंकलन

आपदायें जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरांत सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढाया है। बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। क्योंकि उनकी आर्थिक व शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवष्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सकें।

संभावित आपदाओं की पहचानः–

जलवायु संबंधित	भू–गर्भ संबंधित	रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणु विपदा	दुर्घटना संबंधित	जैविक आपदायें

बाढ़	भूकंप	रेडियो ऐक्टिव विकिरण	आग	महामारी
सूखा	भू–स्खलन	गैस रिसाव	बम विस्फोट	टिडडी दल
चक्रवात	बॉध का टूटना		सड़क,रेल दुर्घटना	जानवरों की महामारी
बादल फटना	खान में आग लगना		खान में बाढ़ आना	कीट आक्रमण
ओलावृष्टि			मुख्य भवन ढहना	
तूफान, गर्म व ठंडी हवायें, पाला, ऑधियां				

श्रीगंगानगर जिले की आपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना का एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदायें, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा आपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले के संभावित जो आपदायें चिन्हित की गई इनमें से मुख्य पॉच आपदाओं के लिए विस्तृत एवं विशिष्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंषा की गई।

जिले में विषिष्ट एवं सामान्य आपदायें

विषिष्ट आपदायें	**संभावित आपदायें**
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृष्टि
दुर्घटना (सड़क,रेल,कुँओं का धसना, कृषि आग, नहरों का टूटना)	अतिवृष्टि
सेम विस्तार	मौसमी कीडों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
	रसायनिक, औघोगिक बम विस्फोट

विभिन्न आपदाओं को उनकी तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय के अन्तराल की दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता है–

अ. आकस्मिक आपदायें– इस प्रकार की आपदाओं में भूकंप, बाढ, ओलावृष्टि, अग्निकांड, दुर्घटनायें, रासायनिक दुर्घटनाये आती है। तथा उनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में मानव एवं पशुधन व मकानों आदि का नुकसान हो जाता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वहॉ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जन सहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त सहयोग की आवश्यकता होती है एवं कम समय में ही बहुत बडे पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव व सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों, आश्रय स्थलों, चिकित्सा एवं भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है।

ब. धीमी गति की आपदायें–इस प्रकार की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदायें आती है जिसका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है तथा उसके लिए राहत सामग्री आदि पहुँचाने के लिए एवं तैयारी के लिए पूर्व में काफी समय मिल जाता है। अकाल के लिए जो राहत कार्य किये जाने की आवश्यकता होती है। उसमें उतनी तत्परता एवं रेस्पोन्स की शीघ्रता नहीं होती है, जितनी की भूकम्प या बाढ़ की स्थिति में होती है। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है।

2.4 आपदा, संवेदनशीलता, क्षमता तथा जोखिम हेतु प्राधिकरण/एजेंसी–

निम्न प्राधिकरण/एजेंसीज कार्यरत है–

(अ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)– यह आपदा प्रबंधन के लिये एक शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री है। यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर समय पर और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये इनके प्रवर्तन, और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिये उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी–2 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(ब)– राष्ट्रीय कार्यकारी समिति– इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव है तथा इसमे कृषि, परमाणु उर्जा,रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्त, स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा चीफ ऑफ द इंटीग्रेटिड डिफेंस सटॉफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी के सदस्यों के रुप में शामिल है। इसकी बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राालयों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे।

(स) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एसडीएमए)– राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह अन्य बातों के साथ–2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा, राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिये प्रावधान की सिफारिश करेगा, और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा।

(द) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी

दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

(य) स्थानीय प्राधिकरण– इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

(र) जिला प्रशासन– जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

2.5 सम्भावित आपदाओं की सूची (तीव्रता तथा उपशमन)

जिले में विषिष्ट एवं सामान्य आपदायें

विषिष्ट आपदायें	**संभावित आपदायें**
बाढ़	बादल का फटना
सूखा	ओलावृष्टि
दुर्घटना (सड़क,रेल,कुँओं का धसना, कृषि आग, नहरों का टूटना)	अतिवृष्टि
सेम विस्तार	मौसमी कीडों का प्रभाव
भूकम्प	शीतघात एवं ताप (लू)
	रसायनिक, औघोगिक बम विस्फोट
	आग का लगना (फसल कटाई के दौरान)

2.6 क्षमता निर्माण तथा संसाधनों का विश्लैषण–

जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना बनाने के उदेष्य जिले में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं से होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने एवं उनके स्थाई समाधान हेतु आपदा नीति तैयार करवाना है। यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर तैयार की जायेगी जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है:–

1. आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय एवं आपदा उपरांत सहायता, पुर्नवास एवं मूलभूत अघोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनःस्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

2. राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियत्रंण के लिए आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी जिससे आपदा प्रबन्धन से संबंधित समस्त कार्यों को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी। जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रूप से आपदा के समय सुचारू रूप से अपने कार्यों को स्वतंत्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सकेगें।

3. भावी आपदा प्रबन्धन अस्थाई प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम हैः–

क – दीर्घकालीन योजनाएं– राज्य योजनाएं/विभागीय योजनाएं अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनाई जावेगी एवं उन कार्यों के लिए अन्य प्लान कार्यों की तरह लगातार जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते बजट प्रावधान रखे जायेगें। खासतौर से ड्रॉट प्रूफिंग के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

ख – आपदा प्रबन्धन योजना– प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी संबंधित विभाग ग्राम स्तर की योजनायें बनायेगें तथा ग्राम स्तर पर डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा यह सूचना प्रत्येक वर्ष अघतन प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा और आपदा प्रबन्धन के लिए यह सूचना एक प्रभावशाली तंत्र का कार्य करेगा।

ग– क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेगें तथा राज्य स्तर पर एच.सी. एम. रीपा मॉडल एजेन्सी होगी। जो राज्य स्तर एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विद्याओं के रिसोर्स परसंस तैयार करेगी तथा ये विशेष प्रशिक्षित रिसोर्स परसंस जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगें तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण करेंगें। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेन्स विभाग में सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक विशिष्ट टीम तैयार की जावेगी।

घ–समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।

च–बहु आपदा रेस्पोरेन्स व्यूह–रचना–बहु आपदाओं के तुरंत प्रबन्धन के लिए इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है। उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेंनिग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है जो आवश्यकता पडने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

छ–एक इस प्रकार से संचार नेटवर्क विकसित किया जावेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिले से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर पर भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूटरीकृत नियत्रंण कक्ष स्थापित किये जायेगें तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (S.D.R.N.) एवं इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (I.D.R.N.) तैयार किया जायेगा।

ज–प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियंत्रण हेतु पृथक–पृथक कार्ययोजना बनाने की आवष्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व एवं आपदा के पष्चात दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिए प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबन्धन हेतु योजना एंव दिषा–निर्देष भी इस नीति में समायोजित किये जायेगें।

झ–राज्य में विभिन्न आपदाओं से संबंधित मैन्यूअल सरल प्रक्रिया अनुसार तैयार किये जायेगे। जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत/सहायता त्वरित गति से उपलब्ध करवाई जा सके।

अध्याय–3

आपदा प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था

3.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किये गए हैं। ये संस्थाएं समानान्तर ढांचे नहीं हैं तथा ये गहन समन्वय में कार्य करेंगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, होगा तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह–अध्यक्ष होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतर पर आपदा प्रबंधन के लिये योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह, अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिये जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

3.3 स्थानीय प्राधिकरण–

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं(पी आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोनमेंट बोर्डों और नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल करेंगे जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षैत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.4 जिला प्रशासन–

जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) आपदा प्रबंधन के लिये आयोजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करेंगे और एन डी एम ए एवं एस डी एम ए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक उपाय करेंगें।

जिला स्तरीय संस्थानिक व्यवस्था :–

आपदा प्रबन्धन में भागीदार संस्थानों के बहुत स्तर शामिल होगे। राज्य, जिला तथा आपदा स्थल तीन केन्द्रीय स्तर होंगें। राज्य स्तरीय संस्थान नीति निर्णय स्त्रोत का निर्धारण, कार्यो की प्राथमिकता, बजट निर्धारण तथा आपदा संचालन द्वारा प्रषिक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन कमेटी (डी.डी.एम.सी.) एक शीर्ष योजना बनाने की संस्था होगी जो आपदा प्रबन्ध की तैयारी तथा नवीनीकरण में एक बड़ा रोल अदा करेगी।
जिला कलक्टर के मार्गदर्षन में जिला स्तरीय प्रतिक्रया का समन्वय होना, जो जिला आपदा प्रबन्धन के रूप में कार्य करेगें।

जिला कलक्टर की भूमिका :

1. डीडीएमसी की मदद से डीडीएमएपी को तैयार कराना, जिला नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना, क्षेत्र में दिया निर्देष की जिम्मेवारी जिला स्तरीय संस्था पर होगी जो अलग–अलग संस्थाओं के माध्यम से चेतावनी से राहत तथा पुर्नवास तक कार्य करेगी। आपदा प्रबन्ध के लिए विषिष्ट कार्य, आपदा स्थल पर होगें। कलक्टर जिला नियंत्रण कक्ष के अभिन्न अंग होगें।
2. कलक्टर एस.ओ.सी. की सहायता से कार्य करेंगें।
3. स्थल प्रबन्धक, एस.ओ.सी. का प्रधान होगा।
4. स्थल संचालन केन्द्र, जिला नियंत्रण केन्द्र को सूचना देगा।
5. कलक्टर क्षेत्र की प्रतिक्रिया का समन्व करेगें। जिसमें तहसील स्तर पर षिविर, सहायता षिविर तथा पषु षिविर की स्थापना करना शामिल होगा।
6. डेस्क व्यवस्था कार्यो का विभाजन सूचना इक्ट्ठा करना तथा रिकार्ड संग्रह प्रदान करेगी। जिसमें डेस्क अधिकारी की डी.डी.एम. के प्रति जवाबदेही होगा। प्रत्येक डेस्क पर एक डेस्क अधिकारी नियुक्त होगा। सूचना के आवागमन के प्रबन्धन की व्यवस्था होगी।

3.5 पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं–

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाए, आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करेंगे। बहु– जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

3.6 नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स–

नागरिक सुरक्षा तथा होम गाड्र्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षैत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जा सकती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन–जागरुकता के लिये उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रुप से डयूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढावा दिया जाएगा।

3.7 नेशनल केडिट कोर्प्स (एन सी सी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस) तथा नेहरु युवा केन्द्र संगठन–

सभी समुदाय आधारित पहलों में सहायता करने के लिये इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को ईष्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण का उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

3.8 जिल में स्थापित सभी राजकीय कार्यालय केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों तथा जिले में कार्यरत विभिन्न स्वयं सहायता समूह जैसे कि – शिव लंगर समिति, महावीर दल मन्दिर, तपोवन

विद्यालय, गुरुद्वारा बाबा दीप सिहं प्रबन्ध कमेटी, पदमपुर रोड आदि आपस में समन्वय स्थापित कर आपदा की स्थिति में कार्य करेंगें।

EOC setup and facilities available in the district- शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ./2017/5678–710 दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में कलैक्ट्रेट में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रुम को लगातार हेल्प लाईन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) 15 जून 2017 से आगामी आदेशों तक मानसून/बाढ. नियन्त्रण कक्ष के रुप में स्थापित किया जाता है। अतिवृष्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्उ दी क्लॉक" कार्यरत रहेगा।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसीज– सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां प्रौद्योगिकीय अन्तरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेंगी ताकि समयबद्ध तरीके से उनका उन्नयन किया जा सके। **श्रीगंगागनर शहर में नागररिक एवं सुरक्षा विभाग में स्थापित सायरन बजा कर सूचना दी जाएगी तथा कन्ट्रोल रुम से उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामों में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना दे दी जायेगी।**

अध्याय–4

रोकथाम और शमन उपाय

इन वर्षों में विशेष रुप से गंभीर आपदाओं का सामना करने के बाद, आज वहां आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, राहत और पुनर्वास की एक संसकृति तैयारियों और शमन की है। समकालीन समय में आपदा प्रबंधन तैयारियों और विचार को कम करने या कमजारियों और इसलिये किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिये किया जा रहा है। Measures कम करने पर बहुत जोर देता है।

जिले में आपदा शमन अर्थत तरीकों में दो प्रकार के हैं। संरचनात्मक न्यूनीकरण और गैर–संरचनात्मक न्यूनीकरण।

जिले की सम्भावित आपदाएं एवं उनसे बचाव हेतु कार्य योजना

अकाल :

अकाल से निपटने की पूर्व तैयारी :

सर्वप्रथम अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना होगा इस हेतु राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जायेगी, जिसमें फसलों की स्थिति, भूजल, स्तर, चारे की उपलब्धता, प्रभावित जनसंख्या एवं पषुओं कीसंख्या का समावेष होगाा प्रभावित जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति ज्ञात की जावेगी।

रेल दुर्घटना :

श्रीगंगानगर जिला जो कि राजस्थान के उत्तरी भाग में बसा हुआ है के अन्दर से रेल ट्रेक की बड़ी लाईन पास होती है जो श्रीगंगानगर–दिल्ली और श्रीगंगानगर–जयपुर जाती है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के प्रभारी अधिकारी एम्बुलैंस/पैरा मैडिकल स्टाफ एवं प्राथमिक उपचार हेतु आवष्यक दवाईयों के साथ दुर्घटना स्थल को रवाना हो जायेंगे। इसी प्रकार दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाने/चौके के प्रभारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की मदद करेगें एवं कानूनी कार्यवाही पूरी करेगें। अतः ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही यदि कोई सूचना पुलिस/जिला प्रषासन/आपदा विभाग या जन साधारण/स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्राप्त होती है तो वह विभाग तुरन्त घटना स्थल विभाग में उपलब्ध समस्त संसाधनों सहित मदद हेतु पहुंच जावेगा।

बम विस्फोट :–

आपदा पूर्व :

1. सार्वजनिक स्थानों पीर यथा रेलवे स्टेषनों, बस स्टैण्ड, पाकर्स, मुख्य बाजार व चौराहे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सरकारी कार्यालय, जहां लोगो का आवागमन ज्यादा रहता है, इत्यादि पर सहज दृष्य स्थान पर सूचना पट्ट होना चाहिए – लावारिस वस्तुओं को नहीं छुएं, संदिग्ध वस्तु/लावारिस वस्तु दिखने पर पुलिस नियन्त्रण कक्ष तथा पुलिस स्टेषन को सूचित करें।
2. ऑयल डिपो, मैरिज हॉल, धर्मषाला, पब्लिक प्लेस, रेल्वे स्टेषन, बस स्टैण्ड, प्रमुख पूजा स्थल, कोर्ट परिसर, जिला कलैक्ट्रेट, टेलिफोन एक्सचेज, बिजलीघर, रेडिया स्टेषन, टीवी रिले स्टेषन जैसी महत्वपूर्ण स्थानो पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए।
3. शहर में घोषण करने हेतु रेल्वे स्टेषन, बस स्टैण्ड पर लोक सूचना प्रणाली का विकास होना चाहिए एवं इसका प्रभावी उपयोग होना चाहिए।
4. पुलिस एवं प्रषासन के शीर्ष अधिकारियों के पास बम निष्क्रिय करने तथा सेना के सम्बन्धित अधिकारी के हर समय सूचना ग्रहण करने वाले नम्बर होने चाहिए।
5. लोगो को बम बिस्फोट से सामान्य बचाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्कूल/पंचायत स्तर पर चेतना जागृति कार्यक्रम होना चाहिए।
6. डॉक्टर और एम्बुलैंस की सूची मय टेलीफोन नम्बर कार्यालय एवं निवास के पते सहित प्रमुख कार्यालयों में एवं सार्वजनिक स्थलो पर होने चाहिए।
7. शरण स्थलों की सूची
8. यातायात के साधनों की पहचान
9. हॉस्पिटल की आपात कालीन इकाई, दुर्घटना की जानकारी एवं पूरी तैयारी रखने के लिए कहना चाहिए। प्राईवेट हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, यह प्रषासन को पता रखना चाहिए।
10. सिनेमाघरों में स्लाइड दिखानी चाहिए।
11. स्वैच्छिक संगठनों की सूची प्रषासन के पास रहनी चाहिए।

बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो नदियां असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य

अर्थ होता है– विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी क्रम उत्तरदायी नही है।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ो की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोम
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

बाढ़ के बचाव हेतु कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमो से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानो पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

जलाशयो की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।

प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलो के नीचे से मिट्टी निकालना।

बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।

मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

नदी के बान्ध में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।

तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रो में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।

- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगो तक पंहुचाना।
- भू उपयोग को नियमो के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनो का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रो मे दुर्घटना में घायल या मृत लोगो का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए है तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमो को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रो के लोगो को दूसरे स्थानो पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते है। अतः इन क्षेत्रो में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रो के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानो पर वनो के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ सम्भावित क्षेत्रो में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिटटी के बने घरो को केवल उन क्षेत्रो में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये है। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानो का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

जिले में बाढ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

परिचय,

घग्घर नदी का आगमन हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों के पास से होता है इस नदी में मारकण्डा, कौशल्या, टांगड़ी, सरस्वती, नाडला, झांझरा, दोधगढ़वाली, ओमला इत्यादि नदियाँ मिल जाती है। यह नदी अपने प्राकृत्तिक बहाव से पंजाब के चंडीगढ़ व पटियाला एवं हरियाणा राज्य के अम्बाला सिरसा से बहती हुई ओटू वियर के माध्यम से राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ तलवाड़ा गाँव के पास होती हुई इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी. 629 घग्घर साईफन से जी.डी.सी. में बहने लगती है। यह बाढ़ का पानी राज्य सरकार के निर्धारित रेगुलेशन के अनुसार जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 24 पर बने दो एस्केप (I-6500 Cs & II- 8000 Cs = 14500 Cs) के माध्यम से नाली बैड में छोड़ा जाता है।

यह बाढ़ का पानी भाखड़ा एवं इ.गा.न.प. नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र के गाँव/शहर टिब्बी, पीरकामड़िया, पन्नीवाला, फतेहपुर, शेरेकां, भद्रकाली माँ, कमरानी, मसानी, फतेहगढ़, ढ़ालिया, अमरपुरा थेड़ी, चक बुडसिंहवाला, गाडू, सतीपुरा, ज्वालासिंहवाला, हनुमानगढ़ टाऊन व जंक्शन, श्रीनगर, खुंजा, गंगागढ़, मक्कासर, सहजीपुरा, करणीसर, बहलोल नगर, डबली, पीलीबंगा, 23 एसटीजी, 5 पी.बी.एन., 29 एसटीजी, सरामसर, बारेका, रंगमहल, सूरतगढ़, मानकसर, सीलवानी, अमरपुरा जाटान, जैतसर रोड़ ब्रिज से होती हुई जी.बी. चकों (6 जी.बी. द्वितीय, 13 जी.बी., 22 जी.बी., 25 जी.बी., 27 जी.बी., 56 जी.बी. द्वितीय, 68 जी.बी. तृतीय, 69 जी.बी., 75 जी.बी., 80 जी.बी., 4 एमएसआर), श्री विजयनगर, रामसिंहपुरा, कुपली व अनूपगढ़ मण्डी से होती हुई बिंजौर (94 जी.बी.) से भारत पाक सीमा भेड़ताल तक बहता है।

जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बने हैड क्रास रेगुलेटर के माध्यम से सूरतगढ़ ब्रांच में (1850 Cs) पानी मांग अनुसार छोड़ा जाता है और शेष या अधिक बाढ़ का पानी आने पर जी.

डी.सी की बुर्जी संख्या 158.700 टेल के डाऊन स्ट्रीम में बने प्राकृत्तिक डिप्रेशन 1 से 18 में डाला जाता है। जिसकी भराव क्षमता 604 फिट के जल स्तर पर 0.73 MAF है।

घग्घर नाली बैड सीमांकन दो जिलों के अन्तर्गत निम्नानुसार आता है :–

जिला हनुमानगढ़	कार्य क्षेत्र
अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़	तलवाड़ा प्रोटेक्शन बन्ध, जी.डी.सी. बुर्जी संख्या 0 से 158.700 (टेल), एवं इस पर स्थापित विभिन्न रेगुलेटर एवं क्रास रेगुलेटर तथा उनका रेगुलेशन। उत्तर प्रोटेक्शन बन्ध, दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध तथा पंजाबी मोहल्ला बन्ध
अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़	नाली बैड एस्केप बुर्जी संख्या 24 जी.डी.सी. से चेतक प्वांईट तक उत्तर व दक्षिण प्रोटेक्शन बन्ध को छोड़कर।
जिला श्रीगंगानगर	
अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड, हनुमानगढ़	जी.डी.सी. टेल से डाउन स्ट्रीम डिप्रेशन नं. 1 से 18 तक तथा इसके बीच आने वाले समस्त 26 सैडल बन्ध, कट, नहर एवं माईनर एस्केप तथा उनका रेगुलेशन।
अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर	जैतसर चेतक प्वाईट से पाकिस्तान बार्डर तक। नाली बैड व इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन द्वितीय खण्ड हनुमानगढ़ एवं जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर के अधिकारी व कर्मचारी अपने–अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार यह ध्यान रखते है कि घग्घर बाढ़ का पानी बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहे।

ब– जिले की विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा तथा घग्घर नदी से बाढ प्रभावित ग्रामों/बस्तियों का विवरण

1. ग्रामीण क्षेत्र, तहसील सूरतगढ़

तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम ऐसे है, जहां वर्षा होनें पर नुकसान की सम्भावना रहती हैं –

43 एस.टी.जी. (ए) शेरेकां, 43 एस.टी.जी. (बी) रंगमहल, 35 पी.बी.एन. (केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़), सूरतगढ. शहरी क्षेत्र, मानकसर, 36 पी.बी.एन. (अमरपुरा राठान), सीलवानी, लुढ़ाना एवं सरदारगढ़।

इनमें से 43 एस.टी.जी. (ए) शेरेकां, 43 एस.टी.जी. (बी), 35 पी.बी.एन. (केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़), 36 पी.बी.एन. (अमरपुरा राठान), 41 पी.बी.एन तथा 45 एस.टी.जी. ऐसे बिन्दु हैं जहां नाली बैड की चौड़ाई 3 बीघा से कम है।

बाढ के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य

कंट्रोल रूम की स्थापना

जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। **जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु बाढ़ नियन्त्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है।** जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा सम्बन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर भी बाढ़ नियन्त्रण हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है।

सिंचाई विभाग

सुरक्षित स्थानो का चयन

सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन

वाहनो की उपलब्धता निश्चित करना

सिंचाई विभाग बांधो के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।

अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।

नावों तथा तैराकों का प्रबन्ध करना।

बाढ के दौरान बचाव कार्य योजना

आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ का कार्यक्षेत्र दो जिलों के अन्तर्गत आता है एवं इसका प्रशासनिक नियन्त्रण श्रीमान् अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ के अधीन है

जिला हनुमानगढ़ :–

इस खण्ड कार्यालय की देखरेख में घग्घर नदी के बाढ़ का पानी जी.डी.सी. आर.डी. 24 से घग्घर नाली बेड में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेगुलेशन प्रोग्राम के अनुसार छोड़ा जाता है। घग्घर नाली बैड के बहाव क्षेत्र की मुख्य धार के दोनों और स्थित आबादियों के बचाव के लिए निजी बन्धे बने हुए है। जिनका रख–रखाव आबादियों में रहने वाले लोग स्वयं एवं जिला प्रशासन पंचायत स्तर पर करते है। जल संसाधन विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग एवं आपातकाल स्थिति में खाली सीमेन्ट के थैले उपलब्ध करवाये जाते है। यह थैले आवश्यकता पड़ने में तहसीलदार की मांग पर उपलब्ध करवाये जायेंगें। संवेदनशील बिन्दू एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची संलग्न है

संवेदनशील बिन्दु एवं बाढ़ से प्रभावित आबादियों की सूची निम्न प्रकार है–

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन द्वितीय खण्ड हनुमानगढ़	
1.	पीरकामड़िया	पीरकामड़िया
2.	पन्नीवाला	पन्नीवाला
3.	शेरेकां	शेरेकां
4.	कमरानी	शेरेकां
5.	फतेहपुर	फतेहपुर
6.	ढ़ालिया	सतीपुरा
7.	अमरपुरा	अमरपुरा थेड़ी
8.	चक बुड़सिंहवाला	सतीपुरा
9.	गाडू	चक ज्वालासिंहवाला
10.	सतीपुरा	सतीपुरा

11.	ज्वालासिंहवाला	चक ज्वालासिंहवाला
12.	हनुमानगढ़ जंक्शन एवं टाउन	हनुमानगढ़
13.	गंगागढ़	गंगागढ़
14.	श्रीनगर	श्रीनगर
15.	खुन्जा	खुन्जा
16.	सहजीपुरा	सहजीपुरा
17.	करणीसर	सहजीपुरा
18.	बहलोल नगर	बहलोल नगर
19.	23 एस.टी.जी.	दुलमाना
20.	26 एस.टी.जी.	गांव पीलीबंगा
21.	29 एस.टी.जी.	अमरपुरा राठान
22.	सरामसर	अमरपुरा राठान
23.	5 पीबीएन	अमरपुरा राठान
24.	34 एस.टी.जी.–ए	गांव पीलीबंगा
	जिला श्रीगंगानगर	
25.	43 एस.टी.जी. – ए (बारेंका)	रंगमहल
26.	43 एस.टी.जी. – बी (रंगमहल)	रंगमहल, सूरतगढ़
27.	35 पीबीएन (केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़)	सूरतगढ़
28.	सूरतगढ़	सूरतगढ़
29.	मानकसर	मानकसर
30.	36 पीबीएन (अमरपुरा राठान)	अमरपुरा राठान
31.	सीलवानी	सीलवानी
32.	लुढ़ाणा एवं सरदारगढ़	सरदारगढ़

1). I}- घग्घर नाली बैड का बहाव क्षेत्र संवेदनशील बिन्दू जहाँ से 3 बीघा से चौड़ाई कम है। उस जगह पर सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा अवैध बन्धे बनाकर नाली के मुख्यधार के बहाव को संकड़ा कर रखा है। बाढ़ का पानी अधिक आने पर ऐसे समस्त अवरोधों को हटवाया जाना है। अवरोधों के हटते ही काश्तकारों द्वारा नाली अधिघोषित क्षेत्र की सीमा में सुरक्षा हेतु बन्धे न बनाने की स्थिति में गाँव/आबादी/शहर व फसल आदि प्रभावित हो सकते है। जिसकी सूची सलंग्न है

संवेदनशील बिन्दु नाली बैड में जहां चौड़ाई 3 बीघा से कम है

क्रं. सं.	गांव का नाम	पंचायत का नाम
	हनुमानगढ़ जिला	
1.	21 NGC	पीरकामड़िया
2.	25 NGC	पीरकामड़िया
3.	4 HMH	पीरकामड़िया, शेरेकां, कमरानी, फतेहपुर, अमरपुरा
4.	6 HMH	अमरपुरा
5.	8 HMH	भद्रकाली, अमरपुरा, ढ़ालिया
6.	46 NGC	बुड़सिंहवाला, गाडू
7.	47 NGC	ज्वालासिंहवाला, सतीपुरा, हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
8.	3-4 KNJ	हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
9.	3-4 KNJ & 3-5 KNJ	श्रीनगर, खुंजा, हनुमानगढ़ जं0 व हनुमानगढ़ टाउन
10.	6 & 4 SNM	श्रीनगर, गंगागढ़
11.	11 STG, 23 HMH	गंगागढ़, पुरूषोतमवाला बास
12.	23 HMH	पुरूषोतमवाला बास

13.	12 STG	पुरूषोतमवाला बास, श्रीनगर, गंगागढ़
14.	13 STG	करनीसर, सहजीपुरा
15.	15 STG "A"	करनीसर, सहजीपुरा
16.	15 STG "B"	करनीसर, सहजीपुरा
17.	16 STG	करनीसर, सहजीपुरा, चक जहाना, बहलोल नगर
18.	19 STG	बहलोल नगर, मसरूवाला
19.	22 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
20.	23 STG	आबादी चक 23 एस.टी.जी.
21.	26 STG	आबादी चक 25–26 एस.टी.जी.
22.	29 STG	आबादी चक 29 एस.टी.जी.
23.	34 STG	————
	जिला श्रीगंगानगर	
24.	43 STG "A"	बारेंका, सूरतगढ़
25.	43 STG "B"	रंगमहल, सूरतगढ़
26.	45 STG	————
27.	35 PBN	केन्द्रीय फार्म कॉलोनी, सूरतगढ़
28.	36 PBN	अमरपुरा राठान
29.	41 PBN	सीलवानी

II}- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में नाली बहाव क्षेत्र को 6 बीघा चौड़ाई में अधिघोषित किया हुआ है। इस 6 बीघा चौड़ाई अधिघोषित बहाव क्षेत्र में संशोधन/बदलाव हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 बीघा चौड़ाई में करने की सशर्त अनुमति अध्याधीन प्रदान की गई है। जिस पर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है जो प्रक्रियाधीन है।

2). I}- मानसून अवधि में घग्घर नदी में बाढ़ का पानी आने पर बाढ़ बचाव कार्यों हेतु सरकारी तलवाड़ा सुरक्षा बांध आरडी 0 से 18.100 एवं हनुमानगढ़ जं. के उत्तरी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 18.000 एवं दक्षिणी सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आर.डी. 0 से 3.850 एवं जी.डी.सी. की आर.डी. 0 से 75.000 तक रख–रखाव एवं वाचिंग एवं मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

3). II}- जीडीसी आरडी 75.000 से 158.700 टेल डिप्रेशन नं. 1 से 5 एवं सैडल नं. 1 से 4 तक एवं मानक थेड़ी माईनर बुर्जी संख्या 0 से 18.500 तक रख–रखाव एवं वाचिंग एवं मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंकों पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ सहायक अभियता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II हनुमानगढ़ द्वारा करवाया जाता है

जिला श्रीगंगानगर

III}- घग्घर डिप्रेशन नं. 6।एठएब्एक व 7 से 11 तथा 16 से 18 एवं सैडल एस–6, 7, 7ए, 8, एस–8, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12, एस–13, 14, 14ए, 15 से 18 तथा 20 तथा किशनपुरा माईनर आर.डी. 0 से 15.000 एवं एस्केप चैनल आर.डी. 0 से 1.420 एवं पी.बी. एन. करणी जी लिंक चैनल आर.डी. 0 से 2.500 और 24 से 97.700 टेल तक रखरखाव

एवं वाचिंग, मिट्टी से भरे सीमेन्ट के थैले बैंको पर रखे जाने बाबत आदि का कार्य सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III सूरतगढ़ द्वारा करवाया जाता है।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष :– बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान करने बाबत बाढ़ समय 15 जून से 30 सितम्बर तक निम्नलिखित जगहों पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते है :–

(I) जिला हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कार्यालय अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस. आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ में की गई है। इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों की ड्यूटी अधिशाषी अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ द्वारा लगाई जाती है। जिसका दूरभाष 01552–260079 है।

(II) जिला श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सूरतगढ़ द्वारा सूरतगढ़ में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सूरतगढ़ द्वारा लगाई जाती है। जिसका दूरभाष नं. 01509–220103 है।

इन कक्षों में आठ–आठ घण्टों की तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी बाढ़ समय दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक आगामी आदेशों तक लगायी जाती है। ये कक्ष 24 घण्टे कार्यरत रहते है।

4). वायरलैस स्टेशन :– बाढ़ की अवधि के समय बने रेगुलेशनों से गेजे प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर वायरलैस सैट बाढ़ अवधि 15 जून से स्थापित किये जाते है जो कि बाढ़ अवधि तक स्थापित रहते है।

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़ के अधीन)

(I) कैनाल कॉलोनी, ओटू वियर (सिरसा)

(II) जी.डी.सी. आरडी 0 (आई.जी.एफ. घग्घर साईफन आरडी 629)

(III) जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (नाली बैड का उद्गम स्थल)

(IV) जी.डी.सी. आरडी 42 (क्रॉस रेगुलेटर)

(V) बाढ़ नियंत्रण कक्ष हनुमानगढ़ (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ कार्यालय में)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II, हनुमानगढ़ के अधीन)

(VI) जी.डी.सी. आर.डी. 133.400 (हैड क्रॉस रेगुलेटर एवं सूरतगढ़ ब्रांच)

(VII) जी.डी.सी. आर.डी. 158.700 टेल (क्रॉस रेगुलेटर)

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड तृतीय, सूरतगढ़ के अधीन)

(VIII) बाढ़ नियन्त्रण कक्ष, सूरतगढ़

5). गेज रीडिंग :– घग्घर नदी में आने वाले बाढ़ के पानी की मात्रा की जानकारी निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त की जाती है।

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़)

(I) खनौरी साईफन

(II) चांदपुर साईफन

(III) ओटू वीयर

(IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 0 (इ.गा. फीडर की बुर्जी संख्या 629 घग्घर साईफन)

(V) जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (नाली बैड का उद्‌गम स्थल)

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड II, हनुमानगढ़)

(VI) जी.डी.सी. आरडी 42 क्रास रेगुलेटर

(VII) जी.डी.सी. आरडी 133.400 (क्रास रेगुलेटर एवं हैड रेगुलेटर सूरतगढ़ शाखा)

(VIII) जी.डी.सी. आरडी 158.700 क्रास रेगुलेटर

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

(IX) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से हनुमानगढ़)

(X) सड़क व रेलवे पुल (सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15)

(XI) एस्केप एस–8ए (घग्घर डिप्रेशन 6ए)

(XII) कट नं. 15 (राष्ट्रीय सड़क मार्ग – 15)

6). बाढ़ बचाव हेतु उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में :– बाढ़ के बचाव हेतु सामग्री की व्यवस्था निम्नलिखित बने स्टोरों पर की जाती है जो कि इन स्टोरों पर उपलब्ध रहती है। बाढ़ सामग्री की सूची सलंग्न है (परिशिष्ट – 3)

(I) जिला हनुमानगढ़

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड I, हनुमानगढ़ के अधीन)

(I) हनुमानगढ़ संगम दो स्टोर, हनुमानगढ़ टाउन।

(II) जिला श्रीगंगानगर

(सहायक अभियंता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड III, सूरतगढ़ के अधीन)

(I) जी.एफ.सी. कॉलोनी, सूरतगढ़।

7). कार्यरत अभियांत्रिक स्टाफ :– इस खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत फिल्ड स्टाफ कार्य क्षेत्र के अनुसार बाढ़ अवधिके समय कार्यरत रहते है। सूची सलंग्न है (परिशिष्ट –4)

घग्घर बाढ़ की अक्स्मात् स्थिति से निपटने हेतु सामाजिक सहायतार्थ समाजसेवी संस्थाओं, प्रशासकीय कार्यालयों एवं घग्घर बाढ़ नियंत्रण खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के दूरभाष नं. सहित सूची सलंग्न है

वर्ष 2017 के बाढ़ बचाव हेतु आवश्यक सामग्री की

मांग एवं उपलब्धता एवं बकाया जरूरत की सूची

क्रं. सं.	नाम सामग्री	सामग्री की आवश्यकता (अनुमानित गत वर्षों के अनुभव के आधार पर)	वर्तमान में उपलब्धता	बकाया सामग्री की आवश्यकता
1	2	3	4	5
1.	सीमेन्ट बैग (खाली)	150000 Nos.	18000	132000
2.	बांस	500 Nos.	..	500
3.	बत्ता	500 Nos.	..	500
4.	बल्लियां	1000 Nos.		1000
5.	नारियल रस्सी	250 Kg.		250
6.	सूतली	250 Kg.		250
7.	पॉलीथीन	300 Kg.		300
8.	टार्च	50 Nos.		50
9.	टार्च सैल	1000 Nos.		1000
10.	पैट्रोमैक्स	25 Nos.		25
11.	छोलदारी	10 Nos.		10
12.	तिरपाल	20 Nos.		20
13.	वायरलैस सैट	9 Nos.	9	..
14.	वायरलैस बैट्री	16 Nos.	12	4
15.	ट्रक	1 Nos.	1 (आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ के पास)	..
16.	डोजर / जेसीबी	2 Nos.	..	2
17.	जीप	4 Nos.	2	2

8–कार्यरत अभियांत्रिक स्टॉफ :– फील्ड स्टॉफ के कार्य क्षेत्र के अनुसार सूची निम्न प्रकार है जो कि बाढ़ अवधि के समय कार्यरत रहेंगे।

जिला हनुमानगढ : रेगुलेशान खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के अन्तर्गत अभियांत्रिक स्टॉफ के कार्यक्षेत्र अनुसार विवरण

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
1.	श्री निरंजन लाल कटारिया आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड प्रथम हनुमानगढ़ मो. 9413154300	सहायक अभियंता	1. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. वायरलैस स्टेशन I. कैनाल कॉलोनी ओटू वियर (सिरसा) II. जी.डी.सी. आर.डी. 0.000 (इन्दिरा गांधी घग्घर साईफन आरडी 629) III. जी.डी.सी. आरडी 24 एस्केप (घग्घर नाली बैड का उद्गम स्थल) IV. जी.डी.सी. आरडी 42 (क्रास रेगुलेटर) V. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. खण्ड हनुमानगढ़ 3. तलवाड़ा सुरक्षा बांध आरडी 0 से 18.100, उत्तरी

			सुरक्षा बांध 0.000 से 18.000, दक्षिण सुरक्षा बांध आरडी 0.000 से 4.900 एवं पंजाबी मोहल्ला सुरक्षा बांध आरडी 0 से 3.850 4. आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड स्टोर हनुमानगढ़ टाउन।
I.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 0.000 से 20.000 एवं तलवाड़ा बंध बुर्जी सं. 0 से 18 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 20.000 से 42.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	श्री अमरजीत सिंह फोन :–9414580585	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 42.000 से 75.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
IV.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	एन.पी., एस.पी. व पीएमबी बंधे एवं आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड स्टोर, हनुमानगढ़ टाउन

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
2.	श्री रमेश कुमार शर्मा सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ मो. 9414959837		1. जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 158.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. घग्घर डिप्रेशन 1 से 5 एवं सैडल (बांध) एस–1 से एस–4 3. वायरलैस स्टेशन I. जी.डी.सी. आरडी 133.400 (हैड क्रॉस रेगुलेटर) II. जी.डी.सी. आरडी 158.700 टेल (क्रास रेगुलेटर)
I.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 75.000 से 98.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
II.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 98.000 से 120.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
III.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 120.000 से 142.000 एवं समस्त स्ट्रक्चर
IV.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	जी.डी.सी. आरडी 142.000 से 158.700 व एस–1 से एस–5 एवं समस्त स्ट्रक्चर

क्रं. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	कार्यक्षेत्र विवरण
3.	श्री केसरी लाल बैरवा सहायक अभियंता आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ मो. 8890266974		1. घग्घर डिप्रेशन 6 ए से 18 एवं सैडल (बांध) एस–6 से एस–20 एवं समस्त स्ट्रक्चर 2. मानकथेड़ी माईनर आरडी 0 से 18.500 एवं समस्त स्ट्रक्चर 3. किशनपुरा माईनर आरडी 0 से 15 एवं समस्त स्ट्रक्चर 4. एस्केप चैनल आरडी 0 से 1.420 एवं समस्त स्ट्रक्चर 5. पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आरडी 0 से 2.500 एवं 24 से 97.700 टेल एवं समस्त स्ट्रक्चर

			6. कट 15 क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केप एस–8ए 7. वायरलैस स्टेशन, बाढ़ नियंत्रण कक्ष आरडब्ल्यूएसआरपी उपखण्ड तृतीय सूरतगढ़ 8. जीएफसी स्टोर सूरतगढ/एस्केप एस–8 ए एवं पीबीएन करणीजी लिंक चैनल आर.डी. 24 एवं 35. 900 9 I. गेज प्वाईंट सूरतगढ़ से हनुमानगढ रेलवे पुल II. गेज प्वाईंट सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड़ पुल
I	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–6, 7, 7ए, 8, डिप्रेशनस – 6बी, 6सी, 6डी, 7 कट 4, 4ए, 4 बी, 5, 6, 7, मानकथेड़ी माईनर एवं हैड रेगुलेटर, फार्म माईनर एवं हैड रेगुलेटर, सैडल्स एस–8ए, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 12
II.	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	डिप्रेशनस 6ए, 8, 9, 10 व 11, कट 8, 9, 10, 11, न्यू कट 8 से 6ए, एस्केप एस–8ए, एस्केप हैड रेगुलेटर, चैनल किशनपुरा माईनर व हैड रेगुलेटर
III	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–13, 14, 14ए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डिप्रेशनस 7, 8, 9, 10, कट 12, 13, 14, 14ए, 15, 15ए वायरलैस स्टेशन, सूरतगढ़, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर सूरतगढ़, आर एण्ड एम ऑफ उपखण्ड वाहन, क्रास रेगुलेटर कट नं. 15
IV	रिक्त पद	कनिष्ठ अभियंता	सैडल्स एस–19, 19ए, 21 से 26 डिप्रेशनस 16, 17, 18 कट 16 व 17, पीबीएन करणजी लिंक चैनल आरडी 0 से टेल, जीएफसी कॉलोनी व स्टोर एट आरडी 24 व आरडी 35.900 ऑफ लिंक चैनल, गेज प्वाईंट सूरतगढ़–हनुमानगढ़ ब्रिज, सूरतगढ़–श्रीगंगानगर ब्रिज, हैड रेगुलेटर ऑफ लिंक चैनल टेकिंग डिप्रेशन नं. 16

नोट :– उपलब्ध कार्यप्रभारी कर्मचारियों की ड्यूटी सम्बन्धित सहायक अभियंता लगाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

9. <u>बाढ़ समय से पूर्व करवाये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में :–</u>

(बाढ़ अवधि समय 15 जून से 15 अक्टूबर एवं नॉन फ्लड का समय 16 अक्टूबर से 14 जून तक माना जाता है।

(I) बाढ़ बचाव हेतु सुरक्षा बांध एवं नहरों इत्यादि के रख रखाव व निगरानी बाबत लेबर आदि के कार्य निविदा आमंत्रित कर करवाये जाते है। निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

(II) जी.डी.सी. व नहरों आदि के हैड रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर एवं एस्केपों के गेटों आदि आईलिंग ग्रीसिंग का कार्य बाढ़ अवधि से पूर्व करवा लिया जाता है।

(III) निर्धारित स्थानों पर वायरलैस सेटों को 15 जून को स्थापित कर दिये जाते है।

(IV) आवश्यकतानुसार खाली सीमेन्ट के थैलों की व्यवस्था बाढ़ से पूर्व कर ली जाती है।

(V) फ्लड मेमोरण्डम के निर्देशानुसार घग्घर नाली बैड एवं जी.डी.सी. बाढ़ सम्बन्धी स्ट्रक्चरों जैसे वी.आर.बी., डी.आर.बी., हैड रेगुलेटर एवं क्रास रेगुलेटर एवं एस्केप एवं घग्घर साईफन पर बाढ़ सम्बन्धी पानी की सूचना हेतु 3 आवश्यक चिन्ह निम्नानुसार दर्शाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को दिशानिर्देश जारी कर दिये जाते है।

	आईटम	इण्डीकेषन	
1.	सफेद सिग्नल	सावधान।	(Alert)
2.	नीला सिग्नल	तैयारी के लिए।	(Ready for execution)
3.	लाल सिग्नल	तुरन्त कार्यवाही।	(Immediate execution)

(VI) इस खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ फील्ड स्टॉफ के सभी सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं/मैट/गेज रीडर/बैलदार/सुपरवाईजर को अपने – अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने एवं फिल्ड डयूटियों पर रहने व चौकसी बरतने हेतु पाबन्द करने के दिशा–निर्देश जारी बाढ़ से पूर्व कर दिये जाते है।

(VII) सुरक्षा बांध एवं जी.डी.सी. व अन्य नहरें इत्यादि की सुरक्षा हेतु खाली सीमेन्ट के थैले मिट्टी से भरकर रखने के आदेश बाढ़ से पूर्व जारी कर दिये जाते है।

(VIII) बाढ़ बचाव हेतु आपात स्थिति (आपदा प्रबन्धन) के लिए आवश्यक बाढ़ सामग्री आवश्यकतानुसार बाढ़ से पूर्व क्रय कर ली जाती है।

(IX) बाढ़ से पूर्व बाढ़ कार्यालय द्वारा निकाली जाने वाली विज्ञप्ति की कार्यवाही बाढ़ से पूर्व कर दी जाती है।

(X) घग्घर बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत घग्घर नदी ओटू वियर से भारत पाक सीमा तक का इन्डेक्स प्लान (नक्शा) सलंग्न है।

घग्घर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के अन्तर्गत बने स्ट्रेक्चरों की सूची

जिला हनुमानगढ़

1. घग्घर साईफन (जी.डी.सी. आर.डी. 0) आई.जी.एफ.आर.डी. 629
2. जी.डी.सी. आर.डी. 20.750 का पुल (क्षतिग्रस्त वी आर बी)
3. जी.डी.सी. आर.डी. 24.000 व 24.300 दो एस्केप घग्घर नाली बैड (रेगुलेशन कार्य)
4. जी.डी.सी. आर.डी. 40.200 का पुल (वी.आर.बी.)
5. जी.डी.सी. आर.डी. 42.000 क्रॉस रेगुलेटर एवं रेलवे पुल (रेगुलेशन कार्य)
6. जी.डी.सी. आर.डी. 56.500 का पुल (वी.आर.बी.)

7. जी.डी.सी. आर.डी. 75.000 का पुल (वी.आर.बी.)
8. जी.डी.सी. आर.डी. 98.200 का पुल (वी.आर.बी.)
9. जी.डी.सी. आर.डी. 120.000 का पुल (वी.आर.बी.)
10. जी.डी.सी. आर.डी.133.400 हैड क्रॉस रेगुलेटर एवं रोड़ पुल (वी.आर.बी.) (रेगुलेशन कार्य)
11. जी.डी.सी. आर.डी. 142.723 का पुल (वी.आर.बी.)
12. जी.डी.सी. आर.डी. 150.000 का पुल (वी.आर.बी.)
13. जी.डी.सी. आर.डी. 158.700 का पुल एवं क्रॉस रेगुलेटर (रेगुलेशन कार्य)

जिला श्रीगंगानगर

14. एस्केप चैनल सैडल 8 ए का पुल (वी.आर.बी.)
15. कट नं. 15 क्रास रेगुलेटर एवं रोड़ पुल

घग्घर नाली बैड स्ट्रक्चर

16. घग्घर नाली बैड हनुमानगढ़ टाऊन एवं जंक्शन पुल।
17. घग्घर नाली बैड पीलीबंगा से रावतसर रोड़ पुल।
18. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ रोड़ एवं रेलवे पुल।
19. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से एयरफोर्स रोड़ पुल।
20. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर रोड़ पुल।
21. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से जैतसर चेतक प्वाईन्ट रोड़ पुल।
22. घग्घर नाली बैड श्री विजयनगर से रजियासर रोड़ पुल।
23. घग्घर नाली बैड रामसिंहपुरा से कूपली रोड़ पुल।
24. घग्घर नाली बैड सूरतगढ़ से अनूपगढ़ रोड़ एवं रेलवे पुल।
25. घग्घर नाली बैड रायसिंहनगर से अनूपगढ़ रोड़ पुल।

घग्घर बाढ़ के पानी का उपयोग निम्नानुसार होता है :–

1. जी.डी.सी. के दोनों तरफ में 129 मोघों के माध्यम से भाखड़ा व इ.गा.न.प. प्रणाली के सिंचित क्षेत्र को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
2. जी.डी.सी. की बुर्जी संख्या 133.400 पर बना हैड क्रास रेगुलेटर के माध्यम से इ.गा.न.प. प्रणाली की सूरतगढ़ ब्रांच को अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) होता है।
3. वर्ष 2008 में टी.एफ.सी. के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर जी.डी.सी. को क्रॉस करने वाली भाखड़ा व इ.गा.न.प. प्रणाली की नहरों को बाढ़ का अतिरिक्त पानी प्रवाहित (Supplument) करने के लिए इन नहरों के हैड रेगुलेटरों का निर्माण करवाया गया है:–

(I) जी.डी.सी. की आर.डी. 42.370 R/S पर साऊथ घग्घर सब ब्रांच का हैड रेगुलेटर

(II) जी.डी.सी. की आर.डी. 68.800 R/S पर किशनपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर

(III) जी.डी.सी. की आर.डी. 80.298 R/S पर मुण्डा माईनर का हैड रेगुलेटर

(IV) जी.डी.सी. की आर.डी. 104.045 R/S पर नौरंगदेसर डिस्ट्रीब्यूटरी का हैड रेगुलेटर

(V) जी.डी.सी. की आर.डी. 135.148 R/S पर हाईलेवल माईनर का हैड रेगुलेटर

(VI) जी.डी.सी. की आर.डी. 141.580 R/S पर जोरावरपुरा माईनर का हैड रेगुलेटर

4. घग्घर डिप्रेशन नहरें :–

(I) डिप्रेशन नं. 6–बी के सैडल्स 7 से मानकथेड़ी माईनर

(II) डिप्रेशन नं. 11–बी के सैडल्स 10 से किशनपुरा माईनर

(III) डिप्रेशन नं. 16 से पी.बी.एन. करणीजी लिंक चैनल

(IV) डिप्रेशन नं. 6–बी के सैडल्स 8 से फार्म माईनर (केन्द्रीय फार्म स्टेट, सूरतगढ, जैतसर)

5 .घग्घर बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह कभी भी आ सकती है। बाढ़ के सम्भावित पानी के मध्यनजर जान–माल की हानि से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना वर्ष 1964 से शुरू की गयी। गत वर्षो में आये अधिकतम बाढ़ के पानी की सूची वर्षवार निम्न प्रकार है :–

GHAGGAR RIVER ANNUAL MAXIMUM DISCHARGE AT OTTU WEAR, GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S) AND ESCAPE AT RD 24 OF G.D.C. (IN NALI BED)

YEAR	OTTO WEAR (D/s)	GHAGGAR SYPHON AT RD 629 OF I.G.F. (D/S)	ESCAPE AT RD 24 OF G.D.C. (IN NALI BED)
1964	21456	15080	N.A.
1965	1620	N.A.	N.A.
1966	15589	N.A.	N.A.
1967	15437	5668	N.A.
1968	18188	N.A.	N.A.
1969	9758	12300	N.A.
1970	7497	11688	N.A.
1971	13800	17808	N.A.
1972	11534	8543	N.A.
1973	11560	10944	N.A.
1974	4046	5360	N.A.
1975	12255	11952	N.A.
1976	20816	22400	8000
1977	9999	8000	5053
1978	24401	22816	12013
1979	6902	656	3520
1980	19540	17822	6096

1981	8330	8000	5000
1982	8330	8580	7000
1983	24588	17350	5533
1984	5766	4950	3971
1985	9563	7800	7459
1986	4760	4740	4541
1987	1290	1426	1368
1988	34805	32000	17330
1989	10472	8280	6234
1990	13802	12576	6000
1991	1440	1360	N.A.
1992	6450	6450	6060
1993	40763	31742	17888
1994	30268	19555	7000
1995	40313	33132	17050
1996	8815	8576	6000
1997	8568	7592	6000
1998	13410	10410	6000
1999	6664	6196	4199
2000	19543	13759	5000
2001	9520	7798	5000
2002	5500	5060	3800
2003	6200	5366	3900
2004	20700	13013	5000
2005	7500	5009	3000
2006	2950	2900	3000
2007	5550	4402	3000
2008	8800	812	4500
2009	8250	7344	4000

2010	24000	13050	5000
2011	4550	4500	3000
2012	3350	3200	3000
2013	6200	6400	4000

6. वर्षा ऋतु में घग्घर नदी में बाढ़ के पानी को घग्घर नाली बैड एवं घग्घर डाइवर्सन नहर के बीच निम्नानुसार करने की राज्य सरकार की सहमति प्रदान की जाती है।

क्रं. सं.	नहर/नदी का नाम	पानी की मात्रा (क्यूसेक्स में)
1.	नाली बैड	3000
2.	जी.डी.सी.	सूरतगढ़ ब्रांच की आवश्यकतानुसार सूरतगढ़ ब्रांच व जी.डी.सी. की लिंक पैनल की आर.डी. 133 पर सूरतगढ़ ब्रांच को पानी देने के लिए लिंक बना हुआ है।
3.	नाली बैड	4000
4.	जी.डी.सी.	3500
5.	नाली बैड	5000
6.	जी.डी.सी.	10000
7.	नाली बैड	6000
8.	जी.डी.सी.	12000
9.	नाली बैड	7000
10.	जी.डी.सी.	13000
11.	नाली बैड	8000
12.	जी.डी.सी.	14000
13.	नाली बैड	9000
14.	जी.डी.सी.	15000
15.	नाली बैड	10000
16.	जी.डी.सी.	16000
17.	नाली बैड	शेष

1. परिवहन – आपातकाल के समय ट्रेक्टरों एवं नावों की आवश्यकता होगी। ट्रेक्टर समीपस्थ गावों के प्रभावशाली कृषकों की सूची जिनके पास ट्रेक्टर है, पटवारियान के सहयोग से तैयार कर तहसील में उपलब्ध होगी उनका सहयोग लिया जावेगा तथा नावे मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना वर्ष–2017

श्रीगंगानगर में प्रायः माह जून के मध्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाडियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका,ओलावृष्टि,अतिवृष्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

श्रीगंगानगर जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	17
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	55
उप स्वा. केन्द्र	439

(1) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल एवं बाढ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :–जिले में भीड–भाड वाले तथा आंतककारी हमले के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक आपदा जैसे आंतकवादी (फिदाइन हमले) हमले, बम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, कारखानों में दुर्घटना,धरना ,प्रदर्शन,विरोध प्रदर्शन,चक्काजाम आदि के दौरान होने वाले जान–माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनशील क्षेत्र :–

1.रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर
2.बस अडडा, श्रीगंगानगर
3.भगतसिंह चौक, श्रीगंगानगर
4.कोडा चौक, श्रीगंगानगर.
5.रोडवेज डिपो के शिव चौक, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर.
6.कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर, श्रीगंगानगर
7.हनुमान जी का मंन्दिर, श्रीगंगानगर
8.बीरबल चौक, श्रीगंगानगर
9.आजाद टॉकीज फाटक, श्रीगंगानगर
10.मल्टीपपर्ज स्कूल के पास रेलवे अण्डरब्रिज, श्रीगंगानगर
11. सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर
12 सुखासिंह महताब सिंह गुरूद्वारा में मेला, बुढ़ा जोहड़, रायसिहंनगर, श्रीगंगानगर
13.चहल चौक, श्रीगंगानगर।
14.गोल बाजार, श्रीगंगानगर।

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानः–

घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा.केन्द्र,तलवाडाझील,सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औषधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेगें। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर.एस.पैक्टस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्षा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग)**अतिवृष्टि,ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्याः–**

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि,ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया,पीलिया,हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड सकता है। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी ।

(घ)खान–पान संबंधीः–

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग,दूषित खाना खाने,दूषित जल पीने से उल्टी–दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बिमारीयां होने की संभावना रहती है । ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता,लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टाफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च)अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना,सर्दी,बुखार, सिरदर्द, डि–हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है । इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ नर्स–2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगें वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2)आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क)आपदा प्रबन्धन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):– प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं /मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स –II एवं एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते है। ये टीमे मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर–घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख)नियंत्रण कक्ष का गठन :–प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/ मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रो पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से सूचना पंहचने पर तुरन्त संबधित स्वास्थ्य कार्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलो का गठन किया गया है ।

(ग)एम्बूलेंस की व्यवस्था :–

जिले में जिला चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बूलेंस का उपयोग रोगियों को लाने–ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने–ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बूलेंस में आपातकालीन औषधियां,स्ट्रेचर,की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थनों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतू एम्बूलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति ुसविधा के लिये 104 नं.एम्बूलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) औषधि भण्डारण :–

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :– जैसे हलोजन गोलिया, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस./क्लोरो क्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./ जी.डी.डब्लयू, ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औषधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च)मलेरिया नियंत्रण हेतू उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतू बुखार के रोगियों का घर–घर सर्वे कर रक्त पटिटकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिडकाव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिंग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ.डालकर उपचारित किया जाएगा ।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतू जोहड तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोडी जाएगी। बीटीआई / वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :–

जिले के एपीआई–2 या अधिक के आबादी क्षेत्र/जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिडकाव किये जातें है। इसके लिये प्रतिवर्ष पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज)पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि.प्रयोगषाला में भिजवाये जातें है तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है । डिग्गी,कुण्डों,एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जाता है । सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनशेन की कार्यवाही भी की जाती है ।

(झ)<u>स्वास्थ्य षिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां</u>:–

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य षिक्षा दी जाती है :–

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बाध कर या छाता लेकर ही निकले। लू–ताप घात से प्रायः कुपोषण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते है। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटायें कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें । रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें ।
- सार्वजनिक स्थानो एवं विद्यालयों के आस–पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतू जन साधारण को जानकारी दी जाएगी ।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतो का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतू नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जॉच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य षिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानो में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रो पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवष्यक जीवन रक्षक औषधियो,जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिष्चित की जाएगी।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो में असंतोषप्रद पाये पेयजल स्त्रोतो का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।

- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपरक्लोरिनेशन एवं नमूनो का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जायेगा।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) चिकित्सा/जांच व्यवस्था :– सभी सीएचसी एंव जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवष्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानो में विषेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिये 350 शैयायें, जबकि जिले में कुल 17 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों में 590 शैयायें, 55 प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों में 330 शैयायें, 439 उप स्वास्थय केन्द्रों में 439 शैयायें उपलब्ध हैं। आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त बैडस की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(4) प्रचार प्रसार :–

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतू समय–2 पर प्रचार प्रसार हेतू पम्पलेटस वितरण किये जाते है दैनिक समाचार पत्रो द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारो श्लोग्न लिखवाये जाते है। बैनर/होंर्डिग लगाये जाते है। एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहॉ आकस्मिक घटनाऐं हो सकती है।

क्रं. सं.	जलयोजना/ क्षेत्र का नाम	उपखण्ड
	नगर खण्ड श्रीगंगानगर	
1	श्यामनगर, भरत नगर,पुरानी आबादी ,एवं आस–पास का क्षैत्र	श्रीगंगानगर
2	भांभू कालोनी के आस–पास का क्षैत्र	श्रीगंगानगर
3	गुरूनानक बस्ती एवं आस–पास का क्षैत्र	श्रीगंगानगर
	ग्रामीण खण्ड श्रीगंगानगर	
1	ग्रा.ज.यो. मटीलीराठान	श्रीगंगानगर
2	ग्रा.ज.यो. दौलतपुरा	श्रीगंगानगर
3	ग्रा.ज.यो. 39 एच	श्रीकरणपुर
4	ग्रा.ज.यो. 4 ओ	श्रीकरणपुर
5	श.ज.यो. केसरीसिंहपुर	श्रीकरणपुर
6	ग्रा.ज.यो. रिडमलसर बिरानी	पदमपुर
7	ग्रा.ज.यो. बींझबायला	पदमपुर
8	ग्रा.ज.यो. 10 एलएलजी	सादुलशहर
9	ग्रा.ज.यो. 2 एसपीएम	सादुलशहर
10	ग्रा.ज.यो. 30 केएसडी	सादुलशहर
11	ग्रा.ज.यो. 1 बीएनडब्ल्यू	सादुलशहर
12	ग्रा.ज.यो. 7 टीकेडब्ल्यू	सादुलशहर
	खण्ड अनूपगढ़	
1	6 एम.एस.आर(बिन्जौर)	अनूपगढ़

आकस्मिक आपदा के समय विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण विवरणः–

उक्त ग्रामों/ क्षेत्रों में अगर भविष्य में आकस्मिक आपदा का सामना करना पड़ता है तो गत वर्षों की तरह संबंधित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध बजट में से बरमा इत्यादी लगा कर पानी डीवाटर कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाऊडर एवं एलम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(अ) आपदा प्रबन्धक के लिये संसाधन जिनकी आवश्यकता आपदा के समय हो सकती है कि सूची :–

1. गंदा पानी विभिन्न स्टोरेज टैंको/अन्य स्थानो से निकालने हेतु डिवाटरींग पम्प।
2. खाली सीमेन्ट के बैग।
3. मजदुर कुशल एंव अर्धकुशल।
4. स्टोरेज टैंक में गंदा पानी पानी एकत्रित हो जाने की दशा में शहर एंव गांवो में साफ जल वितरण हेतु पानी के टेंकर।
5. पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।

जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें। संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।

समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएगें।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- सम्भावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियन्त्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होगे।
- मोबाईल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में सम्भावित संक्रामक रोगो से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगो के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियां उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप मे तैनात करना।
- जोन प्रभारी सम्बन्धित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालना जिला नियन्त्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियन्त्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन

प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होगे।
- विद्युत लाईनो/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनो मे विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथावा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैंस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते है एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते है।

एन.सी.सी./एन.एस.एस.

आपदा के समय एनसीसी, कैडेटस व सम्बन्धित स्टाफ घर–घर जाकर लोगो को राहत सामग्री पंहुचाकर जन जीवन को राहत पंहुचाने में मदद करेगा।

एन–सी–सी– व एन–एस–एस– के स्वयंसेवियों की सूची (परिशिष्ट संख्या 28)

अग्नि शमन केन्द्र

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 7 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है । आग की स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकांए

- नालों की सफाई का कार्य करवाना

- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटो की उपलब्धता कराना
- मिटटी के कटटे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओ का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओ से भी मदद ली जायेगी।

सूखा–

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जब कि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गम्भीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमे निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलो का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूखा– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण

जल विज्ञान सम्बन्धी सूखा– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबो, कुओं तथा जलाशयों का सूखना।

कृषि सम्बन्धी सूखा– फसल अथावा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते है।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतो का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपो का पुनर्भरण।
- मिटटी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ो की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलो का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवो का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरो के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयमसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली सम्भावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घेषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यो की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियन्त्रण

- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धवस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानो को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रो में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदूरो को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जन सामान्य की चिमित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगो की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या मे ंपशुओ की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईंयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रो मे पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

स्वयम सेवी संगठन

- राहत कार्यो एव पेययल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।

- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियां उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करे।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़नेसे पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हे कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जग घास अथवा पौधो में डालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलो को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्यो कि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोले व पानी का उपयोग करें।

- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनो को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते है।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते है उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते है। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते है एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते है। जिनमें बहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते है।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात येह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओ के मुख्य कारण

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियो का अनुचित रखरखाव

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाए कहीं भी किसी भी रूप से घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना होगी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नही है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते है।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय– दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रो का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय– सड़क दुर्घटनाओ से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हेलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चलें।
- बच्चो को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चो को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगो को तुरन्त चिकित्सालय पंहुचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पंहुचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची अग्रिम पृष्ठों पर अंकित है।

डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।

एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।

प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।

दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुचाने के लिए नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करा।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हे आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलो को पंहुचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एलएनटी आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/पालिका/पंचायत

- टैंटो की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची परिशिष्ट 32 पर है।
- पानी के टैंकरो की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनो की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयं सेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगो को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो–

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खालने पर पता लगाएं की छाती अथावा पेट पर सांस चल रही है या नही।

- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) मे चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ो को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाएं।
- ठोडी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा उपर की और उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट उंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्कमें जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें।
- यदि पेट में हबा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के उपर के हिस्सो को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुटठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से–मी– का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए है और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड या (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर या शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना

- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलाव इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेश रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक और झूका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पंहुचाये।

आग

प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते है। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्यों कि वाहं पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों मे अप्रेल–मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते है। मोटर मार्गो की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते है। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगाातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते है। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डो के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले

सकती है। यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील सरसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय मे तत्परता पूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भवहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवाये।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना ले।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना ले
- बिजली की फिटिंग हेतु आईएसआई द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रो का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का बेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के सटोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखे।
- बिजली के मीटर से अनावयक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई–एस–आई– मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो को ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलिफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो उपर मंजिल वालो को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवो व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढ़क कर ही रखें।

- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदिसे गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बशन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढ़ेरी से दूसरी ढ़ेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढ़ेरी की उंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढ़ेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके ।
- गांवो मे अधिक बाड़े आदि नही होने चाहिये।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टूकड़े आदि नही फैंकने चाहिये।
- खलिहानो या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारो ंका घ्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवो में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिगं व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (सायरन) बीटर्स, फावड़े बैल्वे कापा हुक, बाल्टी, आर्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूड़की द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्र्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, नानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।

- जगह–जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच डयूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन–ए–सी– लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पंहुच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय–समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार या जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथा शीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यो का समन्वय करेंगें। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पंहुचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साईट इमरजेन्सी डाईरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलैक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथी ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र– नियन्त्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन

- सीमावर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन,पुलिस, नागरिक सुरक्षा आदि में आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट,आक्सीजन सिलेण्डर, सीढ़ी, मिटटी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वयक।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्तान पर पंहुचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जन सामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनो हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

प्राथमिक उपचार

- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पंहुचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्य स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवको के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगो को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में अग लगन पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पंहुच जायें।
- अगर सम्भव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के ओदशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करे

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगन पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणो से आता है। सामान्यतः भूगर्भित चट्टानों के विक्षोम के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते है। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानो के चारो ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती है। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि–मी– की गहराई का उत्पन्न होते है। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं उसे उद्गम केन्द्र यो भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक उपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पंहुचती है, जिसकी पुनः दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6–9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षो में सर्वाधिक भषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 कि–मी– दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30,000 करोड़ रूपये की सम्पति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भसंतुलन मे अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलाजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इस पांच भागो में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV.V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वगै मि–मी– में महसूस होते हैं जब कि IX&X तीव्रता वाले भूकम्प 500–00 वर्ग कि–मी– क्षेत्र में महसूस किये जाते है।

(1) **क्षेत्र** V – इस क्षेत्र में संशाधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

(2) **क्षेत्र** IV – इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर डड VII सम्भावित है, इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

(3) **क्षेत्र** III – इस क्षेत्र मे मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

(4) **क्षेत्र** II – इस क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसार सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

(5) **क्षेत्र** I – इस क्षेत्र के लिए संशाधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते है।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3–5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4–2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पनन	4–3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4–8
**********		
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4–9–5–4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5–5–6–1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती हैं।	6–2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं पाईप लाईने टूट जाती हैं।	6–2–6–9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं ढालों में भूस्खलन होता हैं।	7–0–7–3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7–4–8–1
प्रलयकारी	सर्वनाश,धरातलीय प्रदार्थ हवा में उछलने लगते है। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8–1 से अधिक

कार्य योजना

भूकम्प की स्थित में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लागों तक पहुँचाना

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलब में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे– सी– बी– अन्य उपकरणों की व्यवस्था।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध करना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपर्ति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती है वस्तओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिल से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुंए जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दर रखे। बिस्तर से ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकाये।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्यत लाईन को क्षति पहुंचा सकते है उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छः पर लगावें तथा निकास के रास्तें में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयों, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पंहुच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिंर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे है वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढियों का उपयोग न करें सम्भवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढियों की ओर न भागे, क्यों कि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।

- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्यों की सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूके जब तक कम्पन्न खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन्न विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरचनाओं अथवा उंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या उपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुए, गिरी हुइ विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखो।
- भकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसे लोगो को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करे, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की लीक की सम्भावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात क झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचो को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारणव्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है।जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निदेर्शित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ–

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय कियाजाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला 'प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन कीहानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ–

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसेः भोपाल गैस कांड अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होनाभी आवश्यक है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बेकार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोड़वेज,विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर इस आपदा से निपटे।

मौसमी कीड़ों का प्रभाव

श्रीगंगानगर जिले में खरीफ की फसल में देसी कपास तथा अमेरिकन कपास काश्त किया जाता है, जो वाणिज्यक फसलें है। कभी–कभी इस फसल को कीड़े (अमेरिकन सुण्डी) से क्षति पंहुचती है। यह कीड़ा फसल को खाकर नष्ट कर देता है तथा कीड़ेमार दवाईया (पेस्टीसाईडस) भी बेअसर होती है।

ताप (लू) व शीतघात

तापधात (लू)

–राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहां की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रो का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती है जिसे स्थानीय भाषा मे ''लू'' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39–70 से– और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24–3^0 से– रहता हैं जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 24–3^0 से 45^0 से– तक पंहुच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जाये तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते है।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करें, क्या ना करें कि जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोंहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हों, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों कें तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22–0^0 से– व माध्य दैनिक न्यूततम तापमान 5–8^0 से– रहता है। शीतलकाल के दौरान जब उत्तरी भार से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्मकपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एड़ियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।

- मौसम की स्थित से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है। ठंडी हवाबढ़ सकती है याबर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें।पानी का इंतजाम करें। सर्दी से ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमणरोकने के लिए पेय लें । गर्म पेय जैसे कि चावल कापानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा सेपरहेज करे।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांसन लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कम्बल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं। उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियन्त्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियन्त्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय–समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकड़े तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।

रेवले व यातायात विभाग से सामन्जस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।

- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वयक करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।

- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होतो है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पंहुचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन–सी–सी– इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में प्रभावितों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को प्रभावितों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिका/परिषद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी–डी–टी– अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निषमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निषमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

4.1 स्ट्रक्चरल शमन उपाय– यह बेहद महत्वपूर्ण योजना समुदाय सकारात्मक आपदा प्रबंधन की और से प्रतिक्रिया करने के लिये है। मास्अर प्लान स्पष्ट रुप से आपदा प्रबंधन से संबंधित संसोधन विधेयकों में निर्धारित प्रावधानों के साथ बाहर आ जाना चाहिए। शहरी आपदा प्रबंधन

पतिचित शहरी विकास के पौष्टिक प्रक्रिया से जुडा है, इसलिये विकास योजना अपने आप में एक गंभीर समावेश की जरुरत है।

औद्योगिक स्थानान्तरण/ स्थान, अनधिकृत–नियमिकिरण मुद्दा और जनसंख्या के निरंतर बएने पर एक योजना बना चुनौती आपदा प्रबंधन के लिये एक चिंता का विषय होने के अलावा खुली चिंताओं में से कुछ हैं और कुछ कर रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन के लिये संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिये कदम उठाएगा। विभागों की आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के विकास के साथ जुड रहे है। बिल्डिंग कोड सख्ती से लागू किया जाएगा। केवल भूकंपीय दृष्टि से उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों और राजमिस्त्री बहु मंजिला निर्माण के लिये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही Retrofitting भी विशेषज्ञ सलाह के साथ पदोन्नत किया जाएगा।

आपदा संरक्षण के लिये दो संभावित संरचनात्मक उपाय किये जा सकते हैं–

– मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग और

– भूकंपरोधी तकनीक के साथ निर्माण।

4.2 गैर संरचनात्मक शमन उपाय– गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण मूल रुप से इस तरह हैं कि जिले की पूरी आबादी आपदा प्रबंधन पर अवगत किया जा सके और उनकी क्षमता खतरनाक स्थितियों के साथ सामना करने के लिये विकसित किया जा सके।

4.3 तैयारी क्रियाविधि– आपदा प्रबंधन के चक्र में, तैयारियों के बजाय एक आपदा घटित करने के लिये इंतजार कर के , पहला कदम हो जाएगा, और फिर इसे लेते हैं। इस योजना में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और समुदायों में तैयारियों के लिये उपायों की एक श्रंखला शामिल है। जिले के हर हिस्से के लोग खुद को तैयार करने के लिये या अपने स्वयं के मुकाबला तंत्र तैयार करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। इस संबंध में DDMA इस नियमित आधार पर तैयारियों के लिये उचित पद्वती सुझाएगा और जिले की विभिन्न गतिविधियों की योजना होगी।

4.4 जागरुकता कार्यक्रम– हर जगह हडतालों, आपदा और जाति, धर्म या लिंग के बावजूद सब लोग एक हैं, यह गरीब से अमीर का अंतर नहीं है। जिला प्रशासन जिले के सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिये कोशिश करेगा। जागरुकता की एक श्रंखला स्थानीय निवासियों और जिले की आम जनता तक पहुंचने के लिये आयेजित किया जाएगा। जागरुकता कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों आदि के लिये आपदाओं की अलग तरह की सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) सामग्री के रुप में दिया जाएगा। रणनीतियों के विभिन्न प्रकार के अलग दर्शकों को संबोधित करने के लिये विकसित किया जाएगा। विशेष प्रयास आपदाओं के दौरान सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) को संबोधित करने के लिए किये जाएंगे। जागरुकता के लिए विभिन्न तरीके अपनाये जाएंगे, जैसे–

–– जनसभाएं
–– पठन सामग्री का वितरण/पोस्टर चिपकाने
–– नुक्कड नाटक
–– इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भागीदारी
–– ऑडियो/विडियो शो
–– बैनर और हॉल्डिंग
–– चित्रकला/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विशेष रुप से स्कूलों में छात्र रैलियां
–– अवलोकन आपदा प्रबंधन सप्ताह

4.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण–विशेष समूहों, जिला(DMTs), उप विभाजन और सामुदायिक स्तर पर पदाधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टॉक्टर, राजमिस्त्री आदि सभी विभागों और वर्गों के पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है/ किया जाएगा।

सभी समुदाय आधारित संगठनों(CBOs) किया, सिविल डिफेंस, एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहित कर अपने क्षैत्रों में जागरुकता अभियान का आयोजन करने का समर्थन किया जाऐगा।

Summary of Mitigation measures(उपशमन उपाय) **गृह रक्षा श्रीगंगानगर**

Task	Activity	Authority for implemention	Starting date	Date of completion	Cost	Source of Fund
1	2	3	4	5	6	7
Rescue service and law and order duty security	During operation	D.M.	When Need	N.A.	Rs. 325/- per vol per day for 8 hrs.	D.M.

अध्याय–5

तैयारियों के उपाय

आपदा प्रबन्धन योजना के विभिन्न चरणों का विवरण

5.1 आपदा प्रबन्धन योजना के तीन चरणः–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं की रोकथाम, नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों का उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए तीन चरण निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना।
2. द्वितीय चरण– आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तत्कालिक राहत व्यवस्था करना।
3. तृतीय चरण– आपदा के बाद की पुर्नवास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना।

इनका विस्तार देने से पूर्व वो विभाग जो आपदा के दौरान मुख्यतः कार्य करेंगें–

1. जिला कलक्टर
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. पेयजल विभाग
4. विद्युत विभाग
5. रसद विभाग
6. चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग
7. पुलिस विभाग
8. नागरिक सुरक्षा विभाग

9. इनके अतिरिक्त वो संगठन जो एम्बुलेंस रखते हैं, जो खाने–पीने की सेवा करते हैं, जो स्वास्थय सेवाओं में लगे हैं इत्यादि (इनकी सूची परिशिष्ठ में लगी हुई है)

5.2. प्रथम चरण– आपदा आने से पूर्व की तैयारी की व्यवस्था करना :–

आपदा घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां (Prevention. Mitigation and Preparedness) शामिल है। इस चरण में आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकडों का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से संबंधित नोडल विभागों व संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक्षन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आते है। जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेष किया जावेगा :–

1. **भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार करना**– केन्द्र सरकार के निर्देषानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (I.D.R.N.) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं **जिला कलक्टर के पास कम्प्यूटर में वेबसाईट पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन एवं शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री एवं मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेगी।** आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता टेलीफोन नं0 के भी उपलब्ध होगा, ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

अ–विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री एवं व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है उनकी जानकारी तैयार की जावेगी, जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों एवं राज्य के बाहर जहां भी वे संसाधन उपलब्ध होगें उन्हें तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

ब–सामग्री मानव संसाधन, मशीनों व यंत्रों और उपकरणों के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का प्रत्येक छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता व टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जायेगा व उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित व आदिनांक किया जायेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिले के जिला कलक्टर की होगी, परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पांबद करें कि वे आवश्यक सूचनायें जिला कलक्टर को उपलब्ध करायें व उसमे नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

2. **आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न**– भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौधोगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावें, जो प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनस्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। **अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूराईजड नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें।**

3. **नियोजित विकास करना**–विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से

सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव व खतरों का कम करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को सतत् विकास प्रक्रिया में शामिल किया जावे। जैसे– सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियरेटरों से सुसज्जित होना, 24 घंटे विधुत व्यवस्था होना, एम्बुलेंसों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनों, सरकारी भवनों आदि को उॅचे क्षेत्रों में निर्माण करना जो भविष्य में आपदा के समय आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सके।

4. **कानून, नियम उपनियम तथा दिषा–निर्देष का निर्माण करना**– सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट नीतियां, दिषा–निर्देशों एवं नियम हों एवं उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं, एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो, इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

क–भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण की संरचना व डिजाईन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम व भवनों के रैट्रोफिटिंग संबंधी विभिन्न दिशा–निर्देश।

ख–भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान।

ग–फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा–निर्देश व पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

घ–महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्य योजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश व विभागों की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी।

ड–बाढ़, आंधी, तुफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।

च–आपदा प्रबन्धन से संबंधित कानूनों व नियमों का निर्माण।

छ–पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों, व पुराने फेमिन कोड व अन्य विभागीय मैन्युअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संषोधन।

ज–बडे शहरों में बहुमंजिले भवनों में आग में बचाव के समस्त उपायों को आई.एस. कोड व एन.बी. कोड के प्रावधान को भवन निर्माण कानून में जोडने बाबत नियमों में संशोधन।

5. **आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण करना**– सभी आपदाओं से प्रभाव रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेगें व समय समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका प्रत्येक वर्ष पूर्वाभ्यास करेगें।

6. **आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढांचा तैयार करना**– आपदा से पूर्व चेतावनी यदि उचित स्तर पर हो सके तो आपदा के प्रभाव व खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं आपदा से संबंधित नोडल विभाग पूर्व चेतावनी की पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

7. **आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रक्रिया अपनाना**– कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत व बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुर्नवास व विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन को आपदा व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

8. **क्षमता निर्माण करना**– किसी भी आपदा के प्रभावी के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं व आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आपदा से संबंधित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने के लिए उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान।
3. आपदा से निपटने के लिए विशेष ज्ञान के समवर्गों की स्थापना एवं प्रशिक्षण व रिसर्च की उपलब्धता।

4. आपातकालीन आपदा के रेस्पोन्स मेकनिज्म की स्थापना करना, जिससे आपदा के विशिष्टीकरण कैडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से संबंधित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिए उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों में पाठयक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन सरचनाओं एवं माडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोगो को प्रदान करना एवं सभी इन्जिनियरिंग कॉलेजों के पाठयक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक गांव व मौहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवा गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जाये एवं पीडित व्यक्ति को कहॉ एवं किस अस्पताल में पहुंचाया जावें इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाए आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पडोसी या उसके गांव व कालोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों के गांव व कस्बों में सतर्कता समितियों व स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना।

9. **प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना–**

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की नोडल एजेन्सी एच.सी.एम. रीपा होगी।

1. ऐसे व्यक्ति जिसे आपदा प्रबन्धन में सक्रिय रूप से जुडे रहने की आवश्यकता है उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।
2. इसके अतिरिक्त आपदा से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्यों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा जिससे आपदा के समय व बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सके।
3. उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबन्धन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबन्धकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
4. जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जावेगें।

10. स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर व्यवस्था–

किसी भी आपदा में पीडित पक्ष को तुरन्त राहत पहुंचाने में मेडिकल केयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की इतनी क्षमता एवं संसाधनों की उपलब्धता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हो। ऑपरेषन थियेटरों का सुसज्जित व पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घंटे विधुत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसों एवं मोबाईल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये।

5.3 द्वितीय चरण–

आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था करना–

इस चरण में राज्य प्रषासन के आपदा के विरूद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहों एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत सक्षमताओं के विकास का बहुत बडा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने की कार्यवाही इसकी पूर्व तैयारी सतर्कता एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा से निपटने के लिए इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. **संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना–**

1. आपदा के तुरंत बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ईमेल सुविधा व अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनायें प्राप्त की जावेगी तथा नियत्रंण व रोकथाम की कार्यवाही के लिए निर्देष जारी किये जायेगें। यहां से सूचना माध्यमों व आम जनता के लिए आवष्यक सूचनायें सामान्य रूप से जारी की जावेगी व जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जावेगी।

2. आपदा स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेगें जहां से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यों से संबंध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।
3. जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है वेसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पति की रक्षा के पूर्ण प्रयास किये जायेगें।
4. विशेष रूप से बनाये गये कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेगें। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीक्षा राहत उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

2. **सर्च एवं रेस्क्यू टीम का गठन करना–**

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितना त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फंसे हुए लोगों को त्वरित गति से बाहर निकाला जायें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जायें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जावें यह सब जिम्मेदारी जिला कलक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर संभव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जावेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों से जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

3. आवष्यक सेवाओं की बहाली करना–

आपदा की स्थिति में बिजली पानी, संचार के साधन सडक, पूल, आदि की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते है। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो तथा किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गई हो तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जावें। जिला प्रशासन, सभी विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

4. **आपदा पीडितों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था कराना–**
आपदा के समय खाध आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गडबडा जाती है। अधिकांश लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते है। या बाढ़ भूकम्प व अग्निकांड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

5. आपदा के बाद राहत आंकलन करना–
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जिला प्रषासन एवं संबंधित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुए नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुचांई जा सके।

अ– जन एवं सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेगें जो आवश्यकता पडने पर तुरंत कार्यवाही करें। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पति छोड़कर अन्यत्र चले जाते है। उनकी सम्पति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेगें।

ब– संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत एवं बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन एंव सम्पति की हानि तथा बचाव व राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरन्तर दी जावेगी।

6. **राहत पीडितों के लिए राहत पैकेज उपलब्ध करना–**
आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहियें। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहियें। उसमें किसी भी प्रकार धर्म, जाति, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

7. **आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीडित व्यक्तियों को पहुंचाने की परिवहन की व्यवस्था करना**–
आपदा के समय पीडित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस.आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जावें। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते है अत ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार दानदाताओं एवं निजी आपरेटरों से एक निश्चित शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

8. **क्रेन बुलडोजर एव आवष्यकतानुसार संसाधनों का अधिग्रहण करना–**
कई बार भूकंप एवं मकानों के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते है उन्हें तुरंत निकालने के लिए क्रेन, बुलडोर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होगें। उनके किरायें एवं फसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेंडर प्रकिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलक्टर को होगी।

5.4 तृतीय चरण–

आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की व्यवस्था करना–
आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास शीघ्र किये जायेगे। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनस्थापित करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस चरण के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. विस्तृत हानि का आंकलन–
आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जाता है। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम

सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थाई सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार की होगी।

2. **प्रभावित लोगों को पुनःस्थापना**–
यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है तो उस स्थिति में उन्हें बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विधुत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चों के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

3. **पुनर्स्थापना एवं पुनः सरंचना योजनाओं की स्वीकृति**–
दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिए विस्तृत एस्टीमेंट बनाना उसकी तकनीक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे की इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

4. **धन का आवंटन एवं ऑडिट करना**–
विभिन्न माध्यमों से वित व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियंत्रण एवं आडिट आवश्यकता इस चरण में होती है। जिससे कि धन का किसी प्रकार का दुरूपयोग नहीं हो सके।

5. **परियोजना प्रबन्धन**–
पुनर्वास एवं पुननिर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनीटरिंग की आवश्यकता है इसके मुख्य निम्न कार्य है–

- भवनों का आपदा प्रुफ एवं रेट्रोफिटिंग
- रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनों का निर्माण
- आपदा से क्षतिग्रस्त सडकें, पूल, बांध कैनाल आदि के भी स्ट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव।
- आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएं जैसे सड़क, पावर स्टेषन एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवेलाईन, आदि योजनाओं का मोनीटरिंग।
- स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण प्राथमिक उपचार केन्द्र, डाक्टरों व सर्जनों की आवश्यकता
- ध्वस्त औघोगिक इकाईयो की पुनस्थापना
- आजीविका का पुनर्स्थापना।
- आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशवरा।

6. **संचार नेटवर्क एवं जनजागृति**–
किसी भी आपदा के स्थाई समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

5.5 संवेदनषीलता–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है। लोग स्थिति स्थान समय घटना भवन आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जनसुविधाएं, आवश्यक जन सेवायें जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि भौतिक साधन है। जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते है–

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ।

द– हल्के, लकडी, पतो आदि की झोपड़ियॉ।

अ– मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर– जिले का लगभग 15 प्रतिषत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान प्रभावित क्षेत्र में आता है।

ब– पकी हुई ईंटों या बडे पत्थर के घर– जिले में पकी हुई ईटों या बडें पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले संभावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

स– सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकडी के ढांचे के साथ– इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द– हल्के, लकडी, पत्तो आदि की झोपड़ियॉ– हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोपड़ियॉ, हल्के लकडी पतो आदि की सामग्री से बने हुए है जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों मे अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

य– आर्थिक, सामाजिक, संवेदनषीलता–हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

5.6 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी है और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

5.7 चेतावनी यंत्र की संभाल :– चेतावनी यत्रं की संभाल व उनकी जांच होती रहनी चाहिए **जिले में इसके लिए प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा विभाग में लगे सायरन की जांच होती रहती है इसके अलावा गांवो में चेतावनी के लिए गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की जांच के लिए समय समय पर राज्य सरकार के विशेष अभियानों की घोषणा करवाकर उनकी जांच कर ली जाती है।**

5.8 ई.ओ.सी. की जांचः– कन्ट्रोल रुम की जांच नियमित होती रहती है, निरन्तर दूरभाष संपर्क बनाए रखा जाता है। कन्ट्रोल रुम से विशेष व त्वरित सूचनाऐं भिजवाई जाती हैं।

5.9 विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय–

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते है। और जितनी जल्ओी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरुरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रुप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग–2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रुप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निटने के लिये ज्यादातर मामलों में

शामिल किया जाना हैं। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षैत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बना मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रुप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और एसी स्थिति में मल्टी सर्विस भागीदारी के लिये जरुरत की सराहना कर सकते हैं।

5.10 समयानुकूल तैयारीः–

जिले में मार्च– अप्रेल का माह रबी की फसल का कटाई का समय होता है, इस समय प्रायः फसलें सूखी हुई होती हैं तथा उनमें मशीनों द्वारा कटाई करते समय आग लगने की संभावना रहती है, इसकी पूर्व तैयारी हेतू नगर निकायों के अग्निशमन वाहन तैयार रखे जाते हैं तथा पेयजल विभाग के टैंकर भी तैयार रखे जाते हैं।

5.11 स्वास्थय सुविधाओं की तैयारीः–

आपदा या विपदा आने पर चिकित्सा एवं स्वास्थय सुविधाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, **जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम उप स्वास्थय केन्द्र बन चुके हैं इसके अलावा सुविधाऐं निम्न प्रकार हैं–**

श्रीगंगानगर जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	17
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	55
उप स्वा. केन्द्र	439

अध्याय– 6
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

1. दृष्टिकोण– आपदाएं समय–समय पर अपनी विनाश लीला से जनजीवन, पशुओं के साथ–साथ समाज की आधारभूत संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती रही है। कभी प्राकृतिक ताक कभी मानवजनित आपदाओं से अपने देश का कुछ न कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहा है। चाहे 1934 का बिहार भूकम्प हो या 2001 में गुजरात का भूकम्प, 1999 में उडीसा का सुपर साईक्लोन हो या 2004 में देश के कुछ हिस्सों में सुनामी कहर, 2008 में बिहार का कोसी प्रलय हो या 2009 का सूखा।

   राजस्थान में सूखा या अकाल की स्थिति रहती आई है जिससे बडी संख्या में मानव तथा पशु प्रभावित हुए हैं तथा अकाल मौत का शिकार हुये है। हनुमानगढ जिले में से घग्घर नदी गुजरती है, जो बरसात के मौसम में अक्सर ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे कई बार बाढ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जानमाल का नुकसान झेलना पडता

है। इसके अलावा यहां सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर, लू, आग आदि आपदाऐं अपना प्रभाव दिखाती रहती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की संसद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और तदनुसार आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों के दिशा निर्देशों के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की निगरानी में आपदा प्रबंधन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किये गए हैं जो सराहनीय कदम है। इसी के साथ ही सामुदायिक स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संगठनों की अहम भूमिका रही है।

13 वें वित्त आयोग का मानना है कि किसी भी प्रकार के आपदा के विषम परिस्थितियों के कारण एवं प्रभाव से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी रूप से कम करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का बहुत बडा. योगदान होता है।

जब भी कोई आपदा घटती है, सबसे पहला मदद करने वाला स्थानीय व्यक्ति ही होता है, परन्तु वे किसी भी आकस्मिक घटना में कार्य करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होता। किसी भी आपदा में प्राथमिक कार्य जान एवं माल की सुरक्षा होता है। स्थानीय समुदाय स्थानीय खतरों एवं संसाधनों को बेहतर तरीके से जानता है, परंतु उनके बेहतर उपयोग करना नहीं जानता। अतः यह आवश्यक है कि इनकी आपदा प्रबंधन में कार्य करने हेतु क्षमतावर्धन की जाए।

2. क्षमता निर्माण हेतु योजना–

क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगेः

– प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षैत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

– राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में अवधारणा विकसित करना।

– अपनी कुशलता सिद्व कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

– अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षैत्रीय सहयोग को बढावा देना।

– पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

– राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लैषण करना।

संस्थागत क्षमता निर्माण– जिला स्तर पर जो प्रसिद्ध संस्थान हैं, जो आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के जिला स्तरीय संस्थानों , अर्धसैनिक बल आदि आपदा से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षैत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक क्षमता निर्माण– समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरुकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वयं सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्राधिकारियों

के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

Training of trainers

1. नागरिक सुरक्षा/स्वंय सेवक (समसत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।)

3. आपदा प्रबंधन की शिक्षा
   1. स्कूलों– जिले के समस्त विद्यालयों में प्रार्थना सभा में आपदा के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी व बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बच्चे आगे जन–जन तक यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
   2. मॉडल विद्यालयों में आपदा केन्द्र का गठन किया जाएगा, तथा प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक अध्यापक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और यह प्रशिक्षित अध्यापक आपदा दल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रदान करेगा।
   3. कॉलेजों (मेडिकल तथा इंजीनियरिंग) में भी आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए।
4. कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करना– समय–समय पर इन कौशन उन्नयन प्रशिक्षणों की आवश्यक जांच की जाएगी।
5. प्रशिक्षित पेशेवरों की सूची, इंजीनियर्स, वास्तुविद, Masons, चिकित्सा, बचाव विशेषज्ञ (समस्त विवरण परिशिष्ट में है)

अध्याय– 7

प्रतिक्रिया और राहत उपाय

श्रीगंगागनर जिले में जैसे राजस्थान कैनाल नहर, घग्घर फ्लड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम डिपो, घग्घर धारा पर रेलवे ब्रिज, गोगामेडी मेला, पंजाब, हरियाणा राज्यों का सीमांत ईलाका होने के कारण बाढ.,भगदड. ,अग्निकाण्ड, भूकम्प इत्यादी घटनाऐं संभावित है, इस आपदा से निपटने हेतु गृह रक्षा श्रीगंगानगर द्वारा निम्न प्रकार से कानून व्यवस्था/सुरक्षा/रेस्क्यू सर्विस इत्यादि हेतु मानवशक्ति उपलब्ध है।

गृह रक्षा स्वयंसेवकः– स्वीकृत नफरी–501, ऑनरोल–496, रिक्त– 05

ऑनरोल नफरी में अन्य विभिन्न कार्यों में दक्ष स्वयंसेवकों जैसे वाहन चालक,प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, बैल्डर राजमिस्त्री की सूची परिशिष्ट में संलग्न है।

आवश्यकता होने पर उक्त मैन पावर निम्नानुसार समय में उपलब्ध करवाई जा सकती है।

1- छः घण्टे के नोटिस पर– 20 प्रतिशत
2- 12 घंण्टे के नोटिस पर– 50 प्रतिशत
3- 18 घण्टे के नोटिस पर– 70 प्रतिशत
4- 24 घण्टे के नोटिस पर– 100 प्रतिशत

बहु– आपदा प्रतिक्रिया योजना, तैयारी तथा मूल्यांकन

1. नुकसान तथा आवश्यकता/जरूरत का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है।
2. प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट तैयार किया जाता है।

चेतावनी –

1. पूर्व चेतावनी प्रणाली, गावो तथा जिले की बीच संचार प्रणाली– समुचित संचार का व्यवस्था की जाएगी।

2. चेतावनी का प्रसार– सरल भाषा में प्रसार, विभिन्न मीडिया स्त्रोतो से चेतावनी जारी करवाई जाएगी।

जिला CMG Meeting

EOC की सक्रियता - शासन सचिव आपदा एवं सहायता विभाग के पत्रांक एफ8(1)आ.प्र.एवं सहा. /बाढ./2017/5678–710 दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में कलैक्ट्रेट में पूर्व में कार्यरत कन्ट्रोल रुम को लगातार हेल्प लाईन के लियन में ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) 15 जून 2017 से आगामी आदेशों तक मानसून/बाढ. नियन्त्रण कक्ष के रुप में स्थापित किया जाता है। अतिवृष्टि एवं बाढ. तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर ई0ओ0सी0 निरन्तर 24 घण्टे "राउण्ड दी क्लॉक" कार्यरत रहेगा।

संसाधनों का जुटाव– आपदा के दौरान जिले के समस्त विभागों से समन्वय कर संसाधनों का जुटाव किया जाता है।

सहायता हेतु बाहरी मदद मांगना– आवश्यकता पडने पर पडौसी जिलों, राज्य स्तर, अन्य पडोसी राज्यों से मदद मांगी जाएगी।

मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचनाओं का प्रसार– सूचना प्रसार हेतु मीडिया से समन्वय कर उचित प्रबंधन किया जाएगा तथा समय रहते सूचनाओं का प्रसार किया जाएगा।

रिपोर्टिंग–

1. सूचना प्रबंधन, परिस्थितियों की रिपोर्ट, प्रकाशानार्थ विज्ञप्ति
2. प्रलेखन, सफलता की कहानियां, भविष्य के लिए सबक

सहायता के लिए उतरादायी मुख्य हित्ताधारी– परिशिष्ठ पर सलंग्न।

अध्याय– 8

पुर्ननिर्माण, पुनर्वास, और रिकवरी उपाय

परिचयः– आपदाएं एक समाज के सामान्य जीवन में अचानक व्यवधान का कारण है और इस हद तक कि सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के समाज के लिए उपलब्ध तंत्र परेशानी के कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान। एसे में लोग तथा अधिकारी दोनों अनजान पकडे जाते हैं और परिस्थितियों में पहल और दिशा की अपनी भावना खो देते हैं। नतीजतन, राहत कार्य प्रभावित होता है और अनावश्यक रुप से देरी।

ऐसे मामलों में, एक आपदा तैयारी योजना का अस्तित्व अत्यंत उपयोगी हो सकता है। व्याकुल अधिकारी तो अपने हाथ में दिए गए निर्देशों का पालन करें जो वे कर सकते है और यह भी उनके मातहत और प्रभावित लोगों को निर्देश जारी करने का एक पूरा सेट है। यह न केवल बचाव और राहत कार्य को तेज करने, बल्कि पीडितों का मनोबल बढाने का असर है।

अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना

8.1 लघु अवधि योजना–

अल्पकालीन योजनाएं कार्रवाई आधारित होती है और कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से की जाती है।

किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक क्षैत्र और एजेंसियां हैं। इनके कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा जहां यह लागू होगा, परिभाषित करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब सीमाओं को परिभाषित कर रहे हैं, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी–

1. राहत के रूप में जुटाऐ जाने वाले संसाधनों के लिए आवश्यक सामग्री की राशि तीवव्रा के आकडों पर आधारित है और पिछले आपदा रिकार्ड में क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का प्रसार किया जा सकता हैं।
2. कुछ क्षैत्र आपदा से ग्रस्त है और हर बार राहत प्रदान की जाती है, इन राहत और बचाव अभ्यास के भविष्य की योजना बनाने के लिए सामग्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते है।
3. लघु अवधि की योजना आपदाओं की घोषणा विशेष प्रकार के क्षेत्र की असुरक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। आपदाओं पर भविष्यवाणियां उपयोगी अभ्यास पर कार्यवाही की योजना है जो सबसे आवश्यक होगा ,में व्याख्या की जानी चाहिए।
4. लघु अवधि की योजना सुझाव और जिला/राज्य ,गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से संबधित सभी विभागों की क्षमताओं को शामिल करना चाहिए। इसलिए योजनाओं पर उनकी जानकारी शामिल करने के लिए उचित स्तर पर समितियों की स्थापना के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

<u>आपदा के बादः–</u>

8.1.2 बचाव संचालन

आपदा के तुरंत बाद, जिला मजिस्ट्रेट, नियंत्रण और सभी गतिविधियों के समन्वय के लए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। बचाव ,निकासी और राहत में सहायता के लिए स्थानीय सेना /नौसेना/वायू सेना इकाइयों के साथ सम्पर्क करना चाहिए।सरकार के संगठन और निजी क्षेत्र से अधिकार मांग करने के लिए संसाधनों, सभी विभागों से सामग्री और उपकरण लेगा। वह उधोग को निर्देशित करने के लिए उनके ऑनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबधन योजना को सक्रिय करने की युक्ति होगी। साइट संचालन केन्द्र की व्यवस्था के साथ प्रभावित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पशु शिविरों की स्थापना के लिए अधिकृत होगा। वह राज्य के राहत आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त को प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही रिपोर्ट भेजेगें। परंपरागत रूप से, चिंन्हित एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन, दोनों जिला स्तर के नीचे मुख्य सरकारी एजेसियों, जो बडी दुर्घटनाओं/आपदा खतरों की स्थिति में आपातकालीन संचालन के लिए ट्रिगर तंत्र आरम्भ कर रहे है। कम गम्भीर आपदा खतरा/दुर्घटना की स्थिति में एसडीएम कार्यालय और स्थानीय पुलिस स्टेशन ट्रिगर तंत्र को शुरू करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मदद से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जारी रहेगा। डीडीएमसी जानकारी प्राप्त होने पर , दो एजेंसियों में से किसी से स्थानीय संसाधनों को बढानें और चिन्हित प्रतिक्रिया एजेंसियों को उचित निर्देश देने के लिए उचित निर्णय लिया जायेगा ।

8.1.3 राहत अभियान की सूचना

बाद बचाव चरण खत्म हो गया है, जिला प्रशासन नकद या आपदा के पीडितों को वस्तु के रूप में तत्काल राहत सहायता प्रदान करेगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, आए भुकम्प ,आग, बाढ, दंगे, आतकंवादी हमले आदि की तरह या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीडितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

8.1.4 पुनर्वास क्रियाओं की सूचना

अल्वावधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम कदम है। हादसा कमान प्रणाली के रूप में पुनर्वास चरण खत्म हो गया है। उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुननिर्माण के शेष कार्यो को ले जायेगा।

8.2 दीर्घकालिक योजना

स्थिति हमेशा लंबी अवधि की योजना का वारंट नही है। लेकिन इस तरह की योजनाएं आपदा शमन की एक संस्कृति का निमार्ण करने के लिए और क्षेत्र के जोखिम को कम करने के उद्वेश्य से सक्षम होनी चाहिए।

1. एक दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए सबसे बडी आवश्यकता है एक क्षेत्र में अपनी जरूरत की स्थापना। क्षेत्र के जोखिम और इसके क्रियान्वयन की लागत और समग्र विकास के लिए अन्य जरूरतों के बीच संसाधन ट्रेडऑफ के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में लंबी अवधि के आपदा शमन योजना या समग्र विकास योजना के भाग के रूप में पुनर्वास योजना महत्वपूर्ण हो जाती है।

2.पुनर्वास योजना के मामले में नुकसान है कि समुदाय में जगह ले ली है , के स्तर का फेसला लंबी अवधि का हस्तक्षेप आवश्यक नही है । पुनर्वास की रणनीति नुकसान का आकलन रिपोर्ट पर काफी निर्भर करेगा।

3.एक समुदाय , जो विस्तार में अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं का अध्ययन करता है और अपनी पंरपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए करना चाहते है बाहर करना चवाहता है के विस्तृत सर्वेक्षण , बाहर ले जरने के लिए है। यह एक हस्तक्षेप की रणनीति है कि समुदाय के लिए स्वीकार्य निर्णय लेने में एक निवेश के रूप में काम करेगा।

4.दीर्घकालिक योजना समग्र विकास और बुनियादी जरूरतों को संतोषजनक आश्रय,आर्थिक और समुदाय के सामाजिक जीवन प्राप्त करने का एक उद्वेश्य होना चाहिए। आपदा जोखिम को कम करना अपने आप में उद्वेश्य नही है और एक उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए।

5.लंबी अवधि की योजना संसाधन गहन है।उसमें निर्णय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में जहां स्थानान्तरण के माध्यम से पुवर्चास के लिए जरूरत है, ण्क ही भुमि की अनुपलब्धता के कारण लागू नही हकया जा सकता है।

6.लंबी अवधि की योजना केवल गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापुर्वक लागू किया जा सकता है। इन निकायों की भागीदारी आवश्यक है।

8.3 बीमाः–

आपदा के दौरान राजकीय एवं निजी बीमित सम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति की त्वरिता कार्यवाही हेतु बीमा कम्पनियों से त्वरित कार्यवाही की पहल की जावें एवं आवास व्यवस्था हेतु हुड़को एवं गृह निर्माण में लगी अन्य एजेन्सियों से प्रशासनिक सम्पर्क कर कार्यवाही की व्यवस्था की जावे।

अध्याय– 9

DDMP के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

1. राज्य –
   - राज्य बजट/प्लान फण्ड
   - राज्य शमन निधि
   - राज्य प्रतिक्रिया निधि
1. जिला
   - जिला प्लानिंग फण्ड
   - जिला शमन निधि
   - जिला प्रतिक्रिया निधि
2. आपदा जोखिक बीमा
3. बुनियादी ढांचा/आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तपोषण विकल्प

अध्याय– 10

DDMP के विकास, अपडेशन, मूल्यांकन, निगरानी के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

10.1 तैयारी और DDMP का अपडेशन–

संगठनात्मक क्क्डच में दिया सुझाव निम्नलिखित अवधारणाओं के आधर पर किया जायेगाः–

योजनाओं के मामले में ही काम करेंगे। जब वर्तमान संगठनातत्मक ढांचा अपने गैर आपातकालीन कर्तव्यों को करने के लिए जिम्मेदार है तो यह काम अच्छी तरह से किया जाता है । यह सबसे अच्छा है कि आपातकाल के दौरान संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। संकट में सरकार से सबसे कम समय पर तत्काल मुलाकात की जानी चाहिऐ। स्थानीय योजनाओं में यदि आवश्यक हो तो पूरक, अगले उच्च अधिकार क्षेत्र से प्रतिक्रिया के लिए कह सकते है। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया और निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की और जोर दिया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रबंधन साझेदारी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के सभी चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। जिले की जिला आपदा प्रबधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। क्क्डच योग और जिले के सभी क्षैतिज और उर्घ्वाधर आपदा प्रबधन की योजना का पदार्थ है। क्षेतिज योजनाओं में पुलिस, अग्निशमन सेवा, एमएमसी के रूप में लाइन विभागों द्वारा तैयार योजना शामिल है, और एफसी विभाग, सिविल डिफेंस और अन्य विभागों और कार्यक्षेत्र की योजना, उप मंडल की योजना, सामुदायिक योजना, स्कूल योजना, अस्पताल, निचले स्तर पर आदि योजनाओं में शामिल और राज्य आपदा प्रबधन योजना और उच्च स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधन योजना है। जिला आपदा प्रबधन योजना की तैयारी जिले के जिला आपदा प्रबधन समिति की जिम्मेदारी है। पहला मसौदा योजना पर क्क्डब में चर्चा की जायेगी और बाद में क्क्डब अध्यक्ष इसमें सुधार हेतु सुझाव देगें ।

योजना के दस्तावेज को अद्यतन करने में एक ही प्रक्रिया का पीछा किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष अपडेट किया जा रहा है। दस्तावेज को अद्यतन करने के लिये, सभी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर योजनाएं एकत्र की है और जिला आपदा पंबंधन योजना (क्क्डच) को शामिल किया जाएगा।

जिला आपदा पंबंधन योजना (क्क्डच) में से प्रत्येक अपडेशन के बाद, एक संस्करण संख्या क्रमानुसार दी जाएगी। अद्यतन दस्तावेज की प्रति जिले में आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितधारक को परिचालित की जाएगी।

10.2 जिला आपदा पंबंधन योजना (DDMP) का रेगुलर अपडेशन–

DDMP को अद्यतन करने की उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा, एक नियमित रुप से डेटा संग्रह प्रणाली जिले के आपातकालीन परिचालन केन्द्र (इओसी) में स्थापित किया जाएगा और सत्यापित डेटा अध्यक्ष, क्क्डब की देखरेख में प्रभारी ईओसी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

10.3 पोस्ट आपदा मूल्यांकन तंत्र–

आपदाएं हमेशा अप्रत्याशित होती है। प्रत्येक आपदा मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान का कारण बनती है, और हर आपदा के लिये एक विशेष अंतराल के बाद दोहराता है। इसके अलावा एक विशेष आपदा से सबक सीखकर किसी संभावित खतरे के लिये योजना बनाने में मदद मिलेगी।

DDMC अध्यक्ष आकार और सुरक्षा की एक विशेष आपदा पर ध्यान दिये बिना डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। इस पोस्ट में आपदा मूल्यांकन तंत्र को अच्छी

तरह से बतवेबीमबामक और आगे के संदर्भ के लिए ईओसी में प्रलेखित किया जाएगा। योग्य व्यवसायों, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं और एकत्र आंकडों के साथ स्थापित किया जाएगा। इस दस्तावेज को उचित ध्यान में रखते हुये राहत और पुनर्वास उपायों के साथ किया जाएगा।

10.4 जिला आपदा प्रबन्ध योजना को अद्यतन करने की अवधिः–

इस कार्ययोजना को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाता है। तथा उतरदायी विभागीय नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके दूरभाष नम्बर प्रति छः माह बाद अद्यतन कर दिये जाते हैं।

10.6 जिला आपदा प्रबन्धन योजना को डीडीएम तथा एसडीएम की वेबसाईट पर अपलोड करनाः–

कार्य योजना को तैयार कर हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर पर भिजवा दी जाती है, इसको वेबसाईट पर अपलोड राज्य स्तर से किया जाता है।

10.7 अनुमोदित मॉकड्रिल कार्य योजना :–

मॉकड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा विभागीय निर्देशानुसार समय–समय पर आयोजित किये हैं यथाः– बम विस्फोट, आग लगना, भगदड़ मचना आदि।

10.5 निष्कर्ष–

जिला स्तर के विभिन्न विभागों को विभिन्न गतिविधियां सौंपी गई है। इन विभागों की विभागीय नियमावलीनीचे अलग–अलग अधिकारियों की जिम्मेदारियां रखना, आपदाओं को रोकने के लिये और एक आपदा की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया गतिविधियों की शुरूआत के लिए जिम्मेदारियों को भी शामिल किया है। हालाकि , इस योजना की जिममेदारियों को संबधित विभागीय मैनुअल में निर्धरित करने के लिए सीमित नही है। यह एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया क लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए प्रयास करता है । विभिन्न संसाधन संग्रठनों के अधिकारियों को आपदा की स्थिति या एक आपदा के खतरे में अपने दम पर कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद कर रहे है।लेकिन वे निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट और ईओसी कार्यवाही के बारे में सूचित उनके दवारा लिया गया था और उच्च अधिकारी से निर्देशो के अनुसार तुरंत कार्य करने के लिए उम्मीद कर रहे है।एक आपदा की स्थिति में, एक त्वरित राहत एवं बचाव मिशन के लिए आवश्यक है । हालाकि आगामी नंकसान काफी हद तक कम किया जा सकता है,तो पर्याप्त तैयारियों के स्तरको प्राप्त कर रहे है। वास्तव में, यह अतीत में देखा गया है , कि जब कभी ध्यान पर्याप्त तैयारियों के उपाय करने के लिए भुगतान कियश गया है, जीवन और संपति को नुकसान काफी कम हो गया है।

अध्याय– 11

DDMP के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1 आपातकालीन सहायता कार्यो (ESF)

आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) विभिन्न पहचान की प्रतिक्रिया टीम है, जो किसी भी आपात स्थिति से पहले अपनी ताकत का आकलन करेगें और उसके अनुसार उनके मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगे किसी भी आपदा को कम करने के लिए कर रहे है। उनकी अच्छी तरह से तैयारियों में किसी भी आपदा/आपातकालीन स्थिति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इन आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) कुछ जरूरत के अनुसार पहचान की जायेगी एसे ESF चेतावनी (संचार) ESF –सडक, मलबे निकासी ESF –राहत आदि इसलिए आपातकालीन सहायता कार्यो (ESFs) में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने के रूप में किसी भी आपदा के दौरान महसूस किया कार्य होता है।

(ESFs) का एक प्रभावी संचालन प्रणाली के लिए निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

–वयक्तिगत ESFs उनका मानक परिचालन प्रकिया एसओपी और योजना तैयार करना होगा।
–इन योजनाओं को जिला रिस्पांस योजना के फार्म करने के लिए एकीकृत किया जाएगा
–समय समय पर प्रत्येक ESF सिमुलेशन व्यायाम (मॉक डिल)का अभ्यास उनकी lacunas समझने के लिए होगा।
–वे नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया प्रणाली को अदयतन करने के लिए है।

एक पुल राज्य, जिला स्तर और आनसाइट स्तर की इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों के बीच एक सूचना के आधार पर समर्थन करने के रूप में कार्य करने के लिए, वहां एक जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर होने के लिए है और जमीनी स्तर से जानकारी इकटठा करने के लिए परिचालन हो रहा है, जिला स्तर के साथ ही राज्य स्तर के रूप में।

आपातकालीन सहायता कार्यो ,अपने दल के नेताओं और सर्मथन एजेंसी की सूची निम्न तालिका में जानकारी दी जाती है:–

ESF	Function	Team leader	Participation agencies
ESF1	coordination	Distrist magistrate	Dig/SSP,ADMcity, nagar parished special officer,special officer district fire officer, chief medical officer,Dist supply officewr,city magistrate RTO, Executive Engineer, PWD , District information officer, Civil defence, Home guards and all other relevent departments
ESF2	communication	SSP	ham radio operator clubs,Existing wireless operators(police,fire,revenue) Telecom dept, mobile operators, FM radio Doordarshan radio
ESF3	Debris clearance	Municiple commissioner	nagarparished,Forest officer, PWD NCC, Zila sanik Board Nearst army cant
ESF4	information dissemination	VC-MDA	NGO,Emergency operation centre, Media,NSS,scout & guide,education department
ESF5	Emergency Medical response	CMO/CMS Health	civil hospital,nagar parished,blood bank,red cros society, Nursing home, lion clubs, ambulance service, medicine stokist
ESF6	Evacuation(sea rch & rescue)	Chief fire officer	Fire service,police officer cum dog handler,civil defence,home gaurd,health,NCC,NSS,Zila sanik Board Nearst army cant
ESF7	Relief	ADM (relief)	District Supply officer, Food corporation of india, Local civil supply

ESF8	Electricity water Transport	ADM (city)	DM office,Police(traffic), Transport Dept,Public Health Engineering, Water Resource,PWD(Roads)
ESF9	Law and order	ADM (city)	SDM, ADDi.S.P., Home Guards, Other paramilitary agencies

11.2 जिला स्तर पर ESF संगठन सैटअप–

Incident Command System

District Magistrate

Disaster Management Team

Heads of Primary Agencies of all ESFs
- Fire Services
- Telephone
- Department of Revenue
- police Service
- District Health Department
- Jal Board
- Department of food and civil supply
- Municipal Corporation
- Power/ Electricity Department
- transport Department

Quick Response Teams: Field workers at the time of any emergency and works according to their ESF function. They are members of primary and secondary agencies

Primary Agencies

Secondary Agencies

These are the agencies coordinates under various ESFs as per their secondary functions and abilities

11.3 जिम्मेदारियां और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्य–

1. **समन्वय**–

टीम लीडरः जिलाधिकारी

भाग लेने वाली एजेंसियां–एसएसपी(एफ/आर), एडीएम(कानून और व्यवस्था), नगर निगम, एमडीए, जिला अग्निशमन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सिटी मजिसट्रेट, डीटीओ, युवा सह–समन्वयक, इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और अन्य संबंधित विभाग।

किसी भी आपदा की प्रत्याशा में जिला प्रशासन विभिन्न एहतियाती कदम उठाएगा। नियंत्रण कक्ष, नदी और नहर तटबंधों में पिछले उल्लंघनों के बंद होने के कामकाज और कमजोर अंक, बारिश रिकॉर्डिंग और वर्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, गेज पढने का संचार, बाढ./ चक्रवात क्षेत्रों के कामकाज, शक्ति, नौकाओं की तैनाती, अस्थाई वीएचएफ स्टेशनों, टेलिफोन लाइनों की व्यवस्था, खाद्य सामग्री के भंडारण, जल निकासी, पशु चिकित्सा के उपाय, बाढ./चक्रवात में आश्रयों का चयन आदि के लिये ठीक से व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी।विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों को आपदा के दौरान अपने कर्तव्यों से अवगत करवाया गया है।

2. **संचार**–

टीम लीडरः एसपी, श्रीगंगानगर

एजेंसियां– हैम रेडियो आपरेटर क्लब,वायरलैस ऑपरेटरों,दूरसंचार पिभागए मोबाइल आपरेटरो,एफ एम रेडियो,रेजीमेन्ट सेना,दूरदर्शन,रेडियो।

विभागीय योजनाएंः–

दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक आपातकालीन संचार योजना माध्यमिक सहायक एंजेसियो की सहायता से कार्यात्मक अवधारणा का समर्थन करने के लिए विकसित करना होगा ।

अत्यावश्यकताः–

यह संभंव है कि टेलीफोन सेवा भुकम्प में बहुत बुरी तरह से बाधित हो जायेगी, टेलीफोन प्रणाली के सभी घटक समान रूप से प्रभावित हो जायेगें , लेकिन शुरू में भूमि आधारित घटकों की विफलता कुल प्रणाली की विश्वसनीयता की एक सामान्य विफलता का कारण होगा। टेलीफोन प्रणाली को धीरे–धीरे सुधार करके प्राथमिकताओं के अनुसार सेवा में वापस लाया जाता है।

इस कार्य में केवल आपातकालीन संचार आवश्यकताओं तक सीमित है, जैसे आपदा के दौरान सार्वजनिक क्षैत्र की संचार बहाली दूरसंचार विभाग के आपातकालीन कार्यों के एक भाग के रुप में है।

तत्काल कार्य–

– नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट का संग्रह
– राज्य/ देश के बाकी हिस्सों के साथ संचार की स्थापना के संबंध में प्रभावित क्षैत्रों की स्थिति
– क्षैत्र में प्रमुख अधिकारियों की स्थिति
– राज्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के रुप में अच्छी तरह से राहत केंद्रों के साथ रेडियो संचार स्थापित करना

प्रारंभिक कार्रवाई–

– प्रभावित क्षेत्र के भीतर परिचालन दूरसंचार सुविधाओं को पहचानें
– प्रभावित साइट के लिये दूरसंचार सुविधाओं को ले जाने के लिये आपातकालीन परिचालन सेवायें स्थापित करना
– उनकी सुविधाओं के पुनर्निमाण की दिशा में निजी दूरसंचार कंपनियों के वास्तविक और सुनियोजित कार्रवाई को पहचानें।

3. **मलबा मंजूरी**–

टीम लीडरः नगर आयुक्त

एजेंसियां– नगर निगम, लोक निर्माण विभाग(सडक एवं भवन निर्माण), विद्युत बोर्ड, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जल बोर्ड

तत्काल कार्य–

– सभी तकनीकी अधिकारियों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिये अधिसूचित किया जाएगा
– आवश्यकताओं की बचत व जीवन को बचाने के लिये संसाधनों के संचालन का प्रावधान करना

– सभी सड.कों, नींव और खम्भों के नीचे पानी के निरीक्षण सहित पुलों का निरीक्षण
– पारगमन और राहत शिविरों, केंद्रों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिये स्थानों की पहचान करने में जिला मजिस्ट्रेट की मदद करना
– तैयार पृथ्वी की चेन, केबल के साथ उपेरण, क्रेन, ट्रेक्टर की मांग और ईंधन के बफर स्टॉक की व्यवस्था
– सडकें जो अस्पताल और मंख्य सडकों के लिये खोला जाएगा, की प्राथमिकता सूची तैयार करना
– राहत शिविरों और आपदा पीडितों को चिकित्सा सुविधा के लिये अस्थाई पारगमन के लिये उपयोग के लिये अस्थाई सडकों का निर्माण
– संभावित तकनीकी नुकसान का आकलन
– तोडफोड., मलबे के मार्ग निकाससी आदि

4. सूचना प्रसार–

टीम लीडर– पीअरओ

– आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकटठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है।राहत , पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था , जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बडी. आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

– मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।
– जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन गुजरती है।

5. इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस –

टीम लीडर– सीएमएचओ

ऐजेंसियां– नगर निगम, ब्लड बैंक, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, निजी अस्पताल, एनएसएस, रोटरी क्लब, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा Stockiest

आवश्यकता– एक गंभार आपदा में सवास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली शायद किसी अन्य तरीके से अधिक इसके प्रभाव की विशेषता है। वहां कई घायल व्यक्तियों के होने की संभावना, चोट के प्रकार, मलबे के नीचे फंस जाने में तत्काल असपताल देखभाल की आवश्यकता है। एक ही समय में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिये आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है।

– सभी राज्य और जिला स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है कि घायलों के लिये आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये जुटें। गंभीर रूप पे घायलों को अस्पताल में निरंतर देखभाल,
–एक स्थान, जहां बीमार और घायलों की देखभाल की जा सके वहां के लिये धायलों की निकासी,
– आम जनता की शिक्षा के माध्यम से महामारी की रोकथाम
– चिकित्सा की आपूर्ति, रक्त और रक्त उत्पादों के वितरण के लिये राज्य स्तरीय समन्वय, एंबुलेंसस सेवाओं का संचालन
– महामारी के दौरान टीकारण कार्यक्रम की शुरूआत।
– स्वासथ्य विभाग के कुछ सुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब भी जरूरत, रोगियों को शिफ्ट करने के लिये है, प्रत्येक वार्ड में आम जनता के प्राथमिक चिकित्सा और डिस्पेंसरी, रक्त, पटटी, कपास, बेंजीन, डेटॉल और जीवन रक्षक दवाओं/ इंजेक्शन की एक आरक्षित स्टॉक बनाए रखना चाहिये, के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्य–

– जिले के लिये नोडल स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति करना
– सुनिश्चित करें कि जिले के भीतर काम कर रहे कार्मिक, जिला नोडल अधिकारी के सीधे नियंत्रण में आते हैं
– आपातकालीन रोगी के लिये कपडे., मोबाइल अस्पताल, उपकरण आदि तैयार रखना,

– रोग के प्रकोप या प्रसार को रोकने, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के लिये भाग लेने, आवश्यक रूप में जहां स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षैत्र में जहां निजी क्षैत्र की दवा की दुकानों से काम बंद हैं में आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का विस्तार, आदि।

6. निकासी (खोज एवं बचाव)–

टीम लीडरः मुख्य अग्निशमन अधिकारी

एजेंसियां– जिला मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सार्व0 निर्माण विभाग, फायर सर्विस, पुलिस अधिकारी सह डॉग हैंडलर, नागरिक सुरक्षा, हॉमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, जिला सैनिक बोर्ड, निकटतम सेना टुकडी.

आवश्यकता–

शहरी क्षैत्रों में इमारतों के ढहने, आग आदि में सेना के बूते बचाव स्थितियों को हल करने तें शामिल हो सकते है। इन स्थितियों में व्यापक मलबे में, जहां स्पष्ट पता नहीं चलता, तो बचाव की विशेष जरूरत है। कुछ बचाव स्थितियों में फंसे लोगों को निकालने में भारी वसतुओं को ले जानें में कटौती की जानी चाहिये, शायद टनलिंग तकनीक की जरूरत हो सकती है। अक्सर जहां एसे हालात हों, वहां अन्य विशिष्ट कौशल जैसे प्राथमिक उपचार के परे ऑन दृश्य चिकित्सा देखभाल के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

तत्काल कार्यः

– घायल लोग हैं, जो क्षतिग्रस्त भवनों और अन्य संरचनाओं के मलबे में फंसे हों का पता लगाएं

– क्षतिग्रस्त भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाएं

– ऑन साईट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये ढही संरचनाओं से मृत को हटाने में सहायता

– खोज और भारी बचाव दल को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिये कि कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मियों की टीम उसके सहायकों के द्वारा पीछा के आदेश में रहता है। इसके अलावा वहां एक सर्जन, एक संरचनात्मक इंजीनियर, एक रसद व्यक्ति, खोजी कुत्ते और मजदूर आदि जैसे विशेषज्ञों के साथ एक जिला समन्वयक टीम हानी चाहिये।

– भारी बचाव समूह, भारी उपकरण समुह, सहायक बचाव समूह आदि तैयार रखने चाहिये।

7. राहत–

टीम लीडर– एडीएम (एफ/आर)

एजेंसियांः जिला आपूर्ति अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, चैंम्बर्स ऑफ कॉमर्स, स्थानीय नागरिक आदि

आवश्यकताः–

इस आपातकालीन स्थिति में अस्थाई आश्रय, आपदा के शिकार लोगों के लिये समन्वित राहत सामग्री के थोक वितरण के प्रावधान शामिल है। जिले में एक गंभीर आपदा आश्रय और भोजन की जरूरत में लोगों की एक बडी. संख्या छोड. देगा, परिवार के सदस्य अलग हो सकते हैं और जीवित बचे लागों के बारे में जानकारी के लिये भारी मांग हो जाएगी। कई लोगों को तत्काल भावनात्मक समर्थन और संकट परामर्श की आवश्यकता होगी, हालांकि इमरजेंसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिये प्राथमिक जिम्मेदारी, जिला प्रशासन और नगर पालिकाओं के साथ टिकी हुई है।

तत्काल कार्य–

– रेलवे स्टेशन, हवाई अडडे, बस स्टेशन पर राहत सामग्री की आवाजाही के लिये अलग–अलग बिंदुओं पर लामबंदी केन्द्र की स्थापना,

– आपदा की घटना के 2–3 घंटे के भीतर राहत सामग्री तैयार रखने के लिये आपूर्तिकर्ताओं को सूचित करें

– राहत सामग्री के परिवहन के लिये व्यवस्था

– राहत शिविरों की स्थापना करने के लिये बिल्डिंग, फर्नीचर, स्थानीय कार्यालय आदि जुटाने में सहायता करें।

– आपदा में शामिल परिवारों का पंजीयन, पीडितों के ठिकाने के विषय में रिश्तेदारों और दोसतों से पूछताछ का जवाब देने, अलग परिवार के सदस्यों का पुनर्मिलन और Evacuees की संख्या पर प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना

–भोजन, गर्म पेय और स्नैक्स से स्वसथ्य की रक्षा के लिये, प्रतिक्रिया कर्मियों की ताकत बनाए रखने के लिये और पीडितों को आश्वस्त करने के प्रावधान।

8. बिजली और जल आपूर्ति–

टीम लीडरः एडीएम (सिटी)

एजेंसियां– डीएम कार्यालय, पुलिस (ट्रेफिक), परिवहन विभाग, पीएचईडी, सार्व0 निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन

प्राथमिक कार्यः

– सभी स्तरों पर और सभी नोडल सहायता एजेंसियों के लिये चिकनी परिवहन लिंक सुनिश्चित करें
– अन्य राज्यों से सहायता के लिये बिजली की आपूर्ति के बुनियादी ढांवे को नुकसान का आकलन
– प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक प्रभावित स्थलों पर बिजली वितरण प्रणाली की बहाली में खोज और बचाव कार्य में मदद करना
– जीवन रक्षक इमारतों में बिजली उपलब्ध कराना
– स्वच्छ पेयजल की खरीद
– सीवर पाईप, पेयजल से अलग रखा जाए।

9. कानून एवं व्यवस्था–

टीम लीडरः एडीएम (सिटी)

एजेंसियां– एसडीएम अपर, एसपी, होमगार्ड, अर्धसैनिक एजेंसियां

कानून और व्यवस्था की दिनचर्या में पुलिस की गतिविधियों की एक व्यापक रेंज है। यदि आवश्यक हो तो कानून और व्यवस्था की बहाली केलिये वहां सामान्य रूप से पालन करने वाला Law होना चाहिये। प्रतिक्रिया समारोह कानून और व्यवस्था की गतिविधियों के रखरखाव के अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में हो।

संभावना मौजूद है कि एक भूकम्प, जेल या सुधार केन्द्रों पर भौतिक सुरक्षा का उल्लंघन का कारण है और एक आंतरिक दंगा या भागने की संभावना को जन्म दे सकती है।

तत्काल कार्यः

– जान बचाने और चोट या संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिये किसी भी आवश्यक कार्सवाई के लिये बाहरी मदद लेना
– मार्ग नुकसान का आकलन करने, योग्य आपातकालीन मार्गों की पहचान की अनुमति ली जाए
– आकलन और क्षमताओं के भीतर अन्य नुकसान की रिपोर्ट
– लोगों की मृत्यु के कारणों की जांच में सहायता, शरीर मचान क्षैत्रों की सुरक्षा, शव की पहचान
– आपातकालीन सूचनाओं के प्रसार में सहायता
– समन्वय केंद्रों की मैपिंग और उन्हें तत्काल रेडियो संचार का प्रावधान हो।

विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय–

एक आपदा के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समर्थित आपात सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कई एजेंसियां शामिल हो सकती है। आपातकालीन सेवाओं में तत्परता बनाए रखने के लिये इतना है कि वे एक तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करते है। और जितनी जल्ओी हो सके स्थानीय अधिकारियों और अन्य सेवाओं को सचेत कर सकते हैं। सभी संगठनों को एक आपदा के लिये जल्दी से जवाब की जरुरत की व्यवस्था जो अल्प सूचना पर सक्रिय किया जा सके, की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को स्पष्ट रुप से स्थापित और प्रस्थापित किया जाना चाहिये।

हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल सेवाओं की तरह अलग–2 आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। इस तरह के स्थानीय निकायों, रेलवे, एयर लाईनों आदि के रुप में कुछ अन्य जनोपयोगी सेवाओं को प्रभावी ढंग से स्थिति से निटने के लिये ज्यादातर मामलों में शामिल किया जाना हैं। बचाव और वसूली का काम प्रभावी होने के लिये है, तो इन सभी विभिन्न एजेंसियों को एक समन्वित तरीके से एक साथ काम करना है। ये सभी एजेंसियां इसलिये और काम करने का सिस्टम जिम्मेदारी का एक दूसरे के क्षैत्रों के बारे में पता होना चाहिये। व्यापक चर्चा और योजना बना मंच है और प्रत्येक एजेंसी के निम्नतम पदाधिकारी को कमान की श्रंखला नीचे फैसले के संचार में इन एजेंसियों के बीच समझोते और उनके प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है, इसलिये इतना है कि वे जो कि अन्य के लिये जिम्मेदार हैं के रुप में जानते अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पता कर रहे हैं और एसी स्थिति में मल्टी सर्विस भागीदारी के लिये जरुरत की सराहना कर सकते हैं।

11.3 ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर सम्नवय तंत्र–

जिला स्तर से आपदा के समय निर्देश ई.ओ.सी. के माध्यम से उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी को दिये जाएंगे, उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार तथा विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा, तहसीलदार पटवार हल्का स्तर पर पटवारी को तथा ब्लॉक विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से गांवों में आपदा से बचाव व निर्देश प्रसारित करवाऐंगें।

11.4 राज्य स्तर से समन्वय एवं संपर्क–

जिला आपदा प्रबंधंक प्रारम्भिक सूचना एक्शन टेकन रिपोर्ट, मुख्य सचिव, सहायक आयुक्त, ईमरजैंसी ऑपरेशन सैंटर तथा संभागीय आयुक्त को भेजेगा तथा राज्य स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगें उन्हें कन्ट्रोल रुम के माध्यम से अधीनस्थों को प्रेषित करेगा।

11.5 ब्लॉकों तथा ग्रमों का आपस में सम्नवयः–

ब्लॉक विकास अधिकारी आदेश निकालकर ग्राम विकास अधिकारियों तथा सरपंचों को आपदा के समय गांवों का आपसी संपर्क तथा ग्राम पंचायतों का आपस में समन्वय संपर्क बनाने हेतु निर्देशित करेगा एवं आपस में आवश्यक संसाधनों के विनिमय हेतु निर्देशित करेगा। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्लॉकों को आपस में सामंजस्य बनाने हेतु ऊपर वर्णित अनुसार आदेश जारी करेगा।

11.6 अन्य जिलों के साथ सम्नवयः–

संभागीय आयुक्त संभाग के जिला कलक्टरों को आपदा के समय जिलों को आपसी संपर्क तथा समन्वय संपर्क बनाने हेतु निर्देशित करेगा एवं आपस में आवश्यक संसाधनों के विनिमय हेतु निर्देशित करेगा।

11.7 सामुदायिक टास्क फोर्स (सिविल डिफेंस, रेड क्रॉसश एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी आदि) के लिये एसओपी–

Task Force Group	Primary	Secondary
Search and Rescue	**To trace and locate people who are physically traooed and distressed, people in the buldings and houses etc.** **To move out these people to the safe locations indentified in advance and to organize futher care.**	**Administering primary health care to rescued victims.** **Assisting the sanitation group in carcass disposal and the cremation of dead bodies.** **cordinatiion with the evacuation teamto shift rescued persons to safe shelters in case of recurring heavy rains.**
First Aid and Health	**To provide primary health care to the ill or injured until more advanced care is provided and the patient is transported to a hospital.**	**Assisting the sanitation team to inoculate against water borne and other diseases.** **Assisting the communication team to disseminate precautionary information on post-disaster health hazards and remedies.**
Water	**Restoring and maintaining the water supply and minimum quality and quantity parameters.**	**Assisting the sanitation team in ensure that there is enough water stored in buckets at latrines and for bathing.**

		Assisting the sanitation team in deciding the location for the construction of latrines away from ground water sources. **Assisting the shelter group to ensure that there is sufficient water stored in the water tank in the safe shelter.**
Sanitation	**To ensure that the minimum basic facilities such as temporary toilets and common bathing units are constructed near the relief camp, that these facilities and the surroundings are kept clean, garbage disposed, dead bodies cramated and that normal drainge systems function smoothly.**	**Assisting the shelter team to ensure that water spouts and water harvesting tanks at the safe shelter are clean and functional.** **Assisting the relief group to ensure that containers for storing water are clean, narrow necked and covered.**
Relief Coordination	**To establishing contact with the District Control Room and organizing the distribution of assistance in teams of food, water, medicines and so on, in a fair and equitable manner.**	**Co-oridnating with the shelter group in the distribution of material for the construction of temporary shelters.** **Assisting the shelter group to ensure that the safe shelter is well stocked in terms of dry food, water and so on in order to cater for the needs of evacuees after a cyclone or flood warning has been issued.**
Warning and communication	**To ensure that: (a) the warning of the impending disaster reaches every single household, thereby allowing people to take timely action to protect their lives and property (b) accurate information is provided regularly as events unfold (c) information flows quickly and reliably upwards to District level to Community/Neighbourhood/Villege level.**	**Assisting the relief group in disseminating information about the quantity and type of ration to be distributed for each distribution cycle.** **Assisting the sanitation group in raising awareness about water borne diseases and vaccination programs.**
Evacuation and Shelter Management	**To construct/ identify maintain and make repairs to the flood shelter, to evacuate people on receipt of a warning and to make all the neccessary arrangements to accommodate evacuees during a flood.**	**Assisting the Communities in accessing compensation.** **Assisting the relief group in stocking up dry food, medicines, water and temporary shelter materials.** **Assisting the sanitation group in the construction of latrines, soak pits and drainage channels.**

अध्याय– 12

SOP– मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं तथा चेक लिस्ट SOP द्वारा संक्षिप्त वर्णन

12.1.1 जिला प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका

जिलाधिकारी के निद्रेशन पर्यवेक्षण और आपदाओं के लिए और जिला स्तर की योजना की तैयारी के लिए राहत उपायों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर सभी विभागोंके पदाधिकारियों से अधिक समन्वय और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयाकग करेगें। आपदा शमन या राहत के लिए वास्तविक संचालन के दौरान सभी कलेक्टरों की शक्तियों/डीसीएस काफी बढा रहे है,आम तौर पर इस विषय पर निर्देश या आदेश खडें हो कर, या दवचारा विशिष्ट सरकारो का आदेश है ,यदि ऐसा है तो जरूरी है। कभी कभी संब

धित राज्य परमिट के प्रशासनिक संस्कृति, हालाकि अनौपचारिक रूप में कलेक्टर उच्च शक्ति आपात सिथितियों में प्रयोग करने के लिए निर्णय लेने में सक्षम होगें। जिला मजिस्ट्रेट जिले, अर्थात सेना,वायु सेना और जल संसाधन आदि के बचाव में जिला प्रशासन और राहत कार्यो के प्रयास के पूरक के मंत्रालय में राज्य, केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथनिकट सर्म्पक बनाए रखना होगा। जिला मजिस्ट्रेटभी गैर सरकारी ऐसी स्थितियों में काम करने में सक्षम संगठनों को जुटाकर सभी स्वेच्छिक प्रयासों में समन्वय करेगा।

आपदा के समय में कर्तव्य

–दर्शनीय स्थलो पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अतिक्रमण की रोकथाम, लूटमार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि बचाव वाहनों की मुक्त आवाजाही हो सके।

–लोगो की निकासी

–शवों और दनके निपटान की व्यवस्था

–घायलो के लिए चिकित्सा व्यवस्था

– भोजन एवं पानी की लाइनों की आपूर्ति

–टेंट,धातु शेड की तरह अस्थायी आश्रय

–संचार और सूचना तंत्र की अहाली

–परिवहन मार्गो को बहाल करना

–नुकसान और क्षतिग्रस्त क्षेत्रो का आकलन करना

–महिला प्रतिनिधियों की योजना, निर्णय लेने कार्यान्वयन और मूल्याकंन

12.1.2 पुलिस के लिए कार्य योजना

–आपातकालीन सेवाओं के साथ संयोजन के रूप में जीवन की बचत

– आपातकालीन सेवाओं और अन्य संगठनों की समन्वय

–यातायात और भीड पर नियत्रण

कोलेशन औरन करणीय जानकारी के प्रसार

–पीडितों की पहचान

जल्द से जल्द सामान्य स्थिति की बहाली

प्रवेश और भीड नियंत्रण

जब भी किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो पुलिस प्रशासन को उस क्षेत्र को अपने घेरे में लेकर उस क्षेत्र में भीड पर नियंत्रण करेगी और वहा पर पुलिसकर्मियों दवारा तत्काल यातायात व्यवस्था को सुधारेगी ताकि आपातकालीन सेवाओं के वाहनो को साइट तक पहुचने के लिए कोई बाधा का सामना न करना पडे। जिससे फायर बिग्रेड, एबूलेस और अन्य आपदा से संबधित वाहन भी उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपदा से प्रभावित लोगो को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था करेगी।

खोज, बचाव और निकासी

आपदा के दौरान पुलिसकर्मी उस प्रभावित स्थान पर पहले पहुंच कर आपातकालीन सेवा कर्मियों के आने तक साइट से हताहतों की संख्या को कम करना चाहिए। अन्य सेवाओं और बचाव तथा निकासी के संचालन में स्थानीय प्राधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगें।

दृश्य नियंत्रण और कानूनी कर्रवाई–

यह महत्वपूर्ण है कि किसी बडी. घटना के आसपास के क्षैत्र को दृश्य के लिये संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि पीडि.तों की सुरक्षा और संरक्षण हो सके। आपदा के दौरान चौरी, लूटपाट आदि के कारण प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण होना चाहिये।

यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पुलिस अधिकारियों की बडी. संख्या को इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिये जिला या हादसा कमांडर के नियंत्रण में सुदृढीकरण के लिये जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वीआईपी दर्शक–

आपदा के समय वीआईपी के द्वारा दर्शन से जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रभावित लोगों का मनोबल बढा सकती है। यह देखा गया है कि मंत्रियों, संसद और राज्य विधानसभाओं, स्थानीय पार्षदों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं आदि के लिये आपदा के दृश्य का दौरा करने और सार्वजनिक चिंता जाहिर करने से घायलों का मनोबल बढता है। कभी कभी आपदा साइट के लिये अपनी यात्रा पर प्रतिकूल बचाव कार्य प्रभावित होने की संभावना रहती है, खासकर अगर हताहत अभी भी फंसे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके दर्शन, बचाव और जीवन को बचाने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। आपदा प्रतिक्रिया के समन्वयक के रुप में, उन्हें जमीनी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।हालांकि इस मामले में यात्रा से बचना असंभव हो जाता है, अतः इसे दर्शन के समय ठीक करना चाहिये। उनकी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त जरुरत भी समस्या का एक कारण होगा।

स्वागत केन्द्र–

आपदाओं के हाल के अनुभव से पता चला है, अगर उनका मानना हे कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रभावित किया गया हो सकता है, यह संभव है कई लोग एसी यात्रा टर्मिनल के रुप में दृश्य के लिये या बैठक के अंक के लिये करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिये आवश्यक एक स्वागत केन्द्र स्थानीय प्राधिकारी और वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य संगठनों का संबंध है और पुलिस, स्थानीय प्राधिकारी और तैयार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्टॉफ के साथ परामर्श पुलिस द्वारा स्थापित किया जाना चाहिये। एक आपदा में प्रभावित लोगों की पूरी संभव जानकारी enquirers को दी जानी चाहये।सामान्य पूछताछ के लिये यह सबसे अच्छा विशिष्ट स्रोत है।दोस्तों और रिश्तेदारों को गहन चिंता, सदमे या दुःख महसूस हो सकता है, अतः सहानुभूति और समझ के साथ इलाज किया जाना चाहिये। स्वागत केन्द्र को देखकर बिन बुलाए मीडिया प्रतिनिधियों या दर्शकों द्वारा परेशन किया जा रहा हो तो उन लोगों को अंदर आने से रोकना चाहिये।

12.2.2.2 चेतावनी प्रसार की प्राप्ति पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

आपदा की चेतावनी मिलते ही जिला आपदा प्रबंधंक सभी विभागों को आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाही को सुनिश्चित करने को आदेशित करेगा। अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा।

12.2.2.3 आपात काल के दौरान वित्त एवं तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था –

इस परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधक सहायता कोष में उपलब्ध बजट, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान तथा नगर निकाय के प्रमुखों से संपर्क कर उनकी मद में उपलब्ध बजट से आपातकालीन स्थिति वाला बजट तुरन्त जारी करवाकर व ओर अधिक आवश्यकता के लिए नियमानुसार ओर बजट की व्यवस्था करवाएगा। जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, सार्व. निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों से समन्वय स्थापित कर उनसे तकनीकी संसाधन लेगा।

12.1.3 फायर सर्विस के लिये कार्य योजना–

– फायर सर्विस के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

– साइट पर , संवेदनशील क्षैत्रों के बारे में जानकारी इकटठा करने के लिये स्थानीय स्वंयसेवकों और स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जाएगा ताकि खोज और बचाव अभियान में भारी घने क्षैत्रों, बडे. भवनों, सामुदायिक केन्द्र, होटल, अस्पताल, सार्वजनिक इमारतों में एक उचित माध्यम से जगह ले सकें और किसी भी अन्य क्षैत्र की बडी. भीड. को नियन्त्रित किया जा सके।

– घायल लोगों को अत्यंत सावधानी से क्षतिग्रसत भवनों से बाहर रखा जाना चाहिये।

–महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि वे अधिक प्रभावित है और किसी भी आपात स्थिति में असहाय होने की संभवना रहती है।

12.1.4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

–नोडल अधिकारी ईओसी तक पहुंचने और त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

–समर्थन ओर कानून व्यवस्था के लिये हादसा कमान प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित कर खोज और बचाव व औसत दर्जे प्रतिक्रिया और ट्रामा काउंसलिंग

– क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो चुकी संरचनाओं का पता लगाएं और प्रभावित लोगों को बचाएं।

– महिलाओं और बच्चों के समूहों के लिये विशेश देखभाल करना

– मेडिकल टीम के साथ प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में मदद करना

12.1.5 नगर परिषद के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी अरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।

– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।

– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।

– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

– आपदा पीडि.तों के लिये अस्थाई पारगमन और राहत शिविरों और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग के लिये काम करेंगे। असपताल में पीडि.तों के लिये खान–पान केन्द्रों की स्थापना

– प्रत्यक्ष और उपकरण सहायता, राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता और स्वास्थ्य सहयता प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर सम्पर्क करेगा।

12.1.6 सार्व0 निर्माण विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।

– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।

– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– भारी अरसीसी मलबे लाने और मलबे के नीचे Dummies रखा जाएगा। इस खोज और बचाव अभियान के प्रदर्शन की सुविधा होगी।

– मलबे और सड.क मंजूरी के लिए उपकरण समर्थन में मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे।

– जेसीबी, ठोस जरुरत के अनुसार आवश्यक कटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

– सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से कर्मियों को तुरंत प्रभावित साइट के लिये रवाना हाने तथा मलबे निकासी ऑपरेशन शुरु करने हेतु मुलाकात करेंगे।

– सभी समर्थक ऐजेंसियां आपदा साइट और आसपास सड.क/रेल नेटवर्क और संरचनाओं का निरीक्षण करेंगे।

– पीडब्ल्यूडी भी उचित लाश निपटान सुनिश्चित करने और चिकित्सा प्रतिक्रिया पर ESF के साथ समन्वय करेगा।

– अस्थाई सड.कों का निर्माण करेगा।

– सभी पक्का और unpaved सड.क, धार metaling सहित पट्टी और सतह की मरम्मत का कार्य।

जल बोर्ड के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– पीडब्ल्यूडी के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– पानी की लाईन की क्षति और प्रदूषण का त्वरित आकलन।
– पानी के अैंकरों की आपूर्ति
– प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती, मरम्मत और पानी की आपूर्ति लाइनों को बहाल करना

12.1.7 जल निकासी के लिये कार्य योजना एवं बाढ. नियंत्राण विभाग–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी एवं बाढ. नियंत्रण विभाग त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– QRTs पानी की आपूर्ति के लिये दल के नेता के साथ समन्वय स्थापित करेगा
– QRTs बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिये समन्वय स्थापित करेगा
– QRTs ईओसी के लिये स्थिति और कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट देगा

12.1.8 खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे।
– त्वरित प्रतिक्रिया दल ऑनसाइट EOCs पर तैनात किया जाएगा।
– सूचना के अनुसार, पर्याप्त अधिकारियों को साइट के लिये भेजा जा सकता है।

की जाने वाली कार्रवाईः

– राहत सामग्री की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ESFs के साथ समन्वय
– प्रभावित लोगों के लिये मुफ्त रसोइ की सतत व्यवस्था
– साइट राहत शिविरों में रिपोर्ट करना
– प्रभावितों को खाद्य सामग्री के वितरण का प्रबंध करना
– कार्रवाई की प्रगति की रिपोर्ट ईओसी पर देना

12.1.9 परिवहन विभाग के लिये कार्य योजना–

– निकासी में मदद करना
– को झोंपडियां प्रदान करने में नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे
–प्रभावित क्षैत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये एजेंसियों से अनुरोध ओर समर्थन

12.1.10 दूरसंचार विभाग–

– बीएसएनएल संचार सुविधाओं की बहाली के लिये मुख्य रुप से जिम्मेदार है।
– बीएसएनएल, जानकारी के निर्बाध प्रवाह के लिये प्रतिक्रिया के प्रयासों में राज्य सतर पर संवेदनशील ढंग से आउटरीच को पुरा करेगा
– दल का नेता आपातकालीन मरम्मत टीमों के लिये आवश्यक उपकरण, टेंट और भोजन के साथ सुसज्जित प्रेषण हेतु जाएगा
– अन्य सहायता एजेंसियों अथ्रत निजी टेलिफोन ऑपरेटरों को सिति से संवाद करेगा
– निजी दूरसंचार कंपनियों के लिये कार्रवाई की एक योजना पर काम करेंगे और बैठक बुलाने पर चर्चा करने के तौर–तरीकों को अंतिम रुप देना
– सार्वजनिक ओर इस बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से घोषणा हेतु टेलिफोन की सुविधा स्थापित करना
– की गई कार्रवाई से जिले के साथ–साथ राज्य के अधिकारियों को सूचित करना

12.1.11 हैम रेडियो ऑपरेटरों के लिये कार्य योजना–

– हैम क्लबों को सूचित करें, अन्य भागों से व्यक्तियों, जिला, राज्य

– जितनी जल्दी हो सके एक हैम संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये अपने सदस्यों को सक्रिय करें

– महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साझा करने के लिये समन्वय तंत्र

– मुख्य संचार संपर्कों तथा वैकल्पिक संचार नेटवर्क के सेट के रुप में बहाल करना

12.1.12 स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कार्य योजना–

रिस्पांस एक्टिवेशनः

– नोडल अधिकारी समर्थन ऐजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगें

– ESF के साथ समन्वय में, यह विकित्सा पेशेवरों और सहायकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करेगा

– मदद तर्ज पर ESF की मदद से अस्पतालों में अस्थाई सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करेगा

की जाने वाली कार्रवाईः

– आवश्यक दवाइयां, टीके, मलहम, दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक

– रोगी की देखभाल के लिये प्रणालीगत दृष्टिकोण प्रदान करें।

– सभी रोगियों का इलाज कर दनका रिकार्ड रखने के लिए ट्रेकिंग प्रणाली को अपनाए।

– मोबाइल अस्पताल की तैनाती की जाये

– QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे

– QRTs प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.13 रेड क्रॉस सोसायटी के लिए कार्य योजना

रिस्पांस एक्टिवेशन

–नोडल अधिकारी QRTs को सक्रिय करेगें

–चिकिम्सा पेशेवरों औार सहायकों की पर्याप्त संख्या मं उपलग्ध कराने के लिए पर्याप्त दवाएं और आवश्यक सामग्री के साथ साइटों तक पहुचने के लिए मदद करना

–मदद तर्ज पर ESF की मदद में अस्पतालों में अस्थायी सूचना केन्द्रों की स्थापना और प्रसार चेतावनी सुनिश्चित करें।

की जाने वाली कार्यवाही

–एम्बूलैंस सेवा प्रदान करना

–स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था

–गम्भीर रूप से घायल पीडितों के प्रबन्धन के लिए तैयार सभी अस्पतालों में मदद करने के लिए

–आवश्यक दवाइया,टीके,मलहम,दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए

–मोबाइल अस्पतालों की तैनाती के रूप में आवश्यक

– QRTs स्थिति और कार्यवाही पर प्रगति संबधित ईओसी एस को टीम दवारा रिपोर्ट करेगे

– QRTs प्रभावित पीडितों की जरूरतों की समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

12.1.14 चुने हुए गैर सरकारी संगठनों/आरडब्लयूए और एनवाईकेएस के लिए कार्य योजना

प्राकृतिक आपदाओं के प्रबधन में उभरते रूझान आपदा प्रबधन एजेंसियों और प्रभावित समंदाय के बीच एक कुशल संचार लिंक प्राप्त करने का सबसे प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में एक गैर सरकारी संगठनों की भूंमिका पर प्रकाश डाला है ठेठ आपदा की स्थिति में, वे निगरानी और प्रतिक्रिया में तैयारियो राहत और बचाप पुनर्वास और पुनमिार्ण में मदद की हो सकती है और यह भी।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा प्रबधंन में एक संभावित प्रमुख तत्व है। क रूप में वे समुदाय की भागीदारी को लागू करने के लिए सरकारी एंजेसियों पर एक बढत हासिल गेर सरकारी संगठनों जमीनी स्तर पर काम कर रही एक उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकते है। क्योकि एनजीओ सेक्टर समुदाय के आधार के साथ मजबूत संबधों की हैऔर प्रक्रियात्मक मामलों तुलना –ए– पिज सरकार में काफी लचीलापन प्रर्दशन कर सकते है

गैर सरकारी संगठनों कह गतिविधियों का आयोजन/आरडब्लयूए/एनवाईकेएस/आपदा प्रबधन के विभिन्न चरणों में

Stage	Activity
Pre-Disaster	Awareness and information,Training of local volunteers,Avocacacy and planning
During diaster	immediate rescue and first aid, including psychological and supply of food,water,medicines and other immediate need materials ensuring danitation and hygiene demage assessment
Post Disaster	Technical and material aid in reconstruction assistance in seeking financial aid monitaring

12.1.15 सूचना एवं प्रसार की योजना :–

आपदा की चेतावनी मिलते ही जिला आपदा प्रबंधंक सभी विभागों को आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाही को सुनिश्चित करने को आदेशित करेगा। अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा। जिले में सूचनओं के लिए एनआईसी तथा सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से त्वरित सूचनओं के संवंहन के लिए सुनिश्चिता लाने के लिए आदेशित करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवा प्रदायगी एजेंसी भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से उनके दूरसंचार तंत्र को हर वक्त चालू रखने के लिए उनको पाबंद करेगा। जिले में दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसीयों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों से सामंजस्य बैठाकर उनसे भी सूचना एवं प्रसार की सुदृढ़ता बनाये रखने के लिए आदेशित करेगा।

12.1.15 आपतकाल के दौरान मिडिया प्रबन्धः–

जिला आपदा प्रबन्धक आपातकालीन स्थिति के पैदा होते ही अफवाहों से बचने की अपील करेगा तथा सोशल मिडिया व मिडिया के माध्यम से निर्देश प्रसारित करवाएगा। इस दौरान प्रिन्ट मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया से अपील करेगा कि वे विरोधाभास तथा अराजकता वाली खबरों को आम जनता में ना आने दें तथा जैसे दो देशों का युद्ध चल रहा है तो मिडिया से अपील करेगा कि ऐसी खबर प्रसारित न करें जिससे दुश्मन देश को अपने देश की कार्ययोजना पता चल सके तथा ना ही ऐसी कोई टेलीकास्टिंग करे जिससे कि उनको अपनी हर गतिविधि का पता चलता रहे। दंगो या भगदड़ के दौरान ऐसी कोई सूचना प्रसारित न करें जिससे कि हालात ओर बदतर हो जाएं व आमजन में भय पैदा हो जाए। इसकी मॉनटिरिंग के लिए एक सैल का गठन किया जाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को तुरन्त रोका जा सके।

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग :

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना वर्ष–2019

श्रीगंगानगर में प्रायः माह जून के मघ्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाडियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका,ओलावृष्टि,अतिवृष्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

श्रीगंगानगर जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	19
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	54
उप स्वा. केन्द्र	416

चिकित्सा विभाग की आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना निम्नानुसार है :

चिकित्सा व्यवस्था हेतु अधीनस्थ क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं में 24 घण्टे निम्नलिखित व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगीं :

चिकित्सा संस्थान में 24 घंटे आपातकालीन रूम खुला रखा जायेगा एवं राउंड द क्लॉक स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित होगी, चिकित्सा संस्थान के कन्ट्रोल रूम में आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध रहेगी, विभाग के पास एम्बुलैंस मय वाहन उपलब्ध रहेंगे, जिला अस्पताल में आपातकालिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु 10 बैड एंव सामु./प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 5 अतिरिक्त बैड की व्यवस्था रखी गई है।

CMHO OFFICE, Sriganganagar :

S.No.	Name	Name of Post	Office	Mobile Number
	Dr. Kesar singh Kamra	PMO	0154-2465509	9460617300
1	Dr. Ajay Singla	RCHO आपदा प्रबन्धक नोडल अधिकारी	0154-2440771	9414873243
2	Dr. Naresh Bansal	CMHO	0154-2440771	914087486
3	Dr. Mukesh Mehta	Add. CMHO (FW)	0154-2440242	9829076220
4	Dr. Karan Arya	Dy. CMHO	0154-2440541	8058056665
5	Dr. Ajay Singla	DPC (RHSDP)	0154-2440338	9414596102
6	Dr. Sonia Chugh	Incharge NCD	0154-2445071	9414088643
7	Dr. Karan Arya	MO (Dist. Lep. Cont. Unit)		8058056665
8	Dr. Gunjan Khunghar	SMO (Dist. T.B. Control Unit)	0154-2442482	9414433775

BLOCK CHIEF MEDICAL OFFICER				
S.No.	Name	Name of Post	Office	Mobile Number
1	Dr. Mukesh Mehta	BCMO Ganganagar	0154-2440200	9829076220
2	Dr. Manoj Agarwal	BCMO Suratgarh	01509-220075	9414432656
3	Dr. Neeraj Arora	BCMO Karanpur	01501-228077	9983320272
4	Dr. Mohan Lal Solanki	BCMO Raisinghnagar	01507-223025	9414482203
5	Dr. Surender pal Swami	BCMO Anoopgarh	01498-254971	9530140000
6	Dr. Mahesh Gupta	BCMO SadulSahar	01503-224261	9414513909
7	Dr. Ajay singla	BCMO Padampur	01505-234050	9414873243
8	Dr. Surender pal Swami	BCMO Gharsana	01498-254971	9530140000

Block Sriganganagar					
1	Dr. Mukesh Mehta	BCMO Ganganagar	9829076220	0154	2440200
2	Dr. Karan Arya	CHC Chunnawadh	8058056665	0154	2763669
3	Dr. Mukesh Mehta	CHC Shivpur	9829076220	0154	2793832
4	Dr. Tara chand	PHC Koni	8107076609	0154	2856319
5	Dr. Vinod Kumar	PHC Khyaliwala	9636412070	0154	2494222

6	Dr. Atul Bansal	PHC 17 Z	9799760112	0154	2869220
7	Dr.Dinesh bishnoi	PHC Mirzewala	7976591676	0154	2821698
8	Dr. Atisha lila	PHC Hindumalkot	9460864799	0154	2778380
9	Dr. Shyam sunder soni	PHC Mahiyawali	9414878117		
10	Dr. Makul Yadav	PHC Dulapur Keri	7014193729		
11	Dr.Prasant Rosewat	PHC 5 LL	9988448871		
12	Dr.Ajay Kumar chuodhary	PHC 18 GG	9521655060		
Block Sadulsahar					
1	Dr.Mahesh Gupta	BCMO Sadulsahar	9414513909	01503	224261
2	Dr.Mahesh Gupta	CHC Sadulsahar	9414513909	01503	222261
3	Dr. Pirya (ayush)	PHC Chak Maharajka	8946825575	0154	2832392
4	Dr. Kushmender sharma	PHC Dungarsinghpura	9414992229	0154	2458651
5	Dr. Dipak Mini	PHC Hakmabad	8587876021	01503	257667
6	Dr. Naresh Kadavasara	PHC Panniwali	8764023286	0154	2110640
7	Dr. Gurav Sharma	PHC Lalgarh	8949576314	01503	287008
8	Dr. Bharat lal Berwa	PHCLaduwala	9929171479	0154	2695172
9	Dr. Rupender koar	PHC Morjanda	7021203887	01503	237200
10	Dr. Naveen Saini	PHC jogiwala	8003451346		
11	dr. Somya garg	PHC Banwali	9509872030		
12	Dr. Gurvinder singh	PHC Mammed	7877113366		
Block Karanpur					
1	Dr. Neeraj Arora	BCMO Karanpur	9983320272	01501	228077
2	Dr. Neeraj Arora	CHC Karanpur	9983320272	01501	222763
	Dr. Ajayab singh Brar	CHC Kesrisinghpur	9414515840		
3	Dr. sukhmander singh	PHC Gulabewala	8058418243	01501	232140
4	Dr. Khusbu	PHC Dhanur	8562870193	01501	286127
5	Dr. Rupend singh	PHC Kharla	8619527297	01501	250325
6	Dr. Ramesh kumar	PHC Arayan	8387848544	01501	211552
7	Dr. Sushil kumar	PHC 61 F	9803103744		

	bana				
Block Padampur					
1	Dr. Ajay single	BCMO Padampur	9414873243	1505	234050
2	Dr. K.L. Madanpotra	CHC Gajsinghpur	9414506257	01505	231016
3	Dr. Sudhir Arora	CHC Padampur	9414948540	01505	234000
4	Dr.Deepka	CHC Ridmalsar	9799053736	01505	241011
5	Dr. Amit kumar	PHC Ghamoorwali	8104485033	01505	271303
6	Dr. Rakesh	PHC Rajpura	7073256898		
7	Dr. Kamlesh	PHC Rattewala	9922759579	01505	281143
8	Dr. Mansol Dhingra	PHC Manjhuwas	9982759579	01505	276032
9	Dr.Mukesh khichar	PHC fakirwali	7889055640	01505	284813
10		PHC Channa	9468757770		
11	Dr. Ajay sidhi	PHC Jaloki	9588279959		
Block Anoopgarh					
1	Dr. Surender pal Swami	BCMO Anoopgarh	9530140000	01498	254971
2	Dr. Mohan lal Gupta	CHC Anoopgarh	9461262725	01498	252122
3	Dr. B.M. Sharma	CHC Vijaynagar	9414503654	01498	231606
4	Dr. Denesh kumar	PHC Sukhchainpura	9891743229	01498	271200
5		PHC Jaitser		01498	264099
6	Dr. Navatan Gahlot	PHC Kamrania	8058790854	01498	274120
7	Dr. Surya Yadav	PHC Ramsinghpur	7726061703	01498	283838
8		PHC Gomawali			
9	Dr. Manisha kumari	PHC Banda	7374876869		
10	Dr.Chankit sharma	12GB			
Block Gharshana					
1	Dr. Surender pal Swami	BCMO Anoopgarh	9530140000	01506	250122
2	Dr. Dharmesh Bhartia	CHC Gharshana		01506	250110
3	Dr. Nikhil Ahuja	PHC Naharwali	7877151422	01498	288629
4	Dr. Saneep	PHC Rojri	8562830922	01506	236053

	kumar				
5	Dr. Gursevak maan	PHC Rawla	9098799762	01506	264077
6	Dr. PremaRam Punia	PHC 365 RD	9413130222	01506	289008
7	Dr. Anil kumar	PHC Patroda	8094940747	01498	283838
Block Raisinghnagar					
1	Dr.Mohan lal Solanki	BCMO Raisinghnagar	9414482203	01507	221344
2	Dr. Tej Kumar Sharma	CHC Raisinghnagar	9667057999	01507	223205
3	Dr. Pankaj kumar	PHC Uddsar	8005909989	01507	282242
4	Dr. Rohit sharma	PHC Dabala	9001848002	01507	281072
5	Dr. Krishan dhan	PHC LakhaHakam	7877848966	01507	244211
6	DR. Eitender	PHC Ganguwala	8112280283	01507	243122
7	Dr. Arun prasar	PHC Bajuwala	8104550787	01507	202700
8	Dr. Pankaj kumar	PHC Uddsar	8005909989		
Block Suratgarh					
1	Dr. Manoj Agarwal	BCMO Suratgarh	9414432656	01509	223889
2	Dr. Darshan singh Rajpal	CHC Suratgarh	9414876776	01509	220075
3		PHC Thukrana		01509	211533
4	Dr. Sahil	PHC Sardargarh	7014456713	01509	279367
5	Dr. Atul Chhabra	PHC Dhaba	9309360709	01509	238033
6	Dr. Mukesh kumar	PHC Somasar	7976758273	01509	272425
7	Dr. Ravi Rolan	PHC Bakhitersinghpura	8114481014	01509	211542
8	Dr. Ajay	PHC Beermana	9759200075	01509	273020
9	Dr. Pankaj KUmar	CHC Neerwana	8233927775		
76	Hansraj Bhati	BPM Suratgarh	9636044776	01509	223889
77	Hament Sharma	BPM Ganganagar	9783366527	0154	2440200
78	Piter San	BPM Anoopgarh	9414636321	01498	254971
79	Satish Narula	BPM Sadulsahar	9414630801	01503	224261
80	Vipul Goyal	DPM Sriganganagar	9414501746	0154	2445071
81	Dinesh	BPM Padampur	7597740578	01505	224292
82	Manish Kumar	BPM Raisinghnagar	9414950567	01507	221344
83	Harbans Kumar	Pharmasict CHC Gharshana	9460327410	01506	250110
84	Amar Chand	Pharmasict CHC Anoopgarh	9983501998	01498	252122

85	Dinesh kumar	Pharmasict CHC Vijaynagar	9460165822	01498	231606
86	Mahesh Kumar	Pharmasict CHC Raisinghnagar	9982512027	01507	223205
87		Pharmasict CHC Karanpur			
88		Pharmasict CHC Kesrisinghpur			
89		Pharmasict CHC Chunnawadh			
90	Rachana Sharma	Pharmasict CHC Suratgarh	9928450618	01509	220075
91		Pharmasict CHC Sadulsahar			
92		Pharmasict CHC Gajsinghpur			
93	Vikram Funda	Pharmasict CHC Padampur	9660091567	01505	234000

डाक्टर/ नर्सिंग होम

1	डा0 प्रवीण गुप्ता	आदर्श नर्सिंग होम	9414089086	2475086	2472866
2	डा0 एम0एल0अग्रवाल	प्रकाश नर्सिंग होम		2420767	2424767
3	डा0 नरेश गुप्ता	गुप्ता नर्सिंग होम		2460931	2461931
4	डा0 सिहाग	सिहाग हास्पीटल		2460460 2460560	2434567
5	डा0 बहल	बहल हास्पीटल		2463280	2464780
6	डा0 दर्शन आहुजा	जुबिन हास्पीटल	9414089070	2476070	2476070
7	डा0 कुलविन्द्र मलिक	पाल हास्पीटल		2420684	2422059
8	डा0 अशोक गर्ग	अशोक गर्ग हास्पीटल		2425303	2421303
9	डा0 बी0एन0कौशिक	कौशिक नर्सिंग होम		2481663	2420933
10	डा0 प्रतिपाल चुघ	चुघ हास्पीटल		2421853	2421852
11	डा0 जी0 एस0 नरूला	नरूला नर्सिंग होम		2441903	2440829
12	डा0 प्रहलादराय गुप्ता	चण्डीगढ़ नर्सिंग होम	9414281945	2420425	2421945
13	डा0 बवेजा	गोविन्दम हास्पीटल		2424700	2478001
14	डा0 नरेश पेडीवाल	पेडीवाल नर्सिंग होम		2425569	2485569
15	डा0 आर0एन0ओरी	आंख चिकित्सक		2423810	2420810
16	डा0 एस0एस0सूद	सूद क्लिनिक		2441233	2421092

17	डा0 सोमनाथ डावर	डावर हास्पीटल		2464112	2461112
18	डा0 ओ0पी0वधवा	वधवा आई हास्पीटल		2424044	2424044
19	डा0 एस0आर0गिरी	गिरी नर्सिग होम		2462266 2462463	2462264
20	डा0 रूप सिडाना	टेकचंद मैमोरियल ट्रस्ट		2422359	2425541
21	डा0 जे0पी0 धमीजा	राजकीय चिकित्सालय		2465509	2460540 2462107
22	डा0 श्यामसुदंर टांटिया	टांटिया नर्सिग होम		2422724	2422724
23	डा0 रवि कांत गोयल	सी0एम0एच0ओ0 कार्यालय		2442241	2477323
24	डा0 राजीव कौशिक				2470309

जिले के उपलब्ध चिकित्सा संबंधी उपकरणों की सूची

Tehsil	Name and Address of Hospital and Diagnostic Center	Tel.#	Type of Equipment	Total
SGNR	Choudhary Diagnostic Center		U.S. & Xray Center	1
„	Kailash Hospital		U.S. & Xray Center& Echo Graf Center	1
„	Paras Diag. Center		U.S. & Xray Center& Echo	1
„	Sidana Diag. Center		Pathological Lab.	1
„	Tandon Path. Lab.		Pathological Lab.	1
RSNR	Bansal Diag. Center		U.S. &Xray Center	1

(Government)

Tehsil	Name and Address of Hospital and Diagnostic Center	Tel.#	Type of Equipment	Total
SGNR	Civil Hosptial	420009 431009	U.S. & Xray Center& Echo Graf Center	1
RSNR	C.H.C. raisinghnagar	20929	ECG&X-ray	1
Suratgarh	C.H.C. Suratgarh	20075	ECG&X-ray	1
Padampur	C.H.C. Padampur		ECG&X-ray	1
„	P.H.C. Gajsinghpur		X-ray	1
„	P.H.C.Ghamoorwali		X-ray	1
Sadulsahar	C.H.C.Sadulsahar		ECG&X-ray	1
Karanpur	C.H.C.Karanpur		ECG&X-ray	1
Kesrisinghpur	P.H.C.Kerisinghpur		X-ray	1
Vijaynagar	C.H.C.Vijaynagar		ECG&X-ray	1
Gharsana	P.H.C.Gharsana		ECG&X-ray	1

जिले में उपलब्ध मैडीकल स्टोर की सूची

Tehsil	Name and Address of Medical Stores	Tel.#		Capacity
		Shop	Res.	
Karanpur	Chhabra Medical Store JB Chouck	20407	20580	Retail& Wholesales
“	Bharat medical Sotore JB Chouck		20776	Retail
“	Golyan medical Store JB Chouck		22274	Retail
“	Sidana medical Store Near police thana		21186	Retail
“	Shiva medical store near govt. hospital		20653	Retail
“	Jain medical store near govt. hospital		21452	Retail
“	Ruchika medical store near girsl school		20708	Retail
“	Preet medical store near beniwal hospital		21886	Retail
“	Ravi medical store near Ghandhi park		21504	Retail
“	Mohanlal dhiyat mal medical store	20204	20205	Retail&Wholesales
Raisinghnagar	Suman seva sadan shalaroad	20623	21224	Retail
“	Nihal medicos	20545	21348	Retail
“	Gurunanak samiti road	20857	20867	Retail
“	Panchayat Medical store			
“	Pediwal Medical store	21365	20831	Retail
“	Ambika Medical store gurudwara road	21694	21694	Retail
“	Swastik midical store near Dr. Mundra	20531	20831	Retail
“	Mahavir medical store railway road	21608	21109	Retail
“	Friends medical store	21445	40030	Retail
“	Panchayat samiti road			
Sadulsahar	Janta Medical Store	95150323076	23076	Retail&Wholesales
“	Bhadu medical store	23053	22558	Retail&Wholesales
“	Happy Medical store	23076(PP)		Retail&Wholesales
Padampur	Parkash medical store	95150522182	22482	Retail&Wholesales
“	Singla Medical Store	23274	22623	Retail&Wholesales
Kesrisighpur	Aggarwal medical store	95150132173	32173	Retail&Wholesales
“	Sarswat medical store	32268	32318	Retail&Wholesales
Vijaynagar	Shri Bhagwan medical store	95149830523	30657	Retail&Wholesales
“	Anand medical store	31474	30664	Retail&Wholesales
Rawla	Dalip Medical Store	951506532898	54188	Retail&Wholesales
“	Joshi medical store	53278	52288	Retail&Wholesales
Ramsinghpur	Balaji medical store	95149883518	83498	Retail&Wholesales
“	Deepak medical store	83355	83455	Retail&Wholesales
Suratgarh	Gopi medical store	95150920682	20682	Retail&Wholesales
“	Shyam medical store	20042		Retail&Wholesales

सं.	ब्लॉक का नाम	संस्थान का नाम	104 वाहन (18)		108 वाहन (19)		
			104 वाहन का रजिस्ट्रशन नम्बर	कार्यशील हां/नही दिनांक 1अक्टूबर 2016 अनुसार	108 वाहन का रजिस्ट्रशन नम्बर	लोकेशन	कार्यशील हां/नही दिनांक 1अक्टूबर 2016 अनुसार
1	सूरतगढ़	पीएचसी बीरवाना	आरजे 13 पीए 4205	नही			
2		पीएचसी सोमासर	आरजे 13 पीए 4202	हां			
3		पीएचसी ठूकराना	आरजे 13 पीए 4209	हां			
4		पीएचसी सरदारगढ़	आरजे 13 पीए 4210	नही			
5		सीएचसी सूरतगढ़	आरजे 13 पीए 4905	नही	आर जे 14 पीसी 7424	सूरतगढ़	हां
6		सीएचसी राजियासर			आर जे 14 पीबी 8148	राजियासर	हां
7	घड़साना	पीएचसी नाहरावाली	आरजे 13 पीए 4203	नही			
8		पीएचसी 365 आरडी	आरजे 13 पीए 4204	नही			
9		पीएचसी रावला	आरजे 13 पीए 4904	हां	आर जे 14 पीबी 8145	रावला	हां
10		पीएचसी रोजडी	आरजे 13 पीए 4902	हां			
11		सीएचसी घड़साना	आरजे 13 पीए 4901	हां	आर जे 14 पीबी 7451	घड़साना	हां
12	करणपुर	सीएचसी करणपुर	आरजे 13 पीए 4907	हां	आर जे 14 पीबी 7443	करणपुर	हां
13		सीएचसी केसरीसिंहपुर			आर जे 14 पीबी 8147	केसरीसिंहपुर	हां
14	पदमपुर	पीएचसी घमुडवाली	आरजे 13 पीए 4206	नही			
15		सीएचसी पदमपुर			आर जे 14 पीबी 6182	पदमपुर	हां
16		सीएचसी गजसिंहपुर			आर जे 14 पीबी 8146	गजसिंहपुर	हां
17	अनूपगढ़	सीएचसी विजयनगर	आरजे 13 पीए 4903	नही	आर जे 14 पीबी 8141	विजयनगर	हां
18		सीएचसी अनुपगढ़	आरजे 13 पीए 4906	हां	आर जे 14 पीबी 1060	अनूपगढ़	हां
19		पीएचसी सुखचैनपुरा	आरजे 13 पीए 4207	नही			
20		पीएचसी रामसिंहपुर			आर जे 14 पीसी 7710	रामसिंहपुर	हां
21	रायसिंहनगर	सीएचसी रायसिहनगर	आरजे 13 पीए 4899	हां			
22		सीएचसी समेजा			आर जे 14 पीडी 0014	समेजा कोठी	हां
23	गंगानगर	पीएचसी हिन्दुमलकोट	आरजे 13 पीए 4208	नही			
24	जिला मुख्यालय	जिला मुख्यालय					
25	सादुलशहर	सीएचसी सादुलशहर	आरजे 13 पीए 4900	हां	आर जे 14 पीबी 7462	सादूलशहर	हां
26		पीएचसी लालगढ़			आर जे 14 पीसी 7281	लालगढ़	हां
27		पीएचसी डूंगरसिंहपुरा			आर जे 14 पीडी 0613	डूंगरसिंहपुरा (हाल जिला मुख्यालय)	हां

Annexure

परिशिष्ट–1: जिला प्रोफाईल–आपदाओं का इतिहास

1.1 श्रीगंगानगर की भौगोलिक स्थिति–

श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का उत्तरी भाग है, यहां पर राजस्थान का सूदुर उत्तरी गांव कोनी गांव (हिन्दुमलकोट) स्थित है। जिला $28^0 40'$ से $30^0 60'$ उत्तरी अक्षांष व $72^0 20'$ से $75^0 30'$ पूर्वी देषान्तर के मध्य स्थित है। जिले के पष्चिम में पाक के साथ 210 किमी. अर्न्तराष्ट्रीय सीमा है। जिस पर पाक के पंजाब प्रांत का बहावलपुर जिला स्थित है। जिला उत्तरी पूर्व में पंजाब के साथ पूर्व में हनुमानगढ़ के साथ व दक्षिण में बीकानेर जिलों के साथ सीमा बनाता है। जिले की समुद्रतल से ऊंचाई 168 से 227 मीटर के मध्य है।

जिले का उत्तरी भाग गंगनहर द्वारा सिंचित उत्तम उपजाऊ मैदान है, जिसमें लाल मिट्टी व रेतीली दौमट मिट्टी पाई जाती है। मध्यवती भाग भाखड़ा प्रणाली द्वारा अर्द्ध सिंचित व अर्द्ध उपजाऊ प्रदेष है। जिले के दक्षिण भाग में सिंचाई इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा होती है।

इस क्षेत्र का अधिकांष भाग रेतीले धोरों से आच्छादित है (घड़साना, विजयनगर, अनूपगढ़ व सूरतगढ़ का बारानी क्षेत्र)

जिले में कोई महत्वपूर्ण पहाड़ी नहीं है तथापि जिले के दक्षिण रेगिस्तानी भागों में काफी ऊंचे–ऊंचे रेतीले बालू का स्तूप है जिनकी ऊंचाई कहीं–कहीं पर तो 100 से 120 फुट तक है।

जिले का उत्तरी भाग दूसरे हिस्सों की अपेक्षा अधिक वनाच्छादित है। जिले का कुल वन क्षेत्र 633.44 वर्ग किमी. है, जिससे से रक्षित वन क्षेत्र 50.66 वर्ग किमी. एवं अवर्गीकृत वन क्षेत्र 582.79 वर्ग किमी. है। जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है। केवल मात्र एक नदी घग्घर जिले में वर्षाकाल में बहती है। यह नदी रंगमहल के पास जिले में प्रवेष करती है तो वर्षाकाल में सूरतगढ़, विजयनगर व अनूपगढ़ क्षेत्र में बहती है जो कभी–कभी घड़साना से पाकिस्तान तक में बहते हुए बहावलपुर के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है।

जिले में सेम की समस्या जलाधिक्य से होनी वाली एक प्रमुख मृदा समस्या है जिसमें सूरतगढ़ के पास रंगमहल व बड़ोपल प्रमुख रूप से प्रभावित है। जिले के कुल क्षेत्रफल 11154. 66 वर्ग किमी. है। जिले के वार्षिक तापान्तर में काफी भिन्नता है। शीत ऋतु नवम्बर से मार्च तक रहती है जिसमें न्यूनतम तापक्रम 1^0 सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जुलाई तक रहती है। जिसमें अधिकतम तापमान 48^0 सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। जून से अगस्त तक यहां धूल भरी आंधियाँ चलती है। दिसम्बर–जनवरी में होने वाली बरसात मावठ फसलों के लिए प्राणदायक है।

जिले का आर्थिक परिदृष्य :

जिले मे कार्यषील जनसंख्या का अधिकांष भाग कृषि पर निर्भर है। जिले की अर्थव्यवस्था में उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान भी है, खनन क्षेत्र का योगदान काफी कम है। जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें है जिनमें गंगनहर का सिंचाई क्षेत्र सर्वाधिक है अन्य नहरे भाखड़ा नहर व इंदिरा गांधी नहर है। गंगानहर जिला ''राजस्थान का अन्न भण्डार'' माना जाता है। जिला गेंहू, कपास, चना, सरसों व किन्नू उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त यहां पर गन्ना व चावल भी भरपूर मात्रा में पैदा होते है। गंगानगर का किन्नू विदेषों में भी निर्यात होता है, 1956 में रूस की सहायता से केन्द्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई है, जिसकी दो अन्य शाखाएं जैतसर फार्म व सरदारगढ़ कृषि फार्म भी कार्यरत है। गंगानगर शुगर मिल, कमीनपुरा जिले का सबसे बड़ा कारखाना है। यह राज्य का एक मात्र चीनी कारखाना है, जहां पर चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहां देषी मदिरा भी बनाई जाती है। तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, पी.वी.सी. पाईप व टंकी मिल, ब्रेड, बिस्कुट मिल आदि प्रमुख उद्योग है। सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेषन है जहां पर छः इकाईयों से 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। सातवीं एवं आठवीं सुपर क्रिटिकल पावर इकाईयों (660 x 2) का निर्माण कार्य चालू है। राज्य का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युतग्रह – कल्पतरू पावर प्रोजेक्ट, पदमपुर में स्थापित है, जहां से प्रतिदिन 17500 यूनिट विद्युत कचरे से पैदा की जाती है। जिले में एकमात्र खनिज जिप्सम का उत्खनन सूरतगढ़, रघुनाथपुरा किषनपुरा से किया जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिले में कुल पषुधन 1672598 है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं 15 जिले का एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी जिले में लम्बाई 76 किमी. है। इसके अतिरिक्त तीन राज्य राजमार्ग संख्या 3–179 किमी., 7 बी–84 किमी. व 36–33 किमी. लम्बे है। 1792 किमी. जिला सड़कें है। जिले में कुल 334 पोस्ट ऑफिस व 22 टेलीग्राफ ऑफिस है। जिले में 1192 सहकारी समितियां है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 336548 है। कुल पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 303 व पंजीकृत लघु उद्योग 8067 हैं। 13 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं इसके अतिरिक्त जिले में 4 एलोपैथिक अस्पताल, 93 आयुर्वेदिक औषधालय व यूनानी अस्पताल, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 439 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है।

सामाजिक परिदृष्य :

जिले मे हिन्दू, सिक्ख, मुस्लिम व इसाई धर्मों की विभिन्न जातियों के लोग निवास करते है। सर्वाधिक आबादी हिन्दुओं की है। राजस्थान में सर्वाधिक सिक्ख आबादी, श्रीगंगानगर जिले में निवास करती है। जिले में पंजाबी संस्कृति का प्रभाव अधिक है। विभिन्न अवसरों पर जिले में अनेक मेले लगते हैं। सिक्खों का सबसे बड़ा मेला बुडढ़ा जोहड मेला गांव डाबला, तहसील रायसिंहनगर में भरता है। यहां बाबा फतेहसिंह का ऐतिहासिक गुरूद्वारा है, जिसमें सरोवर के चारों तरफ 140 कमरे बने है। सिक्ख इतिहास दर्षाने वाला एक म्यूजियम भी है। विजयनगर का डाडा पम्माराम मेला इनकी समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष लगता है। सूरतगढ़ व फौजूवाला में प्रसिद्ध रामदेव मेले लगते है। जिले का सबसे बड़ा मेला चानणा धाम (पदमपुर) में लगने वाला हनुमान जी का मेला है। इसके अतिरिक्त गंगानगर का जम्भेष्वर मेला, गणगौर मेला, विजयदषमी मेला प्रमुख है।

जिले की अनूपगढ़ तहसील में लैला–मजनूं की दरगाह है, जहां पर हर वर्ष मेला लगता है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष अलग–अलग जगह पर एक बार घोड़ों का मेला भी लगता है।

जिले में मनाए जाने वाले अन्य पर्वो में गुरूनानक जंयती, गुरू गोविन्द सिंह जंयती, होली, रक्षाबंधन, दिपावली, दषहरा, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, दुर्गाष्टमी, मकर सक्रांति, बारावफात, शबे बारात, मोहर्रम, इदुल जुहा, इदुलफितर, क्रिसमिस डे, गुड फ्राइडे आदि प्रमुख है।

2.2 जिले में पिछले वर्षों में घटित आपदाओं का विवरण–

घटित आपदाएं एवं प्रबन्धन

गुजरात के भूज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देष को जुझना पडा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले साल की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपों में आग, बीकानेर के लूणकरनसर में बाढ़ तथा रावतसर में दिनांक 12.9.07 को बादल का फटना, पिछले तीन साल के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जावें ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

2.7 स्थानीय प्रषासन :

क्रं. सं.	उपखण्ड	तहसील (नगरीय क्षेत्र सम्मिलित)	जनसंख्या 2011
1	करणपुर	करणपुर	146878
2	पदमपुर	पदमपुर	162718
3	गंगानगर	गंगानगर	481640
4	सादुलषहर	सादुलषहर	158473

5	रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	196455
6	विजयनगर	विजयनगर	145770
7	सूरतगढ़	सूरतगढ़	320981
8	अनूपगढ़	अनूपगढ़	184423
9	घड़साना	घड़साना	171830
	योग		**1969168**

2.8 नगर निकाय :–

क्र. सं.	निकाय	जनसंख्या 2011
1	श्रीगंगानगर (नगर परिषद)	249914
2	करणपुर (नगरपालिका)	21297
3	सादुलषहर (नगरपालिका)	36341
4	पदमपुर (नगरपालिका)	18420
5	केसरीसिंहपुर (नगरपालिका)	14010
6	विजयनगर (नगरपालिका)	25722
7	सूरतगढ़ (नगरपालिका)	70536
8	अनूपगढ़ (नगरपालिका)	30877
9	गजसिंहपुर (नगरपालिका)	9995
10	रायसिंहनगर (नगरपालिका)	28330

2.9 क्षेत्रफल :

क्रं. सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	ग्राम पंचायत संख्या
1	श्रीगंगानगर	87500	48
2	सूरतगढ़	284392	46
3	रायसिंहनगर	131982	47
4	करणपुर	81751	35
5	सादुलषहर	89923	31
6	पदमपुर	84745	36
7	अनूपगढ़		29
8	घड़साना		35
9	विजयनगर		**29**
	योग	**1115452**	**336**

				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	जनसंख्या	स्त्री	पुरष	जनसंख्या	स्त्री	पुरष	जनसंख्या	स्त्री	पुरष
कुल	1969168	925828	1043340	720412	343678	376734	13477	6317	7160
ग्रामीण	1433736	675467	758269	598772	285864	312908	2989	1350	1639
शहरी	535432	250361	285071	121640	57814	63826	10488	4967	5521

प्रतिशत में आंकड़े :–

				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	जनसंख्या	स्त्री	पुरष	जनसंख्या	स्त्री	पुरष	जनसंख्या	स्त्री	पुरष
कुल	100	47.02	52.98	36.58	17.45	19.13	0.68	0.32	0.36
ग्रामीण	72.81	47.11	52.89	41.76	19.94	21.82	0.21	0.09	0.11
शहरी	27.19	46.76	53.24	22.72	10.80	11.92	1.96	0.93	1.03

1.7 राजनीतिक तंत्र (स्थानीय सरकार प्रणाली, परिषद आदि)– जिले को पांच विधानसभा क्षैत्रों तथा दो संसदीय क्षैत्रों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार है–

क्र0सं0	संसद/विधानसभा क्षैत्र	सांसद/विधायक का नाम	मोबा0न0
1	लोकसभा क्षैत्र श्रीगंगानगर	मा0 श्री निहाल चन्द मेघवाल	94140–90050 96674–76101
2	लोकसभा क्षैत्र बीकानेर	मा0 श्री अर्जुन मेघवाल	9414075910 9829967950
3	विधानसभा क्षैत्र श्रीगंगानगर	श्री राजकुमार गौड़	9414211840
4	विधानसभा क्षैत्र सादुलशहर	श्री जगदीश चन्द्र	9460618718
5	विधानसभा क्षैत्र श्रीकरणपुर	श्री गुरमीत सिंह कुन्नर.	9799606000
6	विधानसभा क्षैत्र रायसिहंनगर	श्री बलवीर सिंह लूथरा	8696900042
7	विधानसभा क्षैत्र सूरतगढ़	श्री रामप्रताप कासनियां	9784496724
8	विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़	श्रीमती सन्तोष	8875711111

ग्रामीण क्षैत्र के मा0 जनप्रतिनिधिगण–

क्र. सं.	पद	जि0प0/पं0स0 का नाम	नाम	मोबाईल न0
1	जिला प्रमुख	जि0प0	श्रीमती प्रियंका श्योरान	97721–31313

प्रधान पंचायत समिति

1	श्री पुरूषोत्तम बराड़	गंगानगर	99295–99292	2445022
2	श्रीमती अमृत पाल कौर	श्रीकरणपुर	94622–09195	226032
3	श्रीमती परमेश्वरी देवी	सादुलशहर	99298–90214	222001
4	श्री शंगारा सिंह बराड़	पदमपुर	99822–00022	232022
5	श्रीमती इन्दू शर्मा	रायसिंहनगर	81040–87034	220028
6	श्री पुलकित बलाना	अनूपगढ	94140–92546	252133
7	श्रीमती बिरमा देवी	सूरतगढ	97994–61345	220070
8.	श्रीमती रानीबाला दुग्गल	घड़साना	94606–77767	252132
9.	श्रीमती शबनम कौर	श्रीविजयनगर		

1.8 प्रशासनिक संरचना–

श्रीगंगानगर जिले में प्रशासनिक दृष्टि से 9 उपखंड तथा 9 तहसील है–

क्रं. सं.	उपखण्ड	तहसील (नगरीय क्षेत्र सम्मिलित)	जनसंख्या 2011
1	करणपुर	करणपुर	146878
2	पदमपुर	पदमपुर	162718
3	गंगानगर	गंगानगर	481640
4	सादुलषहर	सादुलषहर	158473
5	रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	196455
6	विजयनगर	विजयनगर	145770
7	सूरतगढ़	सूरतगढ़	320981
8	अनूपगढ़	अनूपगढ़	184423
9	घड़साना	घड़साना	171830
	योग		**1969168**

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु अनुक्रिया योजना है तथा यह प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करती है। तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जाने वाली गतिविधियों को सुनिश्चित करती है।

परिशिष्टः– 2 आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कानून और नीतियां

परिशिष्ट :– 3 आश्रय स्थल सूचना

<u>होटल / गेस्टहाउस / मै0 पैलेसः–</u>

1.	पैगोडा होटल	2441164 / 2442364 ,2443364 / 2444364
2	विक्रम होटल	2440481
3.	मून लाईट	2443626 / 244626 / 5120534
4	रोजिला होटल	2441157
5	हैपी होम	2440628
6	आकाशदीपगेस्टहाउस	2442647 / 2441647
7	आशीष होटल	2442995 / 2441995 2440764
8	साहिल गेस्टहाउस	2470259
9	पंकज होटल	2423907
10	रामा गेस्टहाउस	2421811 / 2426835 / 2428573
11	खुराना पैलेस	2422219 / 2435919
12	महाराजा पैलेस	2420247 / 2420673
13	गंगा पैलेस	2460990 / 2460890
14	चाचा रेस्टोरेंट	2427121 / 2424133
15	श्री गंगा पैलेस	2431464
16	गौरव पैलेस	2425317
17	शगुन पैलेस	2435437

परिशिष्ट–4: मीडिया भागीदारी–

सूचना प्रसार–

टीम लीडर– पीअरओ

– आपात स्थिति की सही समय पर और सुसंगत जानकारी प्रदान करने के लिये सरकार और समाचार मीडिया के सभी सतरों की एक जिम्मेदारी है। संभावना है कि मीडिया बिजली विफलताओं के कारण उचित परिचालन नहीं कर सके, फिर भी मीडिया बाद में स्थानीय प्रसार के लिये जानकारी इकटठा करने के लिये उपस्थित होगा। मीडिया आपदा की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करने के लिये प्रमुख संसाधन है और कुछ रेडियो प्रसारण मीउिया में लंबे समय तक भूमिका के लिये उन्मुख किया गया है।राहत , पुनर्वास और बहाली गतिविधियों के लिये आवश्यक है कि मीडिया और प्राथमिकता के उच्च सतर के उपयोग के लिये रेडियो प्रसारण क्षमता को बहाल करने के लिये सेट किया जाना चाहिए।

आपातकालीन घोषणाओं को पहुंचाने और राज्य सरकार की घोषणाओं की पूर्व से प्रसारण की व्यवस्था , जीवित रहने का संकल्प और जिला प्राधिकारी को सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

एक बडी. आपदा में एक सार्वजनिक सूचना केन्द्र जिला समन्वय समिति (जन सूचना केंद्र) का एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया जाएगा।

– मीडिया सार्वजनिक जानकारी क्षमताओं को होने वाले नुकसान के निर्धारण में सहायता करता है।

– जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से परिचालन मीडिया के लिये सार्वजनिक सूचना घोषणाएं अद्यतन गुजरती है।

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की बहुमुखी क्षमता को पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। मीडिया के साथ प्रभावकारी सहभागिता को सामुदायिक जागरुकता, शीघ्र चेतावनी तथा विभिन्न आपदाओं के संबंध में प्रचार व शिक्षण के क्षैत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

परिशिष्ट–5:– चिकित्सा और अस्पताल प्रबंधन योजना–

आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन,नरेगा,अकाल एवं बाढ नियंत्रण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात योजना वर्ष–2017

श्रीगंगानगर में प्रायः माह जून के मघ्य में मानसून प्रवेश करता है तथा शिवालिक की पहाडियों में अधिक वर्षा होने से जून के अन्त में घग्घर नाली बैड में भी पानी आने की संम्भावना रहती है। जो लगभग अक्टूबर माह तक बहता है।

साथ ही क्षेत्र में आंतककारी घटनाओं, असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाले आगजनी,तोड–फोड, फिदायीन हमलों, महामारी/अकाल की आशंका,ओलावृष्टि,अतिवृष्टि,जमीन धंसना इत्यादि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपआदों के समय जान–माल की हानि से बचाव, रोकथाम एवं उपचार बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आपात कार्ययोजना निम्न प्रकार से है :–

श्रीगंगानगर जिले में चिकित्सा संस्थानो की वर्तमान स्थिति

जिला अस्पताल	1
जिला क्षय निवारण केन्द्र	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रा.चि.	17
प्राथमिक स्वा. केन्द्र/डिस्पेंसरी	55
उप स्वा. केन्द्र	439

(1) आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल एवं बाढ आदि के प्रकार

(क) आंतरिक सुरक्षा/आंतककारी हमलों के दौरान :–जिले में भीड–भाड वाले तथा आंतककारी हमले के संभावित संवेदनशील क्षेत्रों (जिनकी संभावित सूची निम्न प्रकार से है) में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक आपदा जैसे आंतकवादी (फिदाइन हमले) हमले, बम्ब ब्लास्ट, गोलीबारी, कारखानों में दुर्घटना,धरना ,प्रदर्शन,विरोध प्रदर्शन,चक्काजाम आदि के दौरान होने वाले जान–माल की हानि, घायलों के तुरन्त उपचार की व्यवस्था नजदीकी चिकित्सा संस्थाओं में की गई है।

संवेदनषील क्षेत्र :–

1.रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर

2.बस अडडा, श्रीगंगानगर

3.भगतसिंह चौक, श्रीगंगानगर

4.कोडा चौक, श्रीगंगानगर.

5.रोडवेज डिपो के शिव चौक, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर.
6.कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर, श्रीगंगानगर
7.हनुमान जी का मंन्दिर, श्रीगंगानगर
8.बीरबल चौक, श्रीगंगानगर
9.आजाद टॉकीज फाटक, श्रीगंगानगर
10.मल्टीपपर्ज स्कूल के पास रेलवे अण्डरब्रिज, श्रीगंगानगर
11. सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर
12 सुखासिंह महताब सिंह गुरूद्वारा में मेला, बुढ़ा जोहड़, रायसिहंनगर, श्रीगंगानगर
13.चहल चौक, श्रीगंगानगर।
14.गोल बाजार, श्रीगंगानगर।

(ख)सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानः–

घग्घर बैड क्षेत्र में आनी वाले चिकित्सा संस्थान सामु./प्रा.स्वा.केन्द्र,तलवाडाझील,सुरेवाला, टिब्बी, सहजीपुरा, डबलीराठान, मक्कासर, बडोपल, पीलीबगा, नौरंगदेसर, लखूवाली, अराईयांवाली मुख्यालयों एवं घग्घर बाढ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों यथा पीएचसी/उपकेन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/बाढ के प्रकोप से होने वाली आपदाओं से बचने के लिए अपने संस्थान में आवश्यक औषधि का भण्डारण रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर बचाव व उपचार कार्य आरम्भ करेगें। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। ब्लीचिंगपाउडर, ओ.आर.एस.पैक्टस, हैलोजन की गोलियां, आई.वी.फल्यूड, ड्रिप, आदि की व्यवस्था की गई है। मलेरिया से बचाव के लिये बाढ/वर्षा से भरे गढढों में एंटी लार्वा कार्यवाही की जा रही है।

(ग)**अतिवृष्टि,ओलावृष्टि एवं पानी भराव की समस्याः–**

जिले के विभिन्न कस्बों/गांवों में अतिवृष्टि,ओलावृष्टि एवं निचली भूमि में स्थित आबादी के घरों में पानी भराव की समस्या हो सकती है। जिससे जलजनित बीमारियों जैसे मलेरिया,पीलिया,हैजा, उल्टीदस्त आदि के फैलाव का सामना करना पड सकता है। सर्वे,बचाव एवं उपचार बाबत आर.आर.टी तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी ।

(घ)खान–पान संबंधीः–

जिले के किसी भी भाग में फूड प्वाइजनिंग,दूषित खाना खाने,दूषित जल पीने से उल्टी–दस्त, गेस्ट्रोएंटाइटिस आदि बिमारीयां होने की संभावना रहती है । ऐसे में जिला स्तर पर गठित स्वास्थ्य टीम जिसमें जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता,लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टाफ लेकर प्रभावित स्थल का दौरा/भ्रमण करवाया जाता है तथा बचाव,रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।

(च)अकाल राहत एवं नरेगा श्रमिकों को कार्य के दौरान चोट लगना,सर्दी,बुखार, सिरदर्द, डि–हाइड्रेशन आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक ब्याधि हो सकती है । इनको समय समय पर चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाई जा रही है । नरेगा कार्य स्थल पर पखवाडे में कम से कम एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्स–2/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक रूप से की जाती है । इसी प्रकार जिले में जहां भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होंगें वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों की समय पर जांच की जायेगी तथा आवश्यक आपातकालीन औषधियां उपलब्ध करवाई जायेगी ।

(2)आंतरिक सुरक्षा,प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन, अकाल,बाढ एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय

(क)आपदा प्रबन्धन हेतु चिकित्सा दलों का गठन (आर.आर.टी.):– प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं /मौसमी बीमारियों/मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर रैपिड रिस्पोन्स टीम का गठन किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी एक मेल नर्स –II एवं एक पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीम के सदस्य होते है। ये टीमे मौसमी बीमारियों की फैलने की आशंका की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित स्थल के लिए रवाना हो जाती है। टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाती है। चिकित्सा दल के पास उचित मात्रा में औषधि होती है। आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त चिकित्सा दल की व्यवस्था भी कर मौके पर भिजवाई जाती है। क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त दल लगाकर घर–घर सर्वे करवाया जाता है ।

(ख)नियंत्रण कक्ष का गठन :–प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं/मौसमी बीमारियों/ मलेरिया आदि की रोकथाम हेतू जिला मुख्यालय एवं सभी सामुदायिक केन्द्रो पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है । जहां पर किसी भी समय दूरभाष या किसी अन्य माध्यम से सूचना पंहचने पर तुरन्त संबधित स्वास्थ्य कार्मिकों को सूचित कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर बचाव, उपचार व रोकथाम हेतु आपातकालीन दलो का गठन किया गया है ।

(ग)एम्बूलेंस की व्यवस्था :–

जिले में जिला चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला मुख्यालय पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। जो सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित स्थल के लिये तुरन्त प्रस्थान करती है। एम्बूलेंस का उपयोग रोगियों को लाने–ले जाने, चिकित्सा कर्मियों को प्रभावित स्थल/क्षेत्र में लाने–ले जाने के लिये उपलब्ध है। एम्बूलेंस में आपातकालीन औषधियां,स्ट्रेचर,की व्यवस्था रहेगी । जिले के विभिन्न स्थनों पर आपातकालीन व्यवस्था हेतू एम्बूलेंस कार्यरत है जिसको कभी भी 108/104 नं. पर डायल करके बुलाया जा सकता है। 108 नं.आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा गांवों में प्रसूति ुसविधा के लिये 104 नं.एम्बूलेंस का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) औषधि भण्डारण :–

सभी सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :– जैसे हलोजन गोलिया, ब्लीचिंग पाऊडर ,ओ.आर.एस./क्लोरो क्वीन गोलियां/प्रेमाक्वीन की गोलियां/जी.एन.एस./ जी.डी.डब्लयू, ओ.आर.एस.आदि। सभी रोगियों को औषधियां निःशुल्क दी जाती है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(च)मलेरिया नियंत्रण हेतू उपाय

मलेरिया नियंत्रण हेतू बुखार के रोगियों का घर–घर सर्वे कर रक्त पटिटकाएं बनाई जाकर जांच कर उपचार दिया जायेगा। मलेरिया पी.एफ. निकलने वाले क्षेत्रों में पाइरेथ्रम का फोकल छिडकाव किया जाएगा। मच्छरों के ब्रीडिंग पैलेसेज को खत्म किया जाएगा अथवा उनमें एम.एल.ओ.डालकर उपचारित किया जाएगा ।

मच्छरों के बायोलौजीकल नियंत्रण हेतू जोहड तालाबों में गम्बूसिया मछलियां छोडी जाएगी। बीटीआई / वेक्टोबेस का भी उपयोग किया जाएगा।

(छ) डी.डी.टी. छिड़काव :–

जिले के एपीआई–2 या अधिक के आबादी क्षेत्र/जनसंख्या में इस डी.डी.टी के दो चक्र छिडकाव किये जातें है। इसके लिये प्रतिवर्ष पृथक योजना तैयार की जाती है।

(ज)पीलिया रोग की रोकथाम

प्रत्येक उपकेन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/सीएचसी/राजकीय चिकित्सालय के क्षेत्र से पानी के नमूनों की बैक्टीरियोलौजीकली जांच हेतू सैम्पल लेकर जन स्वा.अभि.प्रयोगषाला में भिजवाये जातें है तथा नमूना अमानक पाए जाने पर पानी संतोषजनक पाए जाने तक फॉलोअप नमूनीकरण करवाया जाता है । डिग्गी,कुण्डों,एवं टांकों का जलशुद्धिकरण करवाया जाता है । सुपर क्लोरिनेशन की जांच की जाती है तथा पीने के पानी की लाइनों में लीकेज की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाकर मरम्मत करवाई जाती है तथा सुपरक्लोरिनशेन की कार्यवाही भी की जाती है ।

(झ)स्वास्थ्य षिक्षा एवं सर्वे एवं अन्य गतिविधियां:–

समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर रोग सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनको निम्न प्रकार से स्वास्थ्य षिक्षा दी जाती है :–

- तेज धूप में निकलना हो तो भोजन कर उचित मात्रा में पानी पी कर तथा सिर पर कपड़ा बाध कर या छाता लेकर ही निकले। लू–ताप घात से प्रायः कुपोषण बच्चे गर्भवती महिलाएं वृद्ध तथा श्रमिक आदि जल्दी प्रभावित होते है। इस प्रकार के रोगी को ठण्डे व छायादार स्थान पर लेटायें कपड़े ढीले कर दें। रोगी होश हवास में होतो ठण्डे पेय पदार्थ लेते रहें । रोगी की हालत ज्यादा खराब दिखाई दे तो नजदिकी चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु ले जायें ।

- सार्वजनिक स्थानो एवं विद्यालयों के आस–पास गंदा पानी इकट्ठा न होने देने एवं रोग के बचाव हेतू जन साधारण को जानकारी दी जाएगी ।
- शुद्ध पेय जल आपूर्ति जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समय रहते जांच व मरम्मत कराई जाकर पेयजल स्रोतो का नियमित जल शुद्धि करण एवं पानी की जांच हेतू नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है।
- मलेरिया की रोकथाम हेतु रक्त की जॉच करवायें एवं गड्डो में गंदा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाने की व्यवस्था करवाई जावे एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी एवं खून की जाँच हेतु नमूने लेकर समय रहते जाँच करवायी जावेगी।
- क्षेत्र में लोगो को खान पान में लापरवाही नहीं बरतने, बासी भोजन का सेवन नहीं करने व खाना खाने से पूर्व व्यक्तिगत स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु स्वास्थ्य षिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जावेगी।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्र के अधीन समस्त चिकित्सा संस्थानो में बाढ से प्रभावी रोगियों के लिए पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावेगी।
- ब्लॉक स्तर, एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्रो पर चिकित्सा दलों का गठन कर आवष्यक जीवन रक्षक औषधियो,जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर तथा आवश्यक दवाईयों के भण्डारण की व्यवस्था कराई जाना सुनिष्चित की जाएगी।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जांच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावेगा।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो में असंतोषप्रद पाये पेयजल स्त्रोतो का सुपर क्लोरीनेशन कराते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावेगी।
- पी.एच.ई.डी. विभाग के सहयोग से सघन अभियान चलाकर पानी की जांच हेतु अधिक से अधिक नमूनीकरण की कार्यवाही करावे एवं अशुद्ध पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपरक्लोरिनेशन एवं नमूनो का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावेगी।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, उल्टी, खून तथा पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जायेगा।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनो की जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनो की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।

(3) **चिकित्सा/जांच व्यवस्था** :– सभी सीएचसी एंव जिला चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। आवष्यकता पड़ने पर रोग प्रभावित स्थल के नजदिकी चिकित्सा संस्थान पीएचसी पर भी 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवायी जाती है। चिकित्सा संस्थानो में विषेष वार्ड उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रभावित स्थल के लिए अलग से एम्बुलैन्स की व्यवस्था की जाती है।

जिला चिकित्सालय में रोगियों के लिये 150,नोहर,भादरा,रावतसर व संगरिया प्रत्येक सीएचसी में 50–50 अन्य सीएचसी में 30 तथा प्रत्येक पीएचसी में 6 बैड की क्षमता है । जिला अस्पताल में आपातकालिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु 10 बैड एंव सामु./प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 5 अतिरिक्त बैड की व्यवस्था रखी गई है।

(4) **प्रचार प्रसार** :–

मौसमी बीमारियों के बचाव हेतू समय–2 पर प्रचार प्रसार हेतू पम्पलेटस वितरण किये जाते है दैनिक समाचार पत्रो द्वारा जन साधारण को रोगों से बचने के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती

है। विभाग द्वार पूरे जिले में दिवारो श्लोग्न लिखवाये जाते है। बैनर/होर्डिंग लगाये जाते है। एवं नुक्कड़ नाटक जन सधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

संस्थान	संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर,इण्डोर,विषेषज्ञ चिकित्सा,लैबोरेटरी जांच,एक्स–रे,निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं षिषु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना, एम्बूलेंस,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य, ऑपरेषन,पटटी,आधारभूत प्रसव सुविधाए,आपातकालीनजटिल प्रसव सुविधाएं,एमएलसी,पोस्टमार्टम,एक्स–रे, सीबीसी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	आउटडोर,इण्डोर,लैबोरेटरी जांच,निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं षिषु कल्याण सेवायें, जननी सुरक्षा योजना,एम्बूलेंस,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य,पटटी,आधारभूत प्रसव सुविधाए, एमएलसी,पोस्टमार्टम, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
उपकेन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं	निःषुल्क औषधियां,मातृ एवं षिषु कल्याण सेवायें,जननी सुरक्षा योजना,परिवार कल्याण तथा टीकाकरण,प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य, पटटी,प्रसव सुविधाए, नमक में आयोडीन,पानी की एफटीके विधि से जांच, आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट– 6 आपदा की रोकथाम के लिये परियोजनाएं

परिशिष्ट– 7 आपदा बाद की क्षति के लिये प्रारुप, हानि, आवश्यकताएं और क्षमता प्रसार

परिशिष्ट – 8 चपेट में आने वालों तथा गांवों की सूची–

आपदा प्रबन्धन के अर्न्तगत ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां पर आकस्मिक घटनायें हो सकती है, विभाग द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्रों की सूची :–

(अ) बरसात के कारण डिग्गी चैनल टूटने वाले स्थान का विवरण

1. मिल्ट्री एरिया गेट नं. 2 के सामने श्रीगंगानगर चैनल टूटने का सीन
2. मिल्ट्री एरिया मोड़ के पास श्रीगंगानगर चैनल टूटने का सीन
3. लायलपुरी बाग के मोड़ पर चैनल टूटने का स्थान
4. डी.ए.वी. स्कूल के पास चैनल टूटने के कारण
5. जल योजना मटीली राठान की डिग्गी
6. जल योजना दौलतपुरा की डिग्गी
7. जल योजना कोठा की डिग्गी
8. जल योजना स्यागांवाली की डिग्गी
9. जल योजना 501 एलएनपी की डिग्गी
10. जल योजना 189 जीजी की डिग्गी
11. जल योजना नेतेवाला की डिग्गी
12. जल योजना महियांवाली की डिग्गी

13. जल योजना मदेरा की इनलेट चैलन
14. जल योजना गणेशगढ़ की इनलेट चैलन
15. जल योजना 1 बीबी की इनलेट चैलन
16. जल योजना 14 जी छोटी की इनलेट चैलन
17. जल योजना 8 एच जी छोटी की इनलेट चैलन
18. जल योजना 15 जैड की इनलेट चैलन
19. जल योजना 13 क्यू की इनलेट चैलन
20. जल योजना खाट लबाना की इनलेट चैलन
21. जल योजना 10 सरकारी की डिग्गी व चैलन
22. जल योजना 18 एस डी की डिग्गी व चैलन
23. जल योजना 2 एपीडी–बी की डिग्गी व चैलन
24. जल योजना 5–7 ए.एस की डिग्गी
25. जल योजना 10 बीएलएम–ए की डिग्गी व चैलन
26. जल योजना 5 जीबी की डिग्गी व चैलन

(ब) बरसात के कारण बहाव में पाईप लाईन नंगी होने से टूटने पर जल प्रदूषण की संभावना

1. गुरूनानक बस्ती खड्डों के आसपास श्रीगंगानगर
2. पुरानी आबादी पटाखा फैक्ट्री के पास खड्डों के आसपास श्रीगंगानगर
3. ब्लाक एरिया सुखाड़िया सर्किल के पास श्रीगंगानगर
4. जल योजना दौलतपुरा पर
5. जल योजना 18 जीजी पर
6. जल योजना मटीली राठान पर
7. जल योजना रोहिड़ावाली पर
8. जल योजना कोठा पर
9. जल योजना सागरवाला पर
10. जल योजना 10 सरकारी पर
11. जल योजना 18 एस डी पर
12. जल योजना 46 जी बी पर
13. जल योजना 3 एलजीएम पर
14. जल योजना 5 जीबी से 2 जीबी पर

परिशिष्ट – 9 आपदा के समय उपलब्ध निजी एवं सार्वजनिक संसाधनों की सूची–

समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र श्रीगंगानगर कार्यालय में तैराक स्वयंसेवकों की सूची–

नागरिक सुरक्षा विभाग :

नागरिक सुरक्षा भण्डार में आपदा से बचाव हेतु निम्नांकित सामान उपलब्ध है :–

क.सं.	नाम सामग्री	उपलब्ध
1	हेलमेट	647
2	स्ट्रैचर	05
3	रस्सा	08 बण्डल (लगभग 30 मीटर प्रतिनग)
4	कस्सी	05
5	कुल्हाड़ी	26
6	गम बूट	34 जोड़ा(22पुराने 12 नये)
7	टार्च	10

8	गेंती	08
9	बाल्टी	100
10	लाईफ जाकेट	32 (24पुरानी व 8 नई)
11	फस्ट एड बॉक्स	15
12	कम्बल लाल	06
13	पोर्टेब्ल पम्प	01
14	ड्रैगन लाईट	02
15	लाईफ ट्यूब	04
16	बेलचा	02
17	जाल	01 (55X15 फुट)
18	लाईफ बॉय	06
19	फुल बॉडी हारनेस	02
20	स्ट्रेचर डी टाईप	02
21	स्ट्रेचर स्पाइन बोर्ड फाइबर	02
22	काराबीनर	02
23	हैण्ड गल्वज	04 जोड़े
24	मास्क	02
25	हैण्ड टूल सैट	01
26	मेगाफोन	03 (2 नये 1पुराना)

उपरोक्त सामान के अतिरिक्त

(1)एक TATA 407 अग्नि शमन वाहन RJ 14 G 3333 मय क्रू सदस्य(एक लीडिंगफायरमैन, 3फायरमैन)

(2) एक बोलेरो केम्पर–आपदा बचाव वाहन RJ 13 GB 4877

(3) एक मोटर साइकिल हीरोहोण्डा सुपरसपलेण्डर RJ 14 LS 9158

तैराकों की सूची निम्नांनुसार हैः– नागरिक सुरक्षा स्वयं–सेवक

क्र.सं.	सदस्य सं0	स्वयं–'सेवक का नाम व पिता का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	1573	हरीशकुमार पुत्रश्री हनुमानप्रसाद	9024313489
2.	2111	संजयकुमार पुत्रश्री महावीरप्रसाद	8058897181
3	2096	सन्दीपकुमार पुत्रश्री रामकुमार	9649149291
4	2095	प्रदीपकुमार पुत्रश्री नानूराम	9649441225
5	2112	राधेश्याम पुत्रश्री महावीरप्रसाद	7568980800
6	67	धर्मवीर पुत्रश्री शंकरलाल	9079356403
7	2079	पवनकुमार पुत्रश्री धर्मपाल	9001145158
8	06	हंसराज पुत्रश्री बनवारीलाल	8766668499
9	2106	अस्णकुमार पुंत्रश्री रणवीरसिह	9024120006
10	40	देवरतन पुत्रश्री विजयकुमार	8946913401
11	60	मुकेशकुमार पुत्रश्री कालूराम	7619759787
12	2073	कृष्णलाल पुत्रश्री दुलीचन्द	9887038703
13	54	राजेन्द्रकुमार पुत्रश्री पृथ्वीराज	7014109683
14	36	सूरजप्रकाश पुत्रश्री चन्दूराम	9529654995
15	76	गुरप्रीतसिंह पुत्रश्री साधूसिंह	9672038286
16	2153	अमित जोशी पुत्रश्री शिवकुमार	7820974447
17	2204	अक्षयकुमार पुत्रश्री जगदीशकुमार	7877774553
18	2206	सुशीलकुमार पुत्रश्री भरतलाल	8209278727
19	2208	मनोजकुमार पुत्रश्री बनवारीलाल	8619000451
20	2209	अजीतसिंह पुत्रश्री मलकीतसिह	7790890357
21	2211	सुनीलकुमार पुत्रश्री श्रवणकुमार	7610038105

22	2212	विक्रम पुत्रश्री हनुमानप्रसाद	9529975683
23	2214	राहुल वर्मा पुत्रश्री विजयकुमार	8385862398
24	2217	सन्दीप पुत्रश्री रविन्द्रकुमार	7792933806
25	2218	मदनलाल पुत्रश्री बनवारीलाल	7740831143
26	2225	गुरजीतसिंह पुत्रश्री कशमीरसिंह	8560010001
27	2235	राजेशकुमार पुत्रश्री बनवारीलाल	7690009782
28	09	लक्ष्मणसिह पुत्रश्री सूरजप्रकाश	8058412431
29	78	नरेश पुत्रश्री प्रेमबहादुर	8003917878
30	79	मैनपाल पुत्रश्री लिखमाराम	7793009980
31	80	मोहनसिंह पुत्रश्री मलकीतसिंह	9571008500
32	81	सुनीलकुमार पुत्रश्री सोहनलाल	9057602965
33	85	भूपेन्द्रकुमार पुत्रश्री रामस्वरूप	9694849554
34	86	श्रवणकुमार पुत्रश्री महेन्द्रकुमार	8104700552
35	88	सुनीलकुमार पुत्रश्री कृष्णलाल	8385830001
36	89	अरविन्दकुमार पुत्रश्री दलीपकुमार	8946994029
37	97	चन्द्रभान पुत्रश्री भरतलाल	8949714010
38	100	नरेन्द्रकुमार पुत्रश्री गुरबचनसिह	9602970031
39	105	गुरपालसिंह पुत्रश्री जसकरणसिंह	8619797548
40	106	दिनेशकुमार पुत्रश्री रामकुमार	7891147436
41	107	सुशीलकुमार पुत्रश्री गोरीशंकर	9887280971
42	111	सोमचन्द पुत्रश्री जगदीशकुमार	8955372515
43	120	अजयपाल पुत्रश्री रामकिशन	7688998754
44	122	महावीरप्रसाद पुत्रश्री जसराम	7689004930
45	130	रविकुमार पुत्रश्री पप्पूराम	9785140386
46	134	सन्दीप पुत्रश्री गुरजीतसिंह	8739859608
47	135	प्रगटसिह पुत्रश्री काकासिह	8239962665
48	136	साहबराम पुत्रश्री मनीराम	8112234181
49	2245	विजयकुमार पुत्रश्री इन्द्राज बिशनोई	7229859726
50	2236	सुनीलकुमार पुत्रश्री राजवीर	9166999162
51	2246	सतपालसिंह पुत्रश्री प्रीतमसिह	8239129766
52	2248	कालासिह पुत्रश्री भगवानसिंह	8560018091
53	2252	पवनकुमार पुत्रश्री इन्द्राज बिशनोई	7229859726
54	2260	राजेशकुमार पुत्रश्री रामप्रताप	9772765533
55	2262	योगेशकुमार पुत्रश्री सीताराम	9587774219
56	2269	निर्मलसिंह पुत्रश्री काकासिंह	9928358165
57	2273	मैनपाल पुत्रश्री लालचन्द	9799734223
58	2274	सुनीलकुमार पुत्रश्री पालाराम	7790990002
59	2275	महेन्द्रकुमार पुत्रश्री गोपीराम	7610010997
60	2276	बिन्द्रकुमार पुत्रश्री दौलतराम	9664131427

(1) नगर परिषद गैराज के वाहनों की सूची

प्रभारी अधिकारी का नाम :– श्री दैवेन्द्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी
दूरभाष नं. :– 2440783, 98879.51101

क्रस	वाहन	वाहन का प्रकार
1	RJ 13 EA 0063	जे.सी.बी.
2	RJ 13 EA 0685	जे.सी.बी.
3	RJ 13 E 0038	एल.एन.टी.
4	RJ 13 2R 7487	पानी टेंकर
5	RJ 13 1R 1368	पानी टेंकर
6	RJ 13 2R 7486	ट्रैक्टर ट्राली
7	RJ 13 RA 5364	ट्रैक्टर ट्राली
8	RJ 13 RA 5365	ट्रैक्टर ट्राली
9	RJ 13 EA 0187	स्काई लिफ्ट
10	RJ 13 GB 3608	डम्पर
11	RJ 13 GA 7091	आयशर कम्पेक्टर
12	RJ 13 GA 6047	टाटा 709
13	RJ 13 GB 3887	किश्ती कन्टेनर
14	RJ 13 GA 3792	केटल केचर
15	RRK 4382	मेजर जीप (विद्युत)
16	RJ 13 UA 1207	मेजर जीप (स्वास्थ्य)
17	RJ 13 CA 7551	अम्बेसडर कार
18	RJ 13 CA 7577	अम्बेसडर कार
19	RJ 13 GB 3418	बिन लिफ्टर
20	RJ 13 GB 3419	बिन लिफ्टर
21	RJ 13 GB 3421	बिन लिफ्टर
22	RJ 13 GB 3424	बिन लिफ्टर
23	RJ 13 GB 3425	बिन लिफ्टर
24	RJ 13 GB 4312	बिन लिफ्टर

25	RJ 13 GB 4313	बिन लिफ्टर
26	RJ 13 GB 4314	बिन लिफ्टर
27	RJ 13 GB 4315	बिन लिफ्टर
28	RJ 13 GB 4316	बिन लिफ्टर
29	RJ 13 GB 4317	बिन लिफ्टर
30	RJ 13 GB 4318	बिन लिफ्टर
31	RJ 13 GB 3612	छोटा ऑटो टिप्पर
32	RJ 13 GB 3613	छोटा ऑटो टिप्पर
33	RJ 13 GB 3614	छोटा ऑटो टिप्पर
34	RJ 13 GB 3615	छोटा ऑटो टिप्पर
35	RJ 13 GB 3616	छोटा ऑटो टिप्पर
36	RJ 13 GB 3617	छोटा ऑटो टिप्पर
37	RJ 13 GB 3618	छोटा ऑटो टिप्पर
38	RJ 13 GB 3619	छोटा ऑटो टिप्पर
39	RJ 13 GB 3620	छोटा ऑटो टिप्पर
40	RJ 13 GB 3621	छोटा ऑटो टिप्पर
41	RJ 13 GB 3622	छोटा ऑटो टिप्पर
42	RJ 13 GB 3623	छोटा ऑटो टिप्पर
43	RJ 13 GB 3611	जेटिंग मशीन

---

(2) अग्निशमन विभाग के वाहनों की सूची

प्रभारी अधिकारी का नाम :– श्री राकेश व्यास, फायर ऑफिसर

दूरभाष नं. :– 101, 2470101, 98294.29729

अग्निशमन वाहनों का ब्यौरा

क्र.सं.	रजिस्ट्रेशन नंबर	मॉडल	पानी क्षमता	वाहन का प्रकार
1	RJ 13 GB 3892	1986-87	4500 लीटर	टाटा कम्पनी
2	RJ 13 GB 3893	1996	2500 लीटर	टाटा कम्पनी 407
3	RJ 13 EA 0716	2000	3000 लीटर	टाटा कम्पनी 709
4	RJ 13 EA 0304	2010	5000 लीटर 200 लीटर फोम	टाटा कम्पनी 207
5	RJ 13 GB 3894	1992-93	4500 लीटर	अशोक लीलेण्ड क0
6	RJ 13 E 0049	2002	14500 लीटर	अशोक लीलेण्ड क0
7	RJ 13 E 0058	2003-04	3000 लीटर 800 गेलन फोम	अशोक लीलेण्ड क0
8	RJ 13 EA 0882	2017	3000 लीटर	टाटा कम्पनी 909

आग बुझाने वाले यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	प्रकार	क्षमता	संख्या
1	ABC Type fire extinguishers	10 कि.ग्रा.	7
2	Co2 Type fire extinguishers	34.6 कि.ग्रा.	2
3	ABC Type fire extinguishers	4 कि.ग्रा.	27
4	O/C		14
5	Fome AFFF 20 lttes xsyu	280 लीटर	5
6	Hand Control Brach		4
7	B.A. Set		4
8	होज पाईप		आवश्यकतानुसार
9	सैक्शन पाईप		आवश्यकतानुसार
10	Fome Branch 10 X		2
11	Fome Branch 5 X		2
12	रिवोल्विंग ब्राच		1
13	फोग ब्राच		1
14	ट्रिपल पप्रच		1
15	डिवाईडिंग		2
16	फलेक्टिंग हैड		2
17	काम्बीटुल हाईड्रोलिक		1
18	Branchis		12

दमकल विभाग में 1,00,000 लीटर पानी क्षमता का टैंक बना हुआ है और हाईडेण्ट लगा हुआ है।

(3) गैराज के पम्प चालू हालत में

प्रभारी अधिकारी का नाम :– श्री दैवेन्द्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी
दूरभाष नं. :– 2440783, 98879.51101

क्र.सं.	नाम	क्षमता
1.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	26 एच.पी.
2.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	14 एच.पी.
3.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	14 एच.पी.
4.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	14 एच.पी.
5.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	14 एच.पी.
6.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	8 एच.पी.
7.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	8 एच.पी.
8.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	8 एच.पी.
9.	डीजल ईन्जन पम्प सैट	8 एच.पी.
10	डीजल ईन्जन पम्प सैट	10 एच.पी.
11	डीजल ईन्जन पम्प सैट	10 एच.पी.
12	जनरेटर नगर परिषद ऑफिस	7.5 के.वी.ए.

(4) स्टोर

प्रभारी अधिकारी का नाम :– श्री विश्वास गोदारा, सहायक राजस्व निरीक्षक
दूरभाष नं. :– 2440783, 94148.38001

क्र.सं.	नाम	नग
1.	टोकरी शहतूत की	50 नग
2.	बठल लोहे के	50 नग
3.	कस्सी मय दस्ता	20 नग
4.	बाल्टी	20 नग
5.	बेलचा	15 नग
6.	बांस 18'–20' लम्बे	15 नग
7.	गम बुट	100 जोड़ा
8.	हेण्ड ग्लाब्स	100 जोड़ा
9.	गेंती मय दस्ता	10 नग
10.	बैटरी (टार्च) बड़ी	2 नग
11.	रस्सा	200 फुट
12.	त्रिपाल 18' x 54'	5 नग

नगर परिषद, श्रीगंगानगर में सफाई निरीक्षकों को आवंटित वार्ड नंबर की सूची

श्री दैवेन्द्र प्रताप, स्वास्थ्य अधिकारी – 9887951101
सफाई व्यवस्था कन्ट्रोल रूम – 8562890001, 0154–2470101, 101

क्रस	सफाई निरीक्षक का नाम मय मो.नंबर	आवंटित वार्ड नं.	हाजिरी स्थल
1	सुनील भाटिया, 99820.35426, 82091.50072	01, 02, 11	महिला पार्क
2	संजय चावंरिया, 90248.13811, 99833.10210	03	ताराचन्द वाटिका
3	बसन्त/हीरालाल, 94135.42075	05, 07	ग्रीन पार्क
4	सतीश/राधेश्याम, 76659.09491, 96724.77491	06	रवि चौक
5	सतीश/राधेश्याम, 76659.09491, 96724.77491	08	रवि चौक
6	सीताराम/गौरीशंकर, 98287.99908	09, 10	संजय वाटिका
7	विनोद कुमार/लालाराम, 93529.81552	12	धींगड़ा पार्क
8	राजपाल लोहिया, 98878.55221	13	धींगड़ा पार्क
9	सुनील कुमार/सूर्यप्रकाश	14	संजय वाटिका
10	सुरेश भाटिया/कालूराम, 78916.89716	15	ताराचन्द वाटिका
11	बालकिशन, 94606.52817	21, 29	विनोबा बस्ती पार्क
12	राजकुमार/दयाचंद, 75977.20286	23	फायर ब्रिगेड
13	राजुराम/कटाराराम, 9649616916	25	डी ब्लाक
14	उमेश भाटिया, 99508.17594, 87696.09411	30	चहल चौक

15	दीपक / भगतराम, 98873.18758	31	चहल चौक
16	श्यामलाल / थावरिया, 95713.54670	32	गणपति चौक
17	राजकुमार / मंगलाराम, 95717.32993	33	चहल चौक
18	विकास / साधुराम 76109.72354	35	आंचल हॉस्पीटल
19	हरिन्द्र / मगर, 98298.43126	36	सिहाग हॉस्पीटल
20	शंकर / सहीराम, 90017.93052	37	एकता पार्क
21	डालूराम / श्यामलाल, 78770.71642	40	हाऊसिंग बोर्ड पार्क
22	औमप्रकाश / मंगलाराम, 93525.17173 सोहनलाल / बल्लूराम,	41	अकमल दवाखाना
23	अनिल धारीवाल, 98871.96762	42	जवाहर नगर थाना
24	दैवेन्द्र प्रताप राठौड़, 98879.51101 संजय / किशोरी, 95290.88660	43	जवाहर नगर थाना
25	संजय / जगदीश, 97996.89493	44	जवाहर नगर थाना
26	राजकुमार / बुलाकीराम, 84268.18463 अमनदीप भाटिया, 88242.27932, 73004.35100	47, 48, 49	वाल्मीकि धर्मशाला
27	बुधराम (समीर) 73570.75296, 72218.02011 कैलाश / कालूराम, 93585.44204	50	गंगा सिंह चौक
28	विशाल / वेदप्रकाश, 90795.29022	नाला गैंग प्रभारी	
29	ठेके पर 16 वार्ड :– 04, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 45, 46	राजेन्द्र पूनियां 83968.10006	

जोधपुर विद्युत वितरण विभाग :–

S. N.	Name of Officer	Designation	STD Code	Office	Residence	Mob. No.
SE (O&M), Sri Ganganagar						
1	Sh. K.K. Kashwan	S.E. (O&M), SGNR	0154	2442080	2461019	9413359690
2	Sh. R.P. Verma	TA to SE (O&M), SGNR	0154	2442087	N/A	94133-59720
XEN (DDUGJY), Sri Ganganagar						
1	Sh. V.I. Parihar	XEN (DDUGJY), SGNR	N/A	N/A	N/A	94133-59721
2	Vacant	AEN (DDUGJY), SGNR	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Sh. Shiv Parkash Goswami	JEN (DDUGJY), SGNR	N/A	N/A	N/A	94133-59741
4	Vacant	JEN (DDUGJY), SGNR	N/A	N/A	N/A	N/A
XEN (VIG), Sri Ganganagar						
1	Vacant	XEN (Vig), SGNR	0154	2442093	2464093	9413359692
2	Vacant	AEN (Vig), SGNR	N/A	N/A	N/A	N/A
XEN (CD), Sri Ganganagar						
1	Sh. J.S. Pannu	XEN (CD), SGNR	0154	2442093	2464093	94133-59691

AEN (CSD-I), Sri Ganganagar						
1	Sh. Manmeet Pratihar	AEN (CSD-I), SGNR	0154	2461029	2100700	94133-59717
2	Sh. Gagandeep Singh	JEN (CSD-I), jawaharnagar	0154	2442037	2442037	94140-21563
3	Sh. Sorabh Nirwan	JEN (CSD-I), Shanimandir	0154	2442036	NA	94140-59732
4	Sh. Sourav	JEN (CSD-I), RIICCO	0154			
5	Sh. Depender Latta	ARO (CSD-I), SGNR	0154	2461029	2100700	94140-21625
AEN (CSD-II), Sri Ganganagar						
1	Sh. Shiv Parkash Goswami (Addl. Charge)	AEN (CSD-II), SGNR	0154	2471017	2442028	94133-59698
2	Sh. Rajiv Arora	JEN (CSD-II), JCT	0154	2442019	N/A	94133-59719
3	Sh. Arun Yadav	JEN (CSD-II), Old Abadi	0154	2442018	N/A	94133-59718
4	Sh. Pankaj Maheswari	ARO (CSD-II), SGNR	0154	2471017	N/A	94140-21428
AEN (CSD-III), Sri Ganganagar						
1	Sh. K.S. Sandhu	AEN (CSD-III), SGNR	0154	2442071	2442078	94140-21637
2	Sh. Manjit Saini	JEN (CSD-III), Old PH	0154	2442073	N/A	94140-21554
3	Sh. Vikash Kumar Bishnoi	JEN (CSD-III), BSC	0154	2442074	N/A	94140-21596
4	Sh. S.S. Yadav	ARO (CSD-III), SGNR	0154	2442074	N/A	94140-58730
XEN (DD), Sri Ganganagar						
1	Sh. Ajay Mathur	XEN (DD), SGNR	0154	2442058	2442098	94133-59697
AEN (Rural), Sri Ganganagar						
1	Sh. Nishant Dhunna	AEN (Rural), SGNR	0154	2442012	2442013	94133-59735
2	Sh. Abhay Ranjan	JEN (Rural), SGNR	0154	2442012	NA	94140-21620
3	Vacant	JEN (Rural-I) SGNR	0154	2442012	N/A	N/A
4	Sh. Avtar Singh	JEN, Netewala, Sgnr	0154	2496061	N/A	94140-21465
5	Sh. Rakesh Jangid	ARO (Rural), SGNR	0154	2442012	N/A	94140-21426
AEN (O&M), Sadulshahar						
1	Sh. G.P. Jajoria (Addl. Charge)	AEN (O&M), SDS	01503	222056	220156	94133-59725
2	Sh. Pardeep	JEN, Rural, SDS	01503	222056	N/A	94140-21638
3	Sh. Pawan Kumar	JEN, City, SDS	01503	287346	N/A	94133-59724
4	Sh. Manish Sidana	ARO	01503	222056	N/A	94140-21427
AEN (O&M), Kesarisinghpur						
1	Sh. Rakesh Nokhwal	AEN (O&M), KSPR	01501	232796	232797	94133-59726
2	Sh. Tarandeep	JEN, Mirjewala	01501	2821042	N/A	94140-21639
3	Vacant	JEN,City, KSPR	01502	2821043	N/A	9414021617
4	Sh. Rahul Parmar	JEN, (R)	01501	232796	N/A	94133-59702
5	Sh. Sunil Chayal	ARO, KSPR	01501	232796	N/A	94133-59727
AEN (O&M), Lalgarh						
1	Sh. G.P. Jajoria	AEN (O&M), Lalgarh	N/A	N/A	N/A	94133-59701
2	Sh. Anurag Rathore	JEN, Rural, Lalgarh	N/A	N/A	N/A	94140-21638
3	Miss. Pratibha Sharma	JEN, City, Lalgarh	N/A	N/A	N/A	94140-21563
4	Sh. Amandeep	JEN, Ganeshgarh	N/A	N/A	N/A	86190-16945
5	Sh. Sahdev Legha	ARO, Lalgarh	N/A	N/A	N/A	9549670308
AEN (O&M), Raisinghnagar						
1	Sh. Anil Singal	XEN (O&M), RSNR	01507	220158	N/A	94133-59695

2	Sh. Sita Ram Chohan	AEN (O&M), RSNR	01507	220004	220058	94133-59703
3	Sh. Suresh Dheel	JEN (City), RSNR	01507	220314	N/A	94133-59727
4	Sh. Anirudhpal Singh	JEN (Rural-I), RSNR	01507	220004	N/A	94140-21636
5	Sh. Lokesh Sain	JEN (Rural-II), RSNR	N/A	N/A	N/A	86198-79397
6	Sh. O.P Verma	ARO, RSNR	01507	220004	N/A	94140-21439
AEN (O&M), Gajsinghpur						
1	Sh. Mithlesh Kumar	AEN (O&M), GSPR	01505	231130	N/A	94140-21538
2	Sh. V.K. Verma	JEN (Rural), GSPR	NA	230130	N/A	94140-21539
3	Sh. Ashish Kumar	JEN (City), GSPR	NA	230130	N/A	94140-21632
4	Sh. Ankush Kadwasra	ARO, GSPR	01505	231130	N/A	94140-58727
AEN (O&M), Padampur						
1	Sh. Madan Gopal Bishnoi	AEN (O&M), PDP	01505	232287	232288	94133-59736
2	Sh. Vikash Punia	JEN (City) PDP	1505	232036	N/A	94133-59730
3	Sh. Naveen Kumar	JEN (Rural), PDP	N/A	N/A	N/A	7807292047
4	Sh. Manoj Kumar	JEN, Ghamurwali	N/A	N/A	N/A	9928209442
5	Sh. Ankit Dhankkad	JEN, Ridmalsar	N/A	N/A	N/A	94133-59710
6	Sh. Mayank Rankavat	ARO, PDP	01505	232287	N/A	94140-21454
AEN (O&M), Sri Karanpur						
1	Sh. Pushpender Singh	AEN (O&M), SKPR	01501	226089	220079	94133-59704
2	Sh. Rajesh Prasad Meena	JEN (City), SKPR	N/A	N/A	N/A	94140-21634
3	Sh. Ramesh Kumar	JEN (Rural), SKPR	N/A	N/A	N/A	94140-79714
4	Sh. Ajay Gupta	ARO, SKPR	01501	226089	220079	94140-21458
XEN (O&M), Suratgarh						
1	Sh. L.S. Maan	XEN (O&M), SOG	01509	220297	220293	94133-59693
AEN (City), Suratgarh						
1	Sh. Ravikant Sharma	AEN (City), SOG	01509	220272	220372	94133-59706
2	Sh. Bhartendu Singh	JEN, Sardarpura Bika	N/A	N/A	N/A	94133-53699
3	Sh. Banwari Lal	JEN (City-I), SOG	N/A	N/A	N/A	94140-21564
4	Neha Bishnoi	JEN, Paliwala	N/A	N/A	N/A	96504-16029
5	Sh. Pawan Kumar	JEN (City-III), SOG	N/A	N/A	N/A	94140-21539
6	Sh. Bhupendar Singh	ARO, SOG City	01509	220272	220372	94140-21459
AEN (Rural), Suratgarh						
1	Sh. C.S. Ojha	AEN (Rural), SOG	01509	225307	225308	94133-59739
2	Sh. Sanjay Swami	JEN, Rural, SOG	N/A	N/A	N/A	94133-59734
3	Sh. Pankaj Joshi	JEN, STPS, SOG	N/A	N/A	N/A	94140-21573
4	Sh. Vikas Sharma	JEN, Rajiyasar, SOG	N/A	N/A	N/A	94140-21574
5	Sh. Ajay Gotwal	JEN, Eta Singrasar	N/A	N/A	N/A	94146-36598
6	Sh. Brijmohan Prjapati	ARO, SOG	01509	225307	N/A	94140-21462
AEN (O&M), Sri Vijaynagar						
1	Sh. Shiv Ram Meena	AEN (O&M), SBNR	01498	230782	230781	94133-59707
2	Sh. Harish Kumar	JEN,City, SBNR	N/A	N/A	N/A	94133-59738
3	Sh. Manoj Kumar	JEN,Rural, SBNR	N/A	N/A	N/A	94133-59716
4	Sh. Jaspal Singh	ARO, SBNR	01498	230782	N/A	94140-21763

AEN (O&M), Jaitsar						
1	Sh. Jagdish Pachar	AEN (O&M), Jaitsar	N/A	N/A	N/A	94133-59728
2	Miss Asha Verma	JEN, City, Jaitsar	N/A	N/A	N/A	94133-59733
3	Vacant	JEN, Sardargarh	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Sh. Ajaypal Singh	JEN, Rural, Jaitsar	N/A	N/A	N/A	94133-59740
5	Vacant	ARO, Jaitsar	N/A	N/A	N/A	N/A
XEN (O&M), Anoopgarh						
1	Sh. S.S. Daiya	XEN (O&M), APH	01498	253529	222926	94133-59694
AEN (O&M), Anoopgarh						
1	Sh. Mukesh Chouhan	AEN (O&M), APH	01498	252263	222135	94133-59708
2	Sh. Parmod Morya	JEN, City APH	N/A	N/A	N/A	94140-21641
3	Sh. Ashok Bishnoi	JEN, Rural, APH	N/A	N/A	N/A	94133-59729
4	Sh. Manish Legha	JEN, Ramsinghpur	N/A	N/A	N/A	70140-04354
5	Sh. Sunny Nayyer	ARO, APH	01498	252263	N/A	94140-21464
AEN (O&M), Gharsana						
1	Sh. Govind Nath	AEN (O&M), GHSN	01506	250664	220665	94133-59709
2	Pooja Kumari Meena	JEN, NEW mandi, GHSN	N/A	N/A	N/A	94140-21615
3	Vacant	JEN, City, GHSN	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Sh. Anil Kumar	JEN, Old mandi, GHSN	N/A	N/A	N/A	9785001692
5	Sh. Naresh Middha	ARO, GHSN	01506	250664	NA	94140-21465
AEN (O&M), Rawla						
1	Vacant (New created)	AEN (O&M), Rawla	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Vacant	JEN, City, Rawla	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Farman Singh	JEN, Rural, Rawla	N/A	N/A	N/A	94140-21568
4	Vacant	JEN, 365 Head	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Sh. Ashwani Jagga	ARO, Rawla	N/A	N/A	N/A	94613-60403
AEN (M&P-I), Sri Ganganagar						
1	Sh. M.L. Beniwal	AEN (M&P-I), Sgnr	0154	2440180	N/A	94133-59743
2	Smt. Ruchitra Tak	JEN (M&P-I), Sgnr	N/A	2440180	N/A	N/A
3	Smt. Anju Narula	JEN (M&P-I), Sgnr	N/A	2440180	N/A	94140-21558
AEN (M&P-II), Sri Ganganagar						
1	Sh. Deepak Maurya	AEN (M&P-II), Sgnr	0154	2466988	N/A	94133-59742
2	Smt. Anu Bishnoi	JEN (M&P-II), Sgnr	0154	2466988	N/A	N/A
AEN (HTM), Sri Ganganagar						
1	Sh. R.C. Verma	AEN (HTM), Sgnr	N/A	N/A	N/A	94140-20998
2	Vacant	JEN (HTM), Sgnr	N/A	N/A	N/A	N/A
AEN (ACOS), Sri Ganganagar						
1	Sh. J.K. Chawla	ACOS, Sgnr	0154	2442000	N/A	94133-59713
AEN (Civil), Sri Ganganagar						
1	Sh. K.K. Chawla	AEN (Civil), Sgnr	0154	2442093	N/A	94133-59711
2	Sh. Dharmpal	JEN (Civil), Sgnr	0154	N/A	N/A	94140-21643
PO (O&M), Sri Ganganagar						
1	Sh. S.K. Singh	P.O., Sgnr	0154	2442044	N/A	94133-59696
2	Vacant	A.P.O., Sgnr	0154	2442044	N/A	N/A

AO (O&M), Sri Ganganagar						
1	Sh. S.K. Gupta	A.O., Sgnr	0154	2442046	N/A	94133-59712
2	Sh. S.K. Gupta	AA.O., Sgnr	0154	2442046	N/A	94133-59715
SHO (APTPS), Sri Ganganagar						
1	Sh. Mangal Singh	SHO, APTPS, Sgnr	0154	2484236	N/A	94133-59700

जन स्वास्थ्य अभि. विभाग (पी.एच.ई.डी.) :

विभाग द्वारा नियुक्त नोड्ल अधिकारी/ प्रभारी अधिकारियों के नाम, मोबाईल नं0 व उनके घर का पता

क्र. स.	नोड्ल अधिकारी का नाम	पद व कार्यालय नाम	निवास पता	मोबाईल नं0	दूरभाष नं0 निवास
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार जैन	अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, नगर खण्ड श्रीगंगानगर	ब्लॉक ऐरिया श्रीगंगानगर	9414482206	0154–2445064
2	श्री भजनलाल यादव	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, नगर उपखण्ड प्रथम श्रीगंगानगर	जवाहरनगर श्रीगंगानगर	9587882865	0154–2440784
3	श्री अमरीक सिंह जोरा	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, नगर उपखण्ड द्वितीय श्रीगंगानगर	सिविल लाईन श्रीगंगानगर	8005905580	0154–2464840
4	श्री मुंशीलाल मनचंदा	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, राजस्व उपखण्ड श्रीगंगानगर		9571500001	0154–2442265
5	श्री जसराम	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर	जवाहरनगर श्रीगंगानगर	9414506200	0154&2440184
6	श्री पृथ्वीराज किलानियां	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड श्रीकरणपुर	वाटर वर्क्स कैम्पस, श्रीकरणपुर	9414434191	01501&226254
7	श्री देवपाल गिरी	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड पदमपुर	वाटर वर्क्स कैम्पस, पदमपुर	9414091936	01505&232070
8	श्री जितेन्द्र झाम्ब	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड सादुलशहर	वाटर वर्क्स कैम्पस, सादुलशहर	8003217277	01503&222098
9	श्री सतीश कुमार अरोड़ा	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड रायसिंहनगर	वाटर वर्क्स कैम्पस, रायसिंहनगर	9414503735	01507–220337
10	श्री बी.डी. दायमा	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड अनूपगढ़	वाटर वर्क्स कैम्पस, अनूपगढ़	9461373530	01498–253098

11	श्री गिरीराज रेगर	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड घड़साना	वाटर वर्क्स कैम्पस, घड़साना	9414109520	01506–250084
12	श्री ताराचंद पिलानिया	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड सूरतगढ़	वाटर वर्क्स कैम्पस, सूरतगढ़	9829050901	01509–220290
13	रिक्त श्री कृष्णलाल गोदारा (अतिरिक्त चार्ज)	सहायक अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, उपखण्ड श्रीविजयनगर	वाटर वर्क्स कैम्पस, श्रीविजयनगर	9413540222	01498–230013

विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की सूचि व उपलब्धता का स्थान एंव संसाधन उपलब्ध करवाने वाले अधिकारी/कर्मचारी व उनके क्षेत्र की पूर्ण सूचना।

क्रं. सं.	विभाग के पास उपलब्ध संसाधनो की सुची	उपलब्धता का स्थान	संसाधन उपलब्ध करवाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी एंवम उनका कार्यक्षेत्र
1	**नगर खण्ड श्रीगंगानगर** जीप अनुबंधित	श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियंता,नगर खण्ड श्रीगंगानगर
	नगर उपखण्ड–I, श्रीगंगानगर जीप अनुबंधित	श्रीगंगानगर	सहायक अभियंता नगर उपखण्ड I श्रीगंगानगर
	नगर उपखण्ड–II, श्रीगंगानगर जीप अनुबंधित	श्रीगंगानगर	सहायक अभियंता नगर उपखण्ड II श्रीगंगानगर
	राजस्व उपखण्ड श्रीगंगानगर जीप अनुबंधित	श्रीगंगानगर	सहायक अभियंता राजस्व उपखण्ड श्रीगंगानगर
2	ग्रामीण खण्ड श्रीगंगानगर कार, अनुबंधित	श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियंता ग्रामीण खण्ड श्रीगंगानगर
	ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर जीप सरकारी	श्रीगंगानगर	सहायक अभियंता ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर
	उपखण्ड सादुलशहर जीप सरकारी	सादुलशहर	सहायक अभियंता उपखण्ड सादुलशहर
	उपखण्ड श्रीकरणपुर जीप अनुबंधित	श्रीकरणपुर	सहायक अभियंता उपखण्ड श्रीकरणपुर
	उपखण्ड पदमपुर जीप अनुबंधित	पदमपुर	सहायक अभियंता उपखण्ड पदमपुर
3	खण्ड अनूपगढ़ कार अनुबंधित ट्रक सरकारी	अनूपगढ़	अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़
	उपखण्ड अनूपगढ़ जीप अनुबंधित	अनूपगढ़	सहायक अभियंता उपखण्ड अनूपगढ़
	उपखण्ड रायसिंहनगर जीप, अनुबंधित	रायसिंहनगर	सहायक अभियंता उपखण्ड रायसिंहनगर
4	खण्ड सूरतगढ़ कार अनुबंधित ट्रक सरकारी	सूरतगढ़	अधिशाषी अभियंता सूरतगढ़
	उपखण्ड सूरतगढ़ जीप, अनुबंधित	सूरतगढ़	सहायक अभियंता सूरतगढ़
	उपखण्ड विजयनगर जीप, अनुबंधित	विजयनगर	सहायक अभियंता विजयनगर
1.	डीजल पम्प सैट	सभी उपखण्डों पर	सभी सहायक अभियंता
2.	विभिन्न साईज के होज पाईप	सभी उपखण्डों पर	सभी सहायक अभियंता

3.	विभिन्न साईज के एसी/ पीवीसी पाईप	सभी उपखण्डों पर	सभी सहायक अभियंता
4.	ब्लीचिंग पाउडर	सभी उपखण्डों पर	सभी सहायक अभियंता

क्रं. सं.	टैक्टर मालिक का नाम	पता	टेलीफोन/ मोबाईल नं.
	नगर उपखण्ड श्रीगंगानगर		
1	श्री सुदेश	साधुवाली	9828275520
2	श्री पंछी	साधुवाली	9352709348
	उपखण्ड श्रीगंगानगर		
1	श्री मनजीत सिंह बलदेव सिंह	गॉव 19 जीजी त0श्रीगंगानगर	9783222666
2	श्री बिन्दर सिंह	गांव बुर्जवाली 21जीजी त0 श्रीगंगानगर	
3	श्री गिरधारी लाल	गांव ततारसर तह0श्रीगंगानगर	9828671193
4	सरपंच गणेशगढ़	गणेशगढ़	
5	सरपंच लाधुवाला	लाधुवाला	
	उपखण्ड श्रीविजयनगर		
1	श्री अमरजीत सिंह	23 जीबी	9828558428
2	श्री पाल सिंह	श्रीविजयनगर	9828790432
3	श्री संदीप सिंह	श्रीविजयनगर	9610095203
4	श्री कमल कांत	जैतसर	9549027100
	उपखण्ड सूरतगढ़		
1	खालसा टैंकर्स	सूरतगढ़	9414502442 9252022023
2	श्री बलराम	सूरतगढ़	9414657480
3	श्री राजेन्द्र शर्मा	सूरतगढ़	9928745702
4	श्री इन्द्रसिंह राजपुत	सूरतगढ़	01509225412
5	श्री राडाराम	सूरतगढ़	9413611174
6	श्री साहबराम गणेशगढ़िया	सूरतगढ़	9887825354
7	श्री रामकुमार भाम्भु	सूरतगढ़	9929924259
8	श्री बागड़ी	सूरतगढ़	9875299793
9	श्री बाबी	सूरतगढ़	9414537218
	उपखण्ड अनूपगढ़		
1	श्री राजेन्द्र कुमार	अनूपगढ़	9828035490
2	श्री गुरूपाल सिंह	अनूपगढ़	9414966330
3	श्री रामचन्द्र	अनूपगढ़	9772472466
4	श्री मंदर सिंह	अनूपगढ़	8875706753
5	श्री यादव	अनूपगढ़	9784040563
6	श्री चिंरजीलाल नागपाल	अनूपगढ़	9414092159
	उपखण्ड रायसिंहनगर		
1	श्री सतपाल	रायसिंहनगर	9414507606
2	श्री अवतार सिंह	रायसिंहनगर	9667475898
3	श्री ललित	रायसिंहनगर	9667298319
4	श्री निर्मल	रायसिंहनगर	9414399795
5	श्री राजू	रायसिंहनगर	9829354033
6	श्री टहल सिंह	रायसिंहनगर	9828072784
	उपखण्ड घड़साना		
1	श्री साहब राम	रावला मण्डी	9511546750

2	श्री सुल्ताना राम	रावला मण्डी	9829956286
3	श्री लालचन्द	रावला मण्डी	9928053405
4	श्री गुरदयाल सिंह	रावला मण्डी	9784893779
5	श्री कालूराम	रावला मण्डी	9829921142
6	श्री शेराराम	रावला मण्डी	9783224686
7	श्री गोविन्द राम	रावला मण्डी	9549184961
8	श्री हरबसं सिंह	घड़साना	9828821691
9	श्री सुभाष	घड़साना	9785276648
10	श्री राकेश	घड़साना	9460644775
11	श्री मोहन लाल	घड़साना	8058180717
12	श्री भोलाराम	घड़साना	9828607070
13	श्री सुखदेव सिंह	घड़साना	9413221737
14	श्री बालकृष्ण	घड़साना	9828220940
15	श्री गुरमीत सिंह	घड़साना	9828184351
16	श्री टेकचंद	घड़साना	9950573533
17	श्री वेदप्रकाश	घड़साना	9587705095

आपदा के समय मशीनर (क्रेन, जेसीबी) को किराये पर लेने हेतु

क्रं. सं.	नाम	नाम आईटम
1	सुभाष पुत्र श्री लेखराम पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, 9414091107	जे.सी.बी.
2	श्री मीठू सिंह, अनूपगढ़	जे.सी.बी.
3	श्री बिटटू, अनूपगढ़	जे.सी.बी.
4	श्री इन्द्राज, अनूपगढ़	जे.सी.बी.
5	श्री रणजीत सिंह घड़साना	जे.सी.बी
6	श्री कृष्ण गोदारा घड़साना	जे.सी.बी
7	श्री कृष्ण कुम्हार घड़साना	जे.सी.बी
8	मिल्ट्री स्टेशन, सूरतगढ़	क्रेन ए.वी 15,जेसीबी/डोजर, रिकवरी वाहन, एग्जीक्यूशरर्स
9	सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़	क्रेन, जेसीबी
10	नगरपालिका सूरतगढ़	जेसीबी
11	मैसर्स बाघला ट्रेडिंग कम्पनी, सूरतगढ़	जेसीबी

योजनाओ की सप्लाई बंद हो जाने पर निजी टयुबवैल/ डीसीबी को किराये पर लेने हेतु।

क्रं. सं.	गांव का नाम	लोकेशन जहां टयुबवैल/ डीसीबी स्थित है	हैड वर्क्स से दुरी
	नगर उपखण्ड प्रथम श्रीगंगानगर		
1	साधुवाली	साधुवाली	5.00 कि.मी.
2	साधुवाली	साधुवाली	5.00 कि.मी.
3	साधुवाली	साधुवाली	5.00 कि.मी.
4	साधुवाली	साधुवाली	5.00 कि.मी.
	उपखण्ड श्रीगंगानगर		
1	18 जीजी	18जीजी (पीएचईडी)	1.5 कि.मी.
2	कालियां (3 जी)	वाटरवर्क्स के पास	0.20 कि.मी.
3	सुजावलपुर	वाटरवर्क्स के पास	0.10 कि.मी.
4	6 वाई	वाटरवर्क्स के पास	0.10 कि.मी.
	उपखण्ड विजयनगर		
1	18 एस.डी.	नजदीक वाटर वर्क्स	2.00 कि.मी.
2	4 जेएसडी	नजदीक वाटर वर्क्स	0.04 कि.मी.
	उपखण्ड अनूपगढ़		

1	श्री सुंदर सिंह	श्रीविजयनगर रोड़	1.00 कि.मी.
2	श्री सतपाल	श्रीविजयनगर रोड़	1.00 कि.मी.
3	श्री लालचंद	श्रीविजयनगर रोड	1.00 कि.मी.
4	श्री जीतसिंह	श्रीविजयनगर रोड	1.00 कि.मी.
	उपखण्ड रायसिंहनगर		
1	श्री पाल सिंह	24 पी एस	500 मीटर
2	श्री राजू सिंह	24 पी एस	500 मीटर
	उपखण्ड घड़साना		
1	श्री राम कुमार	रावला मण्डी	
2	श्री सुखदेव सिंह	रावला मण्डी	
3	श्री गुरूदास सिंह	6 पीएसडी	
4	श्री रामपाल	1 केपीडी	
5	श्री गुरदीप सिंह	25 ए एस	
6	श्री राकेश	सतराना बस स्टैण्ड	

विभाग के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियां व कर्मचारियों के क्षेत्र अनुसार मोबाईल नं0 उपलब्धता का स्थान व पूर्ण पता

कर्मचारियो/ अधिकारियो की सूची निम्नानुसार है।

क्र. स.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	कार्यालय/निवास
	वृत कार्यालय श्रीगंगानगर			
1	श्री अशोक कुमार गुप्ता	अधीक्षण अभियंता	9413229054	2445031
	नगर खण्ड श्रीगंगानगर :–			
1	श्री विनोद कुमार जैन	अधिशाषी अभियंता	9414482206	2445064/2461200
2	श्री जसवन्त सिंह औलख	सहा.अभि.एंव त.स.	9414508163	2445064
3	श्री आदित्य कुमार	भण्डारपाल	9414246184	2464840/––
	नगर उपखण्ड–प्रथम श्रीगंगानगर :–			
1	श्री भजनलाल यादव	सहा.अभि नगर उपखण्ड–I श्रीगंगानगर	9587882865	2440784/––
2	रिक्त	कनि.अभि.–I उत्पादन		2440784/––
3	रिक्त	कनि.अभि. पु.आबादी		2442265/–
4	रिक्त	कनि.अभि.–I वितरण		2440784/––
	नगर उपखण्ड–द्वितीय श्रीगंगानगर :–			
1	श्री अमरीक सिंह जोरा	सहा. अभि.–II	8005905580	2464840/––
2	रिक्त	कनि.अभि.–II(2 एमएल)		2464840/––
3	सुश्री बिन्दुबाला	कनि.अभि.–I(उत्पादन)	9910454485	2464840/––
	ग्रामीण खण्ड श्रीगंगानगर :–			
1	श्री गुरूदर्शन सिह बराड़	अधि. अभि.	9414211505	2442186/2465187
2	श्री मोहन लाल अरोड़ा	सहा.अभि.एंव त.स.	9414368846	2442186/––
3	श्री नेकीराम स्वामी	भण्डारपाल	9414236073	2463176/––
	ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर :–			
1	श्री जसराम	सहा. अभि.	9414506200	2440184/2462713
2	श्री मुकेश बिश्नोई	कनि.अभि (साधुवाली)	9784716757	2440184/––
3	श्री मोनिन्दर सिंह	कनि.अभि. (मिर्जेवाला)	9414325054	2440184/––

4	श्री ज्योत्सना यादव	कनि.अभि. (चूनावढ़)	8005901118	2440184 / ——
5	श्री मोनिदर सिंह	कनि.अभि. (गणेशगढ़)	94143325054	2440184 / —
	उपखण्ड श्रीकरणपुरः—			
1	श्री पृथ्वीराज किलानियां	सहा.अभि.	9414434191	226033 / 226254
2	श्री संदीप मेघवाल	कनि.अभि.—शहरी	9784407258	226033 / 226033
3	श्री मोहित गोयल	कनि.अभि.—ग्रामीण	9509581403	226033 / 226033
4	श्री घनश्याम वर्मा	कनि.अभि. केसरीसिंहपुर	7665005018	226033 / 226033
	उपखण्ड पदमपुरः—			
1	श्री देवपाल गिरी	सहा. अभि.	9414091936	232070 / 232070
2	श्री प्रशान्त बैरवा	कनि.अभि. बींझबायला	8279108386	232070 / ——
3		कनि.अभि.—शहरी		—
4	श्री गीताराम मीणा	कनि.अभि.गजसिंहपुर	9660032394	—
	उपखण्ड सादुलशहर			
1	श्री जितेन्द्र झाम्ब	सहा. अभि.	8003217277	01503—222098
2	श्री मनोज कुमार	कनि.अभि.	9530053606	01503—222098
3	श्री प्रमोद कुमार	कनि.अभि.	9782576345	01503—222098
	खण्ड अनूपगढ़—			
1	श्री दयाराम बैलाण	अधि.अभि.	9414511117	2534498 / 253497
2	श्री सुशील कुमार	सहा.अभि.एंव त.स.	9783689638	253498 / 253497
3	रिक्त	सहा.अभि. मोने		253498 / ——
	उपखण्ड अनूपगढ़—			
1	श्री बी डी दायमा	सहा.अभि.	9461373530	253098 / 253098
2	रिक्त	कनि.अभि.ग्रा0 प्रथम		253098 / ——
3	श्री जुल्फीकार	कनि.अभि.ग्रा0 द्वितीय	8560804945	253098 / ——
	उपखण्ड रायसिंहनगर—			
1	श्री सतीश कुमार अरोड़ा	सहा.अभि.	9414503735	220031 / 220337
2	श्री प्रवीण कुमार	कनि.अभि. ग्रामीण—I	9462089935	220031 / —
3	श्री इन्द्राज सिंह डागला	कनि.अभि. ग्रामीण—II	9460028324	—— / ——
	उपखण्ड घड़साना—			
1	श्री गिरीराज रैगर	सहा.अभि.	9414109520	250084 / 250084
2	श्री प्रमोद कुमार	कनि.अभि. रावला	9667086688	250084 / ——
3	श्री अमरजीत सिंह	कनि.अभि. घड़साना	9649155525	250084 / 250084
	खण्ड सूरतगढ़—			
1	श्री अशोक कुमार जोधा	अधि.अभि.	8005964264	220294 / 220143
2	श्री कृष्ण लाल गोदारा	सहा.अभि.एवं त.स.	9413540222	220294 / ——
3	बबीता	सहा.अभि. मोने		220294 / ——
	उपखण्ड सूरतगढ़—			
1	श्री ताराचंद पिलानिया	सहा.अभि.	9829050901	220144 / 220290
2	श्री गोरव कम्बोज	कनि. अभि.—शहरी	9462218391	220144 / ——
3	अंकिता माकड	कनि. अभि.—ग्रामीण—I	8005700541	220144 / ——
4	श्री राहुल सोनगर	कनि. अभि.—ग्रामीण—II	8118855277	220144 / ——
	उपखण्ड श्रीविजयनगर—			
1	श्री कृष्ण लाल गोदारा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहा.अभि.	9413540222	230013 / ——
2	रिक्त	कनि.अभि. जैतसर		230013 / ——
3	श्री दीपक गोदारा	कनि.अभि. शहरी	9461553990	230013 / ——

जिला श्रीगंगानगर के अन्तर्गत ट्रेक्टर बर्मा धारकों की सूची

क्र.स.	तहसील	नाम	निवास	दूरभाष संख्या
1	श्रीगंगानगर	श्री मनजीत सिंह	19 जीजी	9783222666
2	श्रीगंगानगर	श्री रामकुमार	गणेशगढ़	9667107685
3	श्रीगंगानगर	श्री बनवारी लाल सहारण	मिर्जेवाला	9783441726
4	श्रीगंगानगर	श्री मनोज कुमार	20 एलएनपी	8107819280
5	सादुलशहर	श्री साहब राम	मन्नीवाली	9799066335
6	सादुलशहर	श्री अनिल कुमार	हाकमाबाद	9660147085
7	सादुलशहर	श्री शिव कुमार	28 केएसडी	9929883815
8	श्रीकरणपुर	श्री गुरविन्द्र सिंह	43 एफ	9610290304
9	श्रीकरणपुर	श्री करनेल सिंह	25 एफ	9982453391
10	श्रीकरणपुर	श्री मानक	27 एफ	9982307913
11	पदमपुर	श्री गुरनाम सिंह	49 आरबी	9414514328
12	पदमपुर	श्री राजाराम	20 बीबी	9875260890
13	पदमपुर	श्री बलजिन्द्र सिह	45 आरबी	9983396553
14	पदमपुर	श्री जग्गा सिंह	9 बीबी	9414580062
15	पदमपुर	श्री ओमप्रकाश	माझुंवास	9414507687
16	अनूपगढ़	श्री जवाहर लाल भास्कर	अनूपगढ़	9610450664
17	अनूपगढ़	श्री भूपेन्द्र सिंह	अनूपगढ़	9414480358
18	अनूपगढ़	भावी क0क0	अनूपगढ़	9413221118
19	घड़साना	श्री सतीश अरोड़ा	घड़साना	9467174596

जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर के अधीनस्थ कार्यरत अभियंताओं तथा तकनीकी संवर्ग कर्मचारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	पदस्थापन कार्यालय का नाम	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल
1	श्री श्याम सुन्दर सुथार sewrdsgnr@gmail.com	अधीक्षण अभियंता	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर	0154–2445015 (का.)	9549650800 9214984098
2	श्री धीरज चावला xennorthsgnr@gmail.com	अधिशाषी अभियंता	अधिशाषी अभि., उत्तर खंड, श्रीगंगानगर	0154–2445016 (कार्यालय)	9549650802
3	श्री प्रदीप रूस्तगी, xensouthsgnr@gmail.com	अधिशाषी अभियंता	अधिशाषी अभि.दक्षिण खंड,श्रीगंगानगर	0154–2445020 (कार्यालय)	9549650803
4	श्री रामहंस सैनी xenwrrsnr@gmail.com	अधिशाषी अभियंता	अधि.अभि.,जल संसाधन खंड, रायसिंहनगर	01507–223165 (कार्यालय)	9414293024
5	श्री महेन्द्र सिंह चारण xenregulationsgnr@gmail.com	अधिशाषी अभियंता	जल संसाधन गंगनहर रेगुलेशन खण्ड, श्रीगंगानगर	0154–2445035 (कार्यालय)	9462684090 9549650804
6	– रिक्त पद – (श्री जगदीश डागला, सहायक अभियंता के पास	सहायक अभियंता	सहा.अभि.,जसं. उपखंड दक्षिण, श्रीगंगानगर		9414085055

	अतिरिक्त कार्यभार)				
7	श्री अतुल शर्मा	सहायक अभियंता	सहा.अभि.ज.सं. उपखंड, श्रीकरणपुर		9549650811 8875888828
8	श्री अनिल मीणा	सहायक अभियंता	स.अ.,ज.सं.उपखंड, रायसिंहनगर		9549650813 9079059212
9	श्री रामरख	सहायक अभियंता	सहा.अभि.,जल संसाधन उत्तर उपखंड, श्रीगंगानगर		9549650809
10	श्री राहुल चौधरी	सहा. अभि.	स.अ.,ज.सं.उपखंड, पदमपुर		9549650810 9828534433
11	श्री कन्हैया लाल	सहायक अभि.	स.अ.प्रथम,ज.सं.खंड, रायसिंहनगर मुख्यालय रायसिंहनगर		9413085583
12	श्री जगदीश डागला	सहायक अभि.	स.अ.द्वितीय,ज.सं.खंड, रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर		9414085055

कनिष्ठ अभियंताओं की सूची

क्र. सं.	कनिष्ठ अभियंता का नाम	पदस्थापन कार्यालय का नाम	मुख्यालय	मोबाईल
1	सुश्री भानुप्रिया	जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	9460016727
2	सुश्री आरजू मोदी	ज.सं.उत्तर उपखंड, श्रीगंगानगर	शिवपुर	7610840974
3	श्री तेजपाल सिहाग	ज.सं.उत्तर उपखंड, श्रीगंगानगर	शिवपुर	7597039072
4	सुश्री सुमन	सहा.अभियंता–प्रथम, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	9982923412
5	श्री सुनील काजला	सहा.अभियंता–द्वितीय, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर	गंगानगर	7014455372
6	श्री राजेश	ज.सं.उपखंड,पदमपुर	चूनावढ कोठी	8890877694
7	सुश्री भावना चन्द्रवंशी	ज.सं.उपखंड,पदमपुर	गुद्धवाला	8769605890
8	श्री रघुवीर सिंह	सहा.अभियंता–द्वितीय, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	9549650795 9461675685
9	श्री जगमीत सिंह	ज.सं.उपखंड,श्रीकरणपुर	बडिंगा	9664280980
10	सुश्री स्वीटी कपूर	ज.सं.उपखंड,श्रीकरणपुर	करणपुर	9602706782
11	सुश्री संगीता	ज.सं.दक्षिण उपखंड, श्रीगंगानगर	सुलेमानकी–II	9521624868
12	श्री नक्षत्र सिंह	ज.सं.उपखंड, रायसिंहनगर	बालाराजपुरा	8949489350
13	श्री कैलाश चन्द्र	ज.सं.उपखंड, जैतसर	रामसिंहपुर	8426893326
14	सुश्री स्वाति लखेरा	सहा.अभि.प्रथम, जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	7011612189
15	श्री विजय कुमार	सहा.अभि.तृतीय, जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	7221850530
16	श्री सर्वजीत वर्मा	सहा.अभि., ज.सं.गंगनहर रेगुलेशन उपखण्ड,श्रीगंगानगर	गंगानगर	8948506113 9643479164
17	श्री प्यारे लाल	सहा.अभि., ज.सं.गंगनहर रेगुलेशन उपखण्ड, शिवपुर मुख्यालय श्रीगंगानगर	शिवपुर	8209548788
18	श्री कुमार विश्वम	सहा.अभियंता–तृतीय, जल संसाधन खण्ड, रायसिंहनगर मुख्यालय श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	7023829154
19	श्री पवन कुमार	सहा.अभि., ज.सं.गंगनहर रेगुलेशन उपखण्ड, पदमपुर	पदमपुर	9001666561

सार्वजनिक निर्माण विभाग :

सार्वजनिक निर्माण विभाग :

आपदा प्रबन्धन से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध सामग्री :–

1. जेसीबीएस –
2. डम्पर्स –
3. ट्रक –
4. ट्रैक्टर –

D. Man power available at Div. H.Q.					
S.N.	Name of Distt.	Category	Nos. Div.		
			I	II	Total
1	Sriganganagar	Beldar	3	0	3
2		Mistri Plumber	1	0	1
3		Electrician	1	0	1
4		Mason	0	0	0
5		Supervisor	0	0	0
6		Carpanter	0	0	0
7		Etc.	0	0	0

Name of PWD Officers posted in the Distt.				
S.No.	**Name of officers with Designation**	**Contact No.**	**Name of Link officer with Designation**	**Contact No.**
1	Pawan Kumar Yadae Executive Enginieer	9414502498	RameshSuthar A.En.	9460102865
2	Sh. Sumanr Manocha E.Xn. Suratgarh	9414092199		
3	Sh. Vijay Kumar Sharma X.En. Anupgarh	9828503771		
4	RameshSuthar A.En.	9460102865	-	
5	Roshan Lal	9460102865	-	
6	Vijay Meena (A.En.)	9414501926	-	
7	Brij Lal Sihag (A.En.) Suratgarh	9587606001	-	
8	Kana Ram (A.En.) Amupgarh	9414508481	-	
9	Sh Sukah dev Singh Anuopgarh (A.En.)	9414904878		
10	Sh Govind Bishnoi (A.En.) Suratgarh	7737512973		
11	Sh Surender Kumar Bishnoi (A.En.) Raisingnagar	9001789480		
12	Sh Padam Prakash Kothria (A.En) VijayNagar	8104599701	-	

Contractor/Firm	Contact No.	Vehicles									
		JCB	Truck	Tracor	Dumper	Tipper	Axe	Shovel	Sabble	Pan	Space
Bhagala Treding Com.Suratgarh	9414-38147	1	5	2	2	-	5	10	-	25	20

M/S Surender Kumar Bansal Contractor 59 P Block SriGanganagar	9950330000	1	5	3	2	5	-	-	10	50	20
M/S Ganesh gadhia constt. Co. 3-C-19 Jawaharnagar SGNR	94140-94097	1	5	3	2	5	-	-	10	50	20
M/s Ramesh Kumar Bansal, Nagpal Colony SGNR	98297-93700	1	2	2	2	4	-	-	12	65	12
M/S G S Bansal Jawahar Nagar SGNR	94140-88607	1	-	1	1	2	-	-	8	25	5

India Disaster Resource Net work

Department Agency		PWD
Department Name/ Agency Name		Public Works Department/SE, PWD
Department Name/ Agency Name		Public Works Department/SE, PWD
Contact Person Name	Sri Ganganagar	Sh. Sushil Kumar Bishnoi Superintending Engineer 9414298328
Contact Person Address	Sri Ganganagar	Sh. Pawan Kumar Yadave Ex. En. 9414502498
	Sri Ganganagar	EE, PWD Divisoion Sri Ganganagar
Telephone Number 1	Suratgarh	01509-220069
	Sri Ganganagar	0154-2445057
		0154-2545033
Telephone Numbre 2	Suratgarh	-
	Sri Ganganagar	-
Telephone Numbre 2	Suratgarh	-
	Sri Ganganagar	-
		-
Fax Number	Suratgarh	-
	Sri Ganganagar	-
Email ID	Suratgarh	xensog@rediff.com
	Sri Ganganagar	piu_gangangr@rediffmail.com
Source		Government
Activity Name-Search and Rescue		**Category Name-Cutters**
Enter Details of Items under this category on form 2-A		
Item Code	**Item Name**	**Item present in the department/Agency (yes/No)**
101	Gas Cutters	NO
102	Cold Cuttters	NO
104	Electric Dril	NO
		Category Name- Light Equipments
Enter Detail of items unnder this category on form 2-A		
117	Sledge Hammer	**NO**

118	Heavy Axe	**No**
Activity Name-Heavy Engineering		
		Category Name- Lighting Arrangements
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
142	Trucks –aerial lift	NO
143	Buildozers wheeled/chain	NO
144	Dumper	NO
145	Earth Movers	NO
146	Cranes-Heavy Duty, fork type	NO
147	Tipper-Heavy Duty	NO

		Category Name- Skilled Human Resources
Enter Detail of items under this category on form 2-B		
164	Divers Teams	No
165	Search and rescue Team for flood	No
		Category Name -Pumps
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
173	Pump-high pressure, portabe	No
174	Pomps-floating	No
Activity Name-Shelters		
		Category Name -Tents
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
242	Tent Store	No
243	Tents extndable 4mtrs	No
244	Tents extndable 2mtrs	No
245	Tents Arctic	No
		Category Name -Tents
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
246	Tarpulling	No
247	Plastic sheets	No
248	Polythene sheets	No
249	Corrugated galvanised iron sheets	No
Activity Name-Trasporation		
		Category Name-Light vehicles
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
252	4 Wheel drive vehicles	Yes
		Category Name-Medium vehicles
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
254	Trucks	Nil
		Category Name-Heavy vehicles
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
258	Tractors	Nil
259	Trailer	Nil
260	Heavy Trucks	Nil
Activity Name-Telecommunication		
		Category Name-Mobile Phones
Enter Detail of items under this category on form 2-A		
276	Mobile Phone-GSM	Nil
277	Mobile Phone_CDMA	Nil

EMERGENCYY SUPPORT FUNCTIONS (ESF)PWD

(1) Public Works Department will provide emergency support to the Ministry/State Disaster Management Authority of GOR in the event of natural or man made disasters in regares of the following :-

S.No.			Field of PWD During disaster
(a)	**Earth quake**	(i)	Distress/ collapse of building, Bridge.
		(ii)	Rescue of live arrested/ Trapped in he collapse Sturcure.
		(iii)	Retrofitting of the distress structure.
		(iv)	Constructions of Temp Structures for shifting Habitant from the disaster area.
		(v)	Restiration of roads required for quick Transport System (QTS)
(b)	**Flood**	(i)	Due tounprecedented flood-restoration of roads Bridges, CD work.
		(ii)	dewatering of important buildings if water logged.
		(iii)	Re-structuring damaged roads, buildings and Bridges
		(iv)	Providing Emergency support ot the District / State Administration in disaster for immediate rescue Relief operations.

(2) Nodal Officers:

In the PWD plan for Disaster Management and Emergency support functions. The following "immediate operation Group" (IOG) are proposed to be constituted with all basic facilities required for rescue and Relief.

Phase-I	Rescue and Relief immediaete after event
Phase-II	Restoration of Structures, roads etc.
Phase-III	Permanent Restoration and Re-structuring the, damaged Building, Bridges & roads.

PHASE-I : NODAL OFFICERS "QUICK RESPONSE TEAM" (ORT)

DISTRICT LEVEL : (NODAL OFFICERS)

Superintendig Engineer concern at District Headquater

Ist command
- Executive Engineer, posted at District Headquater.
- Alternate (i) Excutive Engineer, H.Q. in District
- Alternate (ii) Assistant Engineer in Charge city at Distt. H.Q.

IId command
- Assistant Engineer, posted at Sub division Headquater
- Assistant Engineer, H.Q. at Tehsil concern very near to Disaster event place.

II- Zone level-Nodal officer-

Addl.chif engineer Concerm
Alternat (i)Superintentending engineer Concerm
(ii)Executive Engineer cum TA to ACE

III –State Level:-

Chif Engineer cum Addl. Secretary(Head)
Alternet- (i) C.E. Buldding)PWD

(ii) C.E.(NH) PWD

Experts commettiee will be constituted by Chief Engineer Cum Addl. Secretary and deployed immediately to the disaster" palce. Comprising of the following:

1. Addl.Chef Engineer C.E.' office
2. Superintending Engineer,Seismic Safety
3. Superintending Engineer,Mechanical
4. Excutive Engineer Seismic safty

The above consituted committee for immediate Rescue & Rilief opration shall be assisted by the following corse of PWD:-

1. Zonal-Nodal officer
2. Mechanical
3. Electrical
4. Distt.-Nodal officer

The team will be responsiblefor carrying lout all rescue and relief opratin quickly with the help of district /State administration on behalf of chief Engineer and will riport him round the clock duirng quick relief oprations to receive and pass Emergency support directions and message

Nodal officer – State Level

S. No.	Name	Designation	Office address	Residential address	Phone withSTD code E-Mail Mobile
	Sh M.L Verma	CE Cum Addl. Secy	PWD officer		(0) 0141-2223800

			Jaipur		(R)2983232 (F) 0141-2223800
	Sh. Anil Naepalia	CE(Building)	"		(0) 0141-2222530 (R) (F)0141-2223553

Nodal officer Zone Level

S. No.	Name	Designation	Office address	Residential address	Phone withSTD code E-Mail Mobile
	Sh S.P. Sharma	Addl.CE Zone Bikaner	PWD office Bikaner	-------	0151-2226500
	Sh. Aashish Gupta	EE Cum TA to ACE Zone Bikaner	PWD office Bikaner	-------	9784597064

Nodal officer- Distict Level

S. No.	Name	Designation	Office address	Residential address	Phone withSTD code E-Mail Mobile
	Sh. Sushil Kumar Boshnoi	SE PWD Circle Sri Ganganagar	PWD office Sri Ganganagar	----------	0154-2445057 9414097328

Details of field officers (Revised as 12.2.2013)

S.	Location	Postal address	Phone/Mobile/Fax

No.			
1	**Sri Ganganagar**		
	Sh. Pawan Kumar Yadave	Ex.En. PWD Sri Ganganagar	0154-2445033 9414502498
	Smt Ravita Punia	TA to EE PWD Sri Ganganagar	0154-2445033 9587135999
	Sh. Ramesh Suthar	A En PWD SriGanganagar	9414535882
2	**Suratgarh**		
	Sh. Suman Manocha	Ex En PWD Suratgarh	9414092199
	Sh. Brij Lal Sihag	A En PWD Suratgarh	9414511894
	Sh Govin Bishnoi	A En PWD Suratgarh	7737512973
3	**Padampur**		
	Smt Ravita Punia	A En PWD Padampur	9587135999
4	**Karanpur**		
	Sh. Vijay Meena	A En PWD Karanpur	9413990053
5	**Kesrisinghpur**		
	Sh. Vijay Meena	A En PWD Karanpur	9413990053
6	**Sadulshahar**		
	Sh. Roshan Lal	A En PWD A En PWD Sadulshahr	8890050777
7	**Raisinghnagaar**		
	Sh. Surender Kumar Bishnoi	A En PWD Raisinghnagaar	9001789480
8	**Anupgarh**		
	Sh Vijay Kumar Sharma	E.En Anupgarh	9828503771
	Sh. Sukhdev Singh	A En PWD Anupgarh	94149-04878
	S.H Kana Ram	A En PWD Anupgarh	9414508481
9	**Sri Vijaynagar**		
	Sh. P.P. Kothari	A En PWD Sri Vijaynagar	8104599701
10	**Gharsana**		
	Sh. Sukhdev singh	A En PWD Gharsana	9414904876
11	**Rawla**		
	Sh. Sukhdev singh	A En PWD Gharsana	9414904876

12	**Jetsar**		
	Sh. Sukhdev singh	A En PWD Gharsana	9414904876

3- During Disaster a coordination group will assist the Chief Engineer Cum Addl. Secy. PWD and will function ar the PWD H.Q. Chief Engineer's officer, Jaipur. One control room with multiple telephone lines and fax systems will start functioning in PWD H.Q. at Jaipur and will transmit all important information's to coordination group as well as directly to CE Cum Addl. Secy.

State control room of PWD H.Q. will also be equipped with 2 numbers fax machines, and alternate communication system i.e Mobile, state wireless system having connectivity to the field stations operating for rescue and relief.

Desired number of vehicles as fixed by the CE cum Addl. Secy. And or by his authorized representative shall be made available to the control room for immediate dispatch to persons/machines required in emergency operations.

Detail operating directions for different levels shall be issued separately by the CE Cum Addl. Secy. As per the event and place where rescue and relief is to be carried out during emergency as directed by the State Government.

5. Resources Inventory

The presnent resources of the PWD at District level

Material/ Description

(a) Equipment / Description

S.No	Name of Equipment	Number	Make	Condition for operations Satisfactory/Good/V. Good
	As per Annexure			

(b) Vehicles Available with division, circle is as below .

S.No.	Make	Nos	Condition Satis/Good/V.Good
1	Car-Jeep	2	Satisfactory
2	Truck	0	-------
3	Tractors	0	-------

(d) **Services :**

Since, only 5 districts of the State namely Alwar, Barmer, Bharatpur, Jalore and partly Jaisalmer fall in high risk Zone –IV under this Zone expected earthquake magnitude Richter scale be 6.0-6.9 with a radius of felt area 200 km. and felt area 125,000 sq. km these figures are as per the vulnerability Atlas of India 1997. The Distt. Of Sri Ganganagar does not fall in the risk zone.

So It is proposed to procure the advance automatic machines requried for immediate rescue and relief to protect live loss. On the availability of provision of funds such machined will be procured in Phase-I for Alwar, Barmer, Bhatpur, Jalore and Jaisalmer Districts. These machines will be kept under the control of Nodel officer Suratgarh. (QRT at District H.Q. and desired number of set shall be kept at PWD H.Q. under the control of a coordination group/ authorized officer by the Chief Engineer Cum Addl. Secy. PWD.

In the nexr phase the machines shall be procured at Sri Ganganagar.

Sr.No.	Equipment	Nos with Capacity	Place of availability
1	Cranes	0	M/S Surender Kumar Bansal 50 P Block SriGanganagar
2	JCB's	1	
3	Loaders	0	
4	Dumpers	2	
5	Compressors	0	
6	Jack Hammers	0	
7	Gas Cutters For Steel Works	0	
8	Flat Jacks	0	
9	Dozers	0	
10	Trucks	5	
11	Tractors	2	
12	Concrete Cutters	0	

पुलिस विभाग के पास आपदा प्रबन्धन से संबंधित उपलब्ध सामग्री :

क्रं. सं.	विवरण	उपलब्ध सामग्री		
		नाम आपदा बचाव सामग्री	संख्या	आपदा चिन्हित क्षेत्र
1	पुलिस लाईन, श्रीगंगानगर	लाईफ जाकेट	00	इन्द्रा गांधी नगर व इस पर बने पुल गंग कैनाल पुल, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट
		लाईफ बाय (टयूब)	00	
		ड्रेगन लाईट	04 नग	
		रस्सा जूट	50 मीटर	
		नाईलोन रस्सा	10 किलो	
		ईपीआई टैन्ट	01 सैट	

		स्टोर टैन्ट	01 सैट	
		80 किलो टैन्ट	10 सैट	
		पेट्रोमैक्स गैस	04 नग	
		सामयाना टैन्ट	10 सैट	
		कनोपी टैन्ट	010 सैट	
		स्ट्रेक्चर	02 नग	
2	थाना कोतवाली	ड्रेगन लाईट	01	
		रस्सा	00	
3	थाना सदर	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	02	
4	थाना जवाहरनगर	ड्रेगन लाईट	01	साधुवाली नहर, शुगर मिल डिग्गी
		रस्सा	00	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01	
5	थाना पुरानी आबादी	ड्रेगन लाईट	01	जेसीटी मिल, पटाखा फैक्ट्री
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01 नग	
6	थाना सूरतगढ़	लाईफ बाथ ट्यूब	06	घग्घर नदी क्षेत्र
		लाईफ जाकेट	03	
		रस्सें	02	
7	थाना घड़साना	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01	
8	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीगंगानगर	नाईलोन रस्सा	14 बण्डल	
		लाईफ जाकेट	12	
		गम बूट	10	
		टॉर्च	07	
		लाईफ रिंग	06	
9	थाना राजियासर	स्ट्रेचर फोल्डींग	02 नग	बिरधवाल हैड पर तैनात मिल्ट्री द्रारा आपदा राहत प्रबन्ध उपलब्ध करवाये जाते है।
10	थाना लालगढ़	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	02	
11	थाना हिन्दुमलकोट	ड्रेगन लाईट	03	
12	थाना सादुलशहर	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01	
13	थाना करणपुर	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01	
14	थाना पदमपुर	ड्रेगन लाईट	01	
		स्ट्रेचर फोल्डींग लोहा	01	

जिला श्रीगंगानगर में निम्नलिखित पुलिस थानों/चौकियों/चैक पोस्टों पर वायरलैस (वितन्तु सन्देश) की सुविधा उपलब्ध है।

पुलिस थाना

1.	पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर।
2.	पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
3.	पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
4	पुलिस थाना ट्रफिक, श्रीगंगानगर
5.	पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर
6.	पुलिस थाना, चूनावढ़।
7.	पुलिस थाना, मटीली राठान।
8.	पुलिस थाना, हिन्दूमलकोट।
9.	पुलिस थाना,लालगढ़।
10.	पुलिस थाना, सादुलशहर।
11.	पुलिस थाना, करणपुर।
12.	पुलिस थाना, केसरीसिहंपुर।
13.	पुलिस थाना,पदमपुर।
14.	पुलिस थाना, घमुड़वाली।
15.	पुलिस थाना,गजसिहंपुर।
16.	पुलिस थाना, रायसिहंनगर।
17.	पुलिस थाना, विजयनगर।
18.	पुलिस थाना, मुकलावा।
19.	पुलिस थाना,सूरतगढ़।
20.	पुलिस थाना, रजियासर।
21.	पुलिस थाना,अनूपगढ।
22.	पुलिस थाना, घड़साना।
23.	पुलिस थाना, रामसिहंपुर।
24.	पुलिस थाना, रावला।

पुलिस चौकी

1.	पुलिस चौकी, बस स्टैण्ड, श्रीगंगानगर
2.	पुलिस चौकी,नई मण्डी, श्रीगंगानगर
3.	पुलिस चौकी, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर
4.	पुलिस चौकी, कोनी
5.	पुलिस चौकी, रिड़मलसर
6.	पुलिस चौकी, जैतसर
7.	पुलिस चौकी, समेजा काठी
8.	पुलिस चौकी, बान्डा कॉलोनी
9.	पुलिस चौकी, न्यू मण्डी घड़साना
10.	पुलिस चौकी, 365 हैड
11.	पुलिस चौकी, लक्खा हाकम
12.	पुलिस चौकी, बिरदवाल हैड
13.	पुलिस चौकी, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर
14.	पुलिस चौकी, बुड्ढा जोहड़

15.	पुलिस चौकी, जे.सी.टी.मिल, श्रीगंगानगर
16.	पुलिस चौकी, गणेशगढ़

पुलिस चैक पोस्ट

1.	चैक पोस्ट, साधुवाली
2.	चैक पोस्ट, पतली
3.	चैक पोस्ट, कैंचिया
4.	चैक पोस्ट, 5 की पुली
5.	चैक पोस्ट, रोजड़ी
6.	चैक पोस्ट, कालूवाला

जिला उद्योग केन्द्रः–

तहसील	इकाई का नाम/पता	मालिक का नाम, पता व दूरभाष	उद्योग का प्रकार	कुल श्रमिक	आपदा प्रबन्धनक हेतु आपातकालीन संसाधन
श्रीगंगानगर	मैं. श्री गणेष उद्योग एफ 160 उद्योग विहार प्रथम फेज,गंगानगर	श्री प्रवीण कुमार 2494517	रसायन आधारित, सीसा गलाकर लैड सिल्ली निर्माण	12	प्रदूषण हेतु ट्रीटमैंट प्लांट लगा हुआ हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बंचाव किया जा सकता है।
श्रीगंगानगर	मैं. जय जगदम्बा बैटरी इण्डस्ट्रीज, उद्योग विहार, गंगानगर	श्री सुनील मितल 93527–03101	ऑटो बैटरी निर्माण 12 बोल्ट सीसा संचायिक सैल	13	दूषित गैंसों से बचाव हेतु मुंह पर मास्क एवं एसिड से बचाव हेतु हाथों में रबर के दस्ताने उपयोग में लिये जाते है। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता है।
श्रीगंगानगर	मैं गगन उद्योग जी 1–120 बी उद्योग विहार, गंगानगर	श्री रमेष कुमार 2494957 9414509333	रसायन आधारीत सीसा गलाकर लैड सिली निर्माण	4	प्रदूषण हेतु ट्रीटमैंट प्लांट लगा हुआ हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बंचाव किया जा सकता है।
श्रीगंगानगर	मैं. गुरुनानक एलाईड इण्डस्ट्री, एफ 356।। फेज उद्योग विहार, गंगानगर	श्री राजपाल 2494656, 2301900, 093514 58100	सर्जीकल कॉटन निर्माण	8	प्रदूषण हेतु ट्रीटमैंट प्लांट लगा हुआ हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बंचाव किया जा सकता है।
श्रीगंगानगर	मैं पवन फाउण्ड्री वर्क्स, एफ 243 ।। फेज उद्योग विहार गंगानगर	श्री पवन कुमार वधवा 2494935, 94140 89300	रसायन आधारीत सीसा गलाकर लैड सिली निर्माण	12	प्रदूषण हेतु ट्रीटमैंट प्लांट लगा हुआ हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बंचाव किया जा सकता है।
श्रीगंगानगर	मैं. भारती इण्डस्ट्रीन बी–359 ए उद्योग विहार ।। फेज गंगानगर	श्री षाबीर हुसैन	फायर वर्क्स अन्तर्गत फुलझडी व पटाका का	18	आग बुझाने के लिए अग्नि षमन यंत्र स्थापित हैं।

			निर्माण किया जाता हैं।		
श्रीगंगानगर	मैं. गंगानगर आईस फैक्ट्री इण्डस्ट्रीयल एस्टेट पुलिस लाईन के सामने श्रीगंगानगर	श्री अर्जुन सिंह 2440333, 94145 01822	बर्फ निर्माण में अमोनिया गैंस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीगंगानगर	मैं. गुरुनानक आईस फैक्ट्र, सी 34 ए, इण्डस्ट्रीयल एस्टेंट पुलिस लाईन के सामने श्रीगंगानगर	श्री हरबंस सिहं 2440294, 94145 01613	बर्फ निर्माण में अमोनिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीगंगानगर	मैं. रुधवाल ठण्डू राम औद्योगिक क्षेत्र, गंगानगर	श्री नरेष कुमार 420064, 429620	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीगंगानगर	मैं. सागर आईस फैक्ट्री चक 1 जैड पटका फैक्ट्री के पास, गंगानगर	श्री सुभाष कुमार 423929, 450533	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीगंगानगर	मैं इण्डियन कोल्ड स्टोरेज एंड आईसक्रीम, पायल टाकिज के पास,श्रीगंगानगर	श्री बलवन्त सिहं 2471754	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।

श्रीगंगानगर	मैं. जनता कोल्ड स्टोरेज एवं आईस फैक्ट्री पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर	श्री बलजिन्द्र सिहं 2472268 98290 90268	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीकरणपुर	मैं. गुरुनानक आईस फैक्ट्री, श्रीकरणपुर	श्री भूपेनद्र कुमार 220204 पीपी	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है		अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
अनूपगढ़	मै गणेष फ्लोर एड आईस फैक्ट्री, अनूपगढ	श्री विकास कामरा 224515 222891	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	7	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
घड़साना	मै षर्मा आईस फैक्ट्री, औ.क्षेत्र घड़साना	220227 220163	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
विजयनगर	मै धोधिया आईस फैक्ट्री, पुराना मोटर मार्केट, विजयनगर	श्री यषपाल 230262	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	6	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।

रावला	मै मित्तल आईस व जनरल मिल्स, औ.क्षे., रावला	श्री के एल मित्तल 253119	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	5	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
सूरतगढ़	मै किसान कोल्ड स्टोरेज, इ.एरिया, सूरतगढ़	श्री देषराज डूडी 220393, 223588	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	5	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
राससिहंनगर	मै जय दूर्गा जनरल एंड आईस मिल्स, चक 23 पी एस ''ए'', रायसिहंनगर	श्री ब्रहमदत षर्मा 01507–221160	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	4	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।
श्रीगंगानगर	H-1-390-391, AGRO FOOD PARK, RIICO, INDUSTRIAL AREA, SRI GANGANAGAR-335002, RAJASTHAN	RAJESH KUMAR SHARMA 9414513260	बर्फ निर्माण में अमानिया गैस को अवषीतन के लिए प्रयोग किया जाता है	5	अमोनिया रिसाव पर इकाई में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है तथा रिसाव की स्थिति में पानी का छिडकाव करने पर इसे निष्प्रभावी किया जाता हैं। आगजनी में बचाव हेतु अग्नि षमन यंत्र से नियंत्रण कर बचाव किया जा सकता हैं।

परिशिष्ट –10 सार्वजनिक तथा निजी आधारिक सरंचना की सूची जैसे पुलिस स्टेशन, आश्रय आदि–

होटल / गेस्टहाउस / मै0 पैलेसः–

1.	पैगोडा होटल	2441164 / 2442364 ,2443364 / 2444364
2	विक्रम होटल	2440481
3.	मून लाईट	2443626 / 244626 / 5120534
4	रोजिला होटल	2441157
5	हैपी होम	2440628
6	आकाशदीपगेस्टहाउस	2442647 / 2441647
7	आशीष होटल	2442995 / 2441995 2440764
8	साहिल गेस्टहाउस	2470259
9	पंकज होटल	2423907
10	रामा गेस्टहाउस	2421811 / 2426835 / 2428573
11	खुराना पैलेस	2422219 / 2435919
12	महाराजा पैलेस	2420247 / 2420673
13	गंगा पैलेस	2460990 / 2460890
14	चाचा रेस्टोरेंट	2427121 / 2424133
15	श्री गंगा पैलेस	2431464
16	गौरव पैलेस	2425317
17	शगुन पैलेस	2435437

परिशिष्ट – 11 विभिन्न संस्थाओं, एन.जी.ओ. , स्वयं सेवकों की सूची

श्रीगंगानगर के प्रमुख एनजीओ की सूची

क0सं0	नाम व्यक्ति	सम्बंधित संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर
1.	स्वामी ब्रहमदेव जी	संचालक, जगदम्बा अंधविद्यालय	2464458, 2464358
2.	श्री चतुर्भुज ओझा	अध्यक्ष, शिव लंगर समिति	2480430
3.	श्री श्रीकृष्ण लीला	अध्यक्ष, महावीर दल मन्दिर	2470967 9414089001
4.	श्री जयदीप बिहाणी	अध्यक्ष, बिहाणी शिक्षा प्रन्यास	2470449 9829076449
5.	श्री सुमेर बोरड.	अध्यक्ष तपोवन विद्यालय	2466899
6.	स्वामी अनन्तानन्द जी	संचालक, विवेक आश्रम,	2452211
	प्रो0 श्यामसुन्दर माहेश्वरी	विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति	2475678
8.	सेवादार तेजेन्द्रपालसिंह टिम्मा	गुरूद्वारा बाबा दीपसिंह प्रबंध कमेटी पदमपुर रोड	9414089123
9.	श्री वीरेन्द्र वैद	महावीर इन्टरनेशनल, वृद्ध आश्रम रोड, सूरतगढ रोड	9414273718
10.	श्री हरभजनसिंह मेहरा	जिला विकलांग संघ श्रीगंगानगर धर्मशाला रोड रायसिंहनगर	01507–222589 9829655517
11.	श्री आर0के0 नैन	महर्षि दयानन्द विकास समिति, नजदीक ताराचंद वाटिका गंगानगर	01503–287170 9414214654
12.	श्री ब्रहम भाटिया	बी0जे0 शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, 54 मुकर्जी नगर	9414220573
13.	श्री पतराम चौधरी	सचिव ममता पुनर्वास एवं सामाजिक शोध संस्थान बींझवायला पदमपर	01505–271031 9414507003
14.	श्री अनिल सरावगी	जयको लंगर सेवा समिति गंगानगर	09251344444
15.	श्री उदयपाल झाझडिया	राज0चिकित्सालय सेवा समिति गंगानगर	09414236133
16.	श्री सीताराम शेरेवाला	रोटेरी इंटरनेशनल श्रीगंगानगर	9414088951
17.	श्री सुरेन्द्र चौधरी	श्री झांकी वाले बालाजी सेवा समिति	9414500198
18.	श्री कैलाश मित्तल	श्री गौशाला, सुखाडिया सर्किल गंगानगर	9414093747
19.	श्री रोशन सिकरी	रामनाम सेवा संस्थान, फौजियोंवाली फैक्ट्री, राज.चिकि.के पीछे गंगानगर	9414948765
20.	श्री बी.डी अग्रवाल (मुख्य ट्रस्टी)	सेठ मेघराज जिन्दल चेरीटेबल ट्रस्ट उद्योग विहार, श्रीगंगानगर।	
21	श्री महेश पेड़ीवाल	तपोवन ब्लड बैंक, सुखाडिया नगर	9414093369
22	श्रीमती अजीन्द्र चीमा	गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल	2461323, 98154–00987
23	श्री विक्रम चितलांगिया	सेठ सुगन चन्द चितलांगिया चेरीटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर	94140–88437, 94140–93410
24.	श्री बंशीधर जिन्दल	श्रीगंगानगर चेम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीगंगानगर	
25.	श्री करणीसिंह	जयश्री हनुमान चाणना धाम, पदमपुर	01555–222407

परिशिष्ट – 12 प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची–

तैराकों की सूची निम्नानुसार है –

क्र. सं.	बेल्ट नं.	तैराक का नाम	मोबाइल नं0
1.	293	श्री गुरचरण सिंह	9352780824
2.	292	श्री प्रगट सिंह	7597160003
3.	234	श्री बनवारी लाल	9929791533
4.	218	श्री रविन्द्र	9001721861
5.	306	श्री गुरजन्ट सिंह	8003165670
6.	130	श्री स्वर्ण सिंह	8890289700
7.	230	श्री लाभ सिंह	9983090135
8.	225	श्री मुकेश	9982857743
9.	97	श्री जयलाल	9649771759
10.	375	श्री अमरजीत	9785959803

आपदा प्रबन्धन के लिए संसाधन की आवश्यकता जो विभाग द्वारा की जानी है –

(अ) आपदा प्रबन्धन के लिए संसाधन की आवश्यकता जो विभाग के द्वारा की जाती है, की सूची

1. गंदा पानी विभिन्न स्टोरेज टैंको/ अन्य स्थानों से निकालने हेतु डिवाटरिंग पम्प।
2. खाली सीमेन्ट के बैग।
3. मजदूर कुशल एवं अर्धकशल।
4. स्टोरेज टैंक में गंदा पानी एकत्रित हो जाने की दशा में शहर एवं गांवों में साफ जल वितरण हेतु पानी के टैंकर।

ट्रेक्टर मालिकों की उपखंडवार सूची निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	**ट्रैक्टर मालिक का नाम**	**पता**	**टेलीफोन/मोबाईल नं.**
नगर उपखण्ड श्रीगंगानगर			
1	श्री सुदेश	साधुवाली	9828275520
2	श्री पंछी	साधुवाली	9352709348
उपखण्ड श्रीगंगानगर			
1	श्री मनजीत सिंह बलदेव सिंह	गांव 19 जीजी त0 श्रीगंगानगर	9783222666
2	श्री बिन्दर सिंह	गांव बुर्जवाली 21 जीजी त0 श्रीगंगानगर	
3	श्री गिरधारी	गांव ततारसर तह0 श्रीगंगानगर	9828671193
4	सरपंच गणेशगढ़	गणेशगढ़	
5	सरपंच लाधुवाला	लाधुवाला	

उपखण्ड श्रीविजयनगर			
1	श्री अमरजीत सिंह	23 जीबी	9828558428
2	श्री पाल सिंह	श्रीविजयनगर	9828790432
3	श्री संदीप सिंह	श्रीविजयनगर	9610095203
4	श्री कमल कांत	जैतसर	9549027100
उपखण्ड सूरतगढ़			
1	खालसा टैंकर्स	सूरतगढ़	9414502442 9252022023
2	श्री बलराम	सूरतगढ़	9414657480
3	श्री राजेन्द्र शर्मा	सूरतगढ़	9928745702
4	श्री इन्द्रसिंह राजपुत	सूरतगढ़	01509225412
5	श्री राडाराम	सूरतगढ़	9413611174
6	श्री साहबराम गणेशगढ़िया	सूरतगढ़	9887825354
7	श्री रामकुमार भाम्भु	सूरतगढ़	9929924259
1	श्री बागड़ी	सूरतगढ़	9875299793
2	श्री बीबी	सूरतगढ़	9414537218
उपखण्ड अनूपगढ़			
1	श्री राजेन्द्र कुमार	अनूपगढ	9828035490
2	श्री रामचन्द्र	अनूपगढ	9414966330
3	श्री रामचन्द्र	अनूपगढ	9772472466
4	श्री मंदर सिंह	अनूपगढ	8875706753
5	श्री यादव	अनूपगढ	9784040563
6	श्री चिंरजीलाल नागपाल	अनूपगढ	9414092159
उपखण्ड रायसिंहनगर			
1	श्री सतपाल	रायसिंहनगर	9414507606
2	श्री अवतार सिंह	रायसिंहनगर	9667475898
3	श्री ललित	रायसिंहनगर	9667298319
4	श्री निर्मल	रायसिंहनगर	9414399795
5	श्री राजू	रायसिंहनगर	9829354033
6	श्री टहल सिंह	रायसिंहनगर	9828072784
उपखण्ड घड़साना			
1	श्री साहब राम	रावला मण्डी	951546750
2	श्री सुल्ताना राम	रावला मण्डी	9829956286
3	श्री लालचन्द	रावला मण्डी	9928053405
4	श्री गुरदयाल सिंह	रावला मण्डी	9784893779
5	श्री कालूराम	रावला मण्डी	9829921142
6	श्री शेराराम	रावला मण्डी	9783224686
7	श्री गोविन्द राम	रावला मण्डी	9549184961
8	श्री हरबंस सिंह	घड़साना	9828821691

9	श्री सुभाष	घड़साना	9785276648
10	श्री राकेश	घड़साना	9460654475
11	श्री मोहन लाल	घड़साना	8058180717
12	श्री भोला राम	घड़साना	9828607070
13	श्री सुखदेव सिंह	घड़साना	9413221737
14	श्री बालकृष्ण	घड़साना	9828220940
15	श्री गुरमीत सिंह	घड़साना	9828184351
16	श्री टेकचन्द	घड़साना	9950573533
17	श्री वेदप्रकाश	घड़साना	9587705095

आपदा के समय मशीनर (क्रेन, जेसीबी) को किराये पर लेने हेतु

क्रं. सं.	नाम	नाम आईटम
1	सुभाष पुत्र श्री लेखराम पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, 9414091107	जे.सी.बी
2	श्री मीठू सिंह, अनूपगढ़	जे.सी.बी
3	श्री बिटटू, अनूपगढ़	जे.सी.बी
4	श्री इन्द्राज, अनूपगढ़	जे.सी.बी
5	श्री रणजीत सिंह घड़साना	जे.सी.बी
6	श्री कृष्ण गोदारा घड़साना	जे.सी.बी
7	श्री कृष्ण कुम्हार घड़साना	जे.सी.बी
8	मिल्ट्री स्टेशन, सूरतगढ़	क्रेन ए.वी. 15 जेसीबी/डोजर, रिकवरी वाहन, एग्जीक्यूशरर्स
9	सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़	क्रेन, जेसीबी
10	नगरपालिका सूरतगढ़	जे.सी.बी
11	मैसर्स बाघला ट्रेडिंग कम्पनी, सूरतगढ़	जे.सी.बी

आपदा प्रबन्धन से निपटने के लिए विभाग के पास उपलब्ध सामग्री :

क्र.सं.	खण्ड का नाम	कुल		टैंकर्स	डीसीबी	हैण्ड पम्प	
		शहर	ग्राम			कुल	क्रियाशील
1	गंगानगर	1	0	15	0	90	80
2	गंगानगर(ग्रामीण)	5	940	15	43	936	82
3	सूरतगढ़	2	701	12	67	558	382
4	अनूपगढ़	2	1189	15	58	521	469
	योग	10	2830	57	168	2105	1013

परिशिष्ट :– 13 आपात कालीन आपूर्तिकर्ताओं की सूची

श्रीगंगानगर के प्रमुख धार्मिक संस्थाओं की सूची

क्र0 सं0	नाम व्यक्ति	सम्बंधित संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर
1	स्वामी ब्रहमदेव	संचालक, नागेश्वर महादेव मंदिर (अंध विद्यालय परिसर)	0154–2464458, 2464358
2	महंत श्री कैलाशनाथ	बाबा शुक्रनाथ की बगीची (प्राचीन शिवालय)	9461075977
3	श्री जुगल डूमरा	दुर्गा मंदिर विनोबा बस्ती	9414090564
4	श्री सुरेन्द्र चौधरी	श्रीझांकी वाले बालाजी मंदिर पु0आ	9414500198
5	श्री विक्रम चितलांगिया	बाबा रामदेव मंदिर , श्रीगंगानगर	94140–88437,94140–93410
6	श्री रामचंद्र मिढढा	हनुमानमंदिर एल ब्लॉक,गंगानगर	9460560811
7	श्री अनिल चिडिया	बालाजी धाम, हनुमानगढ रोड	9680919000
8	श्री	अन्नक्षेत्र श्रीराम मंदिर सूरतगढरोड	
9	श्री सोनू नागपाल	अरोडवंश मंदिर	9414093345
10	श्री उपेन्द्र शर्मा	सनतान धर्म मंदिर	9929112977
11	श्री रामचंद्रगेरा	शिव मंदिर, पदमपुर रोड	9461076867
12	श्री चतुर्भुज ओझा	अध्यक्ष, शिव लंगर समिति	0154–2480430
13	ईमाम जहीर अहमद	मस्जिद एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर	
14	श्री तेजेन्द्रपालसिंह टिम्मा	गुरूद्वारा बाबा दीपसिंह पदमपुर रोड	9414089123
15	श्री जितेन्द्रपाल कोचर	गुरूद्वारा सिंह सभा श्रीगंगानगर	9414088221
16	मास्टर चंदी जी	गुरूद्वारा गुरू रामदास सेतिया फार्म गंगानगर	9403560967
17	श्री गुरबचनसिंह वासन	गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार जी ब्लॉक	9414093777
18	श्री हरजीतसिंह जौली	गुरूद्वारा कलगीधर विनोबा बस्ती	9414298377
19	(प्रिन्सीपल) फादर	गिरजाघर, सेक्रट हार्ट स्कूल	0154–2462670

श्रीगंगानगर के गुरूद्वारों की सूची

क्र0 सं0	नाम व्यक्ति	गुरूद्वारे का नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री जितेन्द्र पालसिंह कोचर	गुरूद्वारा सिंह सभा, रेल्वे स्टेशन रोड़, श्रीगंगानगर	94140–88221
2	श्री गुरबचनसिंह वासन	गुरूद्वारा श्री गुरूनानक दरबार, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर	94140–93777
3	श्री हरजीत सिंह जौली	गुरूद्वारा कलगीधर, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर	94142–98377
4.	श्री तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा	गुरूद्वारा बाबा दीप सिंह, पदमपुर रोड़ , श्रीगंगानगर	94140–89123

5.	मास्टर चन्दी जी	गुरूद्वारा गुरू रामदास, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर	94035–60967
6.	श्री सिमरजीतसिंह अटवाल	गुरूद्वारा गुरू हरिकृष्ण साहिब, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर	94149–49063
7.	श्री जगजीत सिंह	गुरूद्वारा बुढढा जोहड़, डाबला, रायसिंहनगर	96676–00361

परिशिष्ट :– 14 रेडियों तथा टेलिविजन स्टेशनों की सूची–

समाचार –पत्रः–

1	श्री विनीत शर्मा	सीमा संदेश फेक्स नम्बर 2466460	94140–89089	2466701 2466403 2466702–3	2424569
2	श्री अमित नागपाल	प्रताप केसरी	94140–90150	2460350, 2460150 3090250	2462150, 2464150
3	श्री शिव स्वामी	लोक सम्मत	94140–88027	2470027, 2480027	2463127
4	श्री अजय सोबती	दैनिक सीमा किरण	98290–18010	2475025 2470070	2471608
5	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	राजस्थान पत्रिका	98292–66025	3327700	2487137
6	श्री मंगेश जी	राजस्थान पत्रिका हनुमानगढ	98292–66027	2466211	
7	श्री राजकुमार जैन	राजस्थान पत्रिका	96803–66505	3327700	
	श्री सुदेश गौड	दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर	96490–18000	2466135 2466136	
8	श्री त्रिभुवन	दैनिक भास्कर, जयपुर	98292–25015		
9	श्री रवि चामडिया	सान्धय बार्डर 2442935 फैक्स, 2441810 , 2440810	94140–88810	2483810, 2477701	2477810
10	श्री संजय सेठी	पत्रकार सान्धय बार्डर		3101640	2463701
11	श्री जसविन्दर बल	दैनिक भोर		2480101, 2480102 2480103	2466567
12	श्री ओम बंसल	प्रशान्त ज्योति	94140–87370	2470924	
14	श्री अशोक चुघ	हांसल समाचार		2472162	
15	श्री गगन नागपाल	उत्तम संदेश पाक्षिक	98283–70567	2462150	
16	श्री मलहोत्रा	पीटीआई जयपुर के संवाददाता		2706941 जयपुर	2423300 गंगानगर
17	श्री प्रिन्स गर्ग	रोजाना समाचार	94140–89282		3100282
18	श्री गोविन्द गोयल	जी टीवी संवाददाता	94142–46080		
19	श्री अवधंष जैन	राजस्थान पत्रिका	98290–76585		
20	श्री अशोक सारंग	राजस्थान पत्रिका	98292–66028		
21	श्री सुन्दर मिश्रा	दैनिक भास्कर	94140–87678		

22	श्री कौशिक जी	सीमा सन्देश	94146–28042		
23	श्री रामप्रकाश मील	सांध्य बार्डर टाईम्स	94140–88154		
24	श्री राजेन्द्र बतरा	दैनिक भास्कर	96729–25896		
25	श्री राकेश मितवा	ईटीवी पत्रकार	94145–40545		
26	कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़				

परशिष्ट :– 16 परिवर्णी शब्दों की सूची–

एआरएमवी – दुर्घटना सहायता चिकित्सा वैन
बीआईएस – भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीओ – समुदाय आधारित संगठन
सीबीआरएन – रासायनिक,जैविक,विकरिण तथा नाभिकीय
सीआरएफ – आपदा राहत कोष
डीडीएमए – जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएम – आपदा प्रबंधन
जीआईएस – भौगोलिक सूचना प्रणली
जीओआई – भारत सरकार
जीपीएस – वैश्विक स्थितिपरक प्रणाली
एचएलसी – उच्च सतरीय समिति
आईसीएस – घटना कमान प्रणाली
आईसीटी – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईटी – सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीके – स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
एमएचए – गृह मंत्रालय
एनसीसी – राष्ट्रीय केडेट कार्प्स
एनसीसीएफ – राष्ट्रीय आपदा आककस्मिकता कोष
एनसीएमसी – राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एनडीईएम – राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस
एनडीएमए – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनजीओ – गैर–सरकारी संगठन
एनआईडीएम – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईटी – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसडीआई – राष्ट्रीय स्थानिक डाटा अवसंरचना
एनएसएस – राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस – नेहरु युवा केन्द्र संगठन

पीपीपी – सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई – पंचायती राज संस्थान
आर एण्ड डी – अनुसंधान एवं विकास
एसडीएमए – राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीआरएफ – राज्य आपदा कार्रवाई बल
एसईसी – राज्य कार्यकारी समिति
एसओपी – मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
यूएलबी – शहरी स्थानीय निकाय

परिशिष्ट – 17 फोन विवरणी

जिला मुख्यालय के अधिकारियों की सूची					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नं0	दूरभाष	
				कार्यालय	निवास
	श्री हनुमान सहाय मीणा	सम्भागीय आयुक्त,बीकानेर	9828153204	2226043 2226044 2545221	2226041
1.	श्री शिवप्रसाद मदन नकाते	जिला कलक्टर	9672476477 फैक्स	2445001 2440728	2445005 2445088
2.	श्री सौरभ स्वामी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	87927–68494	2445075	2445875
3	डॉ0 हरितीमा	अति0मु0का0अधिकारी	94140–05563	2445037	
4.	श्री ओम प्रकाश	अति.कलक्टर (प्रशासन)	94143–19979	2445067	2442711
5.	श्री राजवीर चौधरी	अति.कलक्टर (सतर्कता)	94147–81167	2445011	2475011
6	श्री रामावतार कुमावत	अति.कलक्टर सूरतगढ(का0)	80059–11341	222001	222002
7	श्री राकेश सोनी	जिला रसद अधिकारी	94140–90515	2445006	2445078
8.	श्री बीपी चन्देल	परि0 प्रबन्धक अनु.जाति.निगम	9928309095	2445048	9461078131
9.	श्री	उप निदेशक आईसीडीएस		2445021	2445078
10.	श्री मुकेश बाहरठ	उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर	98293–41962	2445086	2445087
11.	डॉ0 राकेश शर्मा	राजस्व अपील अधिकारी	94141–19539	2445093	2445085
12.	श्री अमरनाथ अग्रवाल श्री भूपेन्द्र सिंह	जिला आबकारी अधिकारी सहा0 आबकारी अधिकारी	94612–80700 79767–95800	2470182	2471982
13	श्री महेश गोयल(का०)	सचिव यू.आई.टी (एक्सईएन)	94133–42653	2466652	
14.	श्री मिल्ख राज चूघ श्री जुबेर खान	आयुक्त नगर परिषद् राजस्व अधिकारी, न0प0	94600–27525 96728–63264	2445070 2440783	2445013
15.	श्री सुभाष चन्द शर्मा श्री विवेक श्रीवास्तव	महा0प्रबंधक शुगरमिल उप प्रबन्धक	89492–71418 90799–68902	01501– 248015	2470382
16.	सुश्री सुमन श्री हेतराम	जिला परिवहन अधिकारी परिवहन निरीक्षक	94140–93933 94144–31308	2463432	
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह	जिला कोषाधिकारी	94629–69990	2445082	
18	श्री मुकेश बारहठ	एसीएम फास्ट ट्रैक	98293–41962		
19	श्री ए.के. पालीवाल श्री परमजीत सिंह	डी आई ओ (निक) डी आई ए	94142–73715 96948–60001	2440943	2440943

20	श्रीमती रूची गोयल श्रीराहुल कुमार छिम्पा	एसीपी उपनिदेशक डीओआईटी, कलक्ट्रेट	94628–31276 9680215786	2443843	
21.	श्री अशोक वर्मा	अधीक्षक कारागृह	91661–21309	2440153	2440388
22.	श्री मुकेश बारहठ श्री नवनीत जोशी	उपनियन्त्रक नागरिक सुरक्षा बार्डर होम गार्ड	98293–41962 94689–52260	2440100 2452643	2471724
23.	श्री ओम प्रकाश आर्य	सहा0 निदेशक अभियोजन	94148–74047	2440494	2440494
24.	श्री राजेन्द्र ढिढारिया	अति.पुलिस अधीक्षक एसीडी	94136–75275	2473737	
25.	श्रीमती दीक्षा कामरा	अति.पुलिस अधीक्षक सीआईडी	94142–05111	2440652	
26.	श्री मनीष कुमार	डिस्ट्रिक टाउन प्लानर	93090–77707		
27.	श्री रामजीलाल	लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट	96363–75901	2442001	
28	श्री मनोज मोदी	लेखाधिकारी जिला परिषद	94625–21573	2445076	7726067397
29	श्री विक्रम जोरा पीओ	पीओ जिला परिषद	75977–15988		
30.	श्री प्रेम अग्रवाल	एक्स.ईएन नरेगा	98292–97600		
31.	श्री राजकुमार यादव	एक्स.ईन बीएडीपी	94146–58269	2445075	9166964269
32.	नियन्त्रण कक्ष	कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर	फेक्स	2440988	

उपखण्ड अधिकारीगण

1	श्री मुकेश बाहरठ	श्रीगंगानगर	98293–41962	2445086	2445087
2	श्री सन्दीप कुमार	रायसिंहनगर	77278–81050	220003	220011
3	श्री रामावतार कुमावत	सूरतगढ	80059–11341	220438	220238
4	श्री मनमोहन मीणा	अनूपगढ	94133–03813	252900	252930
5	श्रीमती रीना छिम्पा	श्रीकरनपुर	88902–96935	226005	228831
6	श्रीमती संजू पारीक	घडसाना	94147–43933	251600	252707
7	सुश्री प्रिंयका तलानिया	श्रीविजयनगर	81403–44736	231880	231881
8	श्री यशपाल आहूजा	सादुलशहर	94143–25127	222101	223101
9	श्री सुभाष कुमार	पदमपुर	98879–99204	234234	233233

तहसीलदारगण

1	श्री संजय अग्रवाल	श्रीगंगानगर	83027–19199	2460657	
2	श्री अजीत गोदारा	विजयनगर	9511519908	230103	230103
3	श्री पन्नालाल मीणा	रायसिंहनगर	94138–79406	220131	221516
4	श्री शिवभगवान रेगर	सादुलशहर	91665–82209	222032	222032
5	श्री विजय सिंह राजपुरोहित	पदमपुर	94145–34975	232023	232023
6	श्री रामपाल मीणा	अनूपगढ	95712–38255	252049	
7	श्री राजेन्द्र सिंह	घडसाना	94145–03715	250770	
8	श्री प्रदीप कुमार चाहर	सूरतगढ	94144–03178	220095	220095
9	श्री गोकुल दान	श्री करनपुर	94145–47841	228434	
10	श्रीमती सुमन शर्मा	भू अभिलेख	94149–89249		
11	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई	निर्वाचन	94602–04209	2444540	
12	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई	पीटीएस	94602–04209		

उप–पंजीयकगण

1	श्री रामपाल मीणा	अनूपगढ	95712–38255		
2	श्रीमती स्वाती गुप्ता	श्रीगंगानगर	94132–28994	2460182	
3.	श्री प्रदीप कुमार चाहर	सूरतगढ	94144–03178		

नायब तहसीलदारगण

1	श्री प्रेम सांई	गंगानगर	94145–12626	2460657	
2	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई(का.वा.)	चूनावढ़	94602–04209	0154	2763677
3	श्री ओमप्रकाश मीणा (का.वा.)	गजसिंहपुर	94130–76807	01507	230437
4	श्री ओमप्रकाश मीणा	मुकलावा	94130–76807	01507	247515
5		सादुलशहर		01503	222032
6	श्री राजेन्द्र सिंह (का.वा.)	घड़साना	94145–03715	01506	250770
7	श्री	श्री करणपुर		01501	228434
8	श्री विजय सिंह राजपुरोहित	पदमपुर	94145–34975	01505	232023

9	श्री	अनूपगढ़		01498	252049
10	श्री ओमप्रकाश मीणा	केसरीसिंहपुर	99839–40637	01501	232668
11	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई(का.वा.)	हिन्दुमलकोट	94602–04209	0154	2778666
13	श्री प्रभजोत सिंह	बींझबायला	95877–77948	01505	271141
14	श्री	लालगढ़		01503	
15.		मिर्जेवाला			
16	श्री	सूरतगढ		01509	
17	श्री राजेन्द्र सिंह (का.वा.)	रावला	94145–03715	01506	
18	श्री बजरंग लाल मीणा	विजयनगर	95303–13430	01498	
19	श्री प्रदीप कुमार चाहर(का.वा.)	राजियासर	94144–03178	01509	
20	श्री बजरंग लाल मीणा	जैतसर	95303–13428	9828756573	01498
21	श्री	पीटीएस			
22	श्री राजेन्द्र सिंह (का.वा.)	365 हैड	94145–03715	01507	
23	श्री पन्नालाल (का.वा.)	समेजा कोठी	94138–79406		

विकास अधिकारीगण

1	सुश्री हेमन्त चन्दोलिया	श्रीगंगानगर	90017–30706	2445022	
2	श्री देशराज	पदमपुर	94147–82529	232022	232022
3	श्री रामप्रताप गोदारा	श्री करनपुर	94146–37211	226032	226032
4	श्री जगवीर रमाणा	सादुलशहर	95303–04769	222001	222001
5	श्री धीरज बाकोलिया	अनूपगढ	94144–02085	252133	252120
6	श्री विनोद कुमार	सूरतगढ	81401–93678	220070	220086
7	श्री अभिमन्यू चौधरी	रायसिंहनगर	98877–00055	220028	220015
8	श्री हरी कृष्ण सियाग	घड़साना	94144–80427	252132	252614
9.	श्री मैजर अली	श्रीविजयनगर	94144–02426	230065	230066

विविध कार्यालय

1.	श्री मुकेश बारहठ	सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं	98293–41962		
2.	श्री कुलविन्द्र	मुख्य आयोजना अधिकारी	97721–90006	2441384	
2.	श्री रामकुमार पुरोहित	जन सम्पर्क अधिकारी	93527–09009	2471322	2487728
3.	श्री हरिश मितल	जीएम जिला उद्योग केन्द्र	94623–32132	2440164	
4.	श्री सन्दीप कुमार श्री राजेश महला	मैनेजर सर्किट हाउस हाऊस कीपर	94142–69329 94146–31652	2445027	2445007
5.	डा0 मदनलाल खुडिया	संयुक्त निदेशक पशुपालन	98297–44046	2472556	
6.	श्री अनिल	अवर जिला रोजगार अधि0	94145–02525	2452837	
7.	श्री देव किशन सोलंकी	उपनिदेशक बीमा विभाग	92528–86665	2970433	
8.	श्री ए.एस. राठोड़	जिला सैनिक बोर्ड अधि0	97827–09611	2442547	
9	श्री गिरीराज प्रसाद मीणा	जिला सांख्यिकी अधिकारी	94610–76784	2443484	
10	श्री अमर चन्द श्री भैरू दान	उप श्रम आयुक्त बाल श्रमिक परि0 अधिकारी	77420–64898 94608–59331	2451063	
11	श्री सुरजीत सिंह श्री सुरेन्द्र जी	जिला खेलकूद अधिकारी कोच	94143–69298 75976–45328	2440251	
12	श्री बी पी चन्देल श्री वीरेन्द्र पाल सिंह	सहा0 निदेशक समाज कल्याण पीओ एडी एस डब्ल्यू	99283–09095 98281–96989	2463582	
13	श्री हरचन्द गोस्वामी	जिला साक्षरता अधि0	94140–34222	2444904	
14	श्री हरचन्द गोस्वामी	एसएसए फोन 2477386	94140–34222	2477886	
15	श्री गौरी शंकर नायक	अधीक्षक आई.टी.आई.	94142–81273	2440342	2461802
16	श्री पवन कुमार गोयल	वाष्प निरी0 कारखाना	94130–04388	2471543	
17	श्री बलदेव राज अरोड़ा	उपनिदेशक आर्युवेद विभाग	99285–34756	2442296	
18	श्री जे0एल0 पंवार	नेहरू युवा केन्द्र	97999–29356	2464921	
19	श्री हरी राम लोहार	संयुक्त आयुक्त राज्य कर	94141–31483	2475157	
20	श्री निहालचंद विश्नोई	उपाआयुक्त एण्टीविजन	94141–40834	2464583	

21	श्री महेन्द्र कुमार	उपायुक्त सर्कल ए	94606–75357	2470338	
22	श्री राम कुमार	सहायक आयुक्त सर्कल बी	94142–91852	2486139	
23	श्री छग्गन लाल श्री रमेश कुमार	अधि0 अभि0 खनिज वि0 कनिष्ठ अभियन्ता	94601–09930 90794–89911	2463199	
24	श्री अनिल सक्सैना	मौसम विभाग	98871–47561	2472810	
25	Jh i;ksax 'kf'k	उप वंन संरक्षक	94687–64368	2472339	2477646
26	श्री दलजीत सिंह उप्पल	औषधि नियन्त्रक अधिकारी	94140–11140	2465065	
27	श्री के.सी. मिश्रा	भू–जल वैज्ञानिक	94600–01941		
28	श्री	प्रवर्तन अधिकारी			
29	श्री सुरेश आसेरी	प्रवर्तन अधिकारी (मुख्यालय)	99280–23580		
30	डॉ0 नरेश गुप्ता	पशुपालन विभाग	97838–65953		
31	श्री शिशुपाल	सहायक निदेशक खादी	98291–97621		
32	श्री युनुस अली	जिला अल्पसंख्यक अधिकारी	94142–85403	2440206	
33	श्री लक्ष्मीनारायण सांखला	कार्यालय अधीक्षक कलक्ट्रेट	9413207592	2445222	
34	श्री	खाद्य निरीक्षक	98287–63895		
35	सुश्री शीखा मुंजाल श्री राज बहादूर	डीएम आरएसएलडीसी कन्सल्टेंट	63504–88480 98871–23084	2471534	7726007739
36	सी ओ स्काऊट	स्काऊट	70233–33260		
37	श्री विजय कुमार	कार्य. अधि. महिला अधिकारिता	94605–62481	2445021	
38	श्री रमेश शर्मा	स्टेशन अधीक्षक	90010–34308	2440019	
39	श्री मनोज बंसल	मुख्य प्रबन्धक रोडवेज	95496–53234	2466523	
40.	श्री प्रेम सिंह राठौड़	राज0ग्रामीण आजीविका मिशन	94609–23072	2443222	
41.	श्री हरविन्द्र सिंह	समन्वयक, भारत स्वच्छता मिशन	94143–18635		
42.	श्रीमती मोनिका यादव	सीओ स्कॉउड	70233–33260	2488134	
43.	श्री नीरज शर्मा	बाट माप विज्ञान अधिकारी	94602–63861		
44.		भारतीय कपास निगम	24673377	2462843	

कृषि विभागः–

1	श्री आनन्द स्वरूप छिम्पा	संयुक्त निदेशक कृषि	94144–82031 99297–85829	2441238	2440058
2	श्री जी आर मटोरिया	उपनिदेशक कृषि	94145–03900	2445322	2440322
3.	श्री केशव कालीराणा	सहायक निदेशक कृषि	94613–76365	2442250	2473697
4	श्री विकाश भादू	परियोजना निदेशक आत्मा	94145–03900	2441930	
5	श्री कृष्ण कुमार	उप निदेशक उद्यान	94162–31212	2440175	9521941589
6	श्री केशव कालीराना	सहा0 निदेशक उद्यान	94613–76365	2440175	2466189
7	श्री पयोंग शशि	उप वंन संरक्षक	94687–64368	2472339	2477646
8	श्री लक्ष्मण सिंह	सचिव , कृषि उपज मण्डी	94139–27885	2470621	2472340
9	श्री रामप्रताप कलवासिया	सचिव फलसब्जी क.वि.स.स	94602–04907	2484621	
10	श्री शंकरलाल शर्मा	एस. ई. कृषि विपणन बोर्ड	94133–87043	2470301	
11	श्री राजकुमार ढालिया	अधि.अभि0 मार्किटिंगबोर्ड	94133–87023	2470608	
12	श्री शिव सिंह भाटी	संयुक्त निदेशक कृषि विपणन	98292–70446	2471885	
13	डॉ0 उम्मेद सिंह	कृषि अनुसंधान केन्द्र	94145–01893	2440619	
14	श्री सुनील कुमार पारशर	बीज प्रमाणीकरण एजेंसी	97857–77762	2470625	
15	श्री अमर चन्द बैरवा	बीजपरीक्षण प्रयोगशाला	97857–77441	2442656	9414580274
16	श्री पवन शर्मा	मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला	97853–75121	2440550	
17	श्री प्रमोद कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक सीड कार्पो.	94130–05213	2440070	
18	श्री पुरोहित जी	क्षे0 प्रबंधक तिलम संघ	94605–62340	2494415	

सहकारिता विभागः—

1	श्री भूपेन्द्र ज्याणी (का0)	उपरजिस्ट्रार सह0 समितियां	94141—39866	2471696	9414087935
2	श्री भूपेन्द्र ज्याणी श्री सुनील छाबड़ा	प्रबंध निदेशंक के0सह0बै0 पीए एमडी सीसीबी	94141—39866 80940—13050	2441953 2443953	 2474123
3	श्री	प्रबन्धक परिचालन		2442135	2482914
4	श्री प्रदीप चोपडा	प्रबन्धक स्टोर	98297—32547		
5.	श्री पवन कुमार शर्मा	प्रबन्धक कम्प्यूटर	80940—13070		
6	श्री भूपेन्द्र ज्याणी	सचिव, भूमि विकास बैंक	94141—39866	2471116	9462178280
7.	श्री दीपक कुक्कड	शाखाप्रबन्धकसीसीबीगोलबाजार	80940—32123	2443173	
8.	श्री	उपभोक्ता भण्डार		2442495	
9.	श्री दीपक कुक्कड	महाप्रबन्धक होलसेल भण्डार	80940—32123	2442495	
10.	श्री राजेश टाक	विशेष लेखा परीक्षक, बीकानेर	94144—30221	2471696	
11.	श्री बलविन्दरसिंह गिल	समग्र सहकारी विकास परि0	94145—00513	2440134	
12.	श्री शम्भूदयाल बुनकर	मुख्य प्रबन्धक, ऋण	80940—13043		

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागः—

1	डॉ0 के.एस. कामरा	पी0एम0ओ0राजकीय चि0	94606—17300	2465509	
2	डा0 नरेश बंसल	मुख्य चिकि0 स्वा0 अधिकारी	94140—87486	2445071	2441365
3	डा0 मुकेश मेहता	अति0 मुख्य चि0 एंव स्वा0	98290—76220	2440242	
4	डा0 अजय सिंगला	आर0सी0एच0 ओ0	94145—96102	2440771	
5	डा0 करण आर्य	उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी	80580—56665	2440242	
6	डा0 विमल शर्मा	राजकीय आर्युवैद डिस्पेंसरी	94130—48380	2450161	
7	श्री बलदेवराज अरोड़ा	जिला आर्युवेद अधिकारी	99285—34756	2442296	271072
8	श्री दलजीत सिंह उप्पल	औषधि नियंत्रक	94140—11140	2465065	2474112
9.	डा0 अजय सिंगला	प्रभारी, जिला औषधि केन्द्र	94145—96102	2440771	
10.	श्री जितेन्द्र राठौड	जिला समन्वयकएनआरएचएम	92140—96427	2441877	
11.	डा0 प्रेम बजाज	उपनियन्त्रक, राज0 हस्पताल	94144—79270		
12.	श्री रणदीप सिह	समन्वयक पीसीपी एण्ड डीटी	99820—14084		
13.	श्री	खाद्य सुरक्षा अधिकारी			
14.	एम्बुलेन्स	राजकीय जिला चिकित्सा	2466009	102	
15.	एच.एस. बराड	जे डी बीकानेर	98290—46188		

सिंचाई विभागः—

1.	श्री के एल जाखड़	मुख्य अभियन्ता,उत्तर संभाग हनुमानगढ 01552	88902—34807 88759—90961	260607 260108	01552—260260 9116158600
2	श्री लेखराम का0वा0	एसई,सूरतगढ सर्किलहनुमानगढ		260555	
3	श्री लखपतराय श्री रामकिशन	एसई भाखडा हनुमानगढ (रेगूलेशन) एक्सईएन भाखड़ा हनुमानगढ़	94149—54234 94144—44586	260646 260586	91161—58601
4	श्री राम सिंह श्री एन के गुप्ता	एसई आईजीएनपी विजयनगर एक्सईएन आईजीएनपी विजयनगर	94140—95970 94143—48858	230056	01498—230055
5	श्री गोपाल कृष्ण	एसई सीएडी गंगानगर	96729—81073	2463925	
6	श्री श्याम सुन्दर सुथार	एसई, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर	95496—50800 92149—84098	2445015	2445008

7	श्री प्रदीप रूस्तगी	एक्सईएन साउथ गंगकैनाल	95496–50803	2445020	
8	श्री धीरज चावला	एक्सईएन नोर्थ, गंगकैनाल	95496–50802	2445016	2445052
9	श्री महेन्द्र सिंह चारण	एक्सईएन रेग्यूलेशनखंड	95496–50804	2445035	2471005
10	श्री सुरेश सुथार	एक्सईएन आरडब्ल्यूएसआरपी	95496–50805	2445025	94143–28327
11	श्री गुरजण्ट सिंह	एक्स.ईन आईएनजीपी खाजूवाला	88759–90217	233120	
12	श्री हरीशंकर कुमावत	एक्सईएन आईएनजी विजयनगर	88759–90215	230051	
13	श्री गोपाल कृष्ण	एक्सईनएन सीएडी गंगानगर	96729–81073	2463925	
14	श्री सुरेशकुमार खीची	एक्स.ईन आईएनजीपी धड़साना	88759–90214	252077	
15	श्री रामहंस सैनी	एक्स.ईन रायसिंहनगर	94142–93024	223165	
16	श्री बाबू लाल महावर	एक्सईएन रेगूलेशन श्रीगंगानगर	95496–50804		

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः

1.	श्री अशोक गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	94132–29054	2445031	2444016
2	श्री बलराम शर्मा	टीए टू एसई	94140–93831	2445031	
3	श्री वी के जैन	अधिशाषी अभियन्ता शहर	94144–82206 98874–82206	2445064	2461200
4	श्री विरेन्द्र बलाना	अधिशाषी अभियन्ता मोनिटरिंग	95876–13952	2445064	
5	श्री भजनलाल यादव	सहायक अभियन्ता–I, शहर	95878–82865	2445064	
6	श्री अमरीक सिंह	सहायक अभियन्ता–II, शहर	80059–05580	2464840	
7	श्री गुरदर्शन सिंह	अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण	94142–11505	2442186	2472187
8	श्री दयाराम बैलाण	अधि0अभि0 अनूपगढ	94145–11117	223498	223497
9	श्री अशोक कुमार जोधा	अधि0 अभि0 सूरतगढ़	80059–64264	220294	220143
10	सुश्री प्रभा बंसल	केमिस्ट, पीएचईडी	94143–62244	2440499	
11	श्री दलीप गौड़	आरयूईडीपी	94133–77161		

सार्वजनिक निर्माण विभागः

1	श्री सुशील बिश्नोई	अधिक्षण अभियन्ता	94140–97328	2445057	2445095
2	श्री पवन कुमार यादव	अधिशाषी अभियन्ता	94145–02498	2445033	2464199
3	श्री एच के नागपाल	टीए टू एसई	94145–05695	2445057	2461449

4.	श्री विजय कुमार शर्मा	एक्स.ईन. अनुपगढ़	98285–03771		
5.	श्री सुमन मनोचा	एक्स.ईन सूरतगढ़	94140–92199	220069	
6.	श्री के एस मीणा	एक्सईएन विद्युत बीकानेर	99283–65823	0151–2226514	
7.	श्री जगमोहन श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता–II श्रीगंगानगर	93520–11002		
8.	श्री संजय कुमार	सहायक अभियन्ता विद्युत	94142–55963		
9.	श्री ताराचन्द गुप्ता	अधिक्षण अभि0 नेशनल हाईवे	95285–34985	0151–2226512	
10	श्री जगतसिंह श्योराण	अधिषासी अभि0 नेशनल हाईवे	94139–39779	0151–2226512	
11	श्री दिनेश सिंगल	पीडी–आरएसआरडीसी(बीकानेर)	94141–77901		
12	श्री दलीप गौड़	एस ई आरयूआईडीपी	94133–77161		
13	श्री विजय कोचर	सहा0अभियन्ता आरएसआरडीसी	94145–12030		
14	श्री रमेश कुमार	एईएन	94145–12030		
15	श्री आशीष गुप्ता (एसईचार्ज)	एक्सईएन आरयूआईडीपी	94140–87725		

विद्युत निगम

1.	एच.पी. गुप्ता	मुख्य अभियन्ता एसटीपीएस 01509	94133–85960	245252 245299	245224
2.	श्री के के कस्वॉ	अधी0अभि0 विद्युत निगम	94133–59690	2442080	2442026
3.	श्री आर.पी. वर्मा	टी ए टू एसई	94133–59720		
4.	श्री टी के सेतिया	अधि0 अभि0 220 केवी	94140–61181	हनुमानगढ़	
5.	श्री के एस सन्धू, का0वा0	अधि0अभि0सिटी " "	94133–59691	2442093	2442090
6	श्री अजय माथुर	अधि अभि0 ग्रामीण	94133–59697	2442058	2442098
7.	श्री मलमीत प्रतिहार	सहा0अभि0 प्र0 चहल चौक	94133–59717	2461029	
8.	श्री जितेन्द्र तोमल	सहा0अभि0 द्वि0 पुरानी आबादी	94133–59698	2442018	
9.	श्री के एस सन्धू	सहा0अभि0 तृ0 शहर	94140–21637	2442071	
10	श्री एल सी वर्मा	कनिष्ट अभियन्ता	94133–59742		
11	शिकायत प्रकोष्ठ	पावर हाउस/शिका0प्रको	155333	2442073	
12	श्री विकास बिश्नोई क0अ0	भगतसिंह चौक	94140–21596	2442074	

13	सहायक / कनि0 अभि0	पावर ग्रिड स्टेशन	98285–13123	2442073	
14	श्री गगनदीप सिंह, क0अ0	जवाहर नगर	94140–21563	2442037	
15	श्री अनिल सिंगल	एक्सईएन रायसिंहनगर	94133–59695		
16	श्री मिथलेस कुमार	एईएन गजसिंहपुर	94140–21538	01505–231130	
17	श्री एस.एस. दहिया	एक्स ईन, अनुपगढ़	94133–59694	253529	
18	श्री सीताराम चौहान	एईएन रायसिंहनगर	94133–59703		

शिक्षा विभाग:

1	श्री हरचन्द गोस्वामी	उप निदेशक, समग्र शिक्षा	94140–34222	2477386	
2	श्री दयाचन्द श्री अंग्रेज सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 अति0जिला शिक्षा अधि0 प्रा0	94605–53842 9783648631	2452370	
3	श्री सुखमहेन्द्र सिंह	जिला शिक्षा अधि0 मा0	94625–82165	2451970	
4	श्री राजेश अरोडा श्री अनिल कुमार	एडीपीसी एसएसए डीपीसी रमसा	9414059590 7023334642	2477386	
5	श्री सुरेन्द्र सोनी	अति. जिला शि.अ.माध्यमिक	99839–21541	2451970	
6	श्री यशपाल असीजा	जिला साक्षरता अधि0	9414637140	2444904	
7	श्री प्रदीप मोदी	प्रिंसीपल गर्ल्सकालेज	9413307717	2470293	
8	श्री रामसिंह राजावत	रा0 स्नातकोतर वि0	9413637590	2440056	
9	श्री आर एस बराड़	खालसा कालेज	9414631005	2440369	
10	श्री राजेश धीगड़ा	एम.डी.कालेज	9828681144	2440756	2442777
11	श्री ए एस मान	एस0डी0कालेज	9414305558	2466775	2466773
12	श्रीमती प्रवीण	गुरूनानकगर्ल्सकालेज	9461184415	2488944	2472998
13	श्री संजय अरोडा	आत्मवल्लभ जैनमहिला	94145–37731	2464371	
14	श्रीमती बलविन्द्र कौर	प्रिंसीपल रा0 गर्ल्सस्कूल	9610599096	2441472	
15	श्री जितेन्द्र सतीजा	" रा0सी0हा0सै0स्कूल	94145–00351	2452890	
16	श्रीमती सुखविन्द्र कौर	" गुरूनानक गर्ल्सस्कूल	7986111389	2470944	
17	श्री गोपाल दास	"डी0ए0बी0हा0सै0स्कृल	9414246039	2441315	
18	श्री बृजलाल चावला	"खालसासी0हा0सै0 "	94142–02515	2440361	
19		"सेन्ट्रलस्कूल साधूवाली		2492353	2492322
20	श्री एस.आर.शर्मा	" बी0एस0एफ0स्कूल		2440375	2440375
21	श्री जी के डाबरिया	" प्रोलीटेक0 कालेज	9460109441	2482700	2489995
22		"अरोड.वंशस्कूल(मंडी) " अरोड.वशंसी0 स्कूल		2444808 2460405	
23		"सनातनधर्मसी0गर्ल्स	2470178	2477378	
24	श्री सुमन झा	"एस.डी.बि0सी0स्कूल	9829659278	2466778	
25	श्री फतेह पाल चराया	"एस.डी.बडा मंदिर स्कूल	9414500249	2442079	2485059
26	श्री	" दधीमधी सी0 स्कूल		2470602	
27	श्री श्रीमती निम्फिया सूदन श्री पी सूदन	" नोजगे पब्लिक स्कूल प्रिन्सीपल चैयरमैन	9414187874 9414087874	2465874 2465813	2465874

28		''बिहाणी चि0 एकेडमी		2460807	2461807
29	श्री मनजीतसिंह	'' गुड शैफर्ड स्कूल	9413376471	2462321	2466379
30	श्री नरेन्द्रसिंह	सेंट सोलर्जस स्कूल		2461464	
31	श्री विज साहब	गुरू हरि0कृष्ण प0स्कूल	9413605401	2440403	2440403
32	श्रीमति कमलेश आहूजा	टिन्नी टार्टस स्कूल		2472596	2471496
33	स्वामी ब्रहमदेवजी	अंध विद्यालय नेत्र चिकित्सालय		2464458 2464358	फेक्स 2464858
34	श्री राजेन्द्रशर्मा	तपोवन विद्यालय		2466899	9414211905
35	फा0 एलफेंन्सा	स्क्रेटहार्ट स्कूल		2462670	2462670
36	श्री अमरजीत सिंह	प्रिन्सिपल डाईट चूनावढ	94145–14779	2763608	
37	श्रीमती नमीता त्रिवेदी	प्रिन्सीपल दधीमथ महिला	बीएड कालेज	9829595059	2461359
38	श्री एस. के राय	जवाहर नवोदय विद्यालय, गंगानगर	9664098805	2671031	
39		जवाहर नवोदय विद्यालय, सूरतगढ़		01509–220351	

जनप्रतिनिधिगण :–

1..	श्री गोविन्दसिंह डोटासरा	प्रभारी जिला मंत्री एंव राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार शिक्षा विभाग		9079388950	9988337971 श्री बृजमोहन पीए
2		जिला प्रभारी सचिव	0141-	2227459	9413311300
3	श्री निहाल चन्द मेघवाल सांसद गंगानगर	निवास–1एनजैडपी बाजूवाला रायसिंहनगर श्री सीताराम पीए	94140–90050 96674–76101 8385929000	011–23388480 011–23385885 23388381फैक्स	01507–221317 221260 296117
4	श्री अर्जुनराम सांसद, बीकानेर	केन्द्रीय रिाज्य मंत्री 90131–80318	9414075910 9829967950	011–23093866	0151–2230260
5	श्री गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक करणपुर		97996–06000		
6	श्री राजकुमार गौड़ विधायक श्रीगंगानगर		94142–11840		
7	श्री जगदीश जांगीड़ विधायक–सादुलशहर	वार्ड नं0 3, नजदीक रेलवे फाटक, सादुलशहर।	98180–01800		
8	श्री बलवीर लूथरा विधायक रायसिहनगर	वार्ड नं0 2 , आरसीपी कॉलोनी विजयनगर	86969–00042		
9	श्रीमती प्रियंका श्योरान	जिला प्रमुख	97721–31313	2445037	
10	श्री रामप्रताप कांसनियां विधायक सूरतगढ		94140–87421		
11	श्रीमती संतोष बावरी विधायक,अनूपगढ़		94145–00101		
12	श्री कुलदीप इन्दौरा		9414064546	2470730	
13	श्री पृथ्वीपाल सन्धू	पूर्व जिलाध्यक्ष काग्रेस	9414087311	2486311	
14	श्रीमती जमनादेवी	पूर्व राज्यसभा सदस्य	2542151		9868181035

	बारूपाल	0151			
15..	श्री हरिसिंह कामरा	जिलाध्यक्ष भाजपा	94140–50335		
16..	श्री राजकुमार सोनी	वरिष्ठ भाजपा नेता	2460334	9414089189	
17..	श्रीमती सरिता बिश्नोई	पूर्व जिला प्रमुख	2451917	9414630974	
18..	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	उपजिला प्रमुख		9414210142	
19.	श्री सीताराम मौर्य	पूर्व जिला प्रमुख	9414093750	2470750	
20.	श्री अजय चाण्डक	अध्यक्ष, नगर परिषद	94140–93425 99296–05121	2440781	99296–05123
21	श्री ज्योति कांडा	पूर्व अध्यक्ष, यूआईटी	9829076711		
22	श्री अशोक नागपाल	पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा	9414094377		
23	श्री महेन्द्रसिंह सोढी	पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा	94132–89077	99282–11227	
24.	श्री संजय महीपाल	अध्यक्ष नगर विकास न्यास	94140–89553	2465990	2465991
25.	श्री प्रहलाद टाक		94140–87709		
26.	श्री हनुमान मील	सुरतगढ	98292–55921		
27.	श्री अशोक चाण्डक	श्रीगंगानगर	98290–75001		

प्रधान पंचायत समिति

1	श्री पुरूषोत्तम बराड़	गंगानगर	99295–99292	2445022	
2	श्रीमती अमृत पाल कौर	श्रीकरणपुर	94622–09195	226032	
3	श्रीमती परमेश्वरी देवी	सादुलशहर	99298–90214	222001	
4	श्री शंगारा सिंह बराड़	पदमपुर	99822–00022	232022	
5	श्रीमती इन्दू शर्मा	रायसिंहनगर	81040–87034	220028	
6	श्री पुलकित बलाना	अनूपगढ	94140–92546	252133	
7	श्रीमती बिरमा देवी	सूरतगढ	97994–61345	220070	
8.	श्रीमती रानीबाला दुग्गल	घड़साना	94606–77767	252132	
9.	श्रीमती शबनम कौर	श्रीविजयनगर			

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका

1	श्री मिल्ख राज चूघ	गंगानगर	94600–27525	0154– 2445070
2.	श्री लालचंद सांखला	सूरतगढ	99832–53006	01509–220046
3	श्री लाजपत बिश्नोई	करणपुर	96366–32142	01501–226021
4	श्री रामप्रताप	केसरीसिंहपुर	94607–17700	01501–233028
5	श्री मेजर सिंह	रायसिंहनगर	94145–01360	01507–221023
6	श्री दैवेन्द्र कुमार	पदमपुर	96029–23122	01505–232090
7	श्री रविन्द्र जैन	गजसिंहपुर	94144–80025	01505–230132
8	श्री तरसेम कुमार	अनूपगढ	94149–50101	01498–252060
9	श्री बृजेश सोनी	विजयनगर	89553–99010	01498–230068
10	श्री रवि कुमार शर्मा	सादुलशहर	94149–17444	01503–222088

सचिव कृषि उपज मण्डी समितिः–

1	श्री शिव सिंह भाटी	श्रीगंगानगर	0154–2470621	98292–70446
2	श्रीरामप्रतापकलवासिया(अति0चार्ज)	श्रीगंगानगर फल सब्जी	0154–2484621	94602–04907
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा	केसरीसिंहपुर	01501–232056	94142–10218
4	श्री लाजपत खुराना	श्रीकरणपुर	01501–226018	98287–65070
5	श्री दीपेन्द्र शर्मा	गजसिंहपुर	01505–230128	94143–99951
6	श्री सुरेन्द्र कुमार(अति0 चार्ज)	पदमपुर	01505–232028	80030–05303
7	श्री देवीलाल कालवा(अति0चार्ज)	रिडमलसर	01505–241239	87696–66912
8	श्री महीपाल माली(अति0चार्ज)	रायसिंहनगर	01507–220054	94132–44854
9	श्री महीपाल माली	श्रीविजयनगर	01498–252064	94132–44854

10	श्री सुबे सिंह	अनूपगढ	01498–252064	99297–49552
11	श्री सुबे सिंह (अति0चार्ज)	घड़साना	01506–250062	99297–49552
12	श्री सुबे सिंह (अति0चार्ज)	रावला	01506–263989	99297–49552
13	श्री दीपेन्द्र शर्मा(अति0चार्ज)	जैतसर	01498–264340	94143–99951
14	श्री चिमनलाल	सादुलशहर	01503–222030	77425–55120
15	श्री नवीन गोदारा अति0 कार्यभार	सूरतगढ	01509–220140	98281–03505

सेन्ट्रल विभागः–

1	श्री एच एस ढिल्लो	संयुक्त आयुक्त आयकर	95307–03877	2440966	2440401
2	श्री के पी एस बराड	सहायक आयुक्त आयकर	95307–04192	2440402	2477180
3	श्री गोपी लाल माली	अधीक्षक डाक घर	94145–77116	2460098	2460424
4	श्री विशाल भारद्वाज	मुख्य पोस्ट मास्टर	85620–49930	2445017	
5	श्री बद्री प्रसाद	आर0एम0एस0	94140–96228	2441120	
6	श्री सुभाष गुप्ता	दूरदर्शन रिले केन्द्र	09871400588	2441487	
7	श्री एम सी वर्मा का0वा0	सहायक आयुक्त कस्टम विभाग (जोधपुर मुख्यालय)	96799–00990	2472206 2422317	
8	श्री रमेश शर्मा	अधीक्षक रेल्वे स्टेशन	90010–34308	2440019	2440177
9	श्री उम्मेद सिंह	रेलवे आरक्षण		2442422	
10	रेल्वे इंक्वायरी			131	
11	श्री दिनेश कुमार गर्ग	महाप्रबंधक, बीएसएनएल	94140–00440	2488488	2474003
12	श्री एन के चौधरी	उपमहाप्रबंधक बीएसएनएल	94140–00504	2470111	
13	श्री डी आर कटारिय	अधि. अभि. बीएसएनएल	94133–95960	2477554	
14	श्री राकेश मित्तल	एसडीओ टेलीफोन्स	94133–94294	2444222	
15	श्री एस एल शर्मा	एसडीओ जवाहरनगर	94133–94595		
16	श्री सुभाष गोदारा जी	एजीएमसिविल लाईन्स	94133–95000		
17	श्री अजय भास्कर	एसडीएम एम	94133–94600		
18	श्री डीपी महाजन	एजीएम ट्रांसमिशन	94140–01595		
19	श्री राम पाल	एजीएम प्लानिंग	94133–95950		
20	श्री अचल बयाना	एजीएम कोमिर्शियल	94133–95595		
21	साधुवाली छावनी	2492539	0154	2492040	2492037
22	सेना पुलिस		94172–67778	2492539	
23	पी ए जीओसी नीरज		97720–39358		
24	कर्नल आदित्य शर्मा	लालगढ, छावनी	88267–56751		
25	कर्नल करणी सिंह	साधुवाली छावनी	94591–97864		
26	कमाण्डेट बीएसएफ अनुपगढ	के० गिरी	94133–19835		
27	कर्नल संजय	लालगढ छावनी	9622555822		

निगम/मण्डलः–

1	श्री एच के मिगलानी	प्रबंधक आर एफ सी	94140–97622	2440306	
2	श्री लोकेश	प्रबंधक एफ सी आई	74120–22228	2470407	2463633
3	श्री टी के दास	प्रबंधक सी सी आई	80180–43827	2462843	2461040 2461741
4	श्री विनोद कुमार श्री कृष्ण कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक रीको सहा0 क्षेत्रीय प्रबंधक रीको	94140–41165 73000–99092	2494485 2494903	
5	श्री रामजी लाल श्री शंकर श्रीवास्तव	प्रबंधक नेफेड, जयपुर मे मर्ज	70731–04240 82392–34568	2740148 2740145	2743717
6	श्री रणवीर चाहर	" राजफेड	9462956499	2470783	2480023
7	श्री प्रमोद कुमार	आरएम राज स्टेट सीडकार्पो लि0	94130–05213	2440070	2494909

8	श्रीआर एल कुमावत	मैनेजर एल0 आई0 प्रथम सी0जवाहर नगर	94688–70860	2463504 2463663	
9	श्री एस आर जस्सल	प्रबंधक,एलआईसी–द्वितीय	94145–37535	2426094	2463296
10	बस अडडा रोडवेज	" इन्कवाइरी"	मनोज बंसल	95496–53234	2472220
11	श्री सरवर सिंह	एन0एस0सी0	99280–06545	2440232	
12	श्री श्यामा सिंह	प्रबंधक सेन्ट्ल वेयर हाउस जतीन, जे.पी.पुरोहित	97160–50342	2440107 2462172	2444403
13	श्री राजेन्द्र सिंह	इफको	77270–08120	2463956	
14		ओरिएण्टल इन्शारेन्स		2460570	
15	श्री एस.के. पुरोहित	तिलहम संघ	94605–62340		

डाक्टर / नर्सिंग होमः–

1	डा0 प्रवीण गुप्ता	आर्दश नर्सिंग गंगानगर	9414089086	2475086	2472866
2	डा0 एम0एल0अग्रवाल	प्रकाश नर्सिंगहोम		2420767	2424767
3	डा0 नरेशगुप्ता	गुप्ता नर्सिंगहोम		2460931	2461931
4	डा0 सिहाग	सिहाग हास्पीटल		2460460 2460560	2434567
5	डा0 बहल	बहल हास्पीटल		2463280	2464780
6	डा0 दर्शनआहूजा	जुबिन हास्पीटल	9414089070	2476070	2476070
7	डा0 कुलविन्द्र मलिक	पाल हास्पीटल		2420684	2422059
8	डा0 अशोक गर्ग	अशोक गर्ग हास्पीटल		2425303	2421303
9	डा0 बी0एन0कौशिक	कौशिक नर्सिंग होम		2481663	2420933
10	डा0 प्रीतपाल चुग	चुग हास्पीटल		2421853	2421852
11	डा0 जी0 एस0नरूला	नरूला नर्सिंग होम		2441903	2440829
12	डा0 प्रहलादरायगुप्ता	चण्डीगढ नर्सिग होम	94142–81945	2420425	2421945
13	डा0 बवेजा	गोविन्दम हास्पीटल		2424700	2478001
14	डा0 नरेश पेडीवाल	पेडी.वाल नर्सिंग होम		2425569	2485569
15	डा0 आर0एन0ओरी	आंख चिकित्सक		2423810	2420810
16	डा0 एस0एस0सूद	सूद क्लिनिक		2441233	2421092
17	डा0 सोमनाथ डावर	डावर हास्पीटल		2464112	2461112
18	डा0 ओ0पी0वधवा	वधवा आई हास्पीटल		2424044	2424044
19	डा0 एस0आर0गिरी	गिरी नर्सिंग होम		2462266 2462463	2462264
20	डा0 रूप सिडाना	टेकचंद मैमोरियल ट्स्ट		2422359	2425541
21	डा0 जे0पी0धमीजा	पी0एम0ओ0 रा0चिकित्सालय		2465509	2460540 2462107
22	डा0श्यामसुन्दरटांटिया	टांटिया नर्सिंग होम		2422724	2422724
23	डा0 जे0बी0 जोशी			2420707	2420707
24	डा0 रवि कांत गोयल	सी0एम0एच0ओ0 कार्यालय		2442241	2477323
25	डॉ0 राजीव कौशिक				2470309

बैंकर्स :–

1	श्री टीकम चंद गहलोत	सहायक महाप्रबन्धक एसबीआई	90019–39188	2460463 2460871 2460830	2463972
2	श्री दलजीत सिंह	क्षे0 प्रबंधक पीएनबी		2462609	2462420

				2460707	
3	श्री सुनील गर्ग श्री अमेन्द्र सिंह	उप महाप्रबंधक ओबीसीजयपुर सहा0 महाप्रबन्धक, श्रीगंगानगर	0141–41409907	2475356 2476114 2488710	2462940 2477956
4	श्री जसपाल भटटी	एलबीओ ओबीसी	94140–76110	2485512	2464016
5	श्री ए के पारीक **श्री राठौड़ जी**	चेयरमैन ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय प्रबन्धक	94605–25132 70734–54068	2461154 2464519	2464457
6	श्री चन्द्रेश शर्मा	नाबार्ड बैंक 317अग्रसैन नगर	99839–88059	2463899	2463899
7	श्री दीपक कुक्कड	एमडी सीसीबी	80940–32123	2441953	2462887
8	श्री भटनागर	जीकेएसबी सुखाडिया सर्कल		2470655	
10	''	जीकेएसबीगोलबाजार		2443173	–
11	श्री माकड	एस.बी.आई मेन ब्रांच	94142–82238	2440003	
12		एस.बी.आई कलेक्ट्रेट ब्रांच		2445330 2443030	2472325
13	''	एस.बी.आई पु0 आबादी		2471023	
14	''	बैंक आफ बड़ौदा	2483705	2471705	
15	''	इलाहबाद बैंक		2470509	–
16	''	पी.एन.बी मेनब्रांच		2470128	–
17	''	स्टेट बैंक आफपटियाला		2471037	–
18	श्री टी.एस.ग्रेवाल	स्टेट बैंकआफ इण्डिया	99509–99450	2471913	2478913
19	''	विजया बैंक		2470410	
20	''	पंजाब एण्ड सिंध बैंक		2444720	
21	.	ओ.बी.सी. सुखाड़िया सर्किल		2470700 2477248	
22	मैनेजर	सेन्ट्ल बैंक आफ इण्डिया		2440212	2424363पीपी
23	श्री सेठी	सिंडीकेट बैंक		2472488	2436018
24	श्री अंजना कुक्कड़	ओबीसी नगर परिषद	7073461171	2440600	2440700
24	श्री बी एल कुक्कड	ओबीसी शिव चौक	94143–28202		
25		यूको बैंक		2470254	
26		एसबीबीजे, मण्डी ब्रांच		2471078	
27		एसबीबीजे पी ब्लाक		2472184	
28	श्री बलजीतसिंह	पी एन बी, दयानंद मार्ग	94140–88508		
29	श्री मनीष जी	एच डी एफ सी	93141–39774	2473191 5121777	2466493 आशुतोष
30	श्री विवेक शर्मा	एक्सिस बैंक	8875001841	3298077 2464975	
31	श्री नीरज	एचडीएफसी गउशाला	9314139774		
32	श्री आकाश बठला	एचडीएफसी	9829833900		
33	श्री सचिन भारद्वाज	एचडीएफसी	9828444463		

अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समितिः–

1	श्री परमजीतसिंह	श्रीगंगानगर	98298–34321	2869021
2	श्रीमनिन्दरसिंह (फल सब्जी)	श्रीगंगानगर	94140–89821	2470621
3	श्री बलविन्द्रसिंह	केसरीसिंहपुर	98299–80760	232360

4	श्री अग्रेंज सिंह	श्रीकरणपुर	94142–89182	
5	श्री हरदीपसिंह मान	गजसिंहपुर	94145–81412	243012
6	श्री परमिन्द्रसिंह	पदमपुर	94145–14315	283016
7	श्रीमती सन्तोष	रिडमलसर	94132–29599	276081
8	श्रीमती शांति देवी	रायसिंहनगर	94143–82312	243152
9	श्रीमती हरजिन्द्रकौर	श्रीविजयनगर	94145–77252	268252
10	श्रीमती सीमादेवी	अनूपगढ	98282–79279	214581
11	श्रीमती जसपाल कौर	घड़साना		274029
12	श्री किशन चन्द्र	रावला	94140–92675	263144
13	श्री राजेन्द्र कुमार का0वा0	जैतसर	94145–94878	264078

समाचार –पत्रः–

1	श्री विनीत शर्मा	सीमा संदेश फेक्स नम्बर 2466460	94140–89089	2466701 2466403 2466702–3	2424569
2	श्री अमित नागपाल	प्रताप केसरी	94140–90150	2460350, 2460150 3090250	2462150, 2464150
3	श्री शिव स्वामी	लोक सम्मत	94140–88027	2470027, 2480027	2463127
4	श्री अजय सोबती श्री राधेश्याम	दैनिक सीमा किरण	98290–18010 97821–86138	2475025 2470070	2471608
5	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	राजस्थान पत्रिका	98292–66025	3327700	2487137
6	श्री मंगेश जी	राजस्थान पत्रिका हनुमानगढ	98292–66027	2466211	
7	श्री राजकुमार जैन	राजस्थान पत्रिका	96803–66505	3327700	
8	श्री राजेन्द्र बतरा	दैनिक भास्कर	96729–25896	2466135 2466136	
9	श्री रवि चामडिया	सान्धय बार्डर 2442935 फैक्स, 2441810 , 2440810	94140–88810	2483810, 2477701	2477810
10	श्री संजय सेठी	पत्रकार सान्धय बार्डर		3101640	2463701
11	श्री जसविन्दर बल	दैनिक भोर		2480101, 2480102 2480103	2466567
12	श्री	प्रशान्त ज्योति	94140–87370	2470924	
13	श्री अशोक चुघ	हांसल समाचार		2472162	
14	श्री गगन नागपाल	उत्तम संदेश पाक्षिक	98283–70567	2462150	
15	श्री प्रिन्स गर्ग	सांध्य फाईटर	94140–89282		3100282
16	श्री गोविन्द गोयल	जी टीवी संवाददाता	94142–46080		
17	श्री अवधंष जैन	राजस्थान पत्रिका	98290–76585		
18	श्री अशोक सारंग	राजस्थान पत्रिका	98292–66028		

19	श्री सुन्दर मिश्रा	दैनिक भास्कर	94140–87678		
20	श्री कौशिक जी	सीमा सन्देश	94146–28042		
21	श्री रामप्रकाश मील	सांध्य बार्डर टाईम्स	94140–88154		
22	श्री त्रिभुवन	दैनिक भास्कर, जयपुर	98292–25015		
23	श्री राकेश मितवा	ईटीवी पत्रकार	94145–40545		

श्रीगंगानगर जिले के काग्रेंसी नेताओं के दूरभाष नम्बरों की सूची

जनप्रतिनिधि	
श्रीमति विजय लक्ष्मी विश्नोई, पूर्व विधायक	9829017618, 01498–223449
श्री हीरालाल इन्दौरा, पूर्व मंत्री	0154–2470730, 94140–88622
श्री गुरमीत सिंह कुन्नर पूर्व विधायक	01505–222133, 0154–2460159, 94140–91760
श्री सोहनलाल नायक पूर्व विधायक	98293–74111, 94140–53111
श्री महेन्द्र सिंह बराड़ पूर्व विधायक	0154–2452363, 2471920, 94140–88363
सरदार जगतार सिंह कंग पूर्व विधायक	01501–232416, 232021, 94140–43215
श्रीमति चंन्द्रकला इन्दौरा, श्री गंगानगर	0154–2470730
श्रीमति भूपेन्द्र कौर टुरना, अध्यक्ष महिला काग्रेंस	0154–93527–03324
श्री युवरेन्द्रसिंह यूरी, जिला काग्रेस सदस्य	94140–89532, 01501–220032, 284532
श्री शंकर पन्नू, पूर्व सांसद	0154–2494281, 94140–89281
श्री राजकुमार गौड, पूर्व अध्यक्ष नगर विकास न्यास	0154–2466111, 94142–11840
श्री जगदीश चन्द्र, एडवोकेट,सदस्य काग्रेस कमेटी	01503–222292, 9818001800
सरदार पृथ्वीपाल सन्धू, अध्यक्ष जिला काग्रेस कमेटी	0154–2486311, 94140–87311
श्री कुलदीप इन्दौरा, सदस्य काग्रेस कमेटी	0154–2470730, 94140–64546
श्री सुभाष गहलोत	0154–2450626
श्रीमती मनिन्दरकौर नन्दा, पूर्व अध्यक्ष, न0प0	0154–2471385, 94143–07884
श्री के सी बिश्नोई, पूर्व मंत्री	0141–2360488, 94140–41121
श्री रमेश महेन्द्रा, सदस्य प्रदेश काग्रेंस कमेटी	94142–81873
श्री गोपी नागपाल	0154–2474002
श्री जगदीश जादूं, अध्यक्ष नगर परिषद	0154–2460222, 9829076222

जिला काग्रेस कमेटी के ब्लाक, देहात अध्यक्षों की सूची

क्र0स0	नाम पदाधिकारी	पद	दूरभाष	मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती सुखदीप कौर	देहात अध्यक्ष,सादुलशहर	01503–222102 222002	94140–08065
2.	श्री बनवारीलाल	शिवनगर ब्लाक अध्यक्ष	0154–2465221	98281–38221
3.	श्री शिवदयाल गुप्ता	जवाहरनगर ब्लाक अध्यक्ष	0154–2462496	93527–03180
4.	श्री गुरजीतसिंह वालिया	सेण्ट्रल ब्लाक अध्यक्ष	0154–2470007	94140–88838
5.	श्री जे पी श्रीवास्तव	रामनगर ब्लाक अध्यक्ष	0154–2450859	––
6.	श्री विजयकौर बराड़	गंगानगर देहात अध्यक्ष	0154–2440040	94141–38660
7.	श्री सुखदेवसिंह बराड	ब्लाक अध्यक्ष,केसरीसिंहपुर	01501–232075	––
8.	श्री हरजिन्द्रसिंह गब्बर	ब्लाक अध्यक्ष, करणपुर	01501–232107	0154–2464257 0154–2465810
9.	श्री अमीलाल तरड	ब्लाक अध्यक्ष, पदमपुर	01505–271206	94140–91995
10.	श्री नत्थूराम रॅायल	ब्लॉक अध्यक्ष,रायसिंहनगर	01507–247255	94143–81409
11.	श्री गोपालराम ड्रागला	ब्लाक अध्यक्ष, अनूपगढ	01498–274116	94144–82625
12.	श्री सुभाष जाखड़	ब्लाक, घड़साना	01506–277101	94144–80428
13.	श्रीमती कमलादेवी	अध्यक्ष, विजयनगर	01498–230265	
14.	श्री रामनारायण सुथार	अध्यक्ष, सूरतगढ़	01509–287088	
15.	श्री राजेन्द्र भादू	सूरतगढ़	223900	94145–06690

काग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों की सूची मय दूरभाष नम्बर

15.	श्री पृथ्वीपाल सन्धू	पूर्व अध्यक्ष जिला काग्रेंस	0154–2486311	94140–87311
16.	श्री सन्तोष सहारण	अध्यक्ष जिला काग्रेंस	0154–2776213	94140–90351
17.		उपाध्यक्ष	01501–232076	––
18.	डा0 सुभाष गहलोत			
19.	श्री वेदप्रकाश कडवासरा	सदस्य, काग्रेस कमेटी	01509–220606	
20.	श्री जयदीप बिहाणी	कोषाध्यक्ष		98290–76449

माकपा नेताओं की सूची मय दूरभाष नम्बर

1.	श्री हेतराम बेनीवाल			94604–31150
2.	श्री श्योमसिंह मक्कासर		01552–244001	
3.	श्री भूरामल स्वामी			94140–90101
4.	श्री नवरंग चौधरी			94142–98132
5.	श्री सुभाष सहगल	प्रवक्ता, किसान संघर्ष स0	0154–2481439	93527–97723
6.	संत लेखासिंह	अध्यक्ष, घड़साना	01506–216552	94145–06455
7.	श्री लक्ष्मणसिंह	कामरेड, घड़साना	01506–220683	94145–06454
8.	श्री महेन्द्र तरड़	प्रचार मंत्री	01506–253381	
9.	श्री हनुमान कडवासरा	उपाध्यक्ष, रावला	01506–253615	94145–05215
10.	श्री बलराम वर्मा	सूरतगढ़	01509–222426	
11.	श्री लक्ष्मण शर्मा	सुरतगढ़	01509–220552	
12.	श्री मदन ओझा	सूरतगढ	01509–220706	
13.	श्री भजनलाल कामरा			94144–80387
14.	स0 भजनसिंह हाण्डा			94145–03938
15.	श्री पवन दुग्गल			94145–06410
16	श्रीमती दुर्गा स्वामी	श्रीगंगानगर		9414086101

जिला श्री गंगानगर के कर्मचारियान के टेलीफोन नम्बर

क.स.	नाम कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर
1.	श्री लक्ष्मीनारायण सांखला	कार्यालय अधीक्षक	2445222	94132–07592
2.	श्री कृष्ण लाल बलाना	पीए	2445001	94137–83577
3.	श्री पंकज आचार्य	आई.ए.,पीए	2445001	97728–96066
4.	श्री नरेश कुमार थोरी	क.स., पीए	2445001	83849–85549
5.	श्री जगदीश कामरा	व०लि०	2488988	94142–73707 99834–60006
6.	श्री कृष्णलाल कालड़ा	पूर्व पीए एडीएम प्रशासन		94132–88085
7.	श्री राजेश गोयल	क०स०		94602–64059
8.	श्री गुरमुखसिंह	पूर्व रीडर डीएम	2451483	94605–62697
9.	डॉ0 राजेन्द्र सेवटा	कनिष्ठ विधि अधिकारी		94139–34001
10.	श्री रामजीलाल	लेखाधिकारी		96363–75901
11.	श्री कमल कुमार	लेखाकार सहायता		94604–30048
12.	श्री सुशील शर्मा	व०लि० पूल शाखा		94606–88960
13.	श्री विनोद कुमार गर्ग	क०स० विधि शाखा		99500–71770

14.	श्रीमती कोमल जैन	एडीएम सीटी		85598–27790
15.	श्री गोपाल खडगावत	व0लि0, न्याय शाखा		94628–24591
16.	श्री राकेश सोनी	क0लि0 न्याय शाखा		98877–10117
17.	श्री सोहनसिंह चौहान	क0लि0 न्याय शाखा		99837–99681
18.	श्री नन्द किशोर	क0 लि0		94145–01973
19.	श्री देवेन्द्र कौशल	क0लि0 विकास शाखा		94142–98313
20.	श्री दीपक रहेजा	क0लि0 विकास		70627–08539
21.	श्री केवल कटारिया	पीए एडीएम सतर्कता	2461826	75977–15826
22.	श्री राजेश महेन्द्रा	क0लि0		99282–73634
23.	श्री राम कुमार	क0लि0		94602–64686
24.	श्री विनोद नागपाल	व0लि0		94143–45391
25.	श्री धर्मपाल मौर्य	पंचायत प्रसार अधिकारी		94146–28011
26.	श्री लक्ष्मण	व.लि. सा0 शाखा		9950445668
27.	श्री विशाल	क0लि0		98876–05684
28.	श्रीमती किरण नागपाल	क0लि0		96100–00451
29.	श्रीमती अनिता शर्मा	क0लि0 सामान्य		94610–76922
30.	श्री उमाशंकर मीणा	क0लि0		96025–80185
31.	श्री फूसाराम	डी आर ए		87640–46167
32.	श्री अशोक सोलंकी	व0लि0		97825–38032
33.	श्री दीनदयाल शर्मा	क0लि0 डी आर ए		98877–00641
34.	श्रीमती इन्द्रा देवी	क0लि0		94145–09369
35.	श्री अशोक शर्मा	क0लि0 रिकार्ड शाखा		78912–07525
36.	श्री गुरदीप पाल चावला	ए ए ओ		99286–88721
37.	श्री सुखदेव सिंह	क0लि0 सतर्कता		94624–00489
38.	श्री गोपाल के सी	क0लि0 पूल शाखा		88900–09896
39.	श्री राम जी लाल	लेखाधिकारी	2442001	96363–75901
40.	श्री खेमचन्द	क0लि0		94609–47784
41.	श्री सीताराम	क0लि0 भण्डार		94134–29072
42.	श्री निर्मल सैनी	क0लि0		94140–93122
43.	श्री लालचन्द मिडढा	क0लि0		94604–31290
44.	श्री संजीव	क0लि0		93094–93452
45.	श्रीमती सुमन भाटिया	तहसीलदार भू0अ0		94149–89249
46.	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक		96809–10006
47.	श्री संजय	कनिष्ठ लिपिक		96100–00818
48.	श्री सुनिल कुमार	कनिष्ठ लिपिक		99822–89912
49.	सुश्री पुनम कुमारी	कनिष्ठ लिपिक		93142–57035
50.	श्रीमती पुनम वर्मा	कनिष्ठ लिपिक		87418–68893

51.	श्री अमरनाथ	कनिष्ठ लिपिक		97828–58006
52.	श्री त्रिलोक निराणींया	कनिष्ठ लिपिक		99290–83681
53.	श्री जसपाल	कनिष्ठ लिपिक		95717–28326
54.	श्री कमल नयन	कनिष्ठ लिपिक		96028–83836
55.	श्री राजेश गोयल	कनिष्ठ लिपिक		94602–64059
56.	श्री सुनील मल्होत्रा	कनिष्ठ लिपिक		94605–60865
57.	श्री हनी शर्मा	कनिष्ठ लिपिक		94629–61361
58.	श्री राजीव भाटिया	कनिष्ठ लिपिक		99820–42608
59.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	प.प.अ.		
60.	श्री कुलदीप मान	कनिष्ठ सहायक		94615–65301
61.	श्री गुरमीत सिंह	कनिष्ठ सहायक		98283–16023
62.	श्री श्याम लाल	कनिष्ठ सहायक		
63.	श्री अर्जुन	कनिष्ठ सहायक		89499–45289
64.	श्रीमती श्वेता गाबा	सूचना सहायक		80945–58240
65.	श्री दीपक यादव	सूचना सहायक		98296–46773
66.	श्रीमती रूपीन्द्र कोर	सूचना सहायक		91662–42346
67.	श्रीमती राजुबाला	सूचना सहायक		82397–90402
68.	श्रीमती सुमन बिश्नोई	सूचना सहायक		88751–29000
69.	श्रीमती बबीता स्वामी	सूचना सहायक		96806–31368
70.	श्री तेलुराम बावरी	डी आर ए		95882–31878
71.	श्री राजेश कुमार	टी आर ए		97844–39140
72.	श्री विजय कुमार	टी आर ए		96023–25743
73.	श्री सुभाष	टी आर ए		96029–24380
74.				
75.	श्री राजेन्द्र सिंह	एओके		98295–58910
76.	श्रीमती विजयलक्ष्मी	एओके		97996–23943
77.	श्री अवतार सिंह	एओके		94146–86255
78.	श्री रविन्द्र राय	एओके		99826–22303
79.	श्री अरविन्द बिश्नोई	एओके		81040–03052
80.	श्री गुरजीत सिंह	एओके		88900–06205
81.	श्री दिनेश मोदी	एओके	0154–2460161	94139–32391
82.	श्री गुरदीपसिंह	ड्राईवर		99834–62167
83.	श्री प्रकटसिंह	गनमैन		94146–58313
84.	श्री सज्जन सिंह	गनमेन		94138–81679
85.	श्री कमल सैनी	ड्राईवर		82395–44626
86.	श्री करणीसिंह	ई मित्रा		98286–96501
87.	श्री मनोहर लाल	क0लि0 डीएसओ		92520–70365

88.	श्रीमती सन्तरो देवी	सहायक कर्मचारी		70737–03029
89.	श्री सूरज गोयल	सहायक कर्मचारी		80585–77882
90.	श्रीमती पार्वती देवी	सहायक कर्मचारी		99284–99283
91.	श्रीमती शारदा देवी	सहायक कर्मचारी		94605–60148
92.	श्री महेन्द्र सूनियां	सहा0कर्म0 रसद विभाग		97830–02143
93.	श्री राजकुमार	एसीपी ऑफिस		80582–08933
94.	श्री किशन लाल	सहायक कर्मचारी		93513–76371

भूतपूर्व जनप्रतिनिधिगण :–

1	श्री विनोद चौधरी		9414095383 9414536551	2227069	
2	श्री भरतराम मेघवाल सांसद श्रीगंगानगर	संजय कालोनी, वार्ड नं0 21, रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।	9413382862 09013180337	01537–	230862
3	श्री गुरमीत सिंह, विधायक करणपुर	25 बीबी पोस्ट 23 बीबी पदमपुर 1505–222133 382 ए सिविल लाईन्स जयपुर	9414091760 9799606000	2460159	सुभाष मांझू निजी सहायक 94602–03850
4	श्री राधेश्याम विधायक श्रीगंगानगर	82 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर	9414088888	2471060	
5	श्री सन्तोष सहारण विधायक–सादुलशहर	चक 4 जैड–II,पो0 3 वाई तह व जिला श्रीगंगानगर	9414090351 9001099291		
6	श्री दौलतराज नायक विधायक रायसिहनगर	वार्ड नं0 7, रायसिंहनगर	9414620987 9982195905		
7	श्री गंगाजल मील विधायक सूरतगढ	5 एनआरडी, निरवाना, सूरतगढ़	9829855555		
8	श्रीमती पवन दुग्गल विधायक,अनूपगढ़	वार्ड नं0 3 अमर कालोनी 3 एसटीआर, नई मण्डी घडसाना	9460667667 9783799000		
9	श्री कुलदीप इन्दौरा	जिलाध्यक्ष काग्रेंस	9414064546	2470730	
10	श्री पृथ्वीपाल सन्धू	पूर्व जिलाध्यक्ष काग्रेस	9414087311	2486311	
11	श्रीमती जमनादेवी बारूपाल	पूर्व राज्यसभा सदस्य 0151	2542151	2530854जय.	9868181035 / 011–23093099
12..	डा0 रामप्रताप	उपाध्यक्ष बीजेपी		9414095105	01552–260105
13..	श्री महेश पेडीवाल	वरिष्ठ भाजपा नेता	2465169	9414093369	
14..	श्री राजकुमार सोनी	वरिष्ठ भाजपा नेता	2460334	9414089189	
15..	श्रीमती सरिता बिश्नोई	पूर्व जिला प्रमुख	2451917	9414630974	
16..	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	उपजिला प्रमुख		9414210142	
17.	श्री सीताराम मौर्य		9414093750	2470750	
18.	श्री जगदीश जांदू	अध्यक्ष, नगर परिषद	9829076222	2440781	
19	श्री ज्योति कांडा	अध्यक्ष नगर विकासन्यास	9829076711		

श्रीगंगानगर जिले के भाजपा नेताओं के दूरभाष नम्बर

श्रीगंगानगर–95–154

क्र0सं0	नाम	पद		मोबाईल नम्बर
	श्री महेन्द्रसिंह सोढी	जिला अध्यक्ष,भाजपा	94132–89077 01501–23277	99282–11227
1.	श्री सीताराम मौर्य	भू0पू0 जिला अध्यक्ष,भाजपा	2470750	9414–93750
1.	श्री महेश बुडानिया	अध्यक्ष, युवा मोर्चा		98295–01878
2.	श्री शिव स्वामी	वरिष्ठ भाजपा नेता		94140–88027
3.	श्री प्रदीप धेरड़	उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा		94144–80836
4.	श्री विक्रम राठौड	युवा मोर्चा		93527–02777
5.	श्री महेश पेडीवाल	वरिष्ठ भाजपा नेता	2465169	94140–93369
6.	श्री राजकुमार सोनी	वरिष्ठ भाजपा नेता	2460334	94140–89189
7.	श्री चुन्नीलाल रतवाया	वरिष्ठ भाजपा नेताप	2478635	98290–76635
8.	श्री सीताराम मौर्य	पूर्व जिला प्रमुख	2470750	94140–93750
9	श्री मनमोहन शर्मा	वरिष्ठ भाजपा नेता		94140–93245
10	सुश्री सारिका चौधरी	भाजपा नेत्री	2463992	94142–46660

सादुलशहर– कोड–1503–1503

11.	श्री आत्माराम तरड़	देहात अध्यक्ष	284040	94145–12216

केसरीसिंहपुर–कोड–01501–1501

12.	श्री द्वारकादास रख	नगर मण्डल अध्यक्ष	232201	

करणपुर–कोड–1501

13.	श्री रमेश सुखीजा	नगर मण्डल अध्यक्ष	220302	94144–34195
14.	डा0 सुखदेव बराड़	देहात अध्यक्ष		94144–33865

पदमपुर–कोड–1505

15.	श्री रामदास बिलंदी	नगर मण्डल अध्यक्ष	222032	222632
16.	श्री जसकरणसिंह	देहात अध्यक्ष		98295–09993

रायसिंहनगर–कोड–1507

17.	श्री बलवीरसिंह	देहात अध्यक्ष	283117	94144–82250
18.	श्री शकर सरावगी	नगर अध्यक्ष	220032	98295–09993

गजसिंहपुर–कोड–1505

19.	श्री नरेश मिगलानी	नगर अध्यक्ष		94140–91604

अनूपगढ़–कोड–95–1498

20.	श्री प्रभु शर्मा	नगर अध्यक्ष	222053	94144–80386
21.	श्री श्रवणसिंह नंदा	देहात अध्यक्ष		94140–92597

श्रीविजयनगर–कोड–95–1498

22.	श्री हरीसिंह कामरा	नगर अध्यक्ष	230235	94140–50335
23.	श्री उम्मेदसिंह	देहात अध्यक्ष	231136	

सूरतगढ़–कोड–95–1509

24.	श्री गुमाना राम	देहात अध्यक्ष	231286	94143–50533
25.	श्री विजय कुमार	नगर अध्यक्ष 94145–14092	220218	221283 निवास

घड़साना–रावला कोड–95–1506

26.	श्री मोहनलाल शर्मा	नगर एंव देहात अध्यक्ष	220343	94142–64971
27.	श्री मोहन बेदी	देहात अध्यक्ष	263222	94145–05322

जनप्रतिनिधिगण जिला श्रीगंगानगर

1	श्री विनोद चौधरी प्रभारी मंत्री निजी सचिव		9414095383	2227069	
2	श्री भरतराम मेघवाल सांसद श्रीगंगानगर	संजय कालोनी, वार्ड नं0 21, रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।	9413382862 09013180337	01537–	230862
3	श्री अर्जुनराम सांसद, बीकानेर		9414075910 9829967950		
4	श्री गुरमीतसिंह कुन्नर, विधायक करणपुर	25 बीबी पोस्ट 23 बीबी पदमपुर 1505–222133 382 ए सिविल लाईन्स जयपुर	9414091760 9799606000	2460159 0141–2221921	सुभाष मांझू निजी सहायक 94602–03850
5	श्री राजकुमार गौड़, विधायक श्रीगंगानगर	82 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर	94142–11840		
6	श्री जगदीश जांगीड़ विधायक–सादुलशहर	चक 4 जैड–ा,पो0 3वाई तहव 0जिला श्रीगंगानगर	98180–01800		
7	श्री बलवीर लूथरा विधायक रायसिहनगर		86969–0042	220270	0141–2355721
8	श्रीमती शान्ति पूनियां श्री हंसराज पूनिया श्री अशोक पूनियां	पूर्व जिला प्रमुख	9414078717 9929809998	2445037	
9	श्री रामप्रताप कासनियां, विधायक सूरतगढ		94140–87421		
10	श्रीमती संतोष बावरी विधायक,अनूपगढ़		94145–00101		
11	श्री कुलदीप इन्दौरा	जिलाध्यक्ष काग्रेंस	9414064546	2470730	
12	श्री पृथ्वीपाल सन्धू	पूर्व जिलाध्यक्ष काग्रेस	9414087311	2486311	
13	श्री जगदीश जांदू	अध्यक्ष, नगर परिषद	9829076222	2440781	
14	श्री ज्योति कांडा	अध्यक्ष नगर विकासन्यास	9829076711		

श्रीगंगानगर शांति समिति हेतु सदस्यों की सूची

क0सं0	नाम व्यक्ति	सम्बंधित संस्था का नाम	दूरभाष नम्बर
1.	स्वामी ब्रहमदेव जी	संचालक, जगदम्बा अंधविद्यालय	2464458, 2464358
2.	श्री चतुर्भुज ओझा	अध्यक्ष, शिव लंगर समिति	2480430
3.	श्री श्रीकृष्ण लीला	अध्यक्ष, महावीर दल मन्दिर	2470967 9414089001

4-	श्री जयदीप बिहाणी	अध्यक्ष, बिहाणी शिक्षा प्रन्यास	2470449 9829076449
5-	श्री सुमेर बोरड.	अध्यक्ष तपोवन विद्यालय	2466899
6-	स्वामी अनन्तानन्द जी	संचालक, विवेक आश्रम,	2452211
7.	प्रो0 श्यामसुन्दर माहेश्वरी	विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति	2475678
8-	श्री वीरेन्द्र वैद	महावीर इन्टरनेशनल, वृद्ध आश्रम रोड, सूरतगढ रोड	9414273718
9-	श्री बंशीधर जिन्दल	श्रीगंगानगर चेम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीगंगानगर	9413934644
10-	श्री नरेश जैन	आत्म वल्लभ जैन कॉलेज	9414093525
11-	श्री रमजान अली चोपदार	पार्षद	9461078786
12-	श्री सीताराम मौर्य	पूर्व जिला प्रभुख	9414093750
13-	श्री चरणदस कम्बोज	एडवोकेट	9829032418
14-	श्री खुर्शीद आलम खान	एडवोकेट	93ण52700180
15.	श्री फरीद खान	पूर्व जिला जनसम्पर्क अधिकारी	9413951786
16.	फादर	प्रिंसिपल सैकरड हार्ड पब्लिक स्कूल	2462670
17.	श्री जितेन्द्रपालसिंह कोचर	अध्यक्ष सिंह सभा गुरूद्वारा	9414088221
18.	श्री इन्द्रजीत बिश्नोई	एडवोकेट	9414088160
19.	ले0 जनरल जी0एस0 ढिल्लो (सेवानिवृत)	चक 5 ए छोटी	2470617
20.	श्री मनजीत सिंह चिमनी	चैयरमेन गुड शैफर्ड स्कूल	9413376471
21.	श्री जलन्धर सिंह	समेजा कोठी	9828071334
22.	श्री अजय धिंगडा	रायसिंहनगर	9414091508
23.	श्री विनोद कुमार	घडसाना	9610108075
24.	श्री ओम प्रकाश	सूरतगढ़	9413377073
25.	श्री ललित अग्रवाल	जवाहरनगर	9414093840
26.	श्री हरपाल सिंह	गजसिंहपुर	9636711234
27.	श्री सुखदेव सिंह	करणपुर	9413542565
28.	श्री अश्वनी गर्ग	कोतवाली	9314132901
29.	श्री रवि शर्मा	सदर थाना	9413544333
30.	श्री गुरमुख सिंह	पुरानी आबादी	9414501528
31.	श्रीमती शिला देवी	महिला थाना	9352813277
32.	राजकुमारी जैन	महिला थाना	9413229217
33.	श्री बलविन्द्र सिंघला	पदमपुर	9887149602
34.	श्री हंसराज	रावला	9461107506
35.	श्री सुभाष चन्द्र अरोडा	केसरीसिंहपुर	9983496962
36.	श्री ओमप्रकाश पारिक	लालगढ	9414087442
37.	श्री भुवनेशवर अरोडा	चुनावढ	9413621587
38.	श्री बाघ सिंह	रामसिंहपुर	9414503481
39.	श्री जयवीर सिंह	विजयनगर	9414505592
40.	श्री छगन लाल अरोडा	अनूपगढ	9414480381
41.	श्री नन्द लाल अरोडा	अनूपगढ	9414479820
42.	श्री ओमप्रकाश मेघवाल	मुकलावा	9928829138
43.	श्री हनुमान प्रसाद बिश्नोई	घमूडवाली	9649448448
44.	श्री जगराम	राजियासर	9799823759
45.	श्री बरकत अली	सूरतगढ सदर	9982988738
46.	श्री ओमप्रकाश जाट	सूरतगढ सदर	9950542601
47.	श्री रविन्द्र मोदी	सादूलशहर	9414508036
48.	श्री सुरेश कुमार	हिन्दुमलकोट	9414348017

49.	श्री भूपेन्द्र सिंह	मटिली रठान	9983094344
50.	श्री जहीर अहमद	पेश इमाम, मस्जिद एफ ब्लॉक, गंगानगर	
51.	श्री मलकीत सिंह नन्दा	अध्यक्ष बार संघ	9414307886
52.	श्री हरजीत सिंह जौली	एडवोकेट	9414298377
53	श्री एसपी बहल	सेवानिवृत डीआर कोपरेटिव	
54	श्री महेन्द्रसिंह बराड	सेवानिवृत खेल अधिकारी	
55	श्री गुरमुखसिंह	सेवानिवृत सीएमएचओ	
56	श्री सुरेन्द्रबीरसिंह	सेवानिवृत सीएमएचओ	
57	श्री पी सी खन्ना	सेवानिवृत कोषाधिकारी	
58	श्री एस. के.धवन	सेवानिवृत लेखाधिकारी	
59	श्री जे.पी.शर्मा	सेवानिवृत लेखाधिकारी	
60	श्री ए.एस.ढिल्लों	सेवानिवृत एसई आरएसईबी	
61	श्री जी.एस. ढिल्लों	सेवानिवृत ले0 जनरल	
62	श्री आर.एस. धालीवाल	पुरानी आबादी	
63	श्री भगवती प्रसाद सारस्वत	सेवानिवृत लेखाधिकारी श्रीगंगानगर	
64	श्री गुरप्रीतसिंह	सेवानिवृत एसई सिंचाई श्रीगंगानगर	

सेन्ट्रल इन्टेलिजेंस एजेन्सी/सेना/बी.एस.एफ विभाग

1	श्री ए के मिश्रा	सहायक कमीश्नर (रा)	2470575	2475475	2470470
2	श्रीमती दीक्षा कामरा	अति0पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी इन्टेलीजेंस)	94142–05111	2440652	
4.	श्री अशोक राजावत	सहायक निदेशक सीआईबी	94133–85259	2460542	
5.	मेजर जन शम्मी राज	जी ओ सी साधुवाली		2492040	
6.	ब्रिगे0 जे एन बिशट	डिप्टी जी ओ सी साधुवाली	77268–10009	2492600	
7.	कर्नल चौधरी	साधुवाली आर्मी मुख्यालय	080032–91613	2492600	
8.	कर्नल बलराज सिंह	एडम कमाण्डेट साधुवाली		2440349	
9.	आर्मी एक्सचेंज	साधुवाली आर्मी मुख्यालय	2492035	आर्मीएक्सचेंज	2492600
10	श्री आनन्द सिंह	कमाण्डेंट बी.एस.एफ.गंगानगर		2444102	2442780
11	श्री आनन्दसिंह	डीआईजी, बीएसएफ		2463090	2443540
12	कर्नल धर्मराजन	स्टेशन कमाण्डर साधुवाली	080032–91603	2492053	2492003
13	कर्नल सोही	एस एस ओ (ए) साधुवाली	080032–91610 98289–	2492600	
14	मेजर अमित उनियाल	साधुवाली आर्मी मुख्यालय	080032–91604	2492600	
15	लालगढ छावनी	पीबीएक्स लालगढ छावनी		2492876	
16		स्टेशन कमाण्डर लालगढ	01503	287247	
17	कर्नल राजवीर	24 एफएडी लालगढ़	78915–50000		
18	कैप्टन राजीव जाखड़		98299–64136		
19	कर्नल आर डी सिंह		96601–37000		

श्रीगंगानगर के गुरूद्वारों की सूची

क0 सं0	नाम व्यक्ति	गुरूद्वारे का नाम	दूरभाष नम्बर
1	श्री जितेन्द्र पालसिंह कोचर	गुरूद्वारा सिंह सभा, रेल्वे स्टेशन रोड़, श्रीगंगानगर	94140–88221
2	श्री गुरबचनसिंह वासन	गुरूद्वारा श्री गुरूनानक दरबार, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर	94140–93777
3	श्री हरजीत सिंह जौली	गुरूद्वारा कलगीधर, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर	94142–98377
4.	श्री तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा	गुरूद्वारा बाबा दीप सिंह, पदमपुर रोड़ , श्रीगंगानगर	94140–89123
5.	मास्टर चन्दी जी	गुरूद्वारा गुरू रामदास, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर	94035–60967
6.	श्री सिमरजीतसिंह अटवाल	गुरूद्वारा गुरू हरिकृष्ण साहिब, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर	94149–49063
7.	श्री जगजीत सिंह	गुरूद्वारा बुढढा जोहड़, डाबला, रायसिंहनगर	96676–00361

आपतकालीन–सेवाऐं

क सं0	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नं0	दूरभाष	
				कार्यालय	निवास
1.	श्री सुखदेव सिंह	ASI, सिटी कन्ट्रोल रूम,	100 98280–38313 95304–34092	2443100 2443055	
2.		अग्निशमन	101		
3.	श्री मुकेश बारेठ श्री अनवर खान	उपनियन्त्रक नागरिक सुरक्षा बार्डर होम गार्ड		2440100 2452643	
4.	श्री अनिल सक्सैना	मौसम विभाग	98871–47561	2472810	
5.	श्री रमेश शर्मा	रेलवे , स्टेशन अधीक्षक	90010–34308	2440019	
6.	डॉ0 सुनीता सरदाना	पी0एम0ओ0राजकीय चि0	94609–20532	2465509	
7.	डा0 नरेश बंसल	मुख्य चिकि0 स्वा0 अधिकारी	94140–87486	2445071	
8.	श्री वी के जैन	अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी	9414482206	2445031	
9.	रेल्वे इंक्वायरी			131	
10.	बस अडडा रोडवेज	" इन्कवाइरी"	मनोज बंसल 95496–53234	2472220	
11.	डा0 प्रेम बजाज	उपनियन्त्रक, राज0 हस्पताल	94144–79270		
12.	डॉ. पी.के. छंगानी	अधी0अभि0 विद्युत निगम	9413359690	2442080	

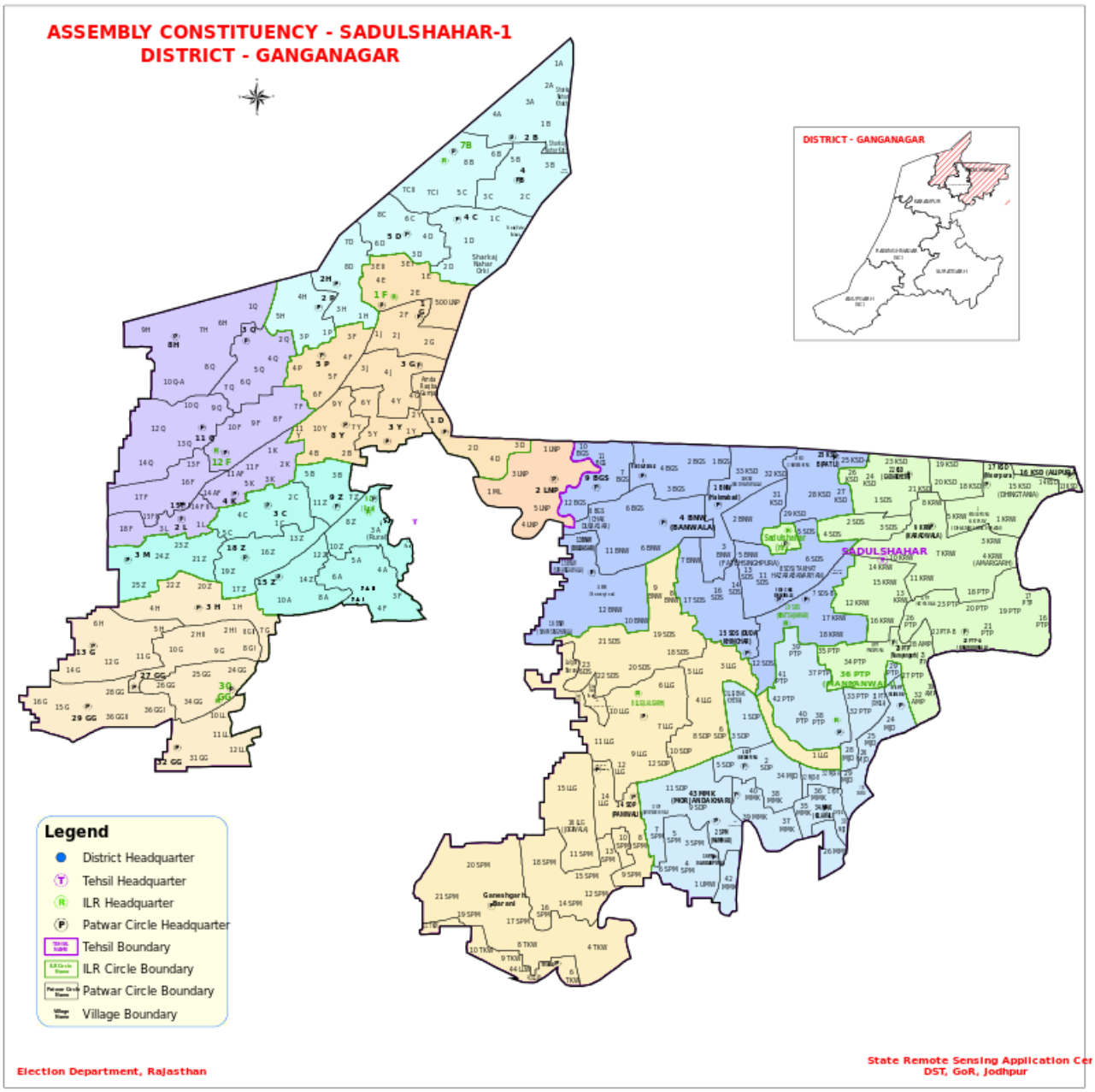
ASSEMBLY CONSTITUENCY - SADULSHAHAR-1
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
SADULSHAHAR
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Cer
DST, GoR, Jodhpur

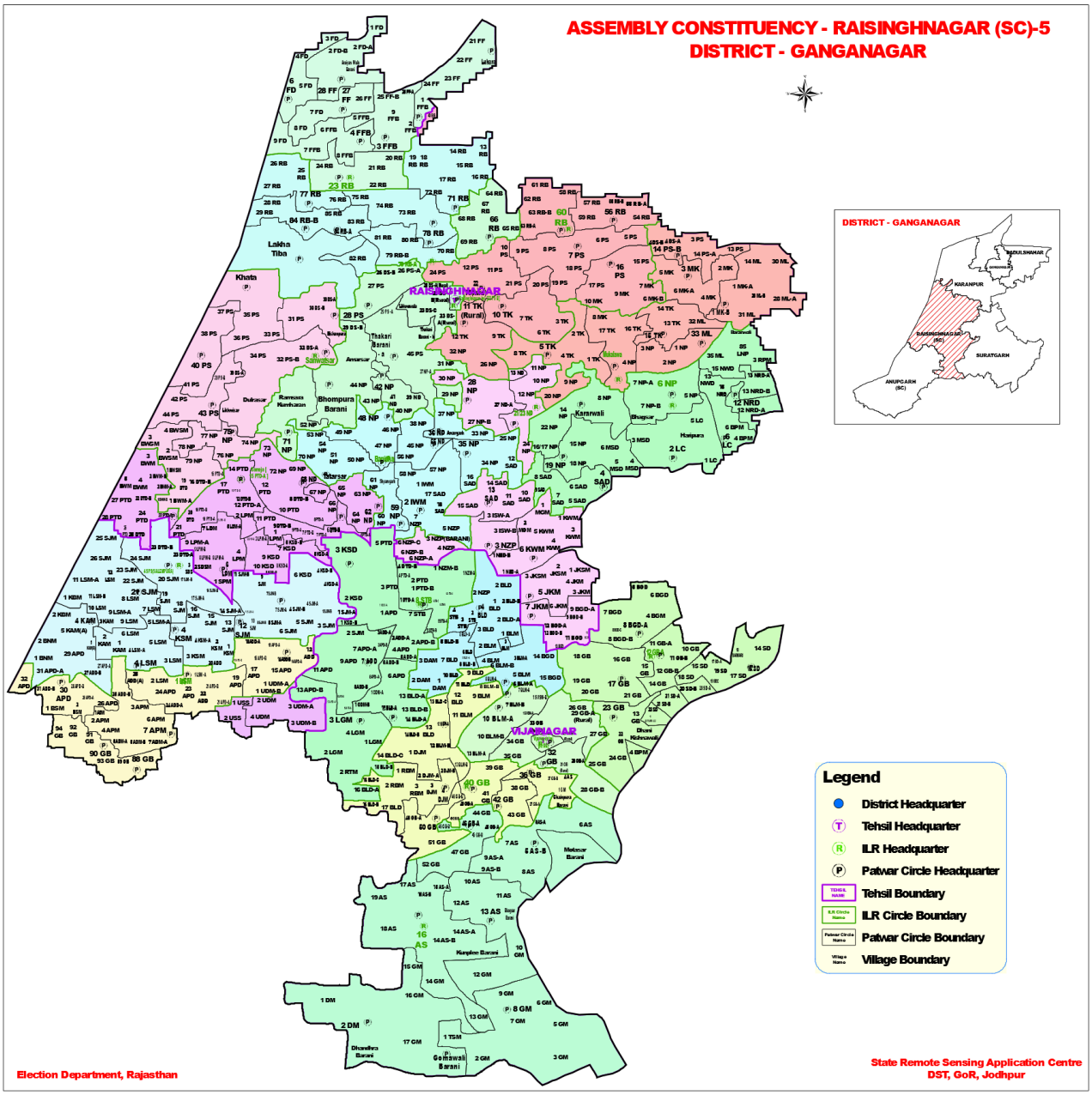
ASSEMBLY CONSTITUENCY - RAISINGHNAGAR (SC)-5
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
KARANPUR
RAISINGHNAGAR (SC)
SURATGARH
ANUPGARH (SC)
RAISINGHNAGAR
UJJAINAGAR
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur

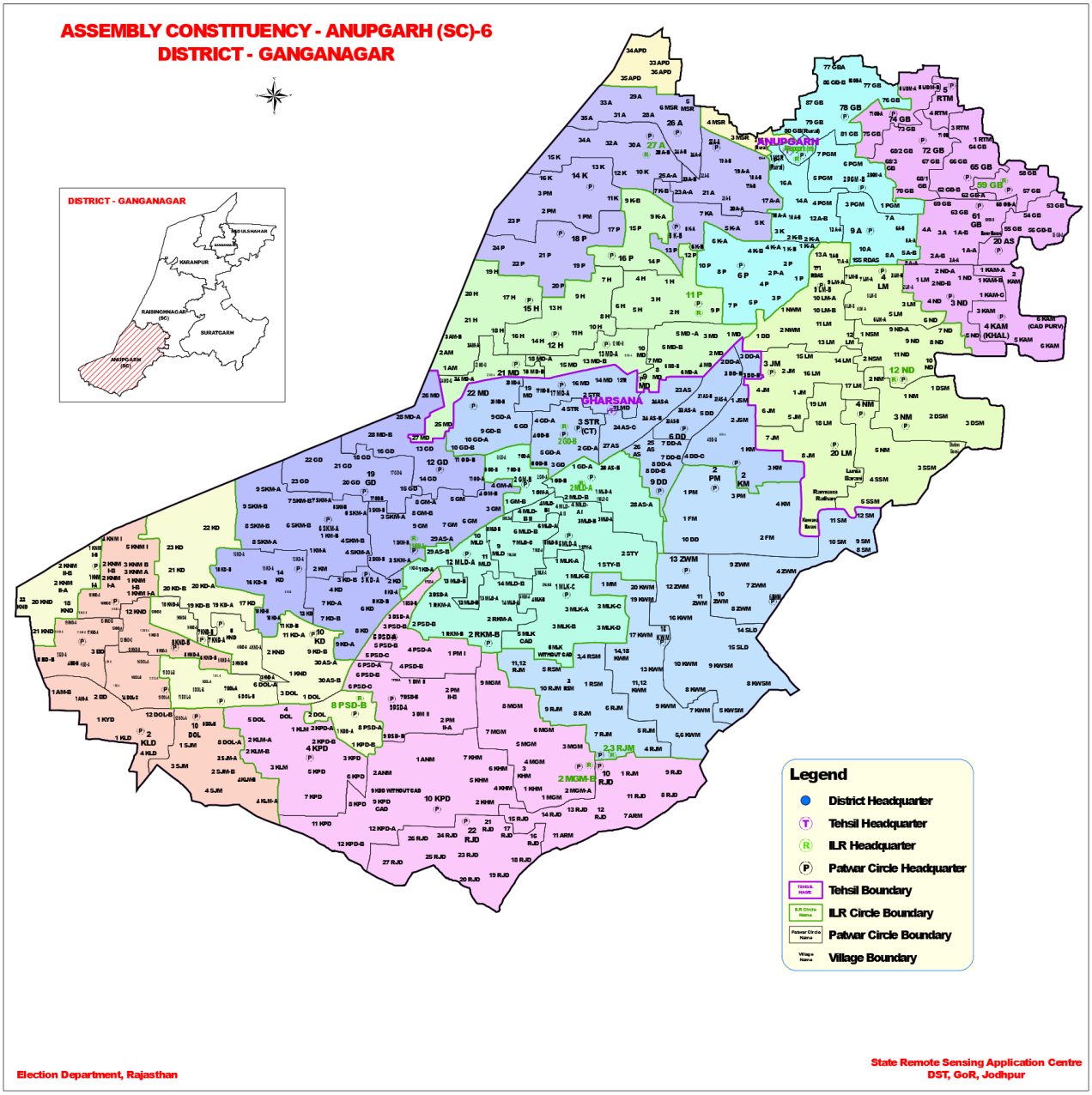
ASSEMBLY CONSTITUENCY - ANUPGARH (SC)-6
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
SRIDUNGARGARH
KARANPUR
RAISINGHNAGAR (SC)
SURATGARH
ANUPGARH (SC)
ANUPGARH
GHARSANA
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur

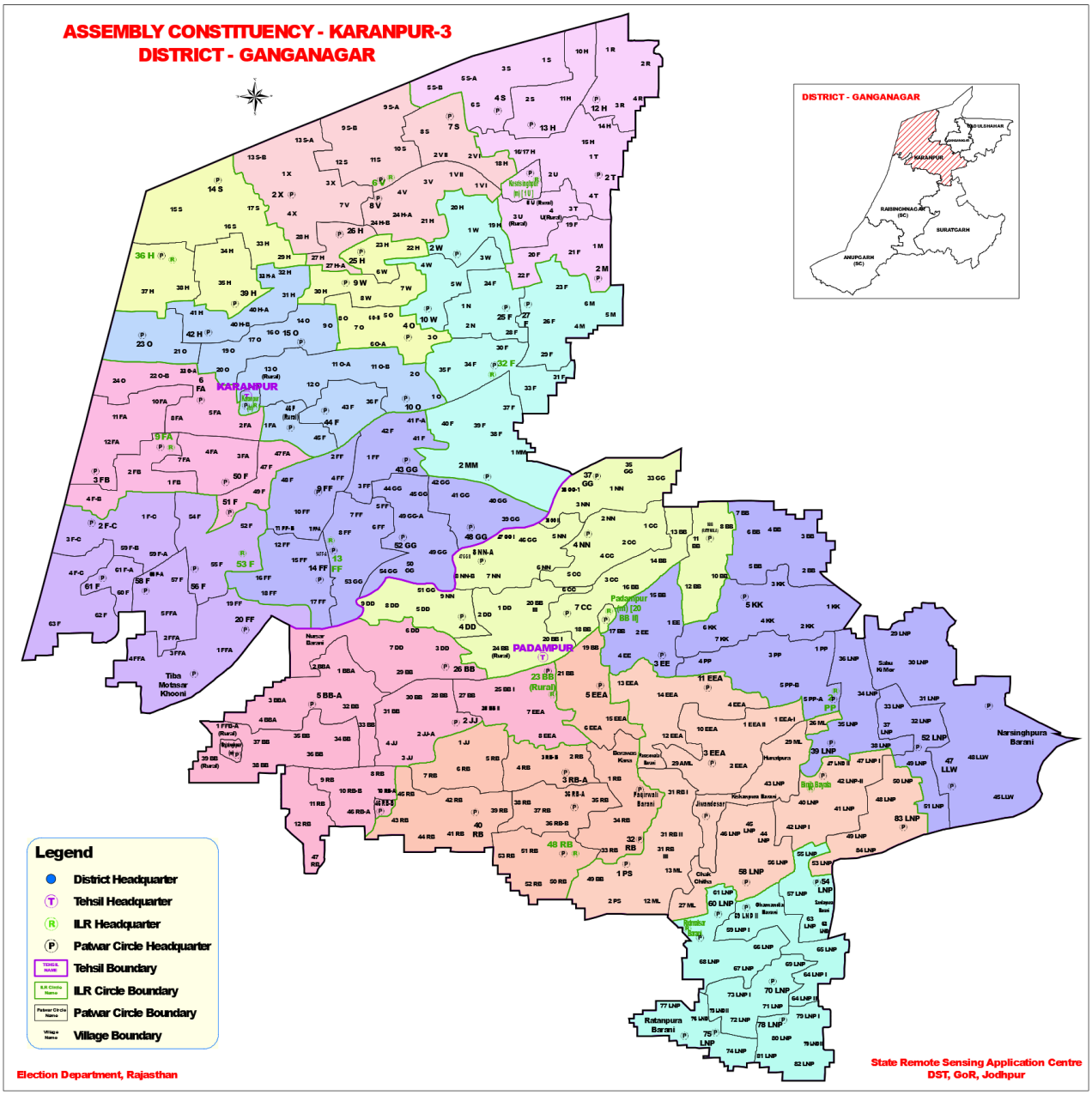
ASSEMBLY CONSTITUENCY - KARANPUR-3
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
KARANPUR
PADAMPUR
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur

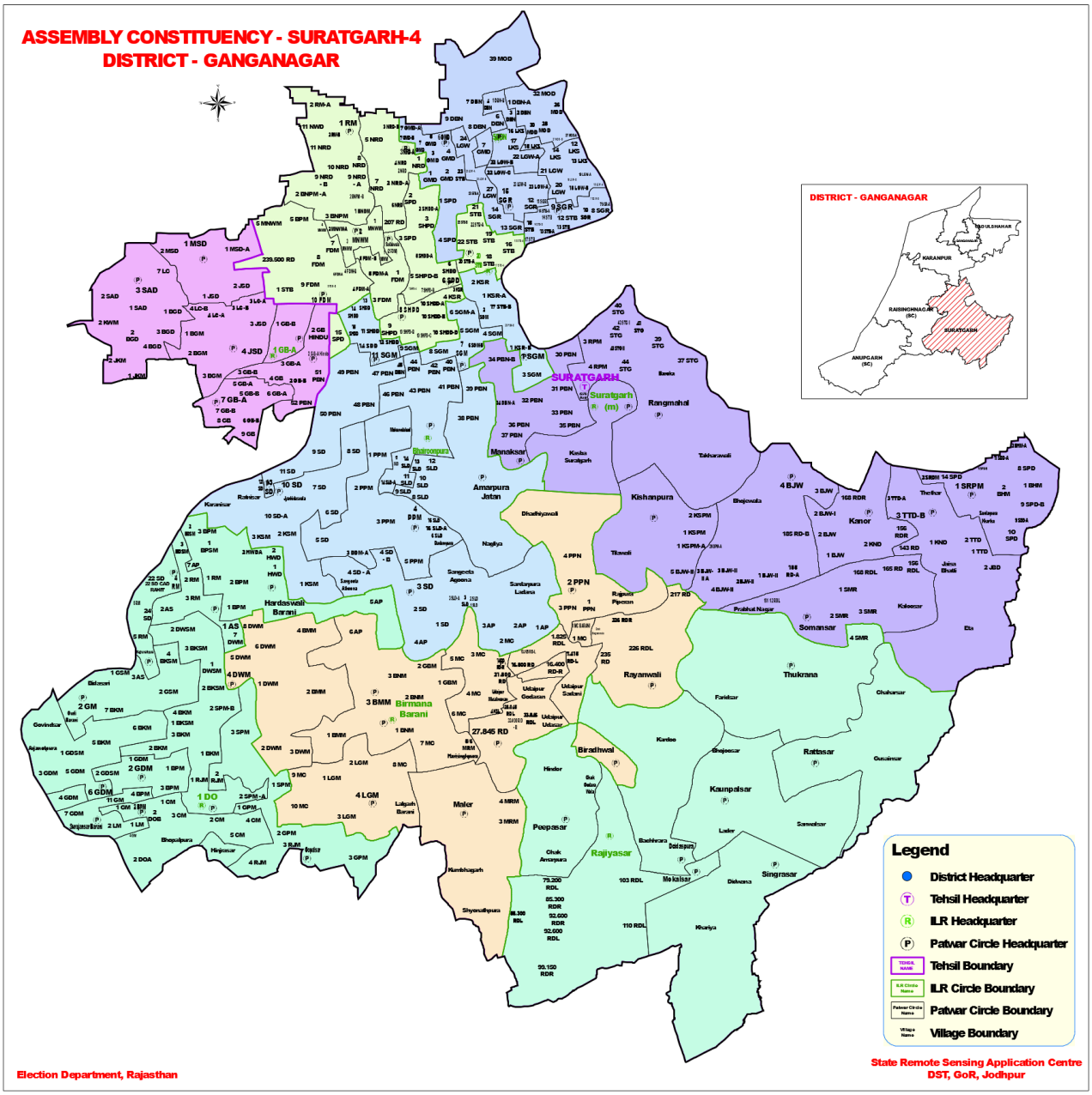
ASSEMBLY CONSTITUENCY - SURATGARH-4
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
SURATGARH
Suratgarh (m)
Rangmahal
Kishanpura
Kanor
Somansar
Thukrana
Rattasar
Kaunpalsar
Rajiyasar
Peepasar
Maler
Birmana Barani
Hardaswali Barani
Amarpura Jatan
Manaksar
Sangeeta Agoona
Rayanwali
Biradhwal
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur

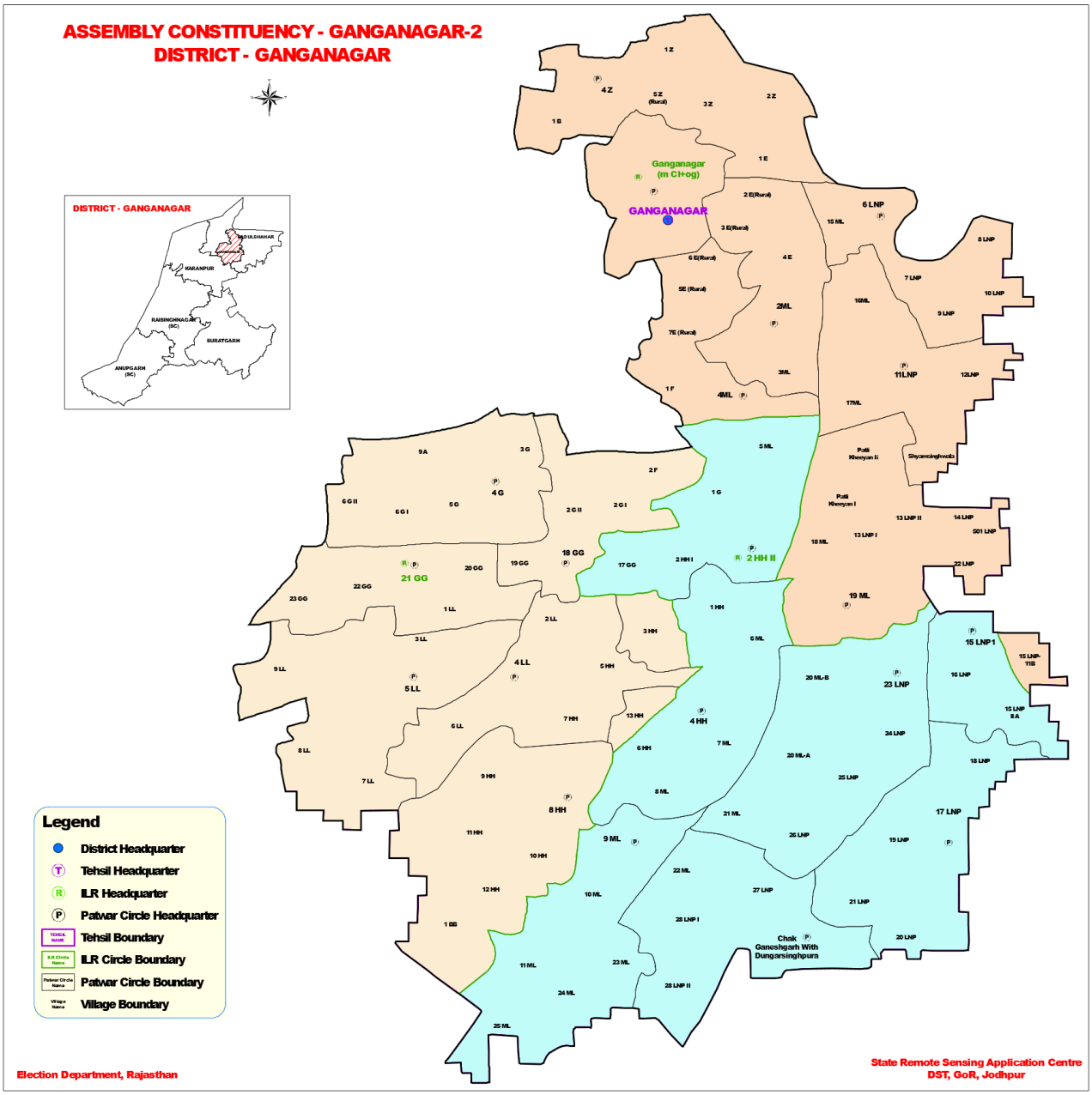
ASSEMBLY CONSTITUENCY - GANGANAGAR-2
DISTRICT - GANGANAGAR
DISTRICT - GANGANAGAR
GANGANAGAR
Ganganagar (m Cl+og)
Legend
District Headquarter
Tehsil Headquarter
ILR Headquarter
Patwar Circle Headquarter
Tehsil Boundary
ILR Circle Boundary
Patwar Circle Boundary
Village Boundary
Election Department, Rajasthan
State Remote Sensing Application Centre
DST, GoR, Jodhpur

परिशिष्ठः– 19 जिला स्तर पर ESF संगठन सैटअप–

Incident Command System

District Magistrate

Disaster Management Team

Heads of Primary Agencies of all ESFs
- Fire Services
- Telephone
- Department of Revenue
- police Service
- District Health Department
- Jal Board
- Department of food and civil supply
- Municipal Corporation
- Power/ Electricity Department
- transport Department

Quick Response Teams: Field workers at the time of any emergency and works according to their ESF function. They are members of primary and secondary agencies

Primary Agencies

Secondary Agencies

These are the agencies coordinates under various ESFs as per their secondary functions and abilities